



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Limited (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J & K Enterprise)



13वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

वार्षिक आम बैठक का आयोजन सोमवार, 30 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू-180012 जम्मू और कश्मीर में।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

सीआईएन : यू40105जेके2011जीओआई003321

निदेशक मंडल

श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष (22.11.2019 से)
श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	निदेशक (20.10.2022 से)
श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएएस	निदेशक (31.08.2023 से)
श्री आर पी गोयल	निदेशक (01.10.2020 से)
श्री संजय कुमार सिंह	निदेशक (04.09.2024 से)
श्री रमेश मुखिया	प्रबंध निदेशक (05.12.2023 से)
श्रीमती मधुस्मिता पानी	निदेशक (21.12.2022 से)
श्री हसन नदीम	प्रबंध निदेशक *
श्री बिश्वजीत बासु	निदेशक **
श्री विजय कुमार सिन्हा	निदेशक ***
श्री राम स्वरूप	निदेशक ****

* श्री हसन नदीम 05.12.2023 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

** श्री बिश्वजीत बासु 31.12.2023 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

*** श्री विजय कुमार सिन्हा 31.07.2024 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

**** श्री राम स्वरूप 04.09.2024 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।

कंपनी सचिव

श्री सुधीर आनंद

विषय-वस्तु :

निदेशक मंडल	2
निदेशको की प्रोफाइल	3
अध्यक्ष का संदेश	7
एजीएम की सूचना	10
बोर्ड का प्रतिवेदन	15
अनुबंध I - सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	97
अनुबंध II - फॉर्म सं. एओसी-2	101
अनुबंध III - प्रबंधन के उत्तरों के साथ सीएजी की टिप्पणियां	102
अनुबंध IV - फॉर्म एमजीटी- 9	104
अनुबंध V - सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट- 2023-24.....	112
अनुबंध VI - प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	127
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	
तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा	141

पंजीकृत कार्यालय और निवेशक संबंध प्रकोष्ठ

चिनाब जल शक्ति भवन सरस्वती धाम रेलहेड कॉम्प्लेक्स के सामने, जम्मू-180012-जम्मू और कश्मीर।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स पी सी बिंदल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट।

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स रमित माम एंड एसोसिएट्स

निदेशक मंडल



**श्री सुरेश कुमार, आईएएस-सेवानिवृत्त
अध्यक्ष और जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति
डीआईएन: 06440021**

श्री सुरेश कुमार, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी (जेके 1986) हैं और उनकी विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है। उन्हें वर्ष 1996 में चुनावों के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार करने और उनके सफल संचालन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया और वर्ष 2011 में ईमानदारी/सत्यनिष्ठा और मेधावी सार्वजनिक सेवा के लिए मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

श्री सुरेश कुमार 22 नवंबर, 2019 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



**श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस
निदेशक - जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति
डीआईएन: 06516512**

श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस, 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री. प्रसाद ने वाणिज्य विषयक्षेत्र में स्नातक किया है और इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर, से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से एम.पी.एम. और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से एल.एल.बी. का अध्ययन पूर्ण किया। वह वर्तमान में प्रधान सचिव, पीडीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार हैं।

श्री एच. राजेश प्रसाद 20 अक्टूबर, 2022 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएसएस
निदेशक - जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिति
डीआईएन: 05340193

श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य, आईएसएस, 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री वैद्य, वर्तमान में राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके पास जेकेआईडीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी है।

श्री संतोष दत्तात्रेय वैद्य 31 अगस्त, 2023 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल
निदेशक - एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति
डीआईएन: 08645380

श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल की विशिष्ट शैक्षणिक पृष्ठभूमि है और वे एक अर्हक सीएमए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड में कार्य करते हुए उनके पास वित्त के प्रमुख क्षेत्रों में 31 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है, साथ ही उन्हें जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और संचालन में शामिल वित्तीय, संविदात्मक और विनियामक मुद्दों की भी गहन समझ है। वर्तमान में वह एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) हैं।

श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल 1 अक्टूबर, 2020 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री संजय कुमार सिंह
निदेशक - एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति
डीआईएन : 10718481

श्री संजय कुमार सिंह, एसजेवीएन लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। भारत और भूटान में मेगा और प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में विद्युत और अवसंरचना क्षेत्र में उनके पास 32 वर्षों से अधिक का विशाल और विविध अनुभव है। उनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (सिविल) की डिग्री है। एसजेवीएन में, उन्होंने सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना (निर्माण चरण), नैटवार मोरी जल विद्युत परियोजना (निर्माण चरण), लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण II (एसएंडआई चरण), जखोल संकरी जल विद्युत परियोजना (एसएंडआई चरण) के परियोजना प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने एसटीपीएल (एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में भी कार्य किया है। श्री संजय कुमार सिंह, 4 सितंबर, 2024 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुए।



श्री रमेश मुखिया
प्रबंध निदेशक-एनएचपीसी लिमिटेड के नामिति
डीआईएन : 10415607

श्री रमेश मुखिया जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने 1990 में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1991 में रंगित पावर स्टेशन, सिक्किम में प्रोबेशनरी एक्जीक्यूटिव के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया और वर्ष 2000 में रंगित पावर स्टेशन को चालू किए जाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 2008 में तीस्ता-V पावर स्टेशन, वर्ष 2013 में तीस्ता लो डैम-III पावर स्टेशन को चालू किए जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, तीस्ता लो डैम-IV जल विद्युत परियोजना में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने परियोजना की सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने और निर्माण गतिविधियों को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रमेश मुखिया तीस्ता-IV परियोजना (500 मेगावाट) और पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) के परियोजना प्रमुख रह चुके हैं और उन्होंने कार्यकारी निदेशक के रूप में क्षेत्रीय

कार्यालय, बनीखेत का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। परियोजना और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में, उन्होंने प्रमुख निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे परियोजना के साथ-साथ पावर स्टेशनों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

श्री रमेश मुखिया ने 05 दिसंबर 2023 को सीवीपीपीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।



श्रीमती मधुस्मिता पानी
एनएचपीसी लिमिटेड की नामिति
डीआईएन: **09319007**

श्रीमती मधुस्मिता पानी एनएचपीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक(विधि) है।

श्रीमती मधुस्मिता पानी 21 दिसम्बर, 2022 को सीवीपीपीएल के बोर्ड में शामिल हुईं।

अध्यक्ष का भाषण



"समावेशी और सतत विकास लाने के लिए परानुभूति और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ एक विश्व स्तरीय स्वच्छ ऊर्जा संगठन बनना"

प्रिय शेयरधारको

आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीवीपीपीएल की 13वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सीवीपीपीएल बोर्ड की ओर से, मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना समय निकालने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

बोर्ड की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपको परिचालित की गई है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूंगा।

मैं मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सीवीपीपीएल की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख करूंगा।

• वित्तीय कार्य निष्पादन का संक्षिप्त विवरण

कंपनी ने अभी तक उन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है, जो अभी भी निर्माणाधीन हैं। कंपनी ने केवल 'अन्य आय' अर्जित की है अर्थात बैंकों के साथ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर ब्याज आय।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन और अन्य आय से राजस्व 35.75 करोड़ रुपये है और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में यह 53.47 करोड़ रुपये था।

• वर्ष की मुख्य विशेषताएं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, सीवीपीपीएल ने कई उपलब्धियाँ हासिल कीं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

पकल दुल जल विद्युत परियोजना:

1. 167 मीटर ऊँचाई वाला कंक्रीट फेस्ड रॉक फिल बांध भारत में अपनी तरह का सबसे ऊँचा बांध है और वर्ष के दौरान 24.78 लाख घन मीटर भरने के साथ 72 मीटर ऊँचाई तक बाँध की प्रगति हासिल की गई।
2. परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए हेड रेस टनल का पूरा होना महत्वपूर्ण है और एचआरटी-1 के उत्खनन के लिए टनल बोरिंग मशीन-1 को जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके बाद एचआरटी-1 के 534 मीटर एडिट का उत्खनन जनवरी 2024 में पूर्ण हुई और उसके बाद 7350 मीटर एचआरटी-1 का उत्खनन शुरू हुआ। वर्ष के दौरान टीबीएम-2 की असेंबली भी शुरू हुई।
3. विद्युत गृह केवर्न का उत्खनन पूरा होने के बाद, परियोजना की मुख्य ईएंडएम गतिविधियां प्रगति पर हैं और सितंबर 2023 में सभी चार ड्राफ्ट ट्यूब का निर्माण पूरा हो गया है। इसके अलावा, यूनिट 1 और 2 के स्पाइरल केसिंग का निर्माण भी क्रमशः दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 में पूरा हो गया है।
4. 291 मीटर गहरे वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट अर्थात वीपीएस-4 और 3 को क्रमशः जनवरी 2024 और मार्च 2024 में पूरा किया गया और स्टील लाइनिंग निर्माण कार्यों के लिए एचएम संविदाकार को सौंप दिया गया। साथ ही, वीपीएस-2 और 1 की स्लैशिंग प्रारंभ हो गई है और प्रगति पर है।

किरु जल विद्युत परियोजना (624 मेगावाट)

1. परियोजना कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए बांध कंक्रीटिंग कार्यों का पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण है और कुल 13.95 लाख घन मीटर की तुलना में 3.5 लाख घन मीटर कंक्रीटिंग की प्रगति हासिल की गई है।
2. वर्ष के दौरान कुल 500 मीटर लंबाई के इनक्लाइंड प्रेशर शाफ्ट (संख्या 4) की खुदाई पूरी की गई और स्टील लाइनर के निर्माण के लिए स्थल को एचएम संविदाकार को सौंप दिया गया।
3. इसके अलावा, वर्ष के दौरान 174335 घन मीटर का विद्युत गृह उत्खनन पूरा किया गया है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर केवर्न खुदाई, 4 टीआरटी उत्खनन और 4 बस डक्ट्स का कार्य भी पूरा किया गया है। वर्ष के दौरान परियोजना के सभी मोर्चों पर कार्य लगातार आगे बढ़ा है और परियोजना के कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरे होने की आशा है।

कार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट)

1. परियोजना की प्रमुख उपलब्धि अर्थात चिनाब नदी का डायवर्जन जनवरी 2024 के दौरान प्राप्त किया गया। यह परियोजना के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है क्योंकि इसने मुख्य बांध कार्यों की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है जो प्रगति पर हैं।
2. इसके अलावा, इस अवधि के दौरान परियोजना के विभिन्न मोर्चों पर कार्य शुरू किया गया और सबसे उल्लेखनीय 609 मीटर लंबी, 8 मीटर व्यास वाली मेन एक्सेस टनल (एमएटी) का उत्खनन और जीआईएस (केवर्न) से ट्रांसफार्मर केवर्न तक टनल का उत्खनन, पावर हाउस का उत्खनन और ट्रांसफार्मर केवर्न का उत्खनन है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि पकल दुल जलविद्युत परियोजना और कार जलविद्युत परियोजना के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, पकल दुल जलविद्युत परियोजना के संबंध में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र से 250 मेगावाट, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से 100 मेगावाट तथा कर्नाटक विद्युत कंपनी लिमिटेड से 444 मेगावाट विद्युत खरीद के लिए सहमति प्राप्त हुई है। कार जलविद्युत परियोजना के संबंध में हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र से 200 मेगावाट, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से 54 मेगावाट तथा कर्नाटक विद्युत कंपनी लिमिटेड से 240 मेगावाट विद्युत खरीद के लिए सहमति प्राप्त हुई है।

किरू जलविद्युत परियोजना के संबंध में 543 मेगावाट विद्युत खरीद समझौते पर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से 250 मेगावाट, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड से 543 मेगावाट तथा कर्नाटक विद्युत कंपनी लिमिटेड से 543 मेगावाट विद्युत खरीद के लिए भी सहमति प्राप्त हुई है।

• कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीवीपीपीएल अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और संधारणीयता के उत्कृष्ट मानकों को प्रोत्साहित करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रयोजनार्थ निरंतर प्रयास करता है। सीएसआर क्रियाकलापों को कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जैसा कि बोर्ड की रिपोर्ट में वर्णित किया गया है।

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जम्मू-कश्मीर सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीएल के प्रमोटरों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसके बिना कंपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और जुड़ाव के प्रति अपना आभार व्यक्त स्वीकार करते हैं तथा भविष्य में उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की कामना करते हैं।

मैं सीवीपीपीएल में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की उनके अत्यधिक समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए भी हृदय से सराहना करता हूं।

धन्यवाद।

हस्ता./-

स्थान : जम्मू

दिनांक: 09.09.2024

सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021



वैश्विक कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फोन नं.: 0191-2479531

Email :

cs@cvppindia.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की **13वीं** वार्षिक आम बैठक **सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे** सीवीपीपीएल पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-**180012**, जम्मू एवं कश्मीर में निम्नलिखित कार्यो को निष्पादित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थल सीवीपीपीएल पंजीकृत कार्यालय, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-**180012**, जम्मू एवं कश्मीर माना जाएगा।

सामान्य कार्य:

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को बोर्ड की रिपोर्ट, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।
- श्री सुरेश कुमार-आईएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन: 06440021) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो क्रमावर्ती रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, जेकेएसपीडीसी लिमिटेड/जेएंडके सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करते हैं।
- श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल (डीआईएन: 08645380) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, एनएचपीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में एक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना और यदि उचित समझा जाए, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को पारित करना: -

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के साथ पठित धारा 142 के उपबंधों और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (इसमें उसके तत्समय प्रवृत्त सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी शामिल हैं) के अन्य सभी लागू उपबंधों के अनुसरण में निदेशक मंडल को वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फोन नं.: 0191-2479531

Email :

cs@cvppindia.com

आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम, जो आवश्यक, उचित या समीचीन हो, उठाने के लिए अधिकृत किया जाए और अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

दिनांक : 09.09.2024

स्थान : जम्मू

टिप्पणियां:

(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने 28 दिसंबर, 2022, 5 मई, 2022 और 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021 और 14 दिसंबर, 2021 के परिपत्रों के साथ पठित 25 सितंबर, 2023 के अपने परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से 30 सितंबर, 2024 तक एक समान स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम बुलाने की अनुमति दी है। अतः उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

(ii) वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

क) बैठक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स/जूम एप्लिकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ख) सदस्य माइक्रोसॉफ्ट टीम्स/जूम एप या डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से पंजीकृत ई-मेल आईडी पर एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए लिंक का उपयोग करके बैठक में शामिल हो सकते हैं।

ग) एंड्रॉइड/आईफोन कनेक्शन के मामले में, साझेदारों को मेल में दिए गए उपयुक्त एप्लिकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर/ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

घ) इसके अलावा, सदस्यों को मोबाइल ऐप पर बैठक को व्यवस्थित करते समय कैमरे की अनुमति देने और इंटरनेट ऑडियो सेटिंग्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

ड) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से बैठक में जुड़ने वाले साझेदारों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में व्यवधान का

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फोन नं.: 0191-2479531

Email :

cs@cvppindia.com

अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए किसी समुचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।

च) बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व से खुली रखी जाएगी बैठक के समापन पर बजे बंद कर दी जाएगी।

छ) किसी भी सहायता के लिए सदस्य कंपनी सचिव को cs@cppindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या +91-9419181543 पर संपर्क करें।

iii) एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और उसकी ओर से मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि एजीएम को परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(iv) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन के लिए माना जाएगा।

(v) चूंकि एजीएम को ओसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, इस सूचना के साथ मार्ग मानचित्र संलग्न नहीं है।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, श्री सुरेश कुमार-आईएस (सेवानिवृत्त) और श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, निदेशक हैं। पात्र होने के कारण, श्री सुरेश कुमार-आईएस (सेवानिवृत्त) और श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं की पेशकश करते हैं। निदेशक मंडल उनकी पुनर्नियुक्ति की अनुशंसा करता है।

(vii) वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

नाम	श्री सुरेश कुमार-आईएस (सेवानिवृत्त)	श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल
जन्म तिथि और आयु	27 जून, 1959 (65 वर्ष)	08 अगस्त, 1965 (59 वर्ष)
योग्यता	बीएससी (कृषि), एमए (अर्थशास्त्र), एमएससी (कृषि), पीजी डिप्लोमा (वानिकी), एमए (लोक नीति)	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एसोसिएट सदस्य, राजस्थान विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री।
नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के निबंधन और शर्तों और पारिश्रमिक का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् जेकेएसपीडीसी लिमिटेड/ जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार	नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	22/11/2019	01/10/2020
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और केएमपी के साथ संबंध	कोई नहीं	कोई नहीं
वर्ष 2023-24 के दौरान भाग ली गई और आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	9/9	8/9
अन्य कंपनियों में समितियों में धारित निदेशक पद,	कोई नहीं	1. एनएचपीसी लिमिटेड (निदेशक-वित्त और हितधारक संबंध समिति,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फोन नं.: 0191-2479531

Email :


cs@cvppindia.com

सदस्यता/अध्यक्षता		सीएसआर और स्थिरता संबंधी निदेशकों की समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य)। 2. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (निदेशक) 3. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निदेशक और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष)। 4. एनएचपीसी लिमिटेड (निदेशक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य)।
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड के नामिती के रूप में 01 (एक) इक्विटी शेयर	एनएचपीसी लिमिटेड के नामिती के रूप में 01 (एक) इक्विटी शेयर

- (viii) परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट **2023-24** के साथ एजीएम की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जानी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी के पास उपलब्ध हैं।
- (ix) कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अधिनियम की धारा **113** के अनुसरण में, अपने प्रतिनिधि को एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड संकल्प की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीईजी प्रारूप) भेजें। उक्त संकल्प/प्राधिकार कंपनी सचिव को पंजीकृत ई-मेल पते से ई-मेल द्वारा **cs@cvppindia.com** को भेजा जाएगा।
- (x) मतदान पहली बार में हाथ दिखाकर किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्णय न लें या कोई सदस्य मतदान के लिए मांग करें। यदि अध्यक्ष द्वारा मतदान का निर्णय लिया जाता है या मांग की जाती है, तो मतदान तुरंत आयोजित किया जाएगा और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक के दौरान मतदान संचालित किए जाने के समय प्रत्येक मद पर अपनी सहमति या असहमति **cs@cvppindia.com** पर उस ईमेल आईडी के माध्यम से भेजें, जिस पर उन्हें एजीएम के दौरान एजीएम की सूचना मिली है।
- (xi) कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **170** के अंतर्गत निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर तथा कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **189** के अंतर्गत अनुरक्षित ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं, जिनमें निदेशकों का हित है, का रजिस्टर कंपनी की एजीएम के समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज भी सदस्यों द्वारा सूचना के प्रचलन की तिथि से लेकर एजीएम की तिथि तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, फोलियो नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) बताते हुए कंपनी सचिव को **cs@cvppindia.com** पर ई-मेल भेज सकते हैं।
- (xii) कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **139(5)** के अनुसार सरकारी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एण्ड एजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **142(1)** के अनुसार आम बैठक में



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का एक उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम

CHENAB VALLEY POWER PROJECTS LIMITED

A Joint Venture of NHPC Ltd. (A Govt. of India Enterprise) & JKSPDC (A Govt. of J&K Enterprise)

सीआईएन/ **CIN: U40105JK2011GOI003321**

कंपनी सचिवालय

COMPANY SECRETARIAT

फोन नं.: 0191-2479531

Email :

cs@cvppindia.com

कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से तय किया जाना चाहिए। सदस्य बोर्ड द्वारा उचित समझे गए अनुसार बोर्ड को वित्तीय वर्ष **2024-25** के लिए सी एण्ड एजी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखापरीक्षकों का उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

(xiii) कंपनी का कोई भी निदेशक अपनी व्यावसायिक/नियोजन क्षमता को छोड़कर किसी भी तरह से एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू – 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

हमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीवीपीपीएल के कार्य-निष्पादन पर 13वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्ट में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा शामिल है।

वर्ष 2023-24 कंपनी की निर्माण परियोजनाओं अर्थात पकल दुल, कीरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति में उठाए गए प्रमुख कदमों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। परियोजनाओं के निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के अंतिम लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण गति के साथ आगे बढ़े। कंपनी निकट भविष्य में संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ देश में जलविद्युत उद्योग में एक प्रमुख निकाय बनने की राह पर है। वर्ष 2023-24 के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- पकल दुल जलविद्युत परियोजना की 7350 मीटर हेड रेस टनल-1 के निर्माण के लिए पहली टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) जुलाई 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। नियोजित टीबीएम साइट की भूवैज्ञानिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी के मेसर्स हेरेनक्नेच द्वारा निर्मित सबसे उन्नत मशीनों में से एक है और साथ-साथ बोरिंग एवं सेगमेंट लाइनिंग में समर्थ है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना के बांध कार्य और पावर हाउस कार्य पहले से ही उन्नत चरण में हैं और हेड रेस टनल के निर्माण की शुरुआत के साथ, परियोजना अब लक्ष्य के अनुसार तेजी से पूरा होने के करीब पहुंच रही है।
- कीरू जलविद्युत परियोजना के भूमिगत पावर हाउस के उत्खनन के साथ-साथ चार इन्क्लाइड प्रेशर शाफ्ट का उत्खनन दिसंबर 2023 में पूरा हो गया है। इससे पावर हाउस की ईएंडएम कार्य गतिविधियों और प्रेशर शाफ्ट की एचएम कार्य गतिविधियों को शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- नदी का डायवर्जन हर जल विद्युत परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होता है और क्वार जलविद्युत परियोजना द्वारा जनवरी 2024 में इसे हासिल किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि बांध का निर्माण कार्य बाद में शुरू किया गया था।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने पकल दुल और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत के ऑफ-टेक के लिए जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ कीरू जल विद्युत परियोजना के लिए विद्युत क्रय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू – 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

1. वित्तीय परिणाम:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2023-24	2022-23
प्रचालन से राजस्व और अन्य आय	3,575.40	5,346.69
कर पूर्व लाभ	1,971.10	3,814.12
कर व्यय	898.85	1,345.35
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ	1,072.25	2,468.77
विनियामक आस्थगित लेखा शेष (कर का निवल)	(4.06)	45.77
वर्ष के लिए लाभ	1,068.19	2,514.54
अन्य व्यापक आय	00	00
कुल व्यापक आय	1,068.19	2,514.54
घटाएं विनियोजन	00	00
आरक्षित और अधिशेष को अग्रेनीत प्रतिधारित आय का अंतिम शेष	1,068.19	2,514.54

2. कार्यों की स्थिति:

कंपनी ने अभी तक उन परियोजनाओं से अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है जो अभी भी निर्माणाधीन हैं और प्रचालनों से राजस्व शून्य है। कंपनी ने केवल अन्य आय अर्जित की है अर्थात् बैंकों के साथ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई अल्पकालिक अधिशेष निधि पर ब्याज के रूप में आय।

3. परियोजनाओं की स्थिति:

1. पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय:


पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी मरुसुदर पर निर्माणाधीन है। परियोजना को एक भंडारण योजना के रूप में नियोजित किया गया है और इसमें सिंधु जल संधि के तहत 0.1 एमएएफ के अनुमेय भंडारण का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना में 167 मीटर ऊंचे कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध, 7.20 मीटर व्यास और 9.6 किमी लंबाई प्रत्येक की 2 हेड रेस टनलों, 250 मेगावाट वर्टिकल फ्रांसिस टर्बाइन प्रत्येक की 4 यूनिटों वाले एक भूमिगत विद्युत गृह और 125 मीटर लंबी टेल रेस सुरंग प्रत्येक की 5.5 मीटर व्यास के 4 हॉर्सशू शेप के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसका वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 3230 एमयू होगा।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 19 मई, 2018 को परियोजना की आधारशिला रखी।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

परियोजना लेआउट



PROJECT SCHEME

परियोजना स्कीम

परियोजना की स्थिति:

i. सांविधिक मंजूरियां

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सांविधिक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं अर्थात् सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन मंजूरी, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा वन्यजीव मंजूरी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी, मत्स्य विभाग और हाइड्रोलिक डिवीजन (पीएचई और सिंचाई) जम्मू-कश्मीर सरकार से मंजूरी, भूविज्ञान और खनन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पकल दुल परियोजना की स्थापना के लिए सहमति आदि।

ii. सीसीईए अनुमोदन

भारत सरकार से 2500 करोड़ रुपए के अधीनस्थ ऋण तथा जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा डब्ल्यूसीटी/प्रवेश कर से छूट और परियोजना के पूरा होने की तारीख से पहले दस वर्षों के लिए 12% निःशुल्क बिजली और पानी के उपयोग शुल्क की छूट को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार द्वारा मार्च 2013 को मूल्य स्तर पर 8112.12 करोड़ की स्वीकृत लागत पर 28.10.2014 को निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था। जम्मू और कश्मीर में जीएसटी के लागू होने के पश्चात कंपनी द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने परियोजना में जेकेएसपीडीसी की ओर से सीवीपीपीएल को अनुदान के रूप में 1192 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। पूर्ण इक्विटी राशि पहले ही विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है और सीवीपीपीएल द्वारा प्राप्त की जा चुकी है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू – 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

iii. भूमि अधिग्रहण

आज की तारीख तक, परियोजना द्वारा लगभग 177.8 हेक्टेयर राजस्व भूमि (निजी और सरकारी भूमि) का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसके लिए जिला प्रशासन किशतवाड़ के पास 115.84 करोड़ रुपए वास्तविक भूमि मालिकों को वितरित किए जाने के लिए जमा किए गए हैं। इसके अलावा, लगभग 26.685 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन, किशतवाड़ द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत है।

iv. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आरएंडआर) योजना

जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 22.02.2017 के आदेश द्वारा परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को मंजूरी दे दी है। मुआवजे में वृद्धि को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 07.03.2019 के आदेश के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सीवीपीपीएल द्वारा आरएण्डआर योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन किशतवाड़ के पास 74.09 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है अभी तक कुल 64.69 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है।

परियोजना की आरएण्डआर योजना के अंतर्गत पीएएफ को आगे संवितरण और अन्य घटकों के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त (आरएंडआर) अर्थात डीसी किशतवाड़ के साथ मामले को आगे उठाया जा रहा है।

v. 31 मार्च, 2024 के अनुसार प्रमुख कार्य पैकेजों की प्रगति

परियोजना को 5 प्रमुख पैकेजों अर्थात पावर हाउस पैकेज, बांध पैकेज, ईएंडएम पैकेज, एचएम पैकेज और एचआरटी-टीबीएम पैकेज में निष्पादित किया जा रहा है। 31.03.2024 तक प्राप्त भौतिक प्रगति को नीचे दिया गया है :


क्रम सं.	पैकेज	एजेंसी	कार्य सौंपे जाने की तिथि	भौतिक प्रगति (%)
1	पीएच पैकेज	मैसर्स एफकॉन्स - जेएएल लिमिटेड	21.02.2018	48.73%
2	बांध पैकेज	मैसर्स जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	21.06.2018	34.52%
3	एचएम पैकेज	मैसर्स पीईएस लिमिटेड	26.08.2019	41.63%
4	ई एण्ड एम पैकेज	मैसर्स वॉयथ हाइड्रो लिमिटेड	02.01.2019	59.42%
5	एचआरटी-टीबीएम	मैसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड	03.07.2020	16.61%



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

प्रमुख कार्यों की स्थिति :

क. विद्युतगृह पैकेज (31.03.2024 के अनुसार)

क्रम सं.	क्रियाकलाप	चित्र
1.	<p>विद्युत गृह</p> <p>क) उत्खनन (घन मीटर) :</p> <p>कुल मात्रा : 145693 निष्पादित : 145693 (100%) पूर्ण।</p> <p>ख) विद्युतगृह मशीन हॉल कंक्रीटिंग (घन मीटर) :</p> <p>कुल मात्रा 54000 निष्पादित : 27275(51%) शेष : 26725</p>	 




चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

2. मुख्य इन्लेट वाल्व केवर्न :

क) उत्खनन


कुल मात्रा 19024
 निष्पादित : 19024 (100%)
 पूर्ण।



ख) एमआईवी केवर्न में कंक्रीटिंग (घन मीटर) :

कुल मात्रा 2000
 निष्पादित : 492 (25%)
 शेष 1508





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321


- 3. ट्रांसफार्मर हॉल**
 - ट्रांसफार्मर हॉल के उत्खनन (28175 घनमीटर) और कंक्रीटिंग (3600.5 घनमीटर) का कार्य पूरा हो गया है।
 - सभी चार बस डक्ट की खुदाई (48.5 मीटर प्रत्येक) और कंक्रीटिंग (2000 घनमीटर) का कार्य भी पूरा हो गया है।



- 4. प्रेशर शाफ्ट**
क) वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट - 4 :
 स्लैशिंग (मी)
 कुल मात्रा : 291
 निष्पादित : 291 (100%)
 पूर्ण हुआ।
- ख) वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट - 3 :**
 स्लैशिंग (मी)
 कुल मात्रा : 291
 निष्पादित : 291 (100%)
 पूर्ण हुआ।
- ग) वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट - 2 :**
 स्लैशिंग (मी)
 कुल मात्रा : 291
 निष्पादित : 2.5 (1%)
 शेष : 288.50
- घ) वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट - 1 :**
 स्लैशिंग (मी)
 कुल मात्रा : 291
 निष्पादित : 24.50 (8%)
 शेष : 266.50



वीपीएस-2



वीपीएस-1



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

5. सर्ज शाफ्ट

क) सर्ज शाफ्ट-2

स्लैशिंग (मी)

कुल मात्रा 200

निष्पादित : 4 (2%)

शेष 196

ख) अपर सर्ज गैलरी-1 (मी)

कुल मात्रा 260

निष्पादित : 256.50 (98%)

शेष : 3.50

ग) अपर सर्ज गैलरी-2 (मी)

कुल मात्रा 257

निष्पादित : 244 (95%)

शेष 13



अपर सर्ज गैलरी



सर्ज शाफ्ट-2

6. वाल्व हाउस उत्खनन (घन मीटर):

कुल मात्रा 17295

निष्पादित : 17295 (100%)

पूरा हुआ।





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

7. **स्विच यार्ड उत्खनन (घन मीटर):**
 कुल मात्रा 95000
 निष्पादित : 95000 (100%)
पूर्ण हुआ।



ख. बांध पैकेज (31.03.2024 के अनुसार)

क्र. सं.	क्रियाकलाप	चित्र
1.	सीएफआरडी रॉक फिलिंग (घन मीटर): कुल मात्रा : 7546000 निष्पादित : 2478158 (33%) शेष : 5067842	<p>बांध अप/स्ट्रीम दृश्य</p> <p>बांध डाऊन/स्ट्रीम दृश्य</p>



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

2. पावर इनटेक ढांचा

क) सतही उत्खनन (सीयूएम):

कुल मात्रा 377500
 निष्पादित : 271186 (72%)
 शेष 106314

ख) एचआरटी-1 में सर्विस गेट के लिए गेट शाफ्ट का उत्खनन (मी)

कुल मात्रा : 91
 निष्पादित : 35.5 (39%)
 शेष : 55.5

ग) एचआरटी-2 में सर्विस गेट के लिए गेट शाफ्ट का उत्खनन (मी)

कुल मात्रा : 91
 निष्पादित : 11 (12%)
 शेष : 80

घ) भविष्य के एचआरटी के लिए गेट शाफ्ट का उत्खनन (मी)

कुल मात्रा : 91
 निष्पादित : 22.5 (25%)
 शेष : 68.5



गेट शाफ्ट सहित पावर इनटेक ढांचा



गेट शाफ्ट

3. सतही (सरफेस) स्पिलवे

सतही उत्खनन (घन मीटर)

कुल मात्रा : 763000
 निष्पादित : 587317 (77%)
 शेष : 175683





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

4. टनल स्पिलवे आउटलेट

सतह उत्खनन (घन मीटर) :

कुल मात्रा : 420000

निष्पादित : 303515 (72%)

शेष : 116485



5. एचआरटी का उत्खनन

क) उत्खनन (मी) :

कुल मात्रा : 4117

निष्पादित : 3801.5 (92%)

शेष : 315.5

ख) कंक्रीट लाइनिंग (मी) :

कुल मात्रा : 4117

निष्पादित : 1608 (39%)

शेष : 2509





एचआरटी की कंक्रीट लाइनिंग



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

ग. एचआरटी-टीबीएम पैकेज

क्रम	क्रियाकलाप	चित्र
1.	<p>हेड रेस टनल-1</p> <p>क) एडिट (मी) कुल मात्रा : 534 निष्पादित : 534 (100%) पूर्ण हुआ।</p> <p>ख) एचआरटी (मी) कुल मात्रा : 7350 निष्पादित : 348.5 (5%) शेष : 7001.5</p>	 <p style="text-align: center;">एचआरटी</p>
2.	<p>कास्ट किए गए सेगमेंट (संख्या)</p> <p>कुल मात्रा : 58800 निष्पादित : 7014 (12%) शेष : 51786</p>	  <p style="text-align: center;">सेगमेंटों की कास्टिंग/स्टैकिंग</p>



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

3. टीबीएम-2 की असेम्बली

- टीबीएम-2 का असेम्बली कार्य
 31.03.2024 को 55% पूर्ण हुआ




घ. एचएम कार्य :

क्र. सं.	क्रियाकलाप	यूनिट	कुल मात्रा	संचयी प्रगति	शेष मात्रा	% प्रगति
1.	निचला क्षैतिज भाग, 2.9 मीटर व्यास (एमआईवी का डाउनस्ट्रीम) (पीएस1ए, पीएस1बी, पीएस2ए और पीएस2बी) - पूर्ण हुआ।	M	218	218	0	100%
2.	पीएस 1 - शीर्ष क्षैतिज भाग 6 मीटर व्यास जिसमें बेंड और स्टील ट्रांजिशन शामिल है	M	221	200.4	20.6	91%
3.	पीएस 2 - शीर्ष क्षैतिज भाग 6 मीटर व्यास जिसमें बेंड और स्टील ट्रांजिशन शामिल है	M	174	170	4	98%
4.	पीएस 1 का द्विभाजन - पूर्ण हुआ।	M	23.28	23.28	0	100%
5.	पीएस 2 का द्विभाजन	M	23.28	6.1	17.2	26.20%



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



लोअर क्षैतिज पीएस का द्विभाजन - 3.9 मी व्यास, एमआईवी का अप /स्ट्रीम



ऊपरी क्षैतिज पीएस - 6.0मी व्यास



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

क. ई एंड एम कार्य:

i. मेसर्स वोइथ हाइड्रो लिमिटेड को 02.01.2019 को कार्य सौंपा गया तथा निर्धारित गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

• परियोजना स्थल पर पहुँचे हुए उपकरण: -


- सभी इकाइयों के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर तथा अन्य संबंधित सहायक उपकरण परियोजना स्थल पर प्राप्त हुए।
- जीएसयू ट्रांसफॉर्मर केवर्न में तेल और जल निकासी प्रणाली के लिए एम्बेडेड पाइप परियोजना स्थल पर प्राप्त हुए।
- पीएच ईओटी क्रैन-1, एमआईवी क्रैन और पीपी वाल्व क्रैन की सभी सामग्री परियोजना स्थल पर प्राप्त हुई। ग्राउंडिंग प्रणाली, स्टेटर बार, रोटर पोल, स्टेटर फ्रेम, सभी यूनिटों की स्पाइरल केस असेंबली और लोअर पिट लाइनर सेगमेंट, 2 रनर, यूनिट #1 और 2 के एमआईवी और बटरफ्लाई वाल्व, 2 जेनरेटर शाफ्ट, यू#1 के रोटर रिम और हब, जीआईएस घटक और जीआईएस ईओटी क्रैन और 13 जीएसयू ट्रांसफॉर्मर।

• इरेक्शन:

- पावर हाउस केवर्न, ट्रांसफॉर्मर केवर्न, 1, 2 और 3 टीआरटी, एमआईवी सर्विस बे, एमआईवी यूनिट #1 की अर्थिंग पूरी हो गई है।
- ड्राफ्ट ट्यूब यूनिट #1, 2, 3 और 4 का स्थापन क्रमशः 30.08.22, 20.09.22, 11.01.23 और 24.07.2023 को पूरा हो गया है।
- पीएच 1 और 2 ईओटी क्रैन का इरेक्शन पूरा हो गया है।
- एमआईवी ईओटी क्रैन का इरेक्शन और कमीशनिंग लोड परीक्षण के साथ सभी तरह से पूरा हो गया है।
- यूनिट #1 और यूनिट #2 की स्पाइरल केसिंग का इरेक्शन पूरा हो गया है। यूनिट #1 और 2 के स्टेटर का स्थापन कार्य प्रगति पर है।
- यूनिट #3 और यूनिट #4 की स्पाइरल केसिंग का इरेक्शन प्रगति पर है।
- सभी 13 जीएसयू ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर केवर्न में उनके निर्दिष्ट स्लॉट पर रखे गए हैं। जीएसयू ट्रांसफॉर्मर में एक्सेसरीज के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321




स्पाइरल केसिंग यूनिट - 1 और 2 का इरेक्शन



सर्विस बे में स्टेटर बिल्ड-अप कार्य प्रगति पर



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



यूनिट-1 पिट लाइनर



जीएसयू ट्रांसफॉर्मर्स



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321


II. किरु जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट):

संक्षिप्त परिचय :

यह परियोजना, पाण्डेज के साथ एक रन-ऑफ-रिवर योजना है जो कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। किरु जलविद्युत परियोजना चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है और इसमें किरु/पथरनाकी गांव के पास 135 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 9 मीटर व्यास और 666 मीटर लंबी हार्स शू डायवर्जन टनल, 5.5 मीटर व्यास की 4, 304 मीटर लंबी भूमिगत गोलाकार स्टील लाइनन्ड प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक्स, 165 मीटर से 190 मीटर लंबाई वाली 4, 7 मीटर व्यास की हार्स शू के आकार की कंक्रीट लाइन वाली टीआरटी और 156 मेगावाट प्रत्येक की 182 मीटर x 23.6 मीटर x 51.2 मीटर आकार वाली 4 यूनिटें निर्माणाधीन है। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2272 एमयू का होगा।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 3 फरवरी 2019 को इस परियोजना की आधारशिला रखी है।

परियोजना लेआउट



परियोजना की स्थिति:

i) सांविधिक स्वीकृतियां

परियोजना के संबंध में सांविधिक स्वीकृतियां केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से प्राप्त की गई है, अर्थात् सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), एमओईएफ द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी, जीओजेके द्वारा वन मंजूरी, एमओडब्ल्यूआर द्वारा सिंधु जल संधि मंजूरी, जीओजेके मत्स्य विभाग से मंजूरी, जीओजेके भूविज्ञान और खनन विभाग से एनओसी, जेएंडके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना की स्थापना के लिए सहमति आदि।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

ii) सीसीईए अनुमोदन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक **08.03.2019** के पत्र के माध्यम से **जुलाई 2018 मूल्य स्तर पर 4287.59 करोड़ रुपये** की लागत से परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी दी है।

• जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई छूट

- जल उपयोग शुल्क: सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए
- 9% एसजीएसटी की छूट: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सहमति दी गई
- टोल टैक्स की छूट: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा एसआरओ 402 दिनांक 14.09.2018 के अनुसार प्रदान की गई।

• भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता

- भारत सरकार से अनुदान के रूप में जम्मू-कश्मीर सरकार की इक्विटी। जेकेपीडीसी की इक्विटी अंशदान राशि 630.50 करोड़ रुपये सीवीपीपीएल को जारी की गई है।

iii) भूमि अधिग्रहण

परियोजना के निर्माण के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अंतिम पंचाट दिनांक 01.07.2017 के पत्र के अनुसार जारी किया गया है और मुआवजे के वितरण के लिए 32.47 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है।

वन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 14.03.2018 को सीवीपीपीएल को परिवर्तित वन भूमि सौंप दी गई।

iv) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजना

जम्मू-कश्मीर सरकार ने दिनांक 07.03.2019 के आदेश के अनुसार परियोजना की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को मंजूरी दे दी है।

पीएएफ को संवितरण के लिए 55 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया है और जिला प्रशासन, किश्तवाड़ द्वारा अब तक 38.50 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

v) 31 मार्च 2023 के अनुसार प्रमुख कार्यों की प्रगति

परियोजना को तीन प्रमुख पैकेजों में क्रियान्वित किया जा रहा है अर्थात् सिविल कार्य पैकेज, ई एंड एम पैकेज और एचएम पैकेज। इसका विवरण नीचे दिया गया है।


क्र. सं.	पैकेज	एजेंसी	कार्य सौंपे जाने की तारीख	भौतिक प्रगति (%)
1	सिविल कार्य	मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	24.02.2020	28.55
2	एचएम कार्य	मैसर्स पीईएस लिमिटेड	24.02.2020	21.00
3	ई एण्ड एम कार्य	मैसर्स एंडट्रिज लिमिटेड	24.02.2020	46.78



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

क. प्रमुख सिविल कार्यों की स्थिति - (31.03.2024 के अनुसार)

क्रम	क्रियाकलाप	चित्र
1.	<p>बांध कार्य</p> <p>क. रिवर बेड उत्खनन (घन मीटर) कुल मात्रा : 230000 निष्पादित : 230000 (100%) पूर्ण हुआ।</p> <p>ख. कंक्रीटिंग (घन मीटर) कुल मात्रा : 1395400 निष्पादित : 318649 (23%) शेष : 1076751</p>	
2.	<p>विद्युत इंटेक</p> <p>उत्खनन (घन मीटर) कुल मात्रा : 56000 निष्पादित : 54980 (98%) शेष : 1020</p>	



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

2. विद्युत गृह केवर्न

ड्राफ्ट ट्यूब पिट सहित उत्खनन
(घन मीटर)

कुल मात्रा : 148400

निष्पादित : 148400 (100%)

पूर्ण हुआ।



3. ट्रांसफार्मर हॉल कैवर्न उत्खनन (घन मीटर)

कुल मात्रा : 36000

निष्पादित : 36000 (100%)

पूर्ण हुआ।





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

<p>4. प्रेशर शाफ्ट:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 बॉटम क्षैतिज प्रेशर शाफ्टों का उत्खनन (कुल 335 मीटर) पूर्ण हुआ। - 4 टॉप क्षैतिज प्रेशर शाफ्टों का उत्खनन (कुल 241 मीटर) पूर्ण हुआ। - 4 इनक्लाइंड प्रेशर शाफ्टों का उत्खनन (कुल 500 मीटर) पूर्ण हुआ। 	 <p style="text-align: center;">इनक्लाइंड प्रेशर शाफ्ट # 1 इनक्लाइंड प्रेशर शाफ्ट # 2</p>
<p>5. टेल रेस टनल</p> <p>क) टीआरटी (1 से 4) (मी) का उत्खनन कुल मात्रा: 467 निष्पादित : 349 (75%) शेष : 118</p> <p>ख) टीआरटी - ड्राफ्ट ट्यूब टनल (1 से 4) (मी) कुल मात्रा : 150 निष्पादित : 150 (100%) पूर्ण हुआ।</p>	<p style="text-align: center;">टीआरटी-1</p>  <p style="text-align: center;">टीआरटी-2</p>



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

ख. हाइड्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट-II)

- दिनांक **24.02.2020** को मेसर्स पीईएस इंजीनियर्स लिमिटेड को एलओए जारी किया गया।
- एचएम घटकों की विस्तृत इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निरीक्षण और आपूर्ति प्रगति पर है।
- दिनांक 09.02.2024 को बॉटम क्षैतिज प्रेशर शाफ्ट # 3 में प्रेशर शाफ्ट स्टील लाइनर का इरेक्शन प्रारंभ हुआ।



स्टील लाइनरों का इरेक्शन - पीएस 3

ख. इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट III)

- दिनांक **24.02.2020** को मेसर्स एंड्रिट्ज हाइड्रो लिमिटेड को एलओए जारी किया गया।
- ईएंडएम उपकरणों की विस्तृत इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निरीक्षण और आपूर्ति प्रगति पर है।
- 2 ईओटी क्रेन, ऊपरी और निचले पिट लाइनर, ड्राफ्ट ट्यूब एल्बो लाइनर, पिट लाइनर, ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर (डिफ्यूज़र), टर्बाइन और रोटर शाफ्ट, एमआईवी ओपीयू, स्टे रिंग और स्पाइरल केस, स्टेटर फ्रेम और स्टेटर शीट्स के 4 सेट, डीटी लोअर कोन और स्टेटर प्रेसिंग शीट्स के 3 सेट, रनर, थ्रस्ट बेयरिंग पैड और बस रिएक्टर, 2 सेट डीजी सेट, 11 केवी स्विच गियर सिस्टम, इंसुलेटिंग और लुब्रिकेटिंग ऑयल हैंडलिंग सिस्टम और कूलिंग वॉटर पंप सेट और एलपी कंप्रेसर सिस्टम की साइट पर आपूर्ति की गई। विद्युत गृह केवर्न का सर्विस बे एरिया 22.07.2023 को ईएंडएम गतिविधियों की शुरुआत के लिए ईएंडएम संविदाकार को सौंप दिया गया।




चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर



टरबाइन : स्टे रिंग



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321


III. क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) :

संक्षिप्त परिचय

यह परियोजना जम्मू-कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) में 109 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, 9.5 मीटर व्यास और 685 मीटर लंबी हार्स शू आकार की डायवर्जन टनल, 108 से 182 मीटर लंबाई के 5.65 मीटर व्यास के 4 भूमिगत स्टील लाइन वाले पेनस्टॉक्स, 135 मेगावाट की 4 इकाइयों वाला एक भूमिगत पावर हाउस और 2786 मीटर और 2963 मीटर लंबाई के 9.5 मीटर व्यास के हार्स शू आकार के कंक्रीट लाइन टीआरटी का निर्माण शामिल है। वार्षिक उत्पादन 1975 एमयू होगा।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को इस परियोजना की आधारशिला रखी है।


परियोजना लेआउट



परियोजना की स्थिति निम्नवत है :

i) सांविधिक स्वीकृति

परियोजना के संबंध में केंद्र/राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से सांविधिक स्वीकृति प्राप्त की गई है, जैसे कि सीईए द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईए), एमओईएफ द्वारा पर्यावरण मंजूरी, जीओजेके द्वारा वन मंजूरी, जीओजेके मत्स्य विभाग से मंजूरी, जीओजेके भूविज्ञान और खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना स्थापित करने की सहमति आदि।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

ii) सीसीईए अनुमोदन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक **10.05.2022** के पत्र के माध्यम से सितंबर 2020 के मूल्य स्तर पर 4526.12 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी दी है।

• जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सहायता:

- जल उपयोग शुल्क : सीओडी से 10 वर्ष की अवधि के लिए छूट
- 12% निःशुल्क विद्युत : पहले वर्ष में निःशुल्क विद्युत की छूट 10% होगी तथा परियोजना की सीओडी के पश्चात 5वें वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 2% की कमी होगी। निःशुल्क विद्युत का हिस्सा 6वें वर्ष से पुनः 12% हो जाएगा।
- 9% एसजीएसटी की छूट: प्रतिपूर्ति की जाएगी
- टोल टैक्स की छूट: 14.09.2018 के सा.का.नि. 402 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई

• भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता

- परियोजना के लिए इक्विटी शेयर : भारत सरकार से अनुदान के रूप में जेकेपीडीसी से 655.08 करोड़ रुपये की इक्विटी। जेकेपीडीसी के इक्विटी अंशदान के रूप में 294.80 करोड़ रुपये की राशि अब तक सीवीपीपीएल को जारी की गई है।
- भारत सरकार सीवीपीपीएल को 7.3% प्रति वर्ष की दर से 3119.42 करोड़ रुपये का ऋण (एनएसएसएफ ऋण) उपलब्ध कराएगी, जिसकी ऋण अवधि परियोजना के चालू होने के बाद सात वर्ष तक होगी और आवश्यकता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

iii) भूमि अधिग्रहण

परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए फ़ाइनल अवार्ड 22.03.2018 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। जिला प्रशासन को संवितरण के लिए सीवीपीपीएल द्वारा 24.34 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। वन विभाग, जम्मू-कश्मीर द्वारा अपवर्तित वन भूमि क्रमशः 14.03.2018 और 25.01.2022 को सीवीपीपीएल को सौंप दी गई।


iv) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजना

जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 03.08.2018 के आदेश के माध्यम से 35.83 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के साथ परियोजना की आर एंड आर योजना को मंजूरी दी है। परियोजना प्रभावित परिवारों(पीएएफ़) को वितरित करने के लिए जिला प्रशासन, किशतवाड़ को 5 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया है तथा अब तक 1.32 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

v) प्रमुख कार्यों का आवंटन एवं निविदा

परियोजना को निम्नलिखित तीन पैकेजों में क्रियान्वित किया जाना है:

- i) सिविल कार्य पैकेज (लॉट-I)
- ii) हाइड्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट-II)
- iii) इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज (लॉट III)



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

सिविल कार्य पैकेज	<ul style="list-style-type: none"> डीटी, बांध, भूमिगत विद्युत गृह, टीआरटी, प्रेशर शाफ्ट, डीटी के एचएम कार्यों के लिए सिविल कार्य पैकेज का कार्य सौंपे जाने का लेटर ऑफ अवार्ड दिनांक 11.05.22 को मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को जारी किया गया है। डीटी पोर्टल विकास, डीटी उत्खनन और बेंचिंग और सीवीटी उत्खनन पूरा हो गया है और 15.01.2024 को नदी डायवर्जन प्राप्त हो गया है। एमएटी, पीएच क्राउन उत्खनन, सर्ज गैलरी, जीआईएस कैवर्न उत्खनन, बांध के एबटमेंट की स्ट्रिपिंग, बांध पिट उत्खनन, टीसी एप्रोच सुरंग और कॉफ़र बांध का निर्माण प्रगति पर है।
एचएम पैकेज	<ul style="list-style-type: none"> 29.08.2023 (चौथी बार) को नई एनआईटी आमंत्रित करके पुनः निविदा जारी की गई है। तीन फर्मों की तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ 16.10.2023 को खोली गईं। मूल्य बोलियाँ खोलने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्रतीक्षित है।
ई एंड एम पैकेज	<ul style="list-style-type: none"> सीवीपीपीएल के बोर्ड ने अपनी 80वीं बैठक में परियोजना के ई एंड एम कार्य पैकेज की वर्तमान निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का संकल्प लिया है और फिर से निविदा जारी करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान नई एनआईटी जारी की जाएगी।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

31.03.2023 के अनुसार सिविल कार्यों की घटक-वार प्रगति

क्र. सं.	क्रियाकलाप	चित्र
1.	नदी डायवर्जन - डायवर्जन टनल उत्खनन (701 मीटर) 30.09.2023 को पूरा हुआ। - डायवर्जन टनल कंक्रीटिंग (701 मीटर) 13.01.2024 को पूरा हुआ। - चिनाब नदी का डायवर्जन 15.01.2024 को पूरा हुआ।	
2.	बांध कार्य : क) बांध एबुटमेंट की स्ट्रिपिंग (घन मीटर) कुल मात्रा : 220000 निष्पादित : 135770 (62%) शेष : 84230 ख) बांध पिट उत्खनन (घन मीटर) कुल मात्रा : 61000 निष्पादित : 36200 (59%) शेष : 24800	

बांध पिट उत्खनन



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

3. मेन एक्सेस टनल (एमएटी)

उत्खनन (मी) :

कुल मात्रा : 609

निष्पादित : 555 (91%)

शेष : 54



4. टेल रेस टनल (टीआरटी):

एडिट टू टीआरटी (मी)


कुल मात्रा : 550

निष्पादित : 317 (58%)

शेष : 233



एडिट से टीआरटी



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

5. विद्युत गृह

क) पीएच क्राउन के लिए एडिट (मी)

कुल मात्रा : 109

निष्पादित : 109 (100%)

पूर्ण हुआ।

ख) पीएच क्राउन उत्खनन (मी)

कुल मात्रा : 140

निष्पादित : 140 (100%)

पूर्ण हुआ।

- पीएच केवर्न की साइड स्लैशिंग प्रगति पर है।



विद्युत गृह चौड़ीकरण

6. टीआरटी की सर्ज गैलरी


टीआरटी-1 के लिए एडिट सह सर्ज गैलरी (मी)

कुल मात्रा : 766

निष्पादित : 469 (61%)

शेष : 297





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

IV. किरथाई-II जलविद्युत परियोजना (930 मेगावाट)

03.01.2021 को जम्मू में जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के खंड संख्या (I) के अनुसार, किरथाई-II एचईपी (930 मेगावाट) के कार्यान्वयन के कार्य को सीवीपीपीएल को उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर सौंपा गया है, जो पकल दुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहमत की गई हैं।

i) संक्षिप्त परिचय


किरथाई-II एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना है जो किशतवाड़ जिले, जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर किरू जलविद्युत परियोजना के लगभग 25 किमी अपस्ट्रीम पर स्थित है। यह परियोजना 90% निर्भरता वर्ष में 3329.52 एमयू का वार्षिक उत्पादन प्रदान करेगी। परियोजना के लिए तकनीकी सहायता के लिए सीवीपीपीएल और एनएचपीसी के बीच परामर्श समझौते पर 19.03.2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

ii) परियोजना की विशेषताएं (डीपीआर के अनुसार):

- बांध : 121मीटर उच्च कंक्रीट गैविटी
- एफआरएल पर सबमर्जेस : 1.4 किमी²
- डीसिल्टिंग चैम्बर : 4, 440मी x 19मी x 24.87मी
- पावर हाउस : भूमिगत (6x140=840 मेगावाट) + सतह
(2x10+2x35= 90 मेगावाट)
: मशीन का प्रकार: फ्रांसिस
: मुख्य पीएच केवर्न आयाम: 187.5x22x49.7मी
- एचआरटी : 4.29 केएम
- प्रेशर शाफ्ट : 3 मुख्य पीएच के लिए 5.25 मी व्यास और 827 मी लंबाई के 3 स्टील लाइनर


ii) सीईए द्वारा लागत मूल्यांकन:

- सीईए का टीईए मूल्यांकन : 14.06.2019
- मूल्यांकित लागत : 5989.75 करोड़ रुपए अगस्त 2015 के मूल्य स्तर पर
(977.52 करोड़ रुपए की आईडीसी और 88.05 करोड़ रुपए की एफसी सहित)
- टीईए के अनुसार टैरिफ : समानीकृत टैरिफ- 3.53 रुपए/ किलोवाट (डब्ल्यूयूसी के बिना)
- अद्यतन लागत (एनएचपीसी) : 6384.39 करोड़ रुपए फरवरी, 20 के मूल्य स्तर पर
- प्रथम वर्ष टैरिफ : 5.06 रुपए, समानीकृत टैरिफ: 4.58 रुपए (डब्ल्यूयूसी सहित)
- प्रथम वर्ष टैरिफ : 4.55 रुपए, समानीकृत टैरिफ: 4.08 रुपए (डब्ल्यूयूसी के बिना)
- पूर्णता अवधि : 60 माह



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

iv) किरथाई-II जलविद्युत परियोजना का सामान्य लेआउट:



v) परियोजना की स्थिति इस प्रकार है:

मंजूरीयों की स्थिति:

टीईए	:	<ul style="list-style-type: none"> सशर्त टीईसी प्रदान की गई: 14.06.2019 टीईसी में शर्तें: भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी और निर्माण सामग्री सर्वेक्षण पहलुओं आदि पर अतिरिक्त जांच। दिनांक 27.12.2021 के पत्र द्वारा सीईए ने टीईए को सीवीपीपीएल के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है। 13.06.2024 तक टीईसी के मूल्यांकन की विधिमान्यता को सीईए द्वारा दिनांक 29.08.2022 के पत्र के माध्यम से प्रदान किया गया है।
पर्यावरणीय मंजूरी		<ul style="list-style-type: none"> ईएसी द्वारा सिफारिश : 15.04.2021 पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 24.5.2021 के पत्र के माध्यम से जेकेएसपीडीसी को सूचित किया है कि चरण-1 वन मंजूरी दिए जाने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी प्रदान दी जाएगी। संबंधित वन प्रभाग को अनुसूची-1 प्रजातियों के लिए वन्यजीव संरक्षण योजना प्रस्तुत करने का आगे प्रमाण 30.11.2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। अनुमोदित सीएटी योजना और जैव विविधता प्रबंधन योजना 03.07.2021 को डीएफओ किशतवाड़ को सौंपी गई। सीवीपीपीएल के नाम पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईसी जारी करने के लिए जेकेएसपीडीसी द्वारा एनओसी 29.11.2021 को जारी की गई। परियोजना ने दिनांक 30.11.2021 के पत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सीवीपीपीएल के पक्ष में ईसी जारी करने का अनुरोध किया है। परियोजना द्वारा दिनांक 26.07.2022 को प्रस्ताव के लिए वन विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष पीसीसीएफ कार्यालय में प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान, सीएटी योजना के संशोधन के लिए परियोजना को सीएटी योजना पर कुछ मुद्दों के बारे में सूचित किया गया था। संशोधित सीएटी को तैयार किए जाने का कार्य 31.03.2024 को सौंपा गया है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

वन स्वीकृति	<ul style="list-style-type: none"> जेकेएसपीडीसी द्वारा भाग- I दिनांक 09.03.2021 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। वन मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भूमि की आवश्यकता (वन, सरकारी और निजी भूमि) के अनुमोदन का प्रस्ताव 13.12.2021 को प्रस्तुत किया गया था और वह कुछ टिप्पणियों के साथ वापस प्राप्त हो गया है। टिप्पणियों पर कार्रवाई करने के पश्चात संशोधित प्रस्ताव दिनांक 28.05.2022 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया और अनुमोदन 03.08.2022 को प्रदान किया गया। परिवेश पोर्टल पर एफसी के लिए आवेदन दिनांक 19.10.2022 को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। परियोजना संचालन समिति की बैठक 20.01.23 को हुई। एफआरए 2006 अनुपालन के तहत दो ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की बैठक 11.06.2023 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई। परियोजना ने संशोधित विन्यास दिनांक 03.07.23 के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा का आकलन किया है और इसे मंजूरी मिल गई है। कुल अनुमानित भूमि की मात्रा 265.01 हेक्टेयर है जिसमें 215.60 हेक्टेयर वन भूमि, 28.86 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 20.55 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। वन मंजूरी प्रदान किए जाने के लिए प्रक्रिया जारी है।
सिंधु जल समझौता	<ul style="list-style-type: none"> आईडब्ल्यूटी मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। आईडब्ल्यूटी मंजूरी के लिए आवेदन टीईए शर्तों के अनुपालन के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे।
रक्षा मंजूरी	<ul style="list-style-type: none"> अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ रक्षा मंजूरी को रक्षा मंत्रालय के दिनांक 24.03.2022 के फा.सं. 22(15)/2021/डी(समन्वय) के माध्यम से अवगत कराया गया है।

4. लाभांश:

कंपनी को निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए चार परियोजनाएं सौंपी गई हैं, अर्थात् पकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), क्वार (540 मेगावाट) और किरथाई चरण-II जल विद्युत परियोजना (930 मेगावाट)। उपरोक्त में से, पकल दुल और किरू जलविद्युत परियोजनाएं सक्रिय निर्माण चरण में हैं और किरथाई चरण II जलविद्युत परियोजना मंजूरी के प्रक्रियाधीन है। चूंकि कोई परियोजना प्रचालन में नहीं है और बैंकों के पास सावधि जमा के रूप में निवेशित अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर केवल ब्याज ही आय का स्रोत है, इसलिए, आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है।

5. पूंजीगत संरचना और निवल मूल्य:

31 मार्च, 2024 को आपकी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4,45,034.13 लाख रुपए है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 31.03.2023 को 3,69,239.13 लाख रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 4,45,034.13 लाख रुपये हो गई है। इसके अलावा, हमें प्रमोटर, एनएचपीसी से शेयर आवेदन राशि के रूप में 22,916.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनका 31 मार्च 2024 को आवंटन किया जाना लंबित है। इस प्रकार, कुल इक्विटी फंड (आवंटन होने तक लंबित आवेदन राशि सहित) और निवल मूल्य 31 मार्च 2024 तक क्रमशः 4,67,950.13 लाख रुपये और 4,76,933.60 लाख रुपये हैं।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

6. शेयरों का अंतरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शेयरों हस्तांतरण हुआ था। शेयर अंतरण का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अंतरणकर्ता का नाम	अंतरित शेयरों की संख्या	शेयर का मूल्य	अंतरणकर्ता का नाम	अंतरण की तारीख
1.	श्री वाई.के.चौधरी	01	10/- रुपए	श्री राज कुमार चौधरी	27.06.2023

7. सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों के विवरण:

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

8. निदेशक मंडल:

कंपनी का बोर्ड कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत गठित किया गया था।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य थे :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
1	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	नामिती निदेशक और अध्यक्ष	06440021	22.11.2019
2	श्री एच.राजेश प्रसाद आईएएस	नामिती निदेशक	06516512	20.10.2022
3	श्री संतोष डी. वैद्य, आईएएस	नामिती निदेशक	05340193	31.08.2023
4	श्री आर पी गोयल	नामिती निदेशक	08645380	01.10.2020
5	श्री विजय कुमार सिन्हा	नामिती निदेशक	09132059	01.01.2024
6	श्री रमेश मुखिया	प्रबंध निदेशक	10415607	05.12.2023
7	श्रीमती मधुस्मिता पानी	नामिती निदेशक	09319007	21.12.2022

- श्री हसन नदीम, 05.12.2023 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।
- श्री बिश्वजीत बसु, 31.12.2023 को एनएचपीसी द्वारा नामांकन वापस लेने के कारण निदेशक नहीं रहे।




चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

9. निदेशक मंडल की बैठकें:

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशकों ने निम्नलिखित तिथियों पर बैठक की :

बैठक की संख्या और तिथि	बैठक का स्थान	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या			बोर्ड बैठक की उपस्थिति का %
			व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	बोर्ड के सदस्यों का नाम	
72वीं बीओडी बैठक 13 अप्रैल, 2023	निगम मुख्यालय, जम्मू	6	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद - आईएएस, आर.पी.गोयल, बिश्वजीत बसु, हसन नदीम और मधुस्मिता पानी।	100
73वीं बीओडी बैठक 10 मई, 2023	निगम मुख्यालय, जम्मू	6	2	3	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), आर.पी.गोयल, बिश्वजीत बसु, हसन नदीम और मधुस्मिता पानी।	83.33
74वीं बीओडी बैठक 18 जुलाई, 2023	निगम मुख्यालय, जम्मू	6	2	3	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), आर.पी.गोयल, बिश्वजीत बसु, हसन नदीम और मधुस्मिता पानी।	83.33
75वीं बीओडी बैठक 31 अगस्त, 2023	निगम मुख्यालय, जम्मू	6	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद - आईएएस, आर.पी.गोयल, बिश्वजीत बसु, हसन नदीम और मधुस्मिता पानी।	100
76वीं बीओडी बैठक 26 सितंबर, 2023	निगम मुख्यालय, जम्मू	7	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद - आईएएस, आर.पी.गोयल, बिश्वजीत बसु, हसन नदीम और मधुस्मिता पानी।	85.71
77वीं बीओडी बैठक 20 अक्टूबर, 2023	निगम मुख्यालय, जम्मू	7	2	4	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद - आईएएस, संतोष डी. वैद्य, बिश्वजीत बसु, हसन नदीम और मधुस्मिता पानी।	85.71
78वीं बीओडी बैठक 27 दिसम्बर, 2023	सीवीपीपीएल कैम्प कार्यालय, फरीदाबाद	7	5	0	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), आर.पी.गोयल, बिश्वजीत बसु, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी।	71.42
79वीं बीओडी बैठक 05 फरवरी, 2024	निगम मुख्यालय, जम्मू	7	1	5	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), एच. राजेश प्रसाद - आईएएस, आर.पी.गोयल, विजय कुमार सिन्हा, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी।	85.71
80वीं बीओडी बैठक 9 मार्च, 2024	सीवीपीपीएल कैम्प कार्यालय, फरीदाबाद	7	5	0	सुरेश कुमार-आईएएस (सेवानिवृत्त), आर.पी.गोयल, विजय कुमार सिन्हा, रमेश मुखिया और मधुस्मिता पानी।	71.42



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

10. सामान्य रिजर्व में अंतरण:

आपकी कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

11. सांविधिक लेखापरीक्षक:

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है।

12. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

मेसर्स रामित माम एंड एसोसिएट्स, वृत्तिक कंपनी सचिव द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुलग्नक I** में संलग्न है, जो स्वतःपूर्ण है।

13. आवश्यक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी आवश्यक परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे वित्तीय स्थिति संबंधित है, तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुआ हो।

31 मार्च, 2024 को कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4,45,034.13 लाख रुपये है। वर्ष 2024-25 के दौरान, 07.05.2024 को एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी को क्रमशः 21,778.00 लाख रुपये और 1,138.00 लाख रुपये के शेयर आवंटित किए गए हैं, जिन्हें 31 मार्च, 2024 तक तुलन-पत्र में आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, 02.04.2024 और 26.04.2024 को जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी लिमिटेड से क्रमशः 7,107.00 लाख रुपये और 1,091.00 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए 07.05.2024 को शेयर आवंटित किए गए हैं। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4,45,034.13 लाख रुपये थी, जो वर्ष 2024-25 के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी को शेयर जारी करने के बाद बढ़कर 4,76,148.13 लाख रुपये हो गई है। इसके अलावा, 10.05.2024 को पाकल दुल जलविद्युत परियोजना के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से 25,192.00 लाख रुपये का अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है।


14. सार्वजनिक जमाराशि :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाए गए कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत जनता/सदस्यों से कोई सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार नहीं किया है और, इस तरह, तुलन पत्र की तारीख और इस रिपोर्ट की तारीख को मूलधन या ब्याज की कोई राशि नहीं बकाया थी।

15. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के साथ पठित धारा 134(3)(ग) की अपेक्षानुसार, निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि:

- क) वार्षिक लेखे तैयार करते समय, महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों के साथ साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप में लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय लिए गए व अनुमान तैयार किए गए हैं, जो कि उचित और विवेकसम्मत थे, ताकि कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत कर सके;



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

ग). निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का अनुरक्षण करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा गया;

ग) निदेशकों द्वारा चालू प्रतिष्ठानों के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

घ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित की है और यह व्यवस्था पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

16. सचिवालयी मानक:

कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवालयी मानकों, अर्थात् एसएस-1 और एसएस-2 का विधिवत पालन किया गया है।

17. कंपनी द्वारा ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई प्रतिभूति हासिल नहीं की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन शामिल होती हो।

18. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे :

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं की थी, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता हो। परामर्श और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी के संबंधित पक्षकार संव्यवहार केवल संयुक्त उद्यम भागीदार (एनएचपीसी लिमिटेड) में से एक के साथ हैं। संबंधित पक्ष के साथ की गई सभी संविदाएं/लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और कंपनी के हित में सामान्य आधार पर थे।

ऐसे लेनदेनों को जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ज) के अनुसार प्रपत्र एओसी-2 में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है, जिसे **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न किया गया है।


19. अर्हताओं, आपत्तियों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर सीएंडएजी की टिप्पणियों सहित निदेशक मंडल की टिप्पणियाँ :

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में किसी अर्हता या आपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **143(6)(ख)** के अनुसरण में वित्तीय वर्ष **2023-24** के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने शून्य टिप्पणियाँ जारी की है जो **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न हैं।

20. जोखिम प्रबंधन संरचना को मजबूत बनाना:

कंपनी इस तथ्य से अवगत है कि जलविद्युत परियोजनाओं का विकास भू-तकनीकी आश्चर्यों, जलविज्ञान संबंधी अनिश्चितताओं, भूकंपीय जोखिमों, पर्यावरणीय मुद्दों, अप्रत्याशित संविदात्मक मुकदमेबाजी, परियोजना स्थल की दूरस्थता, लंबी सगर्भता अवधि, विनियामक जोखिम आदि जैसी विभिन्न अनिश्चितताओं से जुड़ा है जिससे परियोजना लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, समय आधिक्य हो सकता, आदि ।

1000 मेगावाट की पकल दुल जलविद्युत परियोजना के निर्माण की शुरुआत और निर्माण गतिविधियों की शुरुआत के साथ, आपकी कंपनी, कंपनी के समक्ष जोखिमों की पहचान करने के लिए एक उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार कर रही है जिसमें कार्यान्वयन के लिए जोखिमों के प्रबंधन और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाना शामिल हैं।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

तथापि, कंपनी ने धोखाधड़ी की रोकथाम करने और उसका पता लगाने की नीति विकसित और कार्यान्वित की है।

कंपनी द्वारा शुरू की जा रही जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) रणनीतिक जोखिम:

परियोजनाओं के एचओपी ऐसे जोखिम के प्रबंधन के लिए समय पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

(ख) वित्तीय जोखिम:

तुलन-पत्र पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय जोखिम की अब तक पहचान नहीं की गई है।

(ग) प्रचालनात्मक जोखिम:

वर्ष के दौरान पहचाने गए परिचालन जोखिम के लिए किशतवाड़ में परियोजना के एचओपी द्वारा जहां कहीं भी आवश्यक हो, शमन के उपाय किए गए हैं।

(घ) अनुपालन जोखिम:

कंपनी वर्ष के दौरान सभी कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

21. सतर्कता गतिविधियां :

सतर्कता कार्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरी कंपनी में उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा बनी रहे। सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य सतर्क एवं जागरूक रहना तथा मजबूत सतर्कता प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यवस्था को जागृत रखना है। सतर्कता प्रशासन में निवारक और दंडात्मक भ्रष्टाचार विरोधी उपाय शामिल हैं। इसमें अनियमितताओं का पता लगाना, उनका विश्लेषण करना और ऐसी अनियमितताओं के कारणों का पता लगाना और उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी प्रणालीगत सुधार करना शामिल है। इसमें कदाचार के लिए जिम्मेदार लोक सेवकों की पहचान करना और उचित दंडात्मक कार्रवाई करना भी शामिल है।

सीवीपीपीएल के स्टॉक धारण पैटर्न में बदलाव के बाद, यह सीवीओ-एनएचपीसी लिमिटेड के माध्यम से सीवीसी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है, जो किसी भी अन्य केंद्र सरकार के विभाग/पीएसयू की ही भांति सीवीपीपीएल से संबंधित कतिपय अनुपालनों को अनिवार्य करता है। सीवीसी द्वारा जारी परिपत्र/ज्ञापन/दिशानिर्देश सीवीपीपीएल में अनिवार्य अनुपालन के अध्यधीन हैं। सतर्कता विभाग केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है।

सतर्कता क्रियाकलापों/कार्यों का निपटान सतर्कता विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें शिकायतों/मामलों पर कार्रवाई करना और उनकी जांच कराना, नियमित/औचक निरीक्षण संचालित करना, संगठन की वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए गए एनआईटी की नियमित निगरानी करना, निष्पादित की गई निविदाओं, कार्यों के निष्पादन, संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को समय पर किए गए भुगतान की निगरानी, जागरूकता कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रणाली में सुधार के लिए सीवीसी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का परिचालन आदि शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सतर्कता प्रभाग द्वारा छह (06) सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए हैं। निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में, समय-समय पर किए गए विभिन्न निरीक्षणों/परीक्षणों के आधार पर परिपत्र और दिशानिर्देश नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं।

मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट सीवीओ-एनएचपीसी लिमिटेड और सीवीसी को भेजी जा रही है। अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट सीवीपीपीएल बोर्ड द्वारा समीक्षा के लिए अद्यतन किया जाता है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईईन / CIN: U40105JK2011GOI003321

कार्यकरण में पारदर्शिता और नीतिशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए सीवीपीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीवीपीपीएल में 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया।

22. वार्षिक विवरणी के उद्घरण:

प्रारूप एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी के उद्घरण अनुलग्नक-IV के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

23. सांविधिक सूचना:

अ. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेदन:

क. प्राकृतिक प्रकाश-व्यवस्था: सीवीपीपीएल निगम मुख्यालय के अभिविन्यास और ग्लास पैनेलिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे महत्वपूर्ण प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रवेश करता है जिससे बिजली के प्रकाश का उपयोग कम होता है और बिजली की खपत कम होती है।

परियोजना के सभी भवनों का निर्माण इस प्रकार किया गया है/ उनके कांच की खिड़कियां मुहैया कराई गई है जिससे कि प्राकृतिक प्रकाश भीतर आ सके और कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था को कम करके ऊर्जा बचाई जा सके।

ख. ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें: बिजली की खपत को कम करने के लिए सीवीपीपीएल के निगम मुख्यालय में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

ग. एचवीएसी: बिजली की खपत को कम करने के लिए सीओ जम्मू में ऊर्जा कुशल एचवीएसी प्रणाली प्रचालन में है।

घ. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट: जेडीए द्वारा प्रदान की गई भवन अनुमति के अनुसार, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए केवल सेप्टिक टैंक उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी, तथापि, एक सक्रिय कदम उठाते हुए, आपकी कंपनी ने उन्नत तकनीक अपनाने का फैसला किया और पारंपरिक सेप्टिक टैंक के स्थान पर एरोबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना का विकल्प चुना। निगम मुख्यालय भवन के अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बायो रिएक्टर तकनीक से युक्त 70 केएलडी स्थापित क्षमता वाला एसटीपी स्थापित किया गया है। सीवेज के अलावा, यह एसटीपी भवन से निकलने वाले अपशिष्ट जल का भी ट्रीटमेंट करेगा।

ड. ग्रिड से जुड़ा रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र :

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, सीवीपीपीएल, सीओ, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में 15 किलोवाट का ग्रिड से जुड़ा रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र लगाया गया है, ताकि विद्युत के भार को कम करके राष्ट्रीय ग्रिड को समर्थन दिया जा सके।

आ. अनुकूलन और अभिनवता :

क) भवन अभिविन्यास: निगम मुख्यालय भवन का डिजाइन जम्मू की जलवायु के सर्वोत्तम पहलुओं का लाभ उठाने के लिए विकसित किया गया है। अग्रभाग इष्टतमीकरण सिद्धांत को दिन के प्रकाश और छायांकन के लिए द्रव्यमान और अभिविन्यास के अनुसार डिजाइन में लागू किया गया है ताकि यह भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सके। इमारत का द्रव्यमान पूर्व-पश्चिम दिशा में उन्मुख है, जिसके बड़े हिस्से उत्तर और दक्षिण की ओर हैं, जिससे गर्मियों के दौरान सौर ताप की मात्रा कम से कम होती है।

ख) स्थल आयोजना: भवन के ऊर्ध्वाधर विस्तार (ऊपर और भूमिगत दोनों) को अपनाकर भवन के चारों ओर हरे/खुले क्षेत्रों के बड़े भाग की उपलब्धता (अर्थात कुल स्थल क्षेत्र का लगभग 30%) सुनिश्चित की गई है। वाहनों की पार्किंग के लिए दो बेसमेंट तल उपलब्ध कराकर भूमिगत क्षेत्र का पूरा उपयोग किया गया है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

ग) बैठने की व्यवस्था: एचवीएसी की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने और बिजली की खपत को कम करने के लिए बैठने की व्यवस्था की योजना इस तरह से बनाई गई है कि बंद कमरों और पूरी ऊंचाई के केबिनो में बाहरी दीवारें/कांच की दीवारें लगाई गई हैं ताकि सूरज की रोशनी का ताप प्रभाव कार्य स्टेशनों और अन्य ऐसे खुले क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं हो पाए, जो फर्श के आंतरिक भाग स्थित हैं।

घ) वर्षा जल संरक्षण प्रणाली: कंक्रीटीकरण में वृद्धि के साथ, शहरी क्षेत्रों में वर्षा का अधिकांश पानी सीधे नालियों में चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप अन्यथा गैर-ठोस क्षेत्रों की पुनर्भरण क्षमता की भारी क्षति होती है। सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, सीवीपीपीएल ने भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने का विकल्प चुना है। 2.5 मीटर व्यास और 3.0 मीटर प्रभावी गहराई के 2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग गड्डों के साथ सिस्टम को स्थापित किया गया है जिसमें 160 (ओडी) यूपीवीसी स्लॉटिड पाइप एक परत तक है जहां रेतीले पारगम्य परतें मौजूद हैं।

24. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिःप्रवाह:

विदेशी मुद्रा लेनदेन को निम्न तालिका में सारांशित किया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	2023-24	2022-23
विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) जानकारी	शून्य	शून्य
ii) ब्याज	शून्य	शून्य
iii) अन्य विविध मामले	3,141.89	4,825.39
विदेशी मुद्रा में आय		
i) ब्याज	शून्य	शून्य
ii) अन्य	शून्य	शून्य


25. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और मानक:

कंपनी ने सीवीपीपीएल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की विद्यमानता और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर स्वतंत्र समीक्षा और आश्वासन प्रदान करने के लिए मेसर्स बावेजा एंड कौल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने बताया है कि सीवीपीपीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजनाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध "ख" में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता की भी सूचना दी गई है। कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा, जिसमें इसकी परियोजनाएं भी शामिल हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बाहरी एजेंसी अर्थात् मेसर्स जीएएसएम डैनसर एंड कंपनी, फरीदाबाद द्वारा आयोजित की गई थी।

26. प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास:

आधुनिक संगठनों की सफलता के लिए प्रशिक्षण और विकास अत्यधिक आवश्यक हो गया है, जिसमें कौशल में सुधार, ज्ञान प्राप्त करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना और संरचित और नियोजित शिक्षा के माध्यम से दृष्टिकोण बदलना शामिल है, जिसके द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता और निष्पादन को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही रोजगार की संतुष्टि, कर्मचारी के समग्र विकास और कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो "संगठन या समुदाय और उनके आस-पास की दुनिया को लाभ पहुंचाने वाली नई वांछित स्थिति को प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता बनाने का प्रयास करती है।"

उपरोक्त की उपलब्धि में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, सीवीपीपीएल ने अपने कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान तकनीकी/गैर-तकनीकी और व्यावहारिक कार्यक्रमों सहित 34 विभिन्न प्रशिक्षण



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)

टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com


सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

कार्यक्रमों/सम्मेलनों/वेबिनार/सत्रों आदि के लिए नामांकित किया। हमारे कर्मचारियों को संबंधित सॉफ्टवेयर में अपेक्षित नवीनतम तकनीकों/नवाचारों से परिचित कराने और उन्हें उन्नत करने के लिए मान्यता प्राप्त सीएडीडी केंद्र के माध्यम से प्राइमावेरा और ऑटोकैड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों को ई-ऑफिस, जीईएम आदि पोर्टलों पर उनके दैनिक कार्य के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, साथ ही पंप हाइड्रो स्टोरेज, इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल मैपिंग, रॉक मैकेनिक्स और टनलिंग तकनीक, ईपीसी अनुबंध, नीति आयोग मॉडल और निर्माण दावा प्रबंधन जैसी अन्य तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

पॉश अधिनियम, 2013, सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना पर वैधानिक-उन्मुख कार्यक्रम तथा साथ ही अनुशासन प्रबंधन और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मेसर्स एफसीटीडी (एलएलपी), नई दिल्ली के माध्यम से 360 डिग्री पारस्परिक संबंधों की शक्ति को उजागर करने पर तीन दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और मेसर्स संपूर्ण हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी के माध्यम से स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।



इसके अलावा, वर्तमान में सीवीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी कैडर के कर्मचारियों को भी वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान एनएचपीसी के टी एंड एचआरडी सेल द्वारा आयोजित 30 से अधिक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया था।

उपर्युक्त सूचीबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में उच्च सराहना और संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

सीवीपीपीएल निगम मुख्यालय, जम्मू में "ऑटोकैड" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

मैसर्स जियोजीत फाइनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड के माध्यम से "बचत और निवेश" पर कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

“केनरा बैंक के वेतन खाते के लाभ और अन्य बैंकिंग उत्पाद” पर कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

“ई-ऑफिस पोर्टल” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321




“बेहतर उत्पादकता के लिए स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321






चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321






चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

“कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013” पर जागरूकता कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321


“अनुशासन प्रबंधन और अनुशासनात्मक कार्यवाही” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

“जीईएम पोर्टल” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 पर "निधि आपके निकट 2.0" कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

“स्ट्रेटजी व ऊर्जा ट्रंजीशन और नवीकरणीय ऊर्जा” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



“इमोश्रल इंटेलिजेस” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम






चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईईन / CIN: U40105JK2011GOI003321



“जलविद्युत परियोजना के लागत अनुमान तैयार करना” पर प्रशिक्षण कार्यक्रम






चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321


"360 डिग्री पारस्परिक संबंधों की शक्ति को उन्मुक्त करने" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



27. कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, स्थापना अनुभाग :

एक व्यापक अभ्यास संचालित किया गया जिसके तहत 34 कर्मचारियों को 01.04.2024 से क्रमशः ई2 से ई3, एस-2 से एस-3 और एस-1 से एस-2 ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किया गया था।

28. मानव संसाधन प्रबंधन

क. एचआर नियम और नीतियां:

मानव संसाधन नीतियाँ वह प्रमुख स्तंभ हैं जिन पर मानव संसाधन प्रणाली का पूरा दायरा टिका हुआ है। सीवीपीपी ने अपने प्रारंभिक काल में, वर्ष 2023-24 के दौरान संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार नीतियाँ पेश कीं। अब तक, सीवीपीपीएल ने ड्रेस कोड, अधिकारियों के लिए लैपटॉप, ब्रीफ केस, संचार व्यय, बहुउद्देशीय अग्रिम में चाइल्ड केयर लीव संशोधन, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दरों में संशोधन के संबंध में मानव संसाधन नीतियाँ तैयार की हैं।

ख. सीवीपीपीएल में तैनात संविदा श्रमिकों के विवरण:


31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 7238 विभिन्न संविदाकारों (जैसे मेसर्स एफ़कॉन्स, मेसर्स एल एण्ड टी, मेसर्स जेएएल, मेसर्स वॉइथ, मेसर्स पटेल आदि) द्वारा संविदा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है, जिन्हें सीवीपीपीएल परियोजनाओं/इकाइयों में कार्य/सेवाएं प्रदान की गई हैं।

कुल 7238 में से, 6087 संविदा श्रमिक जम्मू-कश्मीर से हैं। जम्मू-कश्मीर के इन 6087 श्रमिकों में से 5091 किश्तवाड़ जिले से हैं, जिनमें परियोजना प्रभावित परिवारों के 467 संविदा श्रमिक शामिल हैं।

पिछले वर्ष (31.03.2023) की तुलना में 31.03.2024 को संविदाकारों द्वारा नियुक्त संविदा श्रमिकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 39.13% है।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



ग. औद्योगिक संबंध:

संविदाकारों द्वारा नियोजित संविदा कर्मचारियों की यूनियनों से संबंधित मामलों को आरएलसी (केंद्रीय), जम्मू के कार्यालय में आयोजित सुलह कार्यवाही और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के माध्यम से संबोधित किया गया है। वर्ष के दौरान, संविदा कर्मचारी संघ ने सीवीपीपीएल प्रबंधन को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी और धमकी दी और संविदाकारों (उनके नियोक्ता) को विवाद में पक्ष बनाए बिना इस संबंध में नोटिस दिया। वर्ष के दौरान, सीवीपीपीएल परियोजनाओं के स्थलों पर औद्योगिक अशांति व्याप्त रही।

घ. जनशक्ति आयोजना :

सीवीपीपीएल में सभी कर्मचारियों का स्थानवार विवरण (01-04-2024 के अनुसार)						
समूह	संवर्ग	सीओ *	पकल दुल एचईपी**	किरू एचईपी **	कार एचईपी	कुल
क	अधिकारी	80	68	69	43	260
ख	पर्यवेक्षक	6	23	21	10	60
ग और घ	कर्मचारी	3	7	0	1	11
कुल		89	98	90	54	331

ड. स्वतंत्रता दिवस 2023

सीवीपीपीएल में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड और जेकेएसपीडीसी का संयुक्त उद्यम) को चिनाब बेसिन में 3094 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चार जलविद्युत परियोजनाएं पाकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), कार (540 मेगावाट) और किरथाई-II (930 मेगावाट) स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। कंपनी ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया। प्रबंध निदेशक श्री हसन नदीम ने जम्मू स्थित इसके निगम मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के कारण मिली है। भारत अंतरिक्ष, बुनियादी ढांचे, रेल, राजमार्ग, जलमार्ग और ऊर्जा क्षेत्र आदि सभी मोर्चों पर सफलता प्राप्त कर रहा है। सीवीपीपीएल ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कर रहा है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सौंपे गए कार्यों को समय पर पूरा करें।




चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि पाकल दुल जलविद्युत परियोजना, किरू जलविद्युत परियोजना और क्वार जलविद्युत परियोजना में सभी मोर्चों पर कार्य अच्छी तरह से चल रहा है और किरथाई-॥ जलविद्युत परियोजनाओं में विस्तृत भूवैज्ञानिक अन्वेषण कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में हाल की प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पकल दुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने हेतु स्वयं को समर्पित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे सामान्य रूप से देश और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के औद्योगिक विकास में और तेजी आएगी।

सीवीपीपीएल ने लेडीज वेलफेयर क्लब, जम्मू के सहयोग से जम्मू की दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए लुई ब्रेल मेमोरियल आवासीय विद्यालय की छात्राओं के साथ इस अवसर का उत्सव मनाया। स्कूल की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सीवीपीपीएल और लेडीज वेलफेयर क्लब ने स्कूल को पोर्टेबल पीए सिस्टम, एलईडी बल्ब, खेल के सामान और अन्य रसोई के बर्तन आदि भेंट किए।

इस अवसर पर श्री नदीम ने सीवीपीपीएल के कर्मचारियों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित "पंच प्राण" की शपथ दिलाई।

किश्तवाड़ में पकल दुल, किरू, क्वार और किरथाई-॥ जलविद्युत परियोजनाओं में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया।



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

निगम मुख्यालय, जम्मू में 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 समारोह के आयोजन की झलकियां



महाप्रबंधक (मा.सं.) पुष्प गुच्छ देकर एमडी, सीवीपीपीपीएल का स्वागत करते हुए



77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक व वरिष्ठ अधिकारियों का समूह चित्र



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



प्रबंध निदेशक महोदय गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321

राष्ट्रगान प्रस्तुतीकरण





चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक महोदय सभी कार्मिकों व उनके परिवारजनों को संबोधित करते हुए




चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन



77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
 टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
 सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत "मेरी माटी मेरा देश" अभियान के तहत प्रबंध निदेशक महोदय सभी कार्मिक व उनके परिवारजन को 'पंज प्राण' का शपथ दिलाते हुए

लुइस ब्रेल मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर साइटलेस गर्ल्स, जम्मू के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की झलकियां





लुइस ब्रेल मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर साइटलेस गर्ल्स, जम्मू के छात्राओं को प्रबंध निदेशक महोदय पुरस्कृत करते हुए



लुइस ब्रेल मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल फॉर साइटलेस गर्ल्स, जम्मू के छात्राओं को सीवीपीपीपीएल और लेडीज वेलफेयर क्लब द्वारा पोर्टेबल पीए सिस्टम, एलईडी बल्ब, खेल के सामान और अन्य रसाई के बर्तन इत्यादि का वितरण




प्रबंध निदेशक महोदय फ्रीडम वाल पर अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करते हुए



श्री संदीप मित्तल, समूह महाप्रबंधक (सिविल) फ्रीडम वाल पर अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करते हुए



श्रीमती उर्सीला नदीम, लेडीज वेल्फेयर क्लब की अध्यक्ष, डोनेशन बॉक्स में अपना अंशदान देते हुए



ड. सीवीपीपीएल 75वां गणतंत्र दिवस 2024

सीवीपीपीएल ने 75वें गणतंत्र दिवस के उत्सव का आयोजन किया

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल) को चिनाब बेसिन में 3094 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चार जलविद्युत परियोजनाएं नामतः पाकल दुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), क्वार (540 मेगावाट) और किरथार्ड-II (930 मेगावाट) को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। इसने 26 जनवरी 2024 को अत्यधिक गर्व और देशभक्ति के जोश के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। प्रबंध निदेशक श्री रमेश मुखिया ने निगम मुख्यालय, जम्मू में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कर्मचारियों और उनके परिवारों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का निर्णय लिया गया था। यह दिन संविधान और उसमें निहित विचारों के प्रति हमारी आस्था का स्मरण है।

अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि पकल दुल जलविद्युत परियोजना और किरू जलविद्युत परियोजनाओं में सभी मोर्चों पर कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और क्वार जलविद्युत परियोजना में सिविल कार्य भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने पाकल दुल, किरू और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण से हम निश्चित रूप से वर्ष 2026 तक अपनी तीनों परियोजनाओं को चालू करने में सक्षम होंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे सामान्य रूप से देश और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के औद्योगिक विकास में और तेजी आएगी। उन्होंने किश्तवाड़ में सभी कर्मचारियों और अन्य कामगारों द्वारा कठिन परिस्थितियों में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

निगम मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ समारोह में भाग लिया। किश्तवाड़ में पकल दुल, किरू, क्वार और किरथार्ड-II जलविद्युत परियोजनाओं में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया।


निगम मुख्यालय, जम्मू में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के आयोजन की झलकियां



महाप्रबंधक (मा.सं.) पुष्प गुच्छ देकर एमडी, सीवीपीपीपीएल का स्वागत करते हुए




महाप्रबंधक द्वारा एमडी, सीवीपीपीपीएल का स्वागत



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321




प्रबंध निदेशक महोदय गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



प्रबंध निदेशक महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू – 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)
टेलीफोन नं.: 0191-2479531 Email : cs@cvppindia.com
सीआईएन / CIN: U40105JK2011GOI003321



राष्ट्रगान प्रस्तुतीकरण



75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक महोदय सभी कार्मिकों व उनके परिवारजनों को संबोधित करते हुए



75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समूह चित्र

i) सीवीपीपीएल ने 13वां स्थापना दिवस 2023 मनाया

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल) ने 13 जून, 2023 को निगम मुख्यालय, जम्मू में अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। जम्मू-कश्मीर में चिनाब बेसिन की विशाल जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए वर्ष 2011 में इसी दिन सीवीपीपीएल की स्थापना की गई थी।

इस अवसर पर श्री सुरेश कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, श्री हसन नदीम, प्रबंध निदेशक और श्रीमती रहीला वानी, जेएमडी ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी।

निगम मुख्यालय के कर्मचारियों को मिठाई के पैकेट वितरित करके स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। समारोह में कर्मचारी और उनके परिवार शामिल हुए।

श्री हसन नदीम ने कर्मचारियों को संबोधित किया और किश्तवाड़ में तीन परियोजनाओं अर्थात् पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) और क्वार जलविद्युत परियोजना (540 मेगावाट) के निर्माण कार्यों में प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पकल दुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) और किरू जलविद्युत परियोजना (624 मेगावाट) क्रमशः सितंबर 2026 और मार्च 2026 तक चालू होने की प्रत्याशा है।

श्री नदीम ने कर्मचारियों से कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने पर जोर दिया।

उपरोक्त के अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी इस दिन को सीवीपीपीपीएल लेडीज वेलफेयर क्लब, जम्मू के सहयोग से ("वृद्ध और बीमार लोगों के लिए घर"/"Home for the Aged & Infirm) के लिए दो रूम एयर कूलर और राशन सामग्री को अंबफला, जम्मू को उपलब्ध कराके मनाया गया। इस अवसर पर, सीवीपीपीपीएल महिला क्लब की अध्यक्ष श्रीमती उर्सिला नदीम और महिला क्लब की सदस्यों ने इस वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों के साथ बातचीत की और उन्हें सीवीपीपीपीएल द्वारा निरंतर मदद करने का आश्वासन दिया।

29. महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत दाखिल मामलों की संख्या, यदि कोई हैं, और उनका निपटान:

शून्य।

30. परियोजना की निगरानी:

सीवीपीपीएल परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली का अनुपालन कर रहा है। प्रभावी निगरानी समय और लागत की अधिकता को रोकने के लिए एक अनिवार्य घटक है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना और किरू जलविद्युत परियोजना के प्रमुख कार्यों की प्रगति की निगरानी परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर अर्थात प्राइमावेरा के माध्यम से की जा रही है जिसे सीओ जम्मू और परियोजना कार्यालय किश्तवाड़ में स्थापित किया गया है और कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। प्रभावी निगरानी के लिए प्राइमावेरा में पैकेजों के इंटरफेसिंग शेड्यूल को भी एकीकृत किया जा रहा है और इंटरफेस की गई गतिविधियों के बीच समय अंतराल के कारण होने वाली किसी भी देरी को रोका जा रहा है। यदि कोई देरी हो रही है, तो संविदाकारों को नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि देरी की भरपाई करने की योजना बनाई जा सके। परियोजनाओं की प्रगति और मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए सभी हितधारकों के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि उनका समय पर समाधान किया जा सके। सभी प्रमुख कार्य पैकेजों के संविदाकारों को प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में नियमित रूप से जागरूक किया जा रहा है और लक्ष्यों के अनुसार कार्यों की दैनिक निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

परियोजनाओं की स्थिति से पीएमओ, विद्युत मंत्रालय, सीईए, एनएचपीसी, जेकेपीडीडी, जेकेएसपीडीसी और विभिन्न अन्य केंद्रीय/संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के विभागों को स्थिति रिपोर्टों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है जो नियमित रूप से निश्चित समय-सीमा अर्थात तिमाही/मासिक/साप्ताहिक पर भेजी जा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी की स्थिति और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द-से-जल्द सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केंद्र/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के विभागों में विभिन्न समीक्षा बैठकों में प्रकाश डाला जा रहा है।

भेजी गई निर्धारित स्थिति रिपोर्टों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन या शिलान्यास की गई परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं की विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट।
2. जम्मू-कश्मीर में चल रही प्रधान मंत्री विकास योजना (पीएमडीपी-2015) परियोजनाओं की त्रैमासिक/यथाअपेक्षित प्रगति रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को।
3. 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की आधारभूत संरचना परियोजनाओं की संपूर्ण विस्तृत डाटा जानकारी को मासिक अद्यतनीकरण ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को।
4. डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) के पोर्टल पर प्रगति और उपलब्धियों तथा मुद्दों को मासिक रूप से अद्यतन किया जाना।
5. एचपीएम, सीईए को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 73 (च) के अंतर्गत सीईए द्वारा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की निगरानी, मासिक स्थिति।
6. एचपीए, सीईए को परियोजनाओं के मूल्यांकन की शर्तों के अनुपालन की मासिक स्थिति।
7. जेकेपीडीडी और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रगति के मामलों की स्थिति।
8. कैबिनेट सचिवालय के ई-समीक्षा पोर्टल पर कैबिनेट निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को साप्ताहिक रिपोर्ट।

9. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार कोतिमाही सीसीईए अनुमोदन शर्त की अनुपालन रिपोर्ट ।
10. एनएचपीसी के योजना और पीएमएसजी विभागों को एनएचपीसी (सीवीपीपीएल के संबंध में) की परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट ।
11. सीवीपीपीएल की एनएचपीसी की एसबीएंडडी, योजना और पीएमएसजी डिवीजनों को मासिक एमआईएस रिपोर्ट ।
12. जेकेएसपीडीसी, जम्मू-कश्मीर सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट ।
13. जेकेपीडीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार को मासिक स्थिति रिपोर्ट ।
14. मंडलायुक्त, जम्मू-कश्मीर सरकार को सीवीपीपीएल परियोजनाओं की साप्ताहिक स्थिति ।
15. एचपीएम और एचपीए सीईए को रिपोर्ट सीईए अनुमोदित जलविद्युत योजनाएं जिन्हें अभी निर्माण के लिए लिया जाना है ।
16. विभिन्न अन्य स्थिति रिपोर्टें भेजी जाती हैं जब कभी वे वैधानिक विभागों से अपेक्षित प्रारूप में अपेक्षित हों।

31. स्थानीय आधारभूत संरचना विकास:

पकल दुल, किरू और ऋार जलविद्युत परियोजनाओं की आर एंड आर योजनाओं, जैसा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, में पकल दुल के लिए 40.00 करोड़ रुपए, किरू के लिए 28.87 करोड़ रुपए और ऋार जल विद्युत परियोजना के लिए 13.54 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्थानीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। कुल 82.41 करोड़ रुपये की राशि की यह निधि किश्तवाड़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र के विकास के लिए वरदान सिद्ध होगी। यह निधि जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस निधि का उपयोग क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन और स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

32. सूचना प्रौद्योगिकी पहलें:

सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी संगठन की स्थायी और दीर्घकालिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीवीपीपीएल सूचना प्रौद्योगिकी को सतत विकास की प्राप्ति और समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में मानता है।

डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत, संगठन ने विभिन्न डिजिटल पहल की हैं जैसे कि सीवीपीपीएल ने कॉर्पोरेट ऑफिस, जम्मू सहित सभी परियोजना स्थानों पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनआईसी के ई-ऑफिस को लागू किया है। सीवीपीपीएल ने दूरस्थ परियोजना स्थानों में ई-ऑफिस तक पहुंचने के लिए वीपीएन भी हासिल किए हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, जिसमें वर्चुअल मीटिंग, सीवीपीपीएल की आधिकारिक वेबसाइट का प्रशासन और संचालन, इंटरनेट और वेबमेल आईडी, सीवीपीपीएल जनता, हितधारकों आदि के लिए आसानी से उपलब्ध होना शामिल हैं।

सीवीपीपीएल ने कागज रहित कार्यकरण की दिशा में कई अन्य डिजिटल पहलें की हैं जो अधिक पारदर्शिता और कार्य करने में आसानी प्रदान करती हैं। संसाधनों को अनुकूलित करने, प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एनआईसी और जीईएम पोर्टल द्वारा विकसित और रखरखाव किए गए ई-रिवर्स नीलामी पोर्टल सहित सीवीपीपीएल ई-खरीद पोर्टल का प्रबंधन और समर्थन।

दूरस्थ रूप से स्थित परियोजनाओं सहित कंपनी के सभी स्थान एमपीएलएस-वीपीएन/आईएलएल का उपयोग करके मल्टीमोड संचार लिंक के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय से जुड़े हुए हैं और वीसैट का अधिग्रहण भी प्रक्रिया में है। सीवीपीपीएल ने दूरस्थ परियोजना स्थानों में ई-ऑफिस तक पहुंचने के लिए वीपीएन भी हासिल किए हैं।

परियोजनाओं/पावर स्टेशनों की बेहतर निगरानी/प्रबंधन और देखरेख के लिए वीएमएस (वीडियो प्रबंधन प्रणाली) का अधिग्रहण पहले से ही प्रक्रिया में है।

सर्वर, डाटा स्टोरेज, संचार उपकरण आदि सहित महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना को सुरक्षित स्थानों पर स्थापित किया गया है और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है। साइबर खतरों से सर्वर/डेस्कटॉप की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत फ़ायरवॉल भी लागू किया गया है।

सीवीपीपीएल आईटी पहल के माध्यम से डिजिटलीकरण और कागजरहित कार्यालय के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक किसी भी सेवा/सूचना के प्रेषण के लिए लगने वाले समय को कम करना है। इसके अलावा, सीवीपीपीएल बेहतर ऑनलाइन अवसंरचना के माध्यम से और संपूर्ण सीवीपीपीएल कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयोजनार्थ निरंतर कार्य कर रहा है।

33. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति:

सीवीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सीएसआर और संधारणीयता के उत्कृष्ट मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित करने का प्रयास करता है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीएल बड़े पैमाने पर विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और समाजों का सम्मान करता है और यह अपने सीएसआर और संधारणीय क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संधारणीयता में संवृद्धि करने के लिए सचेत प्रयास करता रहता है।

सीवीपीपीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर पर जारी सामान्य परिपत्रों के साथ पठित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सीएसआर और संधारणीयता नीति तैयार की है। ।

यह नीति लागू अधिनियमों, नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के तहत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

सीएसआर समिति के संबंध में सांविधिक प्रकटीकरण और सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-IV** के रूप में इस रिपोर्ट का भाग है।

34. न्यायालय मामलों की स्थिति:

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए न्याय-निर्णयाधीन होने वाले मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मुकद्दमेबाजी का प्रकार	मामलों की कुल संख्या	फोरम/ न्यायालय	स्थिति
1.	सेवा मामले		जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष 7 मामले लंबित। 1 मामला विद्वत उप मुख्य श्रम आयुक्त, चण्डीगढ़ के समक्ष लंबित है।	उत्तर/आपत्ति दाखिल की गई। अपील दाखिल की गई और स्वीकार की गई।
2.	सिविल वाद		किश्तवाड़, जम्मू एवं कश्मीर जिला न्यायालय में।	पक्षकारों द्वारा दलीलें पूरी कर ली गई हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 31 के तहत संदर्भ दिया गया। वकालतनामा दाखिल किया गया।
3.	सिविल रिट याचिकाएं		जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय जम्मू के समक्ष 3।	पक्षकारों द्वारा दलीलें पूरी कर ली गई हैं।
4.	माध्यस्थम मामले	03	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के समक्ष 01; जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष 01	चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्याय-निर्णयाधीन मामले में, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर की गई। दावाकर्ता के पास 78 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगा दी गई, जिसका अनुपालन किया गया है। इसके अलावा, जमा की गई राशि के प्रति सीवीपीपीएल के पक्ष में न्यायालय के आदेश द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति बनाई गई है। दूसरे मामले में, जम्मू में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के समक्ष माध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन दायर किया गया है और सीवीपीपीएल (प्रतिवादी) द्वारा आपत्तियां/उत्तर दाखिल किया गया है।
5.	अवमानना याचिकाएं	01	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय जम्मू के समक्ष 1	अंतिम चरण में है क्योंकि पक्षों ने दलीलें पूरी कर ली हैं। मामले की आंशिक सुनवाई हुई।
6.	वाहन दुर्घटना दावे/ दांडिक	01	पीठासीन अधिकारी, एमएसीटी, उधमपुर, जम्मू एवं कश्मीर के समक्ष - 01	सीवीपीपीएल (प्रतिवादी) द्वारा आपत्ति/उत्तर दाखिल किया गया है, बीमा कंपनी से सेवा पूरी नहीं हुई है और बीमा कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।

35. सूचना का अधिकार:

सीवीपीपीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों का अनुपालन किया है और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आरटीआई आवेदनों का विधिवत उत्तर दिया गया है और उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा किया गया है।

आभार:

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल प्रधानमंत्री कार्यालय, जम्मू-कश्मीर सरकार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और सीवीपीपीएल के प्रमोटरों द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिसके अभाव में कंपनी अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाती। हम उनमें से प्रत्येक की भागीदारी और जुड़ाव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग और समर्थन की कामना करते हैं।

आपके निदेशक सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा दिए गए सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार की सभी एजेंसियों, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की हार्दिक सराहना करता है जिन्होंने कोविड महामारी का बहादुरी से सामना किया और आवश्यक सेवाओं को चालू रखा।

आपके निदेशक सीवीपीपीएल में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों की भी उनके अत्यधिक समर्पण भाव, प्रतिबद्धता और सहयोग के लिए सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021

स्थान : जम्मू

दिनांक : 09.09.2024

**सीएस रमित राम एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव**

कार्यालय पता :- 24/4 रूप नगर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180013
ई-मेल:- csrk32703@gmail.com, संपर्क सूत्र :- 7006124213

**फार्म सं. एमआर 3
सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक)
नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुपालन में)**

सेवा में,
सदस्यगण,
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(जिसे पहले चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीआईएन : यू40105जेके2011जीओआई003321
चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,
रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012 भारत

मैंने, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321) (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उचित कारपोरेट कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिसने मुझे कारपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन तथा उस अपनी राय जाहिर करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया है।

सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के सांविधिक रजिस्ट्रों, बही, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों तथा फाइल किए गए रिटर्न एवं कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान सूचना, के आधार पर, मैं एतद्वारा सूचित करता हूं कि मेरी राय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाविष्ट करने वाली लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः इसमें सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा संभव सीमा तक अनुपालन तंत्र मौजूद है, और इनका पालन नीचे सूचित रीति एवं तरीके से किया गया है :

मैंने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों एवं फाइल किए गए रिटर्नों और मुझे मुहैया करवाए गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है जो निम्न उपबंधों के अनुरूप हैं, और कंपनी ने नीचे उल्लेख किए गए के सिवाय उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है :-

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत नियम;
 - **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**
 - (iii) डिपोजिट्री अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उपविधियां;
 - **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**
 - (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम;
लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशा-निर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

• **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992;

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गमन(इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;

• **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021

(पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014;

• **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्क्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 (पूर्ववर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

• **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यापार के संबंध में जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993;

• **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय बैक) विनियम, 2018

• **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**

(vi) कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू अन्य विधियों को व्यापक रूप से अनुपालन किया गया है।

मैंने निम्नलिखित के संबंध में लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक - एसएस-1 (बोर्ड की बैठकों से संबंधित) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों से संबंधित) । कंपनी ने रिपोर्ट में उल्लिखित उपबंधों को छोड़कर उक्त उपबंधों का अनुपालन किया है।

(ii) कंपनी द्वारा किया गया सूचीकरण समझौता

• **लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और अभ्यावेदनों के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अधीन, कंपनी ने आमतौर पर अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देश आदि के उपबंधों का अनुपालन किया है।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूँ कि:

(क) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन सम्यक रूप से किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

(ग) सभी निदेशकों को बोर्ड/समिति की निर्धारित बैठकों के पूरे होने के संबंध में कम-से-कम सात दिन पूर्व उसकी पर्याप्त सूचना दी गई थी, सिवाय ऐसे मामलों में, जहां बैठकें अल्प सूचना पर आयोजित की गई थीं। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां अग्रिम तौर पर भेजी गई थीं तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करने लिए एक प्रणाली विद्यमान है। निर्णय

बहुमत के आधार पर किए गए थी जबकि असहमत सदस्यों के विचार लिए गए थे और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया था।

मैं यह भी सूचित करता हूँ कि कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों का निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूँ कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय विधियों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों के अनुपालन तथा वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों के अनुरक्षण की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों/सीएजी और अन्य अभिहित प्रोफेशनल द्वारा समीक्षा के अधधीन है।

मैं यह भी सूचित करता हूँ कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएँ घटित हुईं जिनका उपरोक्त संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रभाव पड़ा:

वर्ष 2023-24 के दौरान शेरों के आवंटन का ब्यौरा निम्नवत है :

- (i) कंपनी ने 04/04/2023 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 12,21,40,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 1,22,14,00,000/- रुपये है।
- (ii) कंपनी ने 13/04/2023 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 10,25,50,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 1,02,55,00,000/- रुपये है।
- (iii) कंपनी ने 18/07/2023 को जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 4,28,07,500 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 42,80,75,000/- रुपये है।
- (iv) कंपनी ने 20/10/2023 को जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 3,25,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 32,50,00,000/- रुपये है।
- (v) कंपनी ने 20/10/2023 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 30,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 3,00,00,000/- रुपये है।
- (vi) कंपनी ने 19/12/2023 को जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 22,59,22,500 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 2,25,92,25,000/- रुपये है।
- (vii) कंपनी ने 19/12/2023 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 7,88,10,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 78,81,00,000/- रुपये है।
- (viii) कंपनी ने 05/02/2024 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 7,51,09,999 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 75,10,99,990/- रुपये है।
- (ix) कंपनी ने 05/02/2024 को श्री उदय शंकर साही (एनएचपीसी के प्रतिनिधि) को 10/- रुपये का 01 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आवंटित किया है, जिसका मूल्य 10/- रुपये है।
- (x) कंपनी ने 09.03.2024 को एनएचपीसी लिमिटेड को 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 7,51,10,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं, जिनका मूल्य 75,10,99,990/- रुपये है।

कृते रमित माम एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-

रमित कुमार माम

(प्रोप्राइटर)

एसीएस सं. : 32703; सी पी सं. : 23257

फर्म पंजीकरण सं. एस2021जेके806900

पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं. 4169/2023

यूडीआईएन : ए032703ई000698027

स्थान : जम्मू

दिनांक : 09 जुलाई, 2024

इस रिपोर्ट को "अनुलग्नक-क" के साथ पढ़ा जाना है जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक-क

सीएस रमित राम एण्ड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

कार्यालय पता :- 24/4 रूप नगर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर-180013

संपर्क सूत्र :- 7006124213, ई-मेल:- csr32703@gmail.com

सेवा में,

सदस्यगण,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

सीआईएन : यू40105जेके2011जीओआई003321

चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने,

रेल हेड काम्प्लेक्स, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर 180012 भारत

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएं :

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रख-रखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।
2. मैंने उन लेखा परीक्षा पद्धतियों एवं कार्य-विधियों का अनुपालन किया है जो मेरी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सचिवालयीन रिकॉर्डों की विषय वस्तु की शुद्धता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थी। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मुझे उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी, जिन पर लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में विश्वास किया गया था।
3. सचिवालयीन रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर उनका सत्यापन किया गया। मैं मानता हूँ कि पद्धतियों एवं कार्य-विधियों जिनका हमने अनुसरण किया, मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों और घटनाओं के घटित होने के संबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों के उपबंधों, नियमों, विनियमनों एवं मानकों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच परीक्षा आधार पर कार्यवहियों के सत्यापन की जांच तक सीमित थीं।
6. सचिवालयीन लेखा परीक्षा न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का एवं न ही उस क्षमता अथवा प्रभावात्मकता का आश्वासन है जिसके साथ कंपनी के प्रबंधन ने मामलों का संचालन किया है।

कृते रमित राम एण्ड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

हस्ता./-

रमित कुमार राम

(प्रोप्राइटर)

एफसीएस सं. : 32703; सी पी सं. : 23257

फर्म पंजीकरण सं. एस2021जेके806900

पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं. 4169/2023

यूडीआईएन : ए032703ई000698027

दिनांक : 09 जुलाई, 2024

स्थान : जम्मू

फार्म संख्या एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुपालन में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र लेन-देनों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित पक्षों के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का प्रकटन के लिए फार्म

1. संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर नहीं किए गए लेनदेनों का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	ब्योरा
(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	
(ङ)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन को करने का औचित्य	
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	
(छ)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	
(ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के अंतर्गत यथापेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प की तिथि	

2. संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा परस्पर सहमति के आधार पर किए गए लेन देनों का विवरण :

(क)	संबंधित पक्ष (पक्षों) का नाम और संबंध की प्रकृति	एनएचपीसी लिमिटेड (प्रमोटर)
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	परामर्शी प्रभार
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि	परामर्शी अनुबंध के अनुसार
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेनों की प्रमुख शर्तें, यदि कोई हो	परामर्शी प्रभार (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 24,56,45,149/- रुपए जमा 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	दिनांक 11.06.2013 (किरु और कवार एचईपी), 09.01.2017 (पकल दुल एचईपी) और 19.03.2021 (किरथाई-11 एचईपी) के अनुबंध के अनुसार।
(च)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

सुरेश कुमार

अध्यक्ष

डीआईएन - 06440021

स्थान : जम्मू

दिनांक : 09 सितम्बर, 2024

अनुलग्नक-III

पत्र सं. : एमएमजी-II विंग/2024-2025/डीआईएस-1897462

दिनांक : 01 अगस्त, 2024

सेवा में,
प्रबंध निदेशक,
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
निगम मुख्यालय, जम्मू।

विषय : 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (पीआर-116113)।

महोदय/ महोदया,

मुझे 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखे जाने के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है। वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि की सूचना और बैठक के कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाए जाएं।

भवदीय,
हस्ता./-
जगबीर सिंह
उप-महालेखाकार

संलग्नक : यथोक्त

प्रतिलिपि :

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने जिम्मेवारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपना मत अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनकी दिनांक 07 मई, 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किए जाने के संबंध में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह सप्लीमेंटरी लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यवाही कागजात की उपलब्धता के बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनात्मक जाँच तक सीमित थी।

अपनी सप्लीमेंटरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जिस पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या सप्लीमेंट रिपोर्ट की आवश्यकता होती हो।

**कृते भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से
हस्ता./-
प्रधान महालेखाकार
जम्मू एवं कश्मीर**

फॉर्म एमजीटी - 9

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक उद्धरण का सार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे

- (i) सीआईएन (कंपनी अधिनियम संख्या) : यू40105जेके2011जीओआई003
321
- (ii) पंजीकरण की तारीख : 13/06/2011
- (iii) कंपनी का नाम : चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.]
लिमिटेड
- (iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/ भारत
गैर-सरकारी कंपनी
- (v) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा : चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती
धाम के सामने, रेल हेड
कॉम्प्लेक्स, 180012-जम्मू-
कश्मीर
- (vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं
- (vii) रजिस्टर और शेयर अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क ब्यौरा, यदि कोई हो : लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार क्रियाकलाप

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यापार क्रियाकलापों को बताया जाए

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद और सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	जलविद्युत संयंत्रों द्वारा ऊर्जा (जल विद्युत) का उत्पादन	35101	100

III. होल्डिंग, सहायक कंपनी और एसोसिएट कंपनियों का विवरण

क्रमांक	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक / सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू खंड
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में 01.04.2023 को धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में 31.03.2024 को शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
क. प्रमोटर									
भारतीय									
क) व्यक्ति / एचयूएफ	शून्य	4	4	0.00	-	4	4	0.00	शून्य
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार (रों)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	3692391282	3692391282	100	शून्य	4450341282	4450341282	100	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (1) :-	शून्य	3692391286	3692391286	100		4450341286	4450341286	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ख) (1) :-		शून्य							
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	-	3692391286	3692391286	100	शून्य	4450341286	4450341286	100	शून्य
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान		शून्य							
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रों)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

करें)										
उप - योग (ख)(1) :-		शून्य								
2. गैर - संस्थान		शून्य								
क) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशों में	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रुपये तक नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नामितिक शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप - योग (ख)(2) :-	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1) + (ख)(2)	-	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-		-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	-	3692391286	3692391286	100	शून्य	4450341286	4450341286	100	शून्य	

(ii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में% परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से रेहन रखे गए/ भाराक्रांत शेयरों का प्रतिशत		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए/ ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
01.	जम्मू और	1744999999	47.26	शून्य	जम्मू और कश्मीर	2046229999	45.98	शून्य	(1.28)

	कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड				पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड				
02.	ए के चौधरी (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	रजत गुप्ता (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
03.	एनएचपीसी लिमिटेड	1947391283	52.74	शून्य	एनएचपीसी लिमिटेड	2404111282	54.02	शून्य	1.28
04.	सुरेश कुमार (जेकेएसपीडीसी एल के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	राज कुमार चौधरी (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
05.	वाई.के.चौबे (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	वाई.के.चौबे (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
06.	आर पी गोयल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	आर पी गोयल (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
					उदय शंकर शाही (एनएचपीसी के प्रतिनिधि)	1	0.00	शून्य	शून्य
	कुल शेयर	3692391286	100	शून्य	शून्य	4450341286	100	शून्य	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें)

क्रम सं.		वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की प्रारंभ में	3692391286	100	4450341286	100
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	वर्ष 2023-24 के दौरान जेकेएसपीडीसी लिमिटेड को 3012300000 रुपये और एनएचपीसी लिमिटेड को 4567200000 रुपये के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों का आवंटन। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल अतिरिक्त आवंटन : 7579500000 रुपए (757950000 इक्विटी शेयर)।			
	वर्ष के अंत में	3692391286	100	4450341286	100

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर और एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्रम सं.		वर्ष की प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए				
	वर्ष की प्रारंभ में	शून्य			

वर्ष के दौरान प्रमोटरों की हिस्सेदारी में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आवंटन/ अंतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) को निर्दिष्ट करते हुए :	शून्य			
वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक हो गए हों)				

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	निदेशक और केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01.04.2023 के अनुसार)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
क	निदेशक				
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	1		1	
2.	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस (जेकेएसपीडीसी की ओर से)	-		-	
3.	श्री संतोष डी. वैद्य, आईएएस (जेकेएसपीडीसी की ओर से)				
4.	श्री आर. पी. गोयल (एनएचपीसी की ओर से)	1		1	
5.	श्री विजय कुमार सिन्हा (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
6.	श्री रमेश मुखिया (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
7.	श्रीमती मधुस्मिता पानी (एनएचपीसी की ओर से)	-		-	
ख.	केएमपी श्री सुधीर आनंद (कंपनी सचिव)	-		-	

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज किंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमाओं के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य	शून्य	शून्य	
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-

कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	-
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
* परिवर्धन	-	-	-	-
* कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक/ निदेशक का नाम - श्री हसन नदीम (01.04.2023- 04.12.2023)	एमडी/डब्ल्यूटीडी/ प्रबंधक/ निदेशक का नाम - श्री रमेश मुखिया (05.12.2023- 31.03.2024)		कुल राशि
1.	सकल वेतन		-	-	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन*	44,04,963	26,61,711		70,66,674
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	7,950	2,17,808		2,25,758
	ग) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-	-
2.	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	शून्य
3.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	शून्य
4.	स्वीट इक्विटी	-	-	-	शून्य
5.	कमीशन	-	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	शून्य
	(नियोक्ता से पीएफ अंशदान) - अन्य, निर्दिष्ट करें...	-	-	-	-
6.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें**	6,79,510	2,98,497		9,78,007
	कुल (क)	50,92,423	31,78,016		82,70,439
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	-	लागू नहीं

* आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में उस अवधि के दौरान निदेशकों द्वारा धारित संबंधित पद के अनुसार भुगतान किया गया निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी), ग्रैचुइटी और अर्जित अवकाश नकदीकरण शामिल है।

** अन्य में ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना और नियोक्ता द्वारा पेंशन फंड में अंशदान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गैर-करयोग्य) आदि शामिल हैं, जिन्हें बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं किया गया था।

(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	शून्य
	* बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	शून्य
	* कमीशन	-	-	-	शून्य
	* अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	शून्य
	कुल (1)	-	-	-	शून्य
	2. अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक	सुरेश कुमार (अध्यक्ष)	-	-	शून्य
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	23,25,792	-	-	शून्य
	कमीशन	-	-	-	शून्य
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	शून्य
	* अन्य (निर्दिष्ट करें...।	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-
	कुल (ख) = (1+2)	23,25,792	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	23,25,792	-	-	शून्य
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	-	-	-	शून्य

*पारिश्रमिक 01.04.2023 से 31.03.2024 (आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी सहित)

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कर्मी		
		कंपनी सचिव (सुधीर आनंद)		कुल
1.	सकल वेतन		-	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	25,00,287	-	23,45,391.00
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	6,983	-	5,235.00
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	शून्य
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	शून्य
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	शून्य
4.	कमीशन	-	-	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	-	-	शून्य
	- अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें*	2,58,254	-	
	कुल	27,65,524	-	

* अन्य में अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ईपीएफ, सामाजिक सुरक्षा योजना अंशदान आदि शामिल हैं, जो बिंदु संख्या (1) में शामिल नहीं थे।

VII. शास्ति/दण्ड/अपराधों का शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाई गई शास्ति/दण्ड/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी:					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
ख. निदेशक					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति	शून्य				
दण्ड	शून्य				
शमन	शून्य				

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

स्थान : जम्मू
दिनांक : 09.09.2024

हस्ता./-
सुरेश कुमार, आईएएस, (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष
डीआईएन- 06440021

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड



सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2023-24)

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2023-24)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

सीवीपीपीएल अपने हितधारकों की चिंताओं के समाधान एवं अपने सभी व्यावसायिक क्रियाकलापों में सीएसआर और संधारणीयता के श्रेष्ठ मानकों को बढ़ावा देने और उन्हें अनुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सीवीपीपीएल विधि के शासन, स्थानीय समुदायों और व्यापक रूप से समाज का सम्मान करती है और अपने

सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि करने के लिए जागरूक प्रयास करती है।

सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति, सीवीपीपीएल के व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी रीति से संचालित करने का आधार बनाती है, जिसका लक्ष्य क्रियाकलापों के समस्त क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण में पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप उच्च स्तर की संगठनात्मक निष्ठा और नैतिक व्यवहार को अनुरक्षित करते हुए तथा कंपनी के संचालन और उसकी गतिविधियों से प्रत्यक्षतः प्रभावित प्रमुख हितधारकों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को समझना और उनका समाधान करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के साथ जलविद्युत विकास और कंपनी के दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को एकीकृत करना है।

सीवीपीपीएल के बोर्ड ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निहित उपबंधों के अनुसरण में, सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को अनुमोदित किया है।

यह नीति, कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों और उसके संशोधनों के अनुसरण में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सीएसआर क्रियाकलापों के कार्यान्वयन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करती है।

सीवीपीपीएल की सीएसआर और संधारणीयता नीति को सीवीपीपीएल की वेबसाइट लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

किसी वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर और संधारणीयता कार्यों के लिए बजट प्रावधान सीवीपीपीएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित किए गए औसत निवल (शुद्ध) लाभ का 2% होगा।

कंपनी के औसत निवल लाभ का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के यथा-संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

एक जलविद्युत विकासकर्ता होने के नाते, सीवीपीपीएल द्वारा मुख्य रूप से अपनी परियोजनाओं/विद्युत स्टेशनों या कॉर्पोरेट कार्यालय के निकट सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कार्यान्वयन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएसआर और संधारणीयता क्रियाकलापों का कम-से-कम 80% निष्पादन सीवीपीपीएल की परियोजनाओं, पावर स्टेशनों और कार्यालयों के आसपास 25 किलोमीटर के भीतर और उस जिले में किया जाता है जहां परियोजना स्थित है। तथापि, 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के अन्य स्थानों को भी आवश्यकता के आधार पर और राष्ट्रीय योजनाओं/अभियानों पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार चुना जा सकता है, जिसमें समाज/पर्यावरण के व्यापक हित के लिए सीएसआर बजट की 20% राशि खर्च की जा सकती है।

सीवीपीपीएल द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुसार संचालित किए जाएंगे।

किसी अन्य क्रियाकलाप/मद पर किए गए ऐसे व्यय को, जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप नहीं है, सीएसआर व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीवीपीपीएल द्वारा सीएसआर निधि आवंटन और व्यय (वर्ष-वार):

वर्ष	लाभ के प्रतिशत के रूप में आवंटन का आधार	अनिवार्य निधि आवंटन (रुपये)	वास्तविक व्यय (रुपये)
2017-18	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	6,94,928.00	6,98,460.00
2018-19	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	12,39,193.00	12,39,820.00
2019-20	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,54,878.00	13,11,553.00
2020-21	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	29,43,495.00	42,47,040.00

2021-22	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	26,49,830.00 *	3,11,627.00
2022-23	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	22,13,210.00**	29,66,074.00***
2023-24	पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%	34,57,000.00#	24,97,711.00##
	कुल	1,54,52,534.00	1,32,72,285.00

* वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 26,49,830.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये के समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 25,29,757.00 रुपये था।

** वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 22,13,210.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये घटाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 20,93,137.00 रुपये था।

*** इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 की सीएसआर गतिविधियों के लिए 20,65,195.00 रुपये का व्यय, प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित 27,942.00 रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर गतिविधियों (चल रही परियोजनाओं) पर व्यय किए गए 8,72,937.00 रुपये शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय करने की आवश्यकता के प्रति समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा 1,20,073.00 रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% (अर्थात 34,57,466.00 रुपये) से 1,20,073.00 रुपये के योग से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शुद्ध सीएसआर दायित्व 33,37,392.00 रुपये था।

इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की सीएसआर गतिविधियों के लिए 14,70,000.00 रुपये का व्यय, प्रधानमंत्री राहत कोष में हस्तांतरित 5,000.00 रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रयुक्त राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 की सीएसआर गतिविधियों (चल रही परियोजनाओं) के लिए 10,22,711.00 रुपये का व्यय शामिल है।

सीवीपीपीएल द्वारा क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (वर्ष-वार) :

वर्ष	व्यय (रुपये में)						कुल
	शिक्षा क्षेत्र	स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र	महिला सशक्तिकरण	सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करना	आपदा प्रबंधन	केन्द्रीय सरकारी निधियों में अंशदान	
2017-18	6,68,560.00	29,900.00	0.00		0.00		6,98,460.00
2018-19	7,85,234.00	4,54,586.00	0.00		0.00		12,39,820.00
2019-20	7,72,517.00	39,000.00	1,24,125.00	1,76,229.00	1,99,682.00		13,11,553.00
2020-21	14,66,668.00	25,81,132.00	0.00		1,99,240.00		42,47,040.00
2021-22	0.00	3,11,627.00	0.00		0.00		3,11,627.00
2022-23	0.00	29,38,132.00	0.00	0.00	0.00	27,942.00	29,66,074.00
2023-24	0.00	24,92,711.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	24,97,711.00
	36,92,979.00	88,47,088.00	1,24,125.00	1,76,229.00	3,98,922.00	32,942.00	1,32,72,285.00

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित सीएसआर क्रियाकलाप:

सीवीपीपीएल के बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 34,57,000 रुपये (चौतीस लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र) के अनुमानित परिव्यय के साथ निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया, जिन्हें सभी औपचारिकताओं और दिशानिर्देशों का पालन करने के बाद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित थीम 'स्वास्थ्य और पोषण' के अनुपालन में सीवीपीपीएल परियोजनाओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सीधे लागू किया जाना है।

परियोजना	सीएसआर गतिविधि	अनुमानित लागत (रुपये में)
पकल दुल जल विद्युत परियोजना	1. जिला मुख्यालय, किशतवाड़ से सुदूर क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	12,00,000.00
	2. पीएचसी दृष्टन में विकास कार्य (लैब आइटम/किट/रैपिड टेस्ट कार्ड की खरीद)	2,57,000.00
	कुल	14,57,000.00
किरू जल विद्युत परियोजना	1. विशेष शिविर-01 और दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंटों का वितरण	2,57,100.00
	2. पीएचसी किरू को बुनियादी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना- 01 बायो केमिस्ट्री एनालाइजर	6,23,720.00
	3. जागरूकता अभियान- निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर बैनर लगाना	1,19,180.00
	कुल	10,00,000.00
कार एचईपी	जिला अस्पताल किशतवाड़ को चिकित्सा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराना- 01 एक्स-रे के लिए कंप्यूटेड रेडियोग्राफी (सीआर) प्रणाली	10,00,000.00
	कुल	10,00,000.00
	सकल योग	34,57,000.00

उपर्युक्त सीएसआर गतिविधियों को शुरू में परियोजनाओं द्वारा सीधे लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था, हालांकि, पकल दुल जल विद्युत परियोजना द्वारा "जिला मुख्यालय, किशतवाड़ से दूर के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना" की गतिविधि संख्या 01 के लिए आवंटित 12,00,000/- रुपये की राशि 22 फरवरी, 2024 को जिला विकास आयुक्त, किशतवाड़ के आधिकारिक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। उक्त उद्देश्य के लिए निधियों के उपयोग के संबंध में जिला आयुक्त, किशतवाड़ से प्रमाणन प्राप्त हो गया है।

इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सीएसआर गतिविधियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष की गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया गया था और इसमें चिकित्सा उपकरण / दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद शामिल थी, जिसमें चिकित्सा उपकरणों की विशिष्टताओं को संबंधित क्षेत्र के प्रशासन से सीएमओ रैंक के एक अधिकारी द्वारा तय किया जाना था। इसके अलावा, चिकित्सा उपकरण / दवाइयों और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पूरा होने में उचित समय लगता है। समय-विलंबित प्रक्रियाओं की भागीदारी के कारण, किरू और कार एचईपी की उपरोक्त उद्धृत सीएसआर गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष 2023-24 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं हो सकीं। किरू एचईपी ने उपकरण / दवाइयों / हेल्थ सप्लीमेंट के लिए आपूर्ति आदेश 28 मार्च, 2024 को दिया था, लेकिन इसकी डिलीवरी 31 मार्च, 2024 तक नहीं की जा सकी। इसके अलावा, कार एचईपी ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू की थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा होने में काफी समय लगना था।

इसके बाद, बोर्ड ने सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की और गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समय अवधि में विस्तार को मंजूरी दी और इस प्रकार निधियों के वर्षवार आवंटन के साथ गतिविधियों को चालू गतिविधि के रूप में मंजूरी दी। आवंटित बजट में से, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14,70,000.00 रुपये की राशि खर्च की गई। किरू और कार जल विद्युत परियोजना के संबंध में 19,82,000.00 रुपये की अप्रयुक्त राशि वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर "वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीवीपीपीएल के खर्च न की गई

सीएसआर खाते" में स्थानांतरित कर दी गई। अप्रयुक्त राशि को लागू सीएसआर मानदंडों और सीवीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में निर्धारित समय अवधि के भीतर खर्च किया जाएगा। पकल दुल एचईपी के संबंध में 5,000.00 की राशि 06 मई, 2024 को अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक निधि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, में स्थानांतरित कर दी गई है।

पकल दुल और किरू जल विद्युत परियोजना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएसआर गतिविधि के कार्यान्वयन के चित्र परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं और पकल दुल की गतिविधि संख्या 02 के अनुसरण में बीएमओ, दच्छन को सौंपी गई वस्तुओं की सूची परिशिष्ट-2 में विस्तृत रूप से दी गई है। अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन की परियोजना स्तर पर गठित विभागीय निगरानी समितियों और सीवीपीपीएल की सीएसआर नीति के अनुसरण में नोडल अधिकारी (सीएसआर) द्वारा विधिवत निगरानी की गई थी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता सीवीपीपीएल पर लागू नहीं होती है और इस प्रकार सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन सीवीपीपीएल के बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

बोर्ड की एक सीएसआर समिति, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं, सीवीपीपीएल के सीएसआर कार्यों की देखरेख कर रही है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद का स्वरूप
1.	श्री एच राजेश प्रसाद, आईएएस	अध्यक्ष (नामिति निदेशक)
2.	श्री आर पी गोयल	सदस्य (नामिति निदेशक)
3.	श्री रमेश मुखिया	सदस्य (प्रबंध निदेशक)

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं :

सीएसआर नीति और अन्य ब्यौरों को सीवीपीपीएल की वेबसाइट पर लिंक <https://www.cvppindia.com/CSR.aspx?Policies> पर सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्योरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):

लागू नहीं।

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल (शुद्ध) लाभ : 17,28,73,282.00 रुपए

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:

34,57,566.00 रुपये

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष :

शून्य रूपए

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित (सेट-ऑफ) की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: 1,20,074.00 रुपये (हालांकि, स्थानीय लोगों के लाभ के लिए और किश्तवाड़ क्षेत्र में सीवीपीपीएल के लिए सद्भावना उत्पन्न करने के लिए, गतिविधियों की अनुमानित लागत के अनुसार, 34,57,000.00 रुपये का कुल आवंटन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व ((ख)+(ग)-(घ)):

33,37,392.00 रुपये

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों) :

14,70,000.00 रूपए

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर व्यय की गई राशि : शून्य

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ((क)+(ख)+(ग)) : 14,70,000.00 रुपये

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च की गई) अथवा अव्ययित(खर्च न की गई) सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि			
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
14,70,000.00	19,82,000.00	30/04/ 2024	प्रधानमंत्री राहत कोष	5,000/-	06/05/2024

(च) समायोजन (सेट-ऑफ) के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	लागू नहीं
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	लागू नहीं
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न आधिक्य, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगे के वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	लागू नहीं

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित (खर्च न की गई) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का ब्योरा:

1	2	3	4	5	6			7	8
क्र.सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि (रुपये में)			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि		
1	2020-21	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2021-22	22,42,494	13,69,557	10,22,711	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	3,46,846/-	30/09/2024 तक अंतरित की जाएगी	-	-
3	2022-23	-	-	-	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	27,942/-	22/09/2023 को अंतरित कर दी गई	-	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति बनाई गई या अर्जित की गई है: नहीं

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें:

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से खर्च की गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रदान करें।

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थल)	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिन कोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	निकाय/प्राधिकारी/ पंजीकृत स्वामी के लाभार्थी का ब्यौरा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी क्षेत्रों को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित किए गए अनुसार ही दर्ज किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और साथ ही अचल संपत्ति और सीमाओं का क्षेत्र भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)

एनए: लागू नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसकी कारण निर्दिष्ट करें:

सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना के तहत अनुमोदित गतिविधियों में चिकित्सा उपकरण / दवाइयां और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद शामिल थी, जिसमें चिकित्सा उपकरण के विनिर्देश संबंधित क्षेत्र के प्रशासन से सीएमओ रैंक के एक अधिकारी द्वारा तय किए जाने थे। इसके अलावा, जीईएम पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा उपकरण / दवाइयां और हेल्थ सप्लीमेंट की खरीद करने की निविदा प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक पूरा होने में उचित समय लगता है। किरू जल विद्युत परियोजना ने पहले ही 28 मार्च, 2024 को

उपकरण / दवाइयों / हेल्थ सप्लीमेंट के लिए आपूर्ति आदेश दिया है और 31 मार्च, 2024 तक इसकी डिलीवरी नहीं की गई थी। हालांकि, क्वार जल विद्युत परियोजना ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है, जिसे पूरा होने में काफी समय लगेगा। इस प्रकार, किरु और क्वार जल विद्युत परियोजना की उपरोक्त उद्धृत सीएसआर गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2023-24 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं। सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना को बोर्ड द्वारा संशोधित किया गया है तथा इस गतिविधि को इसके कार्यान्वयन कार्यक्रम के विस्तार के साथ चल रही गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया गया है।

हस्ता/-

एच. राजेश प्रसाद, आईएएस
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

हस्ता/-

रमेश मुखिया
प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीएल

वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए सीएसआर गतिविधि के चित्र



29 मार्च, 2024 को सीएमओ-किशतवाड़, एचओपी-पकल जल विद्युत परियोजना, सीवीपीपीएल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पकल दुल जल विद्युत परियोजना, सीवीपीपीएल, किशतवाड़ द्वारा पीएचसी दच्छन के लिए बीएमओ किशतवाड़ को स्वास्थ्य सेवा वस्तुएं सौंपना।



राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय इखाला, ग्राम सौंदर



राजकीय प्राथमिक विद्यालय करूर, ग्राम सौंदर



राजकीय माध्यमिक विद्यालय खिरपोखनो, ग्राम लोपारा (दक्खन)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय पिजारी, ग्राम सौंदर (दक्खन)



Latitude: 33.458799
Longitude: 75.724363
Elevation: 1293.05±14 m
Accuracy: 18.5 m
Azimuth: 231° (SW)
Pitch: 1.2°
Time: 05-27-2023 11:08
Note: Govt. School Karour

Powered by Angit.com

राजकीय माध्यमिक विद्यालय इखाला, ग्राम सौंदर

राजकीय प्राथमिक विद्यालय करुर, ग्राम सौंदर

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चल रही सीएसआर क्रियाकलापों के अंतर्गत स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत/पुनरुद्धार



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera



जनता के बीच सूचना और जागरूकता के लिए किरू जल विद्युत परियोजना, सीवीपीपीएल, किश्तवाड़ द्वारा परियोजना के आसपास के विभिन्न स्थानों पर बैनर/होर्डिंग्स लगाए गए।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पकल दुल जल विद्युत परियोजना, सीवीपीपीएल किशतवाड़ की सीएसआर गतिविधि संख्या 02 के अनुपालन के तहत बीएमओ, किशतवाड़ को सौंपी गई वस्तुओं की सूची

संख्या	वस्तु	मात्रा
1	विडाल टेस्ट किट 4*5एमएल	15
2	सीआरपी किट (50टी)	10
3	आर.ए. फैक्टर किट (एसओटी)	6
4	ग्लूकोमीटर डिजिटल/एक्यूसर प्लस मीटर	10
5	ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स/एक्यूसर प्लस स्ट्रिप्स (100टी)	5
6	ब्लड ग्रुपिंग सेट (एबीओ)	10
7	एचबी मीटर स्ट्रिप्स (50टी)	10
8	3पी अप्परेटस डिजिटल/मॉनीटर	5
9	ईएसआर पिपेट (संख्या 100)	5
10	एचबी मीटर डिजिटल	10
11	माइक्रोपिपेट 50-1000 यूएल	4
12	माइक्रोपिपेट 5-500 यूएल	4
13	प्रेग्रेसी किट	1000
14	एचसीवी किट (50टी)	100
15	एचआईवी किट (एसओटी)	200
16	एचबीएसएजी किट	200
17	वीडीआरएल किट/सिफलिस कार्ड ऑस्कर	200
18	लेशमैन स्टेन रीजेंट (500 एमएल)/साइटोक्रोम किट	4
19	3.8% सोडियम साइट्रेट ट्यूब	1000
20	ईडीटीए ट्यूब	1000
21	रेड टॉप	1000
22	एसओ टिटर	1
23	यूरिन स्ट्रिप	500
24	टाइमर क्लिनिकल/इलेक्ट्रॉनिक टाइमर डिजिटल	2
25	पिप्स स्टैंड	4
26	सीरम यूरिक एसिड 200ml	2
27	माइक्रो टिप्स बिग/एमटीएल लार्ज	10
28	माइक्रो टिप्स स्मॉल/एमटीएल स्मॉल	10
29	रिया वाइल/ट्यूब	5000
30	स्टेथोस्कोप	6
31	एचबी मीटर (शीएलआईएस विधि)	5
32	डिस्टिल्ड वॉटर 1 लीटर	50
33	एन/10 एचसीएल (बोतल)	6
34	ट्रॉप टी किट	15
35	पेपर रोल/थर्मल पेपर रोल	100
36	स्प्रिट 1 लीटर बोतल	10
37	कॉटन	20
38	ग्लूकोमीटर लैसेट 100 नंबर	5

विषय : कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रमाण-पत्र।

कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 की धारा 4 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि सीवीपीपीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएसआर क्रियाकलापों पर 24,97,711 रुपये (चौबीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ ग्यारह रुपये केवल) की राशि का उपयोग सीवीपीपीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्देश्य और तरीके से किया गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

परियोजना का नाम	चल रही परियोजना			चल रहे परियोजना के अतिरिक्त		वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपयोग किए गए कुल राशि (रुपए)
	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में शेष अव्ययित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल आवंटित राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रयुक्त राशि (रुपए)	
पकल दुल जल विद्युत परियोजना	12,68,729	10,22,711	2,46,018	14,57,000	14,57,000	24,79,711
किरु जल विद्युत परियोजना	1,00,828	-	1,00,828	10,00,000	18,000	18,000
क्कार जल विद्युत परियोजना	-	-	-	10,00,000	-	-
कुल	13,69,557	10,22,711	3,46,846	34,57,000	14,75,000	24,97,711

दिनांक :

हस्ता./-
वित्त प्रमुख
निगम मुख्यालय, सीवीपीपीएल



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)-
180012

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

• उद्योग संरचना और विकास

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत		वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित			
<p>विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते, भारत को ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ-साथ भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त, संधारणीय, आर्थिक, विश्वसनीय और विद्युत प्रणाली के अनुकूल ऊर्जा स्रोत विकसित करने की आवश्यकता है। क्षमतायुक्त जलविद्युत न केवल नवीकरणीय विद्युत के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इष्टतम उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सबसे लचीले संसाधन के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भारत आर्थिक रूप से दोहनयोग्य और व्यवहार्य जलविद्युत क्षमता से संपन्न है और स्वतंत्रता के बाद से विद्युत क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता इस प्रकार है:</p>		<p>भारत भाग्यशाली है कि उसे कोयला, जलविद्युत, यूरेनियम/थोरियम आदि सभी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत प्राप्त हैं। हालाँकि, इनमें से जलविद्युत ऊर्जा का एकमात्र नवीकरणीय स्रोत है और इसे इसके विभिन्न लाभों के कारण किफायती और विद्युत का पसंदीदा स्रोत माना गया है। देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जलविद्युत संसाधनों का विकास महत्वपूर्ण है। जलविद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय, किफायती और प्रदूषण रहित स्रोत है। जलविद्युत स्टेशनों में त्वरित शुरुआत, रोक और लोड में बदलाव की अंतर्निहित क्षमता होती है, जो प्रचालन लचीलापन प्रदान करती है और विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करती है। पीक डिमांड को पूरा करने के लिए हाइड्रो स्टेशन सबसे अच्छा विकल्प हैं। उत्पादन लागत न केवल मुद्रास्फीति मुक्त है बल्कि समय के साथ कम होती जाती है। जलविद्युत परियोजनाओं का उपयोगी जीवन 50 वर्षों से अधिक होता है और यह दुर्लभ जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करने में मदद करती है। वे दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में विकास के रास्ते खोलने में भी मदद करती हैं। 31.03.2024 के अनुसार भारत में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 4,41,970 मेगावाट थी, जिसमें थर्मल, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान क्रमशः 2,43,217 मेगावाट, 8,180 मेगावाट और 1,90,573 मेगावाट था, जिसमें हाइड्रो का योगदान 46,928 मेगावाट था। वर्ष 2023-24 के दौरान 18980 मेगावाट क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 14700 मेगावाट थर्मल, 2880 मेगावाट हाइड्रो और 1400 मेगावाट परमाणु विद्युत शामिल थी। 31.03.2024 तक</p>			
<p>31.03.2023 के अनुसार विद्युत स्टेशनों में अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)</p>					
संस्थापित क्षमता	थर्मल	नवीकरणीय		परमाणु	सकल जोड़
		हाइड्रो	आरईएस		
(मेगावाट में)	237268.91	46850.17	125159.81	6780.00	416058.89
(% में)	57.0%	11.3%	30.1%	1.6%	
<p>स्रोत: राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल</p>					
<p>भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले दशक में एक लंबा सफर तय किया है और आज यह विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष वाले राष्ट्र के रूप में रूपांतरित हो गया है। ठोस उपाय संचालित किए जाने की एक श्रृंखला के कारण उत्पादन क्षमता में 49.8% की वृद्धि हुई जो मार्च, 2015 में 275 गीगावाट से बढ़कर मार्च, 2023 में ~416 गीगावाट हो गई। इस क्षमता में प्रमुख वृद्धि पवन और सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की है जो कुल अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता का लगभग 30.1% थी।</p>					

विद्युत उत्पादन के लिए सौर और पवन की सविराम उपलब्धता के कारण विद्युत ग्रिड को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जलविद्युत को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने, स्थानीय क्षेत्र के विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा, जलविद्युत ऊर्जा लंबी अवधि में जल और ऊर्जा सुरक्षा स्थापित करने के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पर्यटन आदि जैसी भंडारण परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

जम्मू-कश्मीर में पर्याप्त पनविद्युत क्षमता मौजूद है, जिसमें से 13,802 मेगावाट की पहचान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पहले ही की जा चुकी है। संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत उत्पादन क्षमता अगले 3 वर्षों में 3500 मेगावाट की मौजूदा क्षमता से दोगुनी होने की आशा है, जिससे जम्मू-कश्मीर विद्युत भंडार अधिशेष हो जाएगा।

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में क्षमता वृद्धि में योगदान देने के लिए, आपकी कंपनी संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में पकल डुल, किरू, कार और किरथई-॥ जलविद्युत परियोजना (3094 मेगावाट) निष्पादित कर रही है। सीवीपीपीएल परियोजनाएं चिनाब नदी पर रन-ऑफ-रिवर स्कीम की हैं तथा भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 के अंतर्गत आती हैं। सीवीपीपीएल परियोजनाओं की कुल मिलाकर संस्थापित क्षमता 3094 मेगावाट है और ये 90 प्रतिशत निर्भरता वर्ष में 10,000 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत का उत्पादन करेगी।

7646 मेगावाट क्षमता वृद्धि हासिल की गई, जिसमें 6168 मेगावाट थर्मल, 78 मेगावाट हाइड्रो और 1400 मेगावाट परमाणु विद्युत शामिल थी, इसके अलावा एसएचपी सहित 18485 मेगावाट आरई को जोड़ा गया। (स्रोत # सीईए वेबसाइट)।

जलविद्युत क्षमता के संबंध में, भारत में लगभग 1,50,000 मेगावाट की अनुमानित जलविद्युत क्षमता है, जिसमें से केवल लगभग 46928 मेगावाट (31.03.2024 तक) चालू हो चुकी है। अप्रयुक्त क्षमता का बड़ा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में तेजी से वृद्धि के साथ, जो कि प्रकृति में दिन में ही उपलब्ध होने वाली है, अपनी पीक शक्ति के साथ जलविद्युत में ग्रिड स्थिरता में योगदान करने की बहुत बड़ी क्षमता है।

विद्युत उत्पादन के लिए सौर और पवन की रुक-रुक कर उपलब्धता के कारण विद्युत ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने के लिए जलविद्युत का अधिक महत्व है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने, स्थानीय क्षेत्र के विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा, जलविद्युत ऊर्जा लंबी अवधि में जल और ऊर्जा सुरक्षा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पर्यटन आदि जैसी भंडारण परियोजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। उपरोक्त उद्योग परिदृश्य दर्शाता है कि जलविद्युत क्षेत्र में व्यवसाय के निरंतर विकास के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

II. सुदृढ़ता

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत	वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित
<ul style="list-style-type: none"> • हमारा मानना है कि निम्न तथ्य कंपनी की प्रमुख प्रतिस्पर्धी सुदृढ़ता को अभिव्यक्त करते हैं: • एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसीएल और पीपीडी, जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच दिनांक 21.11.2022 को हस्ताक्षरित सप्लीमेंटरी प्रमोटर करार के क्लॉज़ 8.2 (लाभों का शेयरिंग) को नीचे उद्धृत किया गया है: • “जम्मू-कश्मीर सरकार को परियोजनाओं से उत्पन्न कुल विद्युत का 12% निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1% निःशुल्क विद्युत भी प्रदान की जाएगी। निधि को हाइड्रो पावर पॉलिसी 2008 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा। इसके अलावा, शेष 87% विद्युत में से, जम्मू-कश्मीर सरकार को कंपनी की इक्विटी में जेकेएसपीडीसी की हिस्सेदारी के अनुपात में कंपनी से विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर विद्युत खरीदने का अधिकार होगा। । इसके बाद, शेष विद्युत एनएचपीसी और पीटीसी द्वारा खरीदार को बाजार मूल्य पर बेची जाएगी और इससे इनकार करने का पहला अधिकार जम्मू-कश्मीर विद्युत विकास विभाग को दिया जाएगा।” 	<ul style="list-style-type: none"> • सीवीपीपीएल चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों पर चार मेगा परियोजनाओं का विकास कर रही है और इसने बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की है। • एनएचपीसी की सहायक कंपनी होने के नाते, भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी का बहुमूल्य मार्गदर्शन सीवीपीपीएल को जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण डिजाइन, बड़े मूल्य के अनुबंध देने आदि के लिए दिया जा रहा है। • सीवीपीपीएल के पास सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल है। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, सीवीपीपीएल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जनशक्ति एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) द्वारा अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति/ स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी को प्रदान की जाएगी या ऋण आधार पर दी जाएगी। एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यबल के पास उद्योग में व्यापक अनुभव है और वे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए ज्ञान और व्यावहारिक जानकारी के साथ सीवीपीपीएल के कैडर को मजबूत कर रहे हैं। सीवीपीपीएल पूरी तरह से मानता है कि इसके कर्मचारियों का योगदान इसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं की उपलब्धि के लिए अभिन्न अंग है और इन
<p>विद्युत क्रय करारों की स्थिति</p> <p>पकल दुल जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) और क्वार जल विद्युत परियोजना (540 मेगावाट):</p> <p>जेकेपीसीएल ने अपने पत्र दिनांक 06.03.2023 और 08.03.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि पकल दुल से @350 मेगावाट और क्वार जल विद्युत परियोजना से @100 मेगावाट विद्युत की मात्रा (12% निःशुल्क विद्युत और एलएडीएफ के लिए 1% को छोड़कर) वित्त विभाग और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर की राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) द्वारा अनुमोदित की गई है।</p> <p>तदनुसार, सीवीपीपीएल ने पकल दुल और क्वार जल विद्युत</p>	

परियोजनाओं से शेष विद्युत खरीदने के लिए एनएचपीसी के माध्यम से अन्य राज्यों/डिस्कॉम जैसे सीएसपीडीसीएल-छत्तीसगढ़, एचपीपीसी-हरियाणा, एमएसईडीसीएल-महाराष्ट्र, जीयूवीएनएल-गुजरात से संपर्क किया है और उन्होंने पकल डुल और कार एचई परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के निबंधनों के अनुसार, सीवीपीपीएल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जनशक्ति एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) द्वारा अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति /स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति के आधार पर कंपनी को प्रदान की जाएगी या उधार दी जाएगी। एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यबल को उद्योग के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। इन अधिकारियों का कौशल, उद्योग ज्ञान और परिचालन अनुभव कंपनी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है।

अधिकारियों का कौशल, उद्योग ज्ञान और परिचालन अनुभव कंपनी को एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है।

- सीवीपीपीएल ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और जेकेपीसीएल के साथ पकल डुल जलविद्युत परियोजना, किरू जलविद्युत परियोजना और कार जलविद्युत परियोजना के लिए विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, महाराष्ट्र स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक पावर कंपनी लिमिटेड, पीएसपीसीएल पंजाब, ग्रिडको ओडिशा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आदि से विद्युत खरीदने के लिए सहमति भी प्राप्त हुई।

III. अवसर

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत	वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित
हाइड्रो-थर्मल मिश्रण असंतुलन, निरंतर बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत की बढ़ती कमी और आवृत्ति भिन्नता ने भारत सरकार का ध्यान जलविद्युत के विकास की ओर आकर्षित किया है। भारत में जलविद्युत की पर्याप्त क्षमता मौजूद है जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है। इससे सीवीपीपीएल को आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता में संवृद्धि करने का अवसर मिलेगा।	जम्मू-कश्मीर में पहचान की गई जलविद्युत क्षमता 14867 मेगावाट है और चिनाब बेसिन इसमें 11283 मेगावाट का योगदान देता है। 31.03.2024 तक, चिनाब बेसिन में 2014 मेगावाट क्षमता का दोहन किया गया है और लगभग 6648 मेगावाट विकास के अधीन है। हाइड्रो-थर्मल मिश्रण असंतुलन, लगातार बढ़ती अक्षय ऊर्जा, विद्युत की पीक कमी और आवृत्ति भिन्नता ने भारत सरकार का ध्यान हाइड्रो पावर के विकास की ओर मोड़ दिया है। भारत में हाइड्रो पावर की अपार क्षमता है जिसका अभी भी दोहन नहीं हुआ है। इससे सीवीपीपीएल को आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भारत को 2030 तक 817 गीगावाट उत्पादन क्षमता निर्मित करने की आवश्यकता होगी और सीओपी26

	प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, इसमें से 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना होगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त अवसर पैदा होंगे।
--	---

IV. चुनौतियां, कमजोरियां, जोखिम और चिंताएं

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत	वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित
<p>प्रबंधन जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित चुनौतियों, कमजोरियों, जोखिमों और चिंताओं की परिकल्पना करता है:</p> <p>भूमि अधिग्रहण</p> <p>जलविद्युत परियोजनाएं आमतौर पर पहाड़ी, दुर्गम और दूरदराज के इलाकों में स्थित होती हैं, जिसके लिए जलमग्न किए जाने और परियोजना के घटकों सहित अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल है।</p> <p>भूगर्भीय आकस्मिकताएं</p> <p>जलविद्युत परियोजनाओं में आमतौर पर हेडरेस टनल और सर्ज शाफ्ट तैयार करने संबंधी पर्याप्त भूमिगत कार्य शामिल होते हैं। भूमिगत कार्य से जुड़ी भूगर्भीय आकस्मिकताओं के परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि हो सकती है।</p> <p>प्राकृतिक आपदाएं</p> <p>चूंकि जलविद्युत परियोजनाएं आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में प्रस्तावित की जाती हैं और सामान्यतः संबंधित भूवैज्ञानिक प्रतिकूलताओं जैसे पहाड़स्खलन, सड़क अवरोध, अचानक बाढ़ और बादल फटना आदि के अधीन होती हैं, जिसके फलस्वरूप परियोजनाओं के निर्माण में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है।</p> <p>अप्रत्याशित जटिलताएं</p> <p>किसी परियोजना का विकास अप्रत्याशित जटिलताओं और निष्पादन में विलंब के अधीन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील परियोजनाओं के निष्पादन के लिए नियत अनुमान की तुलना में समय और लागत में वृद्धि हो सकती है। जलवायु परिस्थितियों के कारण जलविज्ञान में भिन्नता के कारण उत्पादन क्षमता में काफी भिन्नता हो सकती है, जिससे कंपनी की राजस्व आय में महत्वपूर्ण अंतर हो</p>	<p>पूर्व की भांति ही।</p>

सकता है।

दीर्घ निर्माण अवधि

जलविद्युत ऊर्जा परियोजनाएं पूंजी गहन होती हैं और फलस्वरूप इनकी निर्माण अवधि भी लंबी होती है।

लागत में वृद्धि

जलविद्युत परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होती है और ये विभिन्न भूवैज्ञानिक आकस्मिकताओं और प्रतिकूलताओं के अध्यधीन भी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुमान की तुलना में समय और लागत में वृद्धि होती है।

लागत में वृद्धि होने से टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है।

V. खंडवार अथवा उत्पादवार निष्पादन

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत	वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित
<p>चिनाब नदी बेसिन में पकल दुल, किरू, कार और किरथाई-II जलविद्युत परियोजनाओं (3094 मेगावाट) का विकास तथा विद्युत के उत्पादन और उसकी बिक्री के लिए कंपनी को सौंपी गई कोई अन्य परियोजना ही कंपनी का एकमात्र व्यवसाय है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक ही भौगोलिक खंड है क्योंकि यह केवल संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में ही काम कर रही है।</p>	<p>पूर्व की भांति ही।</p>

VI. दृष्टिकोण

वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत	वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित
<p>विद्युत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है और खुशहाली के लिए अनिवार्य है। भारत में ऊर्जा की मांग और ऊर्जा अवसंरचना में वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक बनी हुई हैं। देश के निरंतर औद्योगीकरण और शहरीकरण से इसके ऊर्जा क्षेत्र पर मांग में भारी वृद्धि होगी। आपकी कंपनी संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरस्थ स्थान होने के कारण भौगोलिक संबन्धी चुनौतियां होने और इस तथ्य के बावजूद कि</p>	<p>पूर्व की भांति ही।</p>

राज्य का इलाका दुर्गम है, आपकी कंपनी इन कठिनाइयों से पार पाने के लिए प्रतिबद्ध है।

देश की अत्यधिक अप्रयुक्त जलविद्युत क्षमता को ध्यान में रखते हुए, जलविद्युत विकास के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। चूंकि पूरी दुनिया अब 'निवल शून्य' उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए जलविद्युत उद्योग के लिए उत्सर्जन में कमी करने की अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त संभावना मौजूद है। इसके अलावा, जलविद्युत संयंत्र आंतरायिक आरई स्रोतों (सौर और पवन) से ग्रिड में विद्युत के बड़े पैमाने पर अंतःक्षेपण के कारण ग्रिड स्थिरता की परिवर्तनशीलता और परिणामी आवश्यकताओं का भी ध्यान रख सकते हैं। उपरोक्त के अलावा, भारत सरकार की पहल देश में जलविद्युत क्षेत्र के विकास के लिए भावी राह को सुदृढ़ता प्रदान करेगी।

• आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनका पर्याप्तता

सीवीपीपीएल ने अपने व्यवसाय के व्यवस्थित, नैतिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक संरचना, नियमावली और नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। कंपनी ने "सीवीपीपीएल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदगी और उनकी प्रचालन प्रभावशीलता पर स्वतंत्र समीक्षा और आश्वासन प्रदान करने" के लिए मेसर्स बावेजा और कौल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने रिपोर्ट दी है कि सीवीपीपीएल के निगम मुख्यालय और परियोजनाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की भी रिपोर्ट की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी परियोजनाओं सहित कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य मेसर्स जीएएसएम डीएनएसआर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फरीदाबाद को आउटसोर्स किया गया था।

• वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

लाभ और हानि मदें

क. आय

कंपनी की तीन परियोजनाएं अर्थात् पकल डुल (1000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट) और कार (540 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना सक्रिय निर्माण चरण में हैं और एक परियोजना अर्थात्, किरथाई- II (930 मेगावाट) मंजूरी चरण में है। वर्तमान में परिचालन (ऊर्जा की बिक्री) से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की आय 3575.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5346.69 लाख रुपये) में अन्य आय शामिल है जिसमें मुख्य रूप से कंपनी की निवेश नीति के अनुसार बैंकों के साथ एफडीआर में अधिशेष निधि के निवेश पर ब्याज शामिल है। वर्ष के दौरान ब्याज आय में कमी, परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय में निधियों के उपयोग के कारण एफडीआर में अधिशेष निधियों के कम निवेश के कारण है।

ख. व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निर्माण के लिए गैर-आवंटन योग्य व्यय सहित लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,604.30 लाख रुपये था, और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,532.57 लाख रुपये था। मूल्यहास और परिशोधन व्यय में 18.71 लाख रुपये और अन्य व्यय में 105.09 लाख रुपये की वृद्धि के कारण 4.68% की वृद्धि हुई है।

ग. कर पूर्व लाभ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर पूर्व लाभ और नियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन 1,971.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,814.12 लाख रुपये) था।

घ. कर व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभ पर कर व्यय 898.85 लाख रुपये था (पिछले वर्ष 1,345.35 लाख रुपये)। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर व्यय में कमी अन्य आय (एफडीआर में अधिशेष निधि के निवेश पर ब्याज) में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,346.69 लाख रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,575.40 लाख रुपये होने के कारण है।

ड. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगन खाता शेष ।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण पर लगाई गई सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के रूपांतरण/निपटान पर उत्पन्न विनिमय अंतर और बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य या देय राशि को "विनियामक आस्थगन खाता शेष" के रूप में मान्यता दी जा रही है तथा उस वर्ष से समायोजित किया जाएगा जिसमें परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से राशि वसूलीयोग्य या देय हो जाएगी। तदनुसार, कंपनी ने विनियामक परिसंपत्तियां सृजित की हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (-) 4.06 लाख रुपये (पिछले वर्ष 45.77 लाख रुपये) की संबंधित विनियामक आय को मान्यता दी है, जो भविष्य की अवधि में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है।

नकदी प्रवाह

क. प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (-) 2,391.16 लाख रुपए तथा कर पूर्व लाभ और विनियमित आय से पूर्व लेकिन असाधारण मदों के उपरांत 1,971.10 लाख रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (-) 2,634.48 लाख रुपए तथा करपूर्व लाभ और विनियमित आय लेकिन असाधारण मदों के उपरांत 3,814.12 लाख रुपए थी।

ख. निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश क्रियाकलापों से/में उपयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (-) 1,53,609.79 लाख रुपये है। यह मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (-)1,82,766.69 लाख रुपये को दर्शाता है, जो आंशिक रूप से 20,754.00 लाख रुपये के सावधि जमा में निवल निवेश और 8,402.90 लाख रुपये की जमा/पूंजी अग्रिम पर ब्याज आय द्वारा समायोजित हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश क्रियाकलापों से/उनमें उपयोग किया गया निवल नकदी प्रवाह (-) 79,189.48 लाख रुपए था। इसमें मुख्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अन्य अमूर्त संपत्तियों पर व्यय और निर्माण परियोजनाओं पर (-)1,35,364.14 लाख रुपए का व्यय शामिल है, जिसकी आंशिक भरपाई 42,046.55 लाख रुपए के सावधि जमा में निवल निवेश और 14,128.11 लाख रुपए के जमा/पूंजी अग्रिम पर ब्याज आय से हुई है।

ग. वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय क्रियाकलापों से निवल नकदी 1,36,518.45 लाख रुपए है, जिसमें प्रमोटरों से प्राप्त 76,242.00 लाख रुपये की इक्विटी शेयर अंशदान राशि, भारत सरकार से प्राप्त 60,422.00 लाख रुपये की अधीनस्थ ऋण राशि तथा ब्याज तथा वित्त प्रभार का भुगतान तथा पट्टा देयता का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज की 145.55 लाख रुपये की राशि शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय क्रियाकलापों से प्राप्त निवल नकदी 90,456.52 लाख रुपये थी, जिसमें प्रमोटरों से प्राप्त 48,063.00 लाख रुपये की इक्विटी शेयर अंशदान राशि, भारत सरकार से प्राप्त

42,492.00 लाख रुपये की अधीनस्थ ऋण राशि तथा ब्याज और वित्त प्रभार का भुगतान तथा पट्टा देयता का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज के 98.48 लाख रुपये की राशि शामिल है।

तुलन-पत्र मर्दे

परिसंपत्तियां

क. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां (आरओयू), निवेश संपत्ति, अमूर्त परिसंपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां।

भूमि, भवन, निर्माण उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर इत्यादि से युक्त पीपीई मूल्यहास के बाद 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक क्रमशः 14,678.92 लाख रुपये और 10,732.61 लाख रुपये थे। प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य जिसमें हाइड्रोलिक कार्य, विद्युत गृह भवन, संयंत्र और मशीनरी सहित भवन और हमारी विद्युत परियोजनाओं में एस एंड आई कार्य शामिल हैं, 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को क्रमशः 4,91,351.11 लाख रुपये और 2,97,673.82 लाख रुपये थे। उपयोग के अधिकार के तहत वन भूमि और अन्य पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों सहित उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) क्रमशः 78,815.39 लाख रुपये और 1,50,000 रुपये थी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्तियां क्रमशः 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक 79.40 लाख रुपये और 14.97 लाख रुपये थीं।

अमूर्त संपत्ति विकासाधीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित विकासाधीन परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को क्रमशः 106.42 लाख रुपये और 106.42 लाख रुपये थीं।

ख. ऋण (चालू और गैर-चालू)

कर्मचारियों को ऋण सहित ऋण 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को क्रमशः 178.20 लाख रुपये और 46.83 लाख रुपये थे।

ग. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (चालू और गैर-चालू)

31 मार्च, 2024 को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां 26,222.25 लाख रुपये थीं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 1,24,44,44,45 लाख रुपये थी जबकि 31 मार्च 2023 को यह 12,926.37 लाख रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 102.86% की वृद्धि मुख्य रूप से एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के कारण राज्य सरकार के विभागों से वसूली योग्य दावे में वृद्धि के कारण है।

घ. कर परिसंपत्ति (चालू और गैर-चालू)

31 मार्च 2024 और 2023 को कर परिसंपत्ति क्रमशः 11.03 लाख रुपये और 6.34 लाख रुपये थी, अर्थात् पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 73.97% की वृद्धि हुई है। कर परिसंपत्तियों में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के वर्तमान प्रावधान के अलावा अग्रिम आयकर और स्रोत पर कर कटौती शामिल है।

ड. अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां

अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से अग्रिम (पूंजीगत के साथ-साथ पूंजीगत के अलावा अन्य) पूंजीगत अग्रिम पर अर्जित ब्याज शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ क्रमशः 51,291.49 लाख रुपये और 63,004.12 लाख रुपये थीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के

ऑकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18.59% की कमी मुख्य रूप से संविदाकारों द्वारा पूंजी अग्रिम की वसूली/वापसी के कारण है।

च. नकदी और बैंक शेष

तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार नकदी और बैंक शेष में हमारे चालू खाते में नकदी अधिशेष और अल्पावधि जमा शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 और 2023 को नकदी और नकद समकक्ष क्रमशः 28,582.97 लाख रुपये और 48,065.47 लाख रुपये थे। मार्च 2024 और मार्च 2023 को नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष क्रमशः 2,811.00 लाख और 23,565.00 लाख रुपये थे।

छ. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से संविदाकार र और आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम, संविदाकार को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज और पूर्व भुगतान किए गए व्यय शामिल हैं। 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को अन्य चालू परिसंपत्तियाँ क्रमशः 407.30 लाख रुपए और 2,440.30 लाख रुपए थीं, अर्थात् 2,033.00 लाख रुपए की कमी मुख्य रूप से एफडीआर और संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज में कमी के कारण हुई है।

ज. विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "दर विनियमित क्रियाकलापों के लिए लेखाकरण" पर मार्गदर्शी टिप्पण के अनुरूप और साथ ही भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष क्रमशः 52.31 लाख रुपये और 56.37 लाख रुपये था।

झ. निवल मूल्य पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी की निवल परिसंपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,99,623.41 लाख रुपये से बढ़कर 4,76,933.60 लाख रुपये हो गई, जो मुख्य रूप से इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि, आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि और प्रतिधारित आय में वृद्धि के कारण 19.35% की वृद्धि दर्ज की गई।

ञ. दीर्घकालीन ऋण

दीर्घकालिक ऋण में मुख्य रूप से अधीनस्थ ऋण शामिल हैं, जो 31 मार्च 2024 को पकल दुल जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त 60,987.31 लाख रुपये और 31 मार्च 2023 को 38,454.67 लाख रुपये हैं।

ट. अन्य वित्तीय देनदारियां (चालू और गैर-चालू)

अन्य वित्तीय देनदारियों में पट्टा देनदारी, पूंजीगत कार्यों/आपूर्ति के प्रति देनदारी, ईएमडी/प्रतिधारण राशि आदि के लिए देय राशि शामिल है। 31 मार्च 2024 को अन्य वित्तीय देनदारियां 31,507.32 लाख रुपये हैं जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च 2023 को यह 19,458.18 लाख रुपए थी।

ठ. प्रावधान (चालू और गैर-चालू)

प्रावधान में निष्पादन से संबंधित वेतन, सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि, कर्मचारी लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन) के लिए प्रावधान और प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक कुल प्रावधान 14918.16 लाख रुपये रहा, जबकि 31 मार्च 2023 तक यह 12,248.75 लाख रुपये था।

ड. अन्य गैर-चालू देयताएं

31 मार्च, 2024 को अन्य गैर-चालू देयताएं 31 मार्च 2023 को 66,726.48 लाख रुपये की तुलना में 1,07,769.64 लाख रुपये हैं, जिसमें भारत सरकार से अधीनस्थ-ऋण का हिस्सा शामिल है, जिसे लेखाकरण दिशानिर्देशों के अनुसार अनुदान के रूप में माना जाता है।

ढ. व्यापार देय

31 मार्च 2024 को व्यापार देय 31 मार्च 2023 को 323.53 लाख रुपये की तुलना में 416.46 लाख रुपये था।

ण. अन्य चालू देयताएं

31 मार्च 2024 को अन्य चालू देयताएं 2,057.06 लाख रुपये हैं जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च 2023 को यह 1,616.83 लाख रुपये थी।

तुलन-पत्र से इत्तर मदें

क. आकस्मिक देयताएं

निम्न तालिका 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक हमारी आकस्मिक देयताओं के घटकों को दर्शाती है

(लाख रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
	2023-24	2022-23
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
पूंजीगत कार्य	98,697.35	23,179.94
भूमि मुआवजा मामले	0	0
विवादित कर मामले और अन्य मदें	322.22	0
अन्य	0	3.07
कुल	99,019.57	23,183.01

आकस्मिक देनदारियाँ 31 मार्च, 2023 को 23,183.01 लाख रुपये से 312.12% बढ़कर 31 मार्च, 2024 को 99,019.57 लाख रुपये हो गईं।

ख. निवल मूल्य पर प्रतिफल (पीएटी / औसत शेयरधारक की इक्विटी)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी के निवल मूल्य पर प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 0.67% से घटकर 0.24% हो गया, अर्थात् 64.18% की गिरावट मुख्य रूप से अन्य आय (बैंक के साथ

एफडीआर में निवेश किए गए अल्पावधि अधिशेष निधि से ब्याज आय) में कमी के कारण कर पश्चात लाभ में कमी के कारण हुई।

सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल:

सीवीपीपीएल के सप्लीमेंटरी प्रमोटर करार दिनांक 21.11.2022 के अनुसार, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन (आरएंडआर) क्रियाकलापों के लिए कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी में प्रतिनियुक्त किया जाएगा और कंपनी को शेष कर्मचारी निम्नलिखित रीति से नियुक्त किए जाएंगे:

जेवीसी में समूह क और ख कर्मचारियों को एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी/संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर सरकार के विभागों से समान रूप से या डीपीई मानदंडों के अनुसार जेवीसी द्वारा भर्ती के माध्यम से, जैसा लागू हो, अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनात किया जाएगा।

जेवीसी में समूह ग और घ कर्मचारियों का अस्सी प्रतिशत (80%) उनकी उपयुक्तता, उपलब्धता और पात्रता के अधधीन संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी होंगे।

एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी द्वारा प्रतिनियुक्त कार्यबल को उद्योग में व्यापक अनुभव है। भर्ती किए गए सीवीपीपीएल कैडर के कर्मचारी करियर में प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते हुए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जनशक्ति का कौशल, उद्योग ज्ञान, क्षमता और परिचालन अनुभव कंपनी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है।

मानव संसाधन विकास:

आधुनिक संगठनों की सफलता के लिए प्रशिक्षण और विकास तेजी से आवश्यक हो गया है, जिसमें कौशल में सुधार, ज्ञान प्राप्त करने, अवधारणाओं को स्पष्ट करने और संरचित और नियोजित शिक्षा के माध्यम से दृष्टिकोण बदलने पर जोर दिया जाता है, जिसके द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता और प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही रोजगार की संतुष्टि, कर्मचारी के समग्र विकास और कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो "संगठन या समुदाय और उनके आसपास के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली नई वांछित स्थिति को प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता बनाने का प्रयास करती है।"

उपरोक्त की उपलब्धि में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, सीवीपीपीएल ने अपने कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान तकनीकी/गैर-तकनीकी और व्यवहारिक कार्यक्रमों सहित 34 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/वेबिनार/सत्रों आदि के लिए नामांकित किया। हमारे कर्मचारियों को संबंधित सॉफ्टवेयर में अपेक्षित नवीनतम तकनीकों/नवाचारों से परिचित कराने और उन्हें उन्नत करने के लिए मान्यता प्राप्त सीएडीडी केंद्र के माध्यम से प्राइमावेरा और ऑटोकैड पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों को ई-ऑफिस, जीईएम आदि पोर्टलों पर उनके दैनिक कार्य के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, साथ ही पंप हाइड्रो स्टोरेज, इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल मैपिंग, रॉक मैकेनिक्स और टनलिंग तकनीक, ईपीसी अनुबंध, नीति आयोग मॉडल और निर्माण दावा प्रबंधन जैसी अन्य तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।



पॉश अधिनियम, 2013, सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना पर वैधानिक उन्मुख कार्यक्रम तथा साथ ही अनुशासन प्रबंधन और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मेसर्स एफसीटीडी (एलएलपी), नई दिल्ली के माध्यम से 360 डिग्री पारस्परिक संबंधों की शक्ति को उजागर करने पर तीन दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और मेसर्स संपूर्ण हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी के माध्यम से स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

इसके अलावा, वर्तमान में सीवीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी कैडर के कर्मचारियों को भी वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान एनएचपीसी के टी एंड एचआरडी सेल द्वारा आयोजित 30 से अधिक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया था।

उपर्युक्त सूचीबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में उच्च सराहना और संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान, सीवीपीपीएल परियोजनाओं और कॉर्पोरेट कार्यालय, जम्मू में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे। हालांकि, अनुबंध के माध्यम से नियुक्त आर एंड एम संविदा कर्मचारी विभिन्न सेवा संबंधी कार्यों के लिए और निर्माण कार्यों में प्रमुख ठेकेदारों द्वारा नियोजित संविदा कर्मचारियों ने समय-समय पर वेतन और लाभ में वृद्धि के लिए अपनी मांग उठाई है।

कर्मचारी पदोन्नति और अन्य कल्याण योजना:

एक व्यापक प्रक्रिया निष्पादित की गई जिसके तहत कुल 34 पात्र कर्मचारियों को क्रमशः ई2 से ई3, एस-2 से एस-3 और एस-1 से एस-2 ग्रेड में 01.04.2024 से पदोन्नति के लिए विचार किया गया था।

अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षण:

संगठन अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योगदान दे रहा है। संगठन में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के लिए पदों के लिए आरक्षण का पालन किया जा रहा है।

दिव्यांगजनों का कल्याण:

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कोई भी शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी नहीं था।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

हस्ता./-

सुरेश कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष

डीआईएन-06440021

स्थान : जम्मू

दिनांक : 09.09.2024



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी के मध्य एक संयुक्त उद्यम)
(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

31 मार्च, 2024 को यथास्थिति वित्तीय विवरण
(लाख रुपए में)

निगम मुख्यालय:
चिनाब जल शक्ति भवन,
सरस्वती धाम के सामने
रेल हेड काम्प्लेक्स
जम्मू - 180012 (जम्मू एवं कश्मीर)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक जानकारी सहित है (जिसे एतदपश्चात "वित्तीय विवरण" कहा गया है)।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षानुसार सूचना को दर्शाते हैं और 31 मार्च, 2024 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति, उसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा उचित चित्र प्रस्तात करते हैं।

मत हेतु आधार

हमने वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की उत्तरदायित्व खंड में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और साथ ही अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरण की हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक होने वाली नैतिक आवश्यकताओं सहित हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरण पर हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना को कवर नहीं करता है और हम इस बारे में किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि उपलब्ध होने पर ऊपर चिन्हित की गई अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरण के

साथ या लेखापरीक्षा में प्राप्त किए गए हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर यथावर्णित अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्विक मिथ्या कथन है, तो हमें शासन के प्रभारियों को उस मामले से अवगत कराना होगा और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा मत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और तब भौतिक मानी जाती है, जब वे, यदि, पृथक रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकते हो। एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली भौतिक गलतबयानी विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद होने तथा उन नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के गोइंग कन्सर्न आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या किसी घटना या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो गोइंग कन्सर्न के रूप में बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है, के संबंध में निष्कर्ष निकालना। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित होता है या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी का गोइंग कन्सर्न बने रहना प्रभावित हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जो निष्पक्ष प्रकटीकरण देते हो, का मूल्यांकन करना।

वास्तविकता वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो पृथक रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन; और (2) वित्तीय विवरणों में पहचान की गई किसी भी गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय और हमारे द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शासन के प्रभारियों को सूचित करते हैं। हम शासन के प्रभारियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें ऐसे सभी संबंध तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

अन्य मामले

31 मार्च 2024 को, इक्विटी शेयर पूंजी (आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित) में एनएचपीसी का योगदान 2621.89 करोड़ रुपए (56.03%) है और प्रमोटर के समझौते के अनुसार कंपनी की शेयर पूंजी में जेकेएसपीडीसी का योगदान प्रमोटर समझौते के खंड 4.4 (ख) के अनुसार 49% अर्थात् 2519.07 करोड़ रुपए के सहमत अनुपात को प्रतिबिंबित करना चाहिए। तथापि, 31 मार्च 2024 तक इक्विटी शेयर पूंजी (आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित) में जेकेएसपीडीसी का योगदान 2057.61 करोड़ रुपए (43.97%) है। अतः 31 मार्च 2024 तक कंपनी की शेयर पूंजी में जेकेएसपीडीसी द्वारा 461.46 करोड़ रुपए (2,519.07-2,057.61) की कमी है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथाअपेक्षित आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, एक विवरण "अनुलग्नक-क" में देते हैं।
2. कंपनी की लेखा बहियों के सत्यापन और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत करते हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेश

क्रम सं.	निदेश	टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखे की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किसी लेखाकरण लेनदेन के लेखाओं की अखंडता पर प्रभाव तथा उसके वित्तीय प्रभाव के बारे में हमें न ही सूचित किया गया है और न ही हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कुछ सामने आया है।
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/अधित्याग का कोई मामला है? यदि हाँ, तो इसका वित्तीय प्रभाव बताया जाएं। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखांकन किया जाता है?	कंपनी ने बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं/ कारपोरेट निकाय से कोई ऋण आहरित नहीं किया है सिवाय पकल दुल जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए 1627.71 करोड़ रुपए की राशि के अधीनस्थ ऋण के। इसके अतिरिक्त, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के किसी पुनर्गठन या ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि की छूट/अधित्याग का कोई मामला नहीं था।

3.	क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/ आर्थिक सहायता आदि) को उनके निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकित/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी ने केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का संबंधित निबंधन और शर्तों के अनुसार ठीक से लेखांकन/उपयोग किया गया था।
----	---	--

3. उपर्युक्त पैराग्राफ में संदर्भित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियों के अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम सूचित करते हैं कि:

- (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित बहियां रखी गई हैं, जैसा कि हमें उन बहियों की जांच से पता चलता है।
- (ग) इस रिपोर्ट में, वर्णित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि विवरण इक्विटी में किसी परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- (घ) हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एस के अनुरूप है।
- (ङ.) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;
- (ड) वित्तीय विवरणों से संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनगत प्रभावकारिता के संदर्भ में **अनुलग्नक "ख"** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और संचालन प्रभावकारिता पर अपरिवर्तित मत व्यक्त करती है।
- (च) कंपनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हम अपनी राय तथा अपनी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं कि:
- (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभावों का प्रकटन किया है - टिप्पणी संख्या 34 (लेखे पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां) - बिंदु सं.1(क)(i) और बिंदु सं.2(क) देखें।
- (ii) कंपनी की दीर्घकालीन संविदाओं के लिए भावी ठोस अनुमान योग्य हानियां नहीं हैं और इसलिए कंपनी पर लागू होने के संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने की अपेक्षा वाली कोई राशि नहीं है।
- (iv) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
- (v) (क) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(यों), जिसमें में विदेशी इकाइयां ('मध्यवर्ती') भी शामिल हैं, कोई धनराशि (जो या तो पृथक रूप से या समेकित रूप से भौतिक है) प्रदान नहीं की गई है अथवा ऋण पर नहीं दी गई है (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या धनराशि के किसी अन्य स्रोत से), जिसमें यह इस समझ शामिल है, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि सहायक कंपनियाँ किसी भी रूप से, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष,

पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से उधार देंगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ख) प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह सूचित किया है कि लेखाओं के लिए टिप्पणी में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या इकाई(यों) से कोई धनराशि (जो या तो पृथक रूप से या समेकित रूप से भौतिक है) प्राप्त नहीं हुई है जिसमें विदेशी इकाइयां (वित्तपोषण पक्षकार) भी शामिल हैं, जिसमें यह समझ भी सम्मिलित है कि कंपनी वित्तपोषण पक्षकार ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य व्यक्तियों या इकाइयों को किसी भी तरह से या उधार देंगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) परिस्थितियों में तर्कसंगत और उपयुक्त समझी गई हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उपखंड (v)(क) और (v)(ख) के तहत प्रस्तुतियों की कोई भी भौतिक गलतबयानी शामिल है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाते की बहियों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल {एडिट लॉग} सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुई है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे समक्ष ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई भी मामले सामने नहीं आया।

चूंकि यथासंशोधित कंपनी {लेखा} नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक केवल 1 अप्रैल 2023 से कंपनी पर लागू है, इसलिए कंपनी {लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक} नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(vii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश को घोषित नहीं किया है या उसका भुगतान नहीं किया है और वर्ष के लिए कोई अंतिम लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है।

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए विरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

(एमआरएन : 088730)

यूडीआईएन : 24088730बीकेईएक्सडब्ल्यूपी7992

दिनांक : 07 मई, 2024

स्थान : जम्मू

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-"क"

(हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित **अनुलग्नक "क"** के संदर्भ में, हम कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

(i) (क) (अ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(आ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

(ख) कंपनी के पास चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को शामिल करने के लिए भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, कंपनी की कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान एक बार बाहरी एजेंसी के माध्यम से प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सभी अचल संपत्तियों, जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है, (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) के शीर्षक विलेख, निम्नलिखित अचल संपत्तियों को छोड़कर, कंपनी के नाम पर धारित हैं:

संपत्ति/ परियोजना का विवरण	सकल वहन मूल्य (करोड़ में)	किसके नाम पर धारित है	क्या प्रमोटर निदेशक या उनके संबंधी अथवा कर्मचारी है	धारित अवधि, जहां उचित हो रेंज निर्दिष्ट करें	कंपनी के नाम पर धारित नहीं होने के कारण
भूमि/ पकल दुल (177.8175 हेक्टेयर)	242.10	राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) सीवीपीपीपीएल के माध्यम से (पकल दुल)	नहीं	वित्तीय वर्ष 2015-16 से अद्यतन तिथि तक	संविधान के अनुच्छेद 370 (अब अगस्त 2019 में निरस्त) के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए सीवीपीपीपीएल (पकल दुल) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू- कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के लीजहोल्ड में परिवर्तन और इसका म्यूटेशन किया गया है।
भूमि/ किरु (92.9575 हेक्टेयर)	134.64	राज्यपाल (जम्मू एवं कश्मीर) सीवीपीपीपीएल के माध्यम से (किरु)	नहीं	वित्तीय वर्ष 2017-18 से अद्यतन तिथि तक	संविधान के अनुच्छेद 370 (अब अगस्त 2019 में निरस्त) के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए सीवीपीपीपीएल (किरु) के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के लीजहोल्ड में परिवर्तन और इसका म्यूटेशन किया गया है।

भूमि/ ढ्कार (38.15 हैक्टेयर)	46.67	जम्मू एवं कश्मीर राज्यक्षेत्र सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीपीएल (ढ्कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का म्यूटेशन किया गया है। सहायक राजस्व आयुक्त किशतवाड़ द्वारा जारी दिनांक 15.07.2023 के पत्र के अनुसार भूमि फ्रीहोल्ड है।
------------------------------------	-------	--	------	---	--

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के विरुद्ध "बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। । तदनुसार आदेश के खंड 3 (i) (ड.) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) (क) कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है और इस प्रकार इसके पास कोई वस्तु-सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii)(क) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय पर वर्तमान आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से समेकित रूप से 5 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी की मंजूरी नहीं दी गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, अथवा कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी भी अन्य पक्षकार को प्रतिभूति या गैर-प्रतिभूति ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं प्रदान किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क) से 3(iii)(च) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने न तो कोई निवेश किया है, न ही ऋण दिया है या न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 185 के अंतर्गत निर्दिष्ट है तथा कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, जैसाकि कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट है। इसलिए आदेश के खंड 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई भी जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा संचालित किए जाने वाले व्यावसायिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेख का अनुरक्षण निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसलिए, आदेश के खंड (vi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सहित निर्विवाद सांविधिक बकायों को कंपनी द्वारा समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक बकायों सहित कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया देय नहीं है तथा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कोई अन्य सांविधिक बकाया, उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाए के रूप में नहीं था।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर या उपकर या से संबंधित कोई सांविधिक बकाया या कोई अन्य वैधानिक बकाया जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

सांविधि का नाम	देयों की प्रकृति	अवधि जिससे संबंधित है	फोरम जहां मामला लंबित है	सकल विवादग्रस्त राशि (करोड़ रुपए में)	सविरोध के तहत जमा की गई राशि (करोड़ रुपए में)
सीजीएसटी और जम्मू एवं कश्मीर एसजीएसटी अधिनियम 2017	सीजीएसटी/एसजीएसटी	2018-19	आयुक्त (अपील) जीएसटी के पास दायर किए जाने के लिए अपील प्रक्रियाधीन है।	2.46	शून्य
	सीजीएसटी/एसजीएसटी	2019-20		0.03	शून्य
	सीजीएसटी/एसजीएसटी	2021-22		0.73	शून्य
कुल				3.22	शून्य

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई ऐसा संव्यवहार नहीं हुआ है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच और कंपनी के वित्तीय विवरणों की प्रारंभिक जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण को मंजूरी की शर्तों के अनुसार प्रयुक्त किया है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच किए जाने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए खंड 3(ix)(घ) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी की कोई अनुषंगी और/या सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, या सहयोगी कंपनियों (जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है) में रखी गई प्रतिभूतियों के बंधक पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण दस्तावेज़ सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (क) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखापरीक्षा पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के पास प्ररूप एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है, जैसाकि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 में निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी को कोई सूचना प्रदाता शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii)(ख) और 3(xii)(ग) के अंतर्गत इस संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन करती है तथा संबंधित पक्षकार लेनदेन के विवरणों का प्रकटीकरण को लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए कंपनी को जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1क के तहत रजिस्ट्रीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम सूचित करते हैं कि कंपनी ने अवधि के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

(xvii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों के समग्र परीक्षण पर, हम सूचित करते हैं कि, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा वित्तीय अनुपात, समयावधि में वृद्धि और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजना के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर तथा धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी तात्विक अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी तुलन-पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जब भी वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हों। हालांकि, हम यह सूचित करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन कर दिया जाएगा जब वे देय हो जाती हैं।

(xx) प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार,

(क) चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 5,000/- रुपये की अव्ययित (खर्च न की गई राशि) राशि मौजूद है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुपालन में उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) किसी चालू परियोजना के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत व्यय नहीं की गई राशि को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के उपबंध के अनुपालन में विशेष लेखे को अंतरित किया गया है।

(xxi) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए विरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

(एमआरएन: 088730)

यूडीआईएन : 24088730बीकेईएक्सडब्ल्यूपी7992

दिनांक : 07 मई, 2024

स्थान : जम्मू

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित एकल वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं जो कार्य का उचित और कार्यकुशल संपादन सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहे थे। इनमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों का निवारण और अन्वेषण, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के अंतर्गत यथा अविश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से प्रस्तुत करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा परामर्शी नोट और लेखांकन संबंधी मानकों, दोनों आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसार की है और इसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित माना गया है। इन मानकों तथा परामर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिकतापूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना तथा निष्पादन इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन को प्राप्त करने के लिए करें कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी वास्तविक संबंध में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहा था।

हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनरत प्रभावोत्पादकता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई वास्तविक कमजोरी विद्यमान है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के इस निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें एकल वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी से हुई हो अथवा त्रुटि से, के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

किसी कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में एक तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। किसी कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो कि (1) ऐसे रिकार्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जिनमें तर्कसंगत रूप से ब्यौरे के साथ, सटीकता तथा उचित रूप से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा स्थिति को दर्शाया गया हो; (2) इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देती हो कि दर्ज किए गए लेन-देन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप ही किए गए हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव होने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत खरीद, उपयोग अथवा निपटान का समय से पता लगाने तथा रोकने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराती हो।

एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की निहित सीमाओं में, नियंत्रणों से ऊपर सांठ-गांठ या अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वास्तविक गलत बयानी होना तथा जिसका पता नहीं भी चल सकता, शामिल है। साथ ही भविष्य की अवधियों हेतु एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण इस जोखिम के अध्यधीन है कि एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थितियों में बदलाव, के चलते अपर्याप्त हो सकती है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की स्थिति खराब हो सकती है।

मत

हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी वास्तविक पहलुओं के संबंध में एक पर्याप्त एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और यह एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था, जो आईसीएआई द्वारा जारी एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में बताया गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित है।

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए विरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

(एमआरएन : 088730)

यूडीआईएन : 24088730बीकेईएक्सडब्ल्यूपी7992

दिनांक : 07 मई, 2024

स्थान : जम्मू



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [पी] लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2024 के अनुसार तुलन-पत्र

(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
परिसंपत्तियां			
(1) गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	2.1	14,678.92	10,732.61
ख) प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य	2.2	4,91,351.11	2,97,673.82
ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां	2.3	78,815.39	79,809.90
घ) निवेश सम्पत्ति	2.4	-	-
ङ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2.5	79.40	14.97
च) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	2.6	106.42	106.42
छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	3.1	-	-
ii) प्राप्य व्यापार	3.2	-	-
iii) ऋण	3.3	88.70	8.98
iv) अन्य	3.4	18.44	137.72
ज) गैर वर्तमान कर आस्तियां (शुद्ध)	4	11.03	6.34
झ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	5	51,291.49	63,004.12
कुल गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां		6,36,440.90	4,51,494.88
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) मालसूची	6	-	-
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i) निवेश	7.1	-	-
ii) व्यापार प्राप्य	7.2	-	-

iii) नकदी और नकदी तुल्य	8	28,582.97	48,065.47
iv) नकदी और नकदी तुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष	9	2,811.00	23,565.00
v) ऋण	10	89.50	37.85
vi) अन्य	11	26,203.81	12,788.65
ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)	12	-	-
घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	13	407.30	2,440.30
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		58,094.58	86,897.27
(3) बिक्री के लिए धारित		1.76	3.33
(4) नियामक विलंबित लेखा डेबिट शेष	14	52.31	56.37
कुल परिसंपत्ति		6,94,589.55	5,38,451.85
इक्विटी और देयताएं			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15.1	4,45,034.13	3,69,239.13
(ख) अन्य इक्विटी	15.2	31,899.47	30,384.28
कुल इक्विटी		4,76,933.60	3,99,623.41
(2) देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	16.1	60,987.31	38,454.67
ik) पट्टा देयताएं	16.2	21.12	54.72
ii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.3	10.32	117.46
ख) प्रावधान	17	1,440.05	1,192.11
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	-	-
घ) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	19	1,07,769.64	66,726.48
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		1,70,228.44	1,06,545.44
(3) वर्तमान देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) ऋण	20.1	-	-
ik) पट्टा देयताएं	20.2	69.46	94.67

ii) व्यापार देय	20.3		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		129.25	119.76
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		287.21	203.77
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	31,406.42	19,191.33
ख) अन्य वर्तमान देयताएं	21	2,057.06	1,616.83
ग) प्रावधान	22	13,478.11	11,056.64
घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	23	-	-
(4) सीओ से निधियां	15.3	-	-
कुल वर्तमान देनदारियाँ		47,427.51	32,283.00
(5) नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	14.2	-	-
कुल इक्विटी और देयताएं		6,94,589.55	5,38,451.85

एकल वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां	1-34		
		कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से	
		हस्ता./-	हस्ता./-
कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी		(सुरेश कुमार)	(रमेश मुखिया)
चार्टर्ड एकाउंटेंट		अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक
(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)		डीआईएन संख्या	डीआईएन संख्या
		06440021	10415607
हस्ता./-		हस्ता./-	हस्ता./-
(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)		(संजय कुमार गुप्ता)	(सुधीर आनंद)
साझेदार		महाप्रबंधक (वित्त)	कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 088730			एफसीएस 7050
स्थान: जम्मू			
दिनांक : 07 मई, 2024			



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
i) प्रचालनों से राजस्व	24.1	-	-
ii) अन्य आय	24.2	3,575.40	5,346.69
कुल आय		3,575.40	5,346.69
व्यय			
i) विद्युत की खरीद – व्यापार	25.1	-	-
ii) उत्पादन व्यय	25.2	-	-
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,058.05	1,114.22
iv) वित्त लागत	27	5.67	1.57
v) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	28	78.83	60.12
vi) अन्य व्यय	29	461.75	356.66
कुल व्यय		1,604.30	1,532.57
असाधारण मदों, नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		1,971.10	3,814.12
असाधारण मदें		-	-
नियामक आस्थगित लेखा शेष और कर पूर्व लाभ		1,971.10	3,814.12
कर व्यय			
i) वर्तमान कर	30.1	898.85	1,345.35
ii) आस्थगित कर		-	-

कुल कर व्यय		898.85	1,345.35
नियामक विलंबित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ		1,072.25	2,468.77
नियामक विलंबित लेखा शेष में संचलन (कर का निवल)	31	(4.06)	45.77
वर्ष के लिए लाभ (क)		1,068.19	2,514.54
अन्य व्यापक आय (ख)	30.2		
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर का निवल)			
(क) रोजगार-पश्चात लाभ दायित्वों का पुनः मापन		-	-
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		-	-
- विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन - निर्धारित रोजगार-पश्च लाभ दायित्वों का पुनर्मापन		-	-
घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		-	-
उप जोड़ (क)		-	-
(ख) इक्विटी लिखतों में निवेश		-	-
उप जोड़ (ख)		-	-
कुल (i)=(क)+(ख)		-	-
(ii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा (कर का निवल)			
- ऋण लिखतों में निवेश		-	-
कुल (ii)		-	-
अन्य व्यापक आय (ख)=(i+ii)		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ ख) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय को शामिल करते हुए)		1,068.19	2,514.54
प्रति शेयर आय (मूल एवं कम किया गया) (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/-रुपए प्रत्येक)	34(11)		

विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन से पूर्व	0.0262	0.0681
विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन के पश्चात	0.0261	0.0694
वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां	1-34	

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

सदस्यता सं. 088730

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./-

(सुरेश कुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या

06440021

हस्ता./-

(संजय कुमार गुप्ता)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(रमेश मुखिया)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या

10415607

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

स्थान: जम्मू

दिनांक : 07 मई, 2024



चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
सीवीपीपी, जम्मू
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह का विवरण

(सीआईएन: यू40105जेके2011जीओआई003321)

(राशि लाख में)

		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
क.	प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन सहित वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ		1967.04		3859.89
	घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन		(4.06)		45.77
	कर पूर्व लाभ		1971.10		3814.12
	जोड़ें :				
	मूल्यहास और परिशोधन	78.83		60.13	
	वित्त लागत (ईएसी का निवल)	5.67		1.57	
	विनिमय दर अंतर (हानि)	4.70		37.01	
	संपत्ति की बिक्री पर हानि/ (लाभ)/बट्टे खाते में डाले गए दावे	13.65		11.02	
	उचित मूल्य समायोजन	0.02		-	
			102.87		109.73
			2073.97		3923.85
	घटाएं :				
	मूल्यहास के पश्चलेखित अग्रिम	-		-	
	प्रावधान (निवल लाभ)	-		0.07	
	लाभांश आय	-		-	
	ब्याज आय और गारंटी शुल्क	3575.45		5346.70	
	विनिमय दर अंतर (लाभ)	-		-	
	उचित मूल्य समायोजन	-		(0.02)	
	सरकारी अनुदानों का परिशोधन	-			
			3575.45		5346.75
	प्रचालनरत परिसंपत्तियों तथा देयताओं के समायोजनों एवं करों से पूर्व प्रचालनरत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		(1501.48)		(1422.90)

	प्रचालनरत परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन:			
	मालसूची	-	-	
	व्यापार प्राप्तियां	-	-	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	(27.50)	(35.44)	
	अन्य वित्तीय देयताएं और प्रावधान	41.41	92.06	
	नियामक विलंबित लेखा क्रेडिट शेष	4.06		
			17.97	56.62
			1483.51	(1366.28)
	कर पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
	घटाएं : अदा किया गया कर		907.65	1268.20
	प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)		(2391.16)	(2634.48)
ख.	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां, सीडब्ल्यूआईपी और परियोजना लागत का भाग होने वाले विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में संचलन - अनुदान का निवल		(182766.69)	(135364.14)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री		-	-
	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		-	-
	सहायक कंपनियों को ऋण (निवल)		-	-
	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को ऋण पर ब्याज (निवल)		-	-
	सावधि जमा में निवेश		20754.00	42046.55
	लाभांश आय		-	-
	ब्याज आय और गारंटी शुल्क		8402.90	14128.11
	निवेश क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ख)		153609.79	(79189.48)
ग.	वित्तीय क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
	इक्विटी शेयरों का निर्गम/पुनःखरीद, प्रतिभूति प्रीमियम सहित		76242.00	48063.00
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां		60422.00	42492.00

	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां		-	-
	उधार की चुकौती		-	
	ब्याज और वित्त प्रभार		(37.00)	(0.01)
	पट्टा देयता की मूलधन चुकौती		(101.19)	(90.05)
	पट्टा देयता पर अदा किया गया ब्याज		(7.36)	(8.42)
	वित्तीय क्रियाकलापों से/में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह (ग)		136518.45	90456.52
घ.	नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(19482.50)	8632.56
	वर्ष की प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		48065.47	39,432.91
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष #		28582.97	48,065.47

- नकदी प्रवाह का उपरोक्त विवरण इंड एस 7 - "नकदी प्रवाह का विवरण" में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।
- पूर्व अवधि के लिए आंकड़े जहां-कहीं आवश्यक हो पुनःसमूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/ पुनःवर्गीकृत/ पुनः कथित किए गए हैं।

नकदी प्रवाह के विवरण के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. नकद और नकद समतुल्य में तीन माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा सहित हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट और बैंक शेष शामिल हैं। नकद और नकद समकक्षों का विवरण निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
बैंकों के पास शेष राशि		
अनुसूचित बैंकों के पास :		
- चालू खाते में	<u>2,582.97</u>	<u>3,715.47</u>
- जमा खाते में	<u>26,000.000</u>	<u>44,350.00</u>
(तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)		
हस्तगत नकदी	-	-
नकद और नकदी समतुल्य	<u>28,582.97</u>	<u>48,065.47</u>

2. वित्त-पोषण क्रियाकलापों में नकदी प्रवाह में ब्याज और वित्त प्रभार में निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) के कारण अवधि के दौरान पूंजीकृत शून्य लाख रूपए (पिछले वर्ष शून्य लाख रूपए) की ऋण लागत शामिल है।
3. 31.03.2024 को आहरित नहीं किए गए ऋण की राशि : शून्य लाख रूपए (पिछले वर्ष शून्य लाख रूपए) है।
4. कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के कारण 14.70 लाख रूपए नकदी (पिछले वर्ष 20.65 लाख रूपये) व्यय किया है।

5. निवल ऋण पुनर्मिलान :-

(लाख रुपए में)

	31/03/2024	31/03/2023
ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	60987.31	38454.67
पट्टा देयता	90.59	149.39
कुल	61077.90	38604.06

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **		
	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल	* ऋण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)	पट्टा देयता	कुल
1 अप्रैल को प्रारंभिक निवल ऋण	38454.67	149.39	38604.06	20,813.34	129.05	20942.39
ऋण से प्राप्तियां	60422.00	-	60422.00	42,492.00	-	42492.00
ऋण/पट्टा देयता की चुकौती	-	(101.19)	(101.19)	-	(90.05)	(90.05)
ब्याज और वित्त प्रभार	(37.00)	(7.36)	(44.36)	(0.01)	(8.42)	(8.43)
अन्य गैर-नकदी संचलन		-	0.00	-	-	0.00
- पट्टा देयता में वृद्धि	-	42.39	42.39	-	110.39	110.39
- विदेशी मुद्रा समायोजन	-	-	0.00	-	-	0.00
- ब्याज और वित्त प्रभार	37.00	7.36	44.36	0.01	8.42	8.43
- उचित मूल्य समायोजन	(37889.36)	-	(37889.36)	(24850.67)	-	(24850.67)
31 मार्च को अंतिम निवल ऋण	60,987.31	90.59	61,077.91	38,454.67	149.39	38,604.06

* ऋण के लिए टिप्पणी 16.1, 20.1 और 20.4 देखें

एकल वित्तीय विवरणों से संलग्न टिप्पणियां

1-34

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

सदस्यता सं. 088730

स्थान: जम्मू

दिनांक : 07 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./-

(सुरेश कुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या

06440021

हस्ता./-

(संजय कुमार गुप्ता)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(रमेश मुखिया)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या

10415607

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव

एफसीएस 7050

31 मार्च , 2024 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी संख्या	टिप्पणी संख्या	राशि लाख रुपए में
1 अप्रैल 2023 के अनुसार	15.1	15.1	369.239.13
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन			
1 अप्रैल 2023 को पुनर्कथित शेष राशि		15.1	369.239.13
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन			75,795.00
31 मार्च 2024 के अनुसार	15.1	15.1	445,034.13

अन्य इक्विटी

(लाख रुपये में)

विवरण	पूंजी आरक्षित	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय			कुल
		आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि	पूंजी मोचन आरक्षित	बांड मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	अधिशेष/प्रतिधारित आय	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखत	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी लिखत	
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	-	22,469.00	-	-	-	7,915.28	-	-	30,384.28
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ									
1 अप्रैल 2023 को पुनः कथित शेष राशि			-	-	-	7,915.28	-	-	30,384.28
वर्ष के लिए लाभ			-	-	-	1,068.19	-	-	1,068.19
अन्य व्यापक आय			-	-	-	-	-	-	-

वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	1,068.19	-	-	1,068.19
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	76,242.00							76,242.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	75,795.00							75,795.00
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद के लिए उपयोग								-
इक्विटी शेयरों की पुनः खरीद पर व्यय के लिए उपयोग					-			-
प्रतिधारित आय को अंतरण								-
बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरित की गई राशि			-	-	-			-
लाभांश								
लाभांश पर कर			-	-	-			-
अनुसंधान एवं विकास कोष से पश्चलेखित की गई राशि			-	-	-			-
बॉन्ड मोचन आरक्षित को अंतरण			-	-	-			-
31 मार्च 2024 के अनुसार शेष राशि	-	22,916.00	-	-	-	8,983.47	-	31,899.47

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट
 (फर्म पंजीकरण संख्या 0038245एन)
 हस्ता./-
 (सीए विरेन्द्र के. मैनी)
साझेदार
 सदस्यता सं. 088730

हस्ता./
 (संजय कुमार गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-
 (रमेश मुखिया)
प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 10415607

टिप्पणी सं. 1 : कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(1) रिपोर्टिंग कंपनी

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड ("कंपनी"), एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है और भारत में अधिवासित है (सीआईएन : यू40105जेके2011जीओआई003321)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, चिनाब जल शक्ति भवन, सरस्वती धाम के सामने, रेल हेड परिसर, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र-180012 है। यह कंपनी मुख्य रूप से विद्युत का उत्पादन एवं विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं के साथ विद्युत की थोक बिक्री में शामिल है।

(2) तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

इन एकल वित्तीय विवरणों को लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) तथा तत्संबंधी परवर्ती संशोधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित तथा लागू सीमा तक), कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं

कंपनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 07 मई, 2024 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं :

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजना परिसंपत्ति।

उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की चर्चा टिप्पणी संख्या 33 में की गई है।

ऐतिहासिक लागत नकद या नकद समतुल्य की राशि है अथवा उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियां अधिग्रहित करने के लिए दिए गए प्रतिफल का उचित मूल्य है अथवा दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, अथवा नकद या नकद समतुल्य की अपेक्षित राशि पर व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में दायित्व को पूरा करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त होता है अथवा मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी दायित्व के अंतरण के विधिवत लेन-देन के प्रति अदा किया जाता है।

ग) नए और संशोधित मानकों को लागू करना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2023, अधिसूचित किया गया है जिसमें भारतीय लेखांकन मानकों में कतिपय संशोधन किए गए हैं और ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है। प्रमुख संशोधनों और कंपनी पर उनके प्रभाव का सारांश नीचे दिया गया है:

- (1) **लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण - इंड एस 1 में संशोधन - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति** : इस संशोधन के तहत संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी वास्तविक लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना आवश्यक है। ये संशोधन परिभाषित करते हैं कि 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना' क्या है (वह सूचना जो किसी संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य सूचनाओं के साथ विचार किए जाने पर, सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है) और यह बताते हैं कि लेखांकन नीति सूचना के महत्वपूर्ण होने की पहचान कैसे की जाए। वे आगे स्पष्ट करते हैं कि

महत्वहीन लेखांकन नीति सूचना का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रकटीकरण किया जाता है, तो उन्हें महत्वपूर्ण लेखांकन सूचना को अस्पष्ट नहीं करना चाहिए।

कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को उचित रूप से संशोधित किया है। इन संशोधनों का पूर्व अवधियों में मान्यताप्राप्त राशियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है और वर्तमान या भविष्य की अवधियों पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

- (2) **लेखांकन अनुमानों की परिभाषा - इंड एस 8 में संशोधन - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ:** संशोधन स्पष्ट करता है कि संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से कैसे अलग करना चाहिए। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन भविष्य के संव्यवहारों और अन्य भविष्य की घटनाओं पर संभावित रूप से लागू होते हैं, जबकि लेखांकन नीतियों में परिवर्तन आम तौर पर विगत संव्यवहारों और अन्य पिछली घटनाओं (साथ ही वर्तमान अवधि) पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं।

कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

एकल संव्यवहार से उत्पन्न आस्तियों और देयताओं से संबंधित आस्थगित कर - इंड एस 12 में संशोधन-आयकर: इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है, जिससे कि यह उन संव्यवहारों पर लागू न हो जो समान और अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं।

कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

- (3) अन्य मानकों में संशोधन/आशोधन या तो लागू नहीं होते हैं अथवा उनका वित्तीय विवरणों पर कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

घ) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण संबंधी मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कंपनी के लिए भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है। तथापि, यूनिट स्तर पर आंकड़ों को रुपए (पूर्णांक संख्या) में प्रस्तुत किया गया है।

ड) अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

इंड एस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन द्वारा ऐसे निर्णय, अनुमान तथा मान्यताओं को लेना अपेक्षित होता है जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और तुलन-पत्र तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय, व्यय तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं सहित संबंधित प्रकटीकरणों के सूचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में तर्कसंगत तथा विवेकसम्मत माने गए अन्य कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान तथा आधारभूत मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता तथा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई राशियों पर काफी प्रभाव हो, उसे निम्नलिखित टिप्पणियों में शामिल किया गया है:

महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान

क) पट्टे

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड-एस 116, की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने के योग्य है। कोई भी अनुबंध पट्टा होता है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी अवधि के लिए किसी पहचान की

गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

कंपनी पट्टे की अवधि (प्रत्याशित नवीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में भी महत्वपूर्ण निर्णय का भी उपयोग करती है।

ख) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां

परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और अमूर्त आस्तियां अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें पुराने पड़ जाने का असर, मांग, प्रतिस्पर्द्धा, और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति की स्थिरता) तथा आस्ति से भविष्य में अनुमानित नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिये आवश्यक रखरखाव व्यय का स्तर शामिल है।

विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग में लायी जाने वाली आस्तियों का उपयोगी जीवन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) शुल्क विनियमों से निर्धारित होता है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 के भाग बी में उल्लिखित है, सिवाय निर्माण संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर तथा कंप्यूटर से जुड़ी चीजों के, जिनका निर्धारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-11 में उल्लिखित उपयोगी जीवनकाल के अनुसार है और मोबाईल फोन जो प्रबंधन के आकलन के अनुसार होता है।

ग) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य और अमूर्त आस्तियों की वापस मिल सकने योग्य राशि अनुमानों और आकलनों पर आधारित होती है, विशेष रूप से बाजार का अनुमानित स्वरूप और बिजली संयंत्रों से जुड़ा भविष्य का नकदी प्रवाह। इन अनुमानों में किसी भी बदलाव का, वापस मिल सकने योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है जो क्षति में बदल सकता है।

घ) सेवानिवृत्ति के बाद की लाभ योजनाएं

कर्मचारियों के लिये लाभ देयताओं का मापन बीमांकित मान्यताओं के आधार पर होता है जिसमें मृत्यु और आहरण दरों के साथ साथ छूट दरों में भविष्य के बदलावों से संबंधित मान्यताएँ, वेतन वृद्धि की दर, मुद्रा स्फीति दर और योजना आस्तियों पर रिटर्न की अनुमानित दर शामिल है। कंपनी का मानना है कि इन देयताओं के मापन के लिये प्रयुक्त मान्यताएं उपयुक्त हैं और प्रलेखित हैं। हालांकि इन मान्यताओं में किसी बदलाव का परिणामी गणना पर प्रभाव पड़ सकता है।

ङ) राजस्व

कंपनी इंड एस 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के सिद्धांतों के अनुसार सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रभार के आधार पर बिजली विक्रय से राजस्व दर्ज करती है। हालांकि जहां शुल्क दरें अभी अनुमोदित की जानी है, वहां व्यवहार्य सीईआरसी शुल्क विनियमों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दरे अपनायी जाती हैं। इसके अलावा जहां लागत अनुमानों की समीक्षा के कारण शुल्क समीक्षा लंबित है, शुल्क की संगणना सीईआरसी शुल्क विनियम के तहत निर्धारित मानकों और विधियों के आधार पर की जाती है और सीईआरसी को आवेदन देने और अनुमोदन मिलने के बाद कि मान्य राजस्व में कोई नकारात्मक समायोजन नहीं होगा, राजस्व की अनुमानित राशि मान्य की जाती है।

च) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को मान्य करने में इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार आकलन किये गये हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन आर्थिक संसाधनों के

संभावित आउटफ्लो के संबंध में प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। यह अनुमान निम्नलिखित अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकता है।

छ) दर विनियमित परिसंपत्तियों की वसूली-योग्य राशि

कंपनी की प्रचालनरत गतिविधियां सेवा लागत विनियमों के अधीन हैं जिससे उत्पादित बिजली के लिये प्रभारित शुल्क अनुमति योग्य लागतों पर आधारित होता है जैसे - ब्याज लागत, हास, परिचालन और रखरखाव और नियत रिटर्न। आईसीएआई (पहले जीएएपी) और इंड एस 114- 'नियामक आस्थगित खाता' किसी कंपनी को दर आधार में स्व निर्मित पीपीई या आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों की लागत का एक हिस्सा सम्मिलित करने की अनुमति देता है, जिस राशि को अन्यथा इंड एस के अनुसार लाभ हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्य किया जाता। कंपनी का अनुमान है कि वित्तीय विवरणियों में मान्य नियामक आस्थगित खातों के मद मौजूदा सीईआरसी शुल्क विनियम 2019-24 के अनुसार वसूली योग्य हैं। हालांकि, मौजूदा अवधि के बाद सीईआरसी शुल्क विनियमों में बदलाव ऐसे शेष की वसूली को प्रभावित कर सकती है।

ज) व्यापार प्राप्यों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिये ऐतिहासिक जमा हानि अनुभवों पर विचार करते हुए कंपनी लाभार्थियों से प्राप्यों के मूल्य में न तो क्षति की परिकल्पना करता है और न ही व्यापार प्राप्यों की मान्यता में विलंब के कारण धन के समय मूल्य को लेकर हानि की, सिवाय पहले से प्रावधान की गयी सीमा तक। सीईआरसी टैरिफ विनियमों में विलंबित भुगतानों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार की वसूली का प्रावधान है, जो पहले से उपबंधित सीमा को छोड़कर, धन की समय-मूल्य के कारण होने वाली हानि की भरपाई करता है।

झ) वसूली योग्य बीमा दावा

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा जारी पूंजीगत कार्य में किसी नुकसान के संदर्भ में बीमा दावों की वसूली योग्य राशि बीमा पॉलिसी के नियम और शर्तों आंकलन और अनुमानों तथा पूर्व के अनुभव पर आधारित बीमा कंपनी से प्राप्य राशि के प्रबंधन के अनुमान पर आधारित है।

ञ) कार्बन क्रेडिटों/प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों (सीईआर)/सत्यापित कार्बन इकाइयों (वीसीयू) की लागत

कार्बन क्रेडिट/प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर)/सत्यापित कार्बन इकाइयों (वीसीयू) की लागत का मापन प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किया जाता है।

ट) विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियां:

इंड एस105 - 'विक्रय के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां और बंद किए गए परिचालन' के अंतर्गत विक्रय के लिए धारित गैर-चालू आस्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रयोजनीयता का आकलन करने में, प्रबंधन तत्काल विक्रय के लिए आस्ति की उपलब्धता, विक्रय के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर विक्रय की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग करता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या उनकी वहन राशि निरंतर उपयोग के माध्यम से वसूल किए जाने के स्थान पर मुख्य रूप से उसके विक्रयसंव्यवहार के माध्यम से वसूल की जाएगी।

(III) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार, जैसा कि नीचे दिया गया है, वित्तीय विवरणियों में दी गयी सभी अवधियों में लगातार लागू किया गया है। ये लेखांकन नीतियां इस तरह तय की गयी हैं जिनसे लेनदेन, अन्य संदर्भ और स्थितियों, जिनपर ये लागू होती हैं, के बारे में संबद्ध और विश्वसनीय सूचना के साथ वित्तीय विवरणियां उपलब्ध होती हैं। यदि इन नीतियों को लागू किये जाने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो तो इन्हें अपनाये जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है।

31 मार्च 2015 तक परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियां और निवेश संपत्तियां तुलन पत्र में भारतीय जीएएपी के अनुसार दर्शायी जाती थी। कंपनी ने इंड एस 101 द्वारा दी गयी छूट प्राप्त करने का निर्णय लिया, "पहली बार इंड एस अपनाए पर इंड एस में ट्रेजिशन की तिथि (1 अप्रैल 2015) को पूर्व राशि को डीमड लागत मानी गयी। इस प्रकार पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जारी पूंजीगत कार्य, अमूर्त आस्तियों और निवेश संपत्तियों की वहनीय राशि, इंड एस में आने के बाद बनाये रखी गयी।

1.0 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

क) पीपीई का कोई भी मद तभी आस्ति के रूप में मान्य होता है जब संभावना हो कि भविष्य में इससे जुड़ा आर्थिक लाभ कंपनी को जायेगा और मद की लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकेगा।

ख) आरंभ में पीपीई का मापन, जहां अपेक्षित हो हटाये जाने या बहाल किये जाने की लागत सहित अधिग्रहण/निर्माण लागत पर होता है। इस लागत में आस्ति के अधिग्रहण/निर्माण पर सीधे होने वाला व्यय भी शामिल है। उन मामलों में जहां ठेकेदारों के साथ बिल का समायोजन लंबित है लेकिन आस्ति, प्रबंधन की अपेक्षानुसार तैयार है और परिचालन के लिये उपलब्ध है, पूंजीकरण अनुमानित आधार पर किया जाता है, जो मध्यस्थता/अदालती मामले निपटाने से उपजी स्थितियों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

ग) अनुवर्ती लागतों को आस्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि उपगत की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ) पावर स्टेशन का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पूरा हो जाने के बाद पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर हुआ व्यय, मान्य किये जाते समय संबंधित आस्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिये अधिगृहीत पीपीई को पूंजीकृत किया जाता है और प्रतिस्थापित तथा सक्रिय उपयोग से हटाई गई /अभ्यर्पित कर दी गयी परिसंपत्तियां अमान्य कर दी जाती हैं।

ङ) आरंभिक मान्यता के बाद संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संचित हास/परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होते हैं।

च) कब्जे में होने वाली भूमि से संबंधित मुआवजे (निर्णय की तिथि तक अदालत द्वारा दिए गए वृद्धित मुआवजे पर ब्याज सहित), पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं संबंधी व्यय सहित अन्य व्ययों के प्रति अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/सृजित देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

छ) वे परिसंपत्तियां जिनपर कंपनी का नियंत्रण है, कंपनी के नियंत्रण में नहीं आने वाली भूमि पर सृजित होने के बावजूद, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल मानी जायेंगी।

ज) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मान्यता के तहत आने वाले, तैयार रखे गये और सेवारत उपकरण पूंजीकृत किये जाते हैं।

झ) स्पेयर पार्ट (संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गये), जो मान्यता की शर्तें पूरी करते हैं, पूंजीकृत किये जाते हैं। उन स्पेयर पार्ट की वहनीय राशि, जो प्रतिस्थापित किये गये हैं, विमान्य कर दी जाती है, जब उनके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो। माल -सूची का भाग होने वाले अन्य स्पेयर पार्ट्स को "स्टोर और स्पेयर्स " माना जाता है।

ञ) उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और नवीकरण पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब वह परिसंपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करता है। पिछले निरीक्षण और नवीकरण की लागत की किसी भी शेष वहन राशि को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

ट) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग के प्रतिस्थापन की लागत को उस भाग की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि भाग में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को इस बात पर ध्यान दिए बिना अमान्य कर दिया जाता है कि प्रतिस्थापित भाग का अलग से मूल्यहास किया गया है या नहीं। यदि प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है, तो कंपनी प्रतिस्थापन की लागत को इस बात के संकेत

के रूप में उपयोग करती है कि अधिग्रहित या निर्मित किए जाने के समय प्रतिस्थापित भाग की लागत क्या थी। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ और हानि के विवरण में तब मान्यता दी जाती है, जब वह उपगत की जाती है।

ज) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद को उसके निस्तारण पर विमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। परिसंपत्ति को विमान्य किये जाने पर होने वाला कोई लाभ या हानि को (निवल निस्तारण और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में संगणित) लाभ और हानि विवरणी में शामिल की जाती है जब परिसंपत्ति को विमान्य कर दिया जाता है।

2.0 चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडबल्यूआईपी)

क) निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को सीडबल्यूआईपी के अंतर्गत लागत पर किया जाता है। ऐसी लागत में आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय करों (व्यापार छूट तथा छूट की कटौती के पश्चात) सहित परिसंपत्तियों का खरीद मूल्य, परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच क्रियाकलापों के संबंध में व्यय, स्थल तैयार किए जाने की लागत, प्रारंभिक डिलीवरी तथा सारसंभाल प्रभार, संस्थापना तथा संयोजन लागतें आदि शामिल होती हैं।

ख) लागतों में कर्मचारी हितलाभ, व्यावसायिक शुल्क, आम जन सुविधाओं के रख-रखाव तथा उन्नयन पर व्यय, परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास, निर्माण के दौरान ब्याज तथा परिसंपत्तियों को स्थल पर लाने तथा प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से प्रचालन करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीधे आरोप्य अन्य लागतों को "निर्माण पर आरोप्य व्यय (ईएसी)" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा बाद में परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दी जाती है। चालू होने से पहले की निवल आय/व्यय सीधे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

ग) सुविधाओं के निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय, जिन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है, परन्तु जिनका निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु सिद्धांततः आवश्यक है, उन्हें "निर्माण पर आरोप्य व्यय" के अंतर्गत संचित किया जाता है तथा "चल रहे पूंजीगत कार्य" के अंतर्गत वहन किया जाता है और बाद में इंड एएस 16-"संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण" में "आरोप्यता" और "मापन की इकाई" को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के चालू होने पर भूमि तथा आधारभूत सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परिसंपत्तियों पर प्रणालीबद्ध आधार से आवंटित कर दिया जाता है। परियोजना की पूर्णता के पश्चात किया गया इस प्रकार का व्यय लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

3.0 अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

क) अनुसंधान में खर्च होने पर उसे व्यय में प्रभारित किया जाता है। विकास पर व्यय केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह व्यय विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो, भविष्य में आर्थिक लाभों की संभावना हो और कंपनी विकास कार्य पूरा करने तथा आस्ति के उपयोग या बिक्री के लिये इच्छुक हो और उसके पास इसके लिये पर्याप्त संसाधन हों।

ख) अलग से अधिगृहीत की गयी अमूर्त परिसंपत्तियां आरंभिक मान्यता के आधार पर लागत पर मापी जाती हैं। लागत में प्रत्यक्ष रूप से किया गया कोई भी व्यय शामिल होता है जो परिसंपत्ति को उसके लक्षित उपयोग के लिये तैयार करने के उद्देश्य से आवश्यक हो। आरंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसंपत्तियां संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर वहनीय होती हैं।

ग) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां अमूर्त परिसंपत्तियां पर किए गए व्यय को दर्शाती हैं जो विकास के चरण में हैं और उन्हें लागत घटा संचित हानि, यदि कोई हो, पर अग्रणीत किया जाता है।

घ) बाद में किया गया व्यय परिसंपत्ति की वहनीय राशि में वृद्धि के रूप में मान्य किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय लागत से प्राप्त होने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और मद की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकेगी।

ड) अमूर्त परिसंपत्ति के किसी मद को उसके निस्तारण पर विमान्य किया जाता है या तब जब उसके उपयोग या निस्तारण से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना न हो। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्य किये जाने से होने

वाले लाभ या हानि का मापन निवल निस्तारण और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसे परिसंपत्ति के विमान्य होने पर लाभ-हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

4.0 विदेशी मुद्रा लेन-देन

क) विदेशी मुद्रा में लेन देन आरंभ में क्रियाशील मुद्रा स्थल दर पर, लेन-देन के मान्यता के लिये पहली बार पात्र होने की तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा में प्रस्तुत मौलिक मदें उस तिथि पर लागू कार्यशील मुद्रा विनिमय दरों पर बदली जाती हैं।

ख) 1 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके पश्चात की गई विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई मौद्रिक मदों के निपटान/ परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभार्थियों से वसूली योग्य अथवा उन्हें देय होने की सीमा तक निर्माण अवधि के दौरान "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है और उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष में इन्हें लाभार्थियों से वसूल अथवा उन्हें अदा किया जाना है।

ग) किसी विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को लेन-देन की तिथि को विनिमय दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। जहां कंपनी ने किसी विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल का भुगतान किया है या उसे प्राप्त किया है, संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय (या इसके एक हिस्से को) की प्रारंभिक मान्यता पर उपयोग करने के लिए विनिमय दर का निर्धारण करने के उद्देश्य से लेनदेन की तारीख, वह तारीख होती है जब कंपनी अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति या गैर-मौद्रिक देयता को प्रारंभिक मान्यता देती।

5.0 विनियामक आस्थगित लेखे

क) जहां किसी परियोजना के निर्माण की अवधि के दौरान किए गए व्यय की किसी वस्तु को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इंड-एस के अनुसार प्रासंगिक पीपीई की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, लेकिन सीईआरसी द्वारा इसे भविष्य में टैरिफ के माध्यम से लाभार्थियों से वसूल किए जाने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में इसे वसूली करने के अधिकार के तहत "नियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी गई है।

ख) सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) ये विनियामक आस्थगित लेखा शेष उस वर्ष से समायोजित किए जाते हैं जिसमें वे लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय होते हैं।

घ) विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निहित क्रियाकलाप मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि इस तरह के बैलेंस से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। यदि इन मानदंडों को पूरा नहीं किया जाता है, तो विनियामक आस्थगित लेखा शेषों को विमान्य कर दिया जाता है।

ड) विनियामक आस्थगित लेखा शेषों की प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर क्षति हेतु जांच की जाती है।

6.0. उचित मूल्य मापन

प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है। परन्तु, कंपनी जब यह निर्धारित करती है कि लेन-देन की कीमत उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो वह अन्य बातों के अलावा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों, और जिनमें उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो तथा संबंधित पर्यवेक्षणीय जानकारी का अधिकतम और अपर्यवेक्षणीय जानकारी का न्यूनतम उपयोग किया गया हो।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियों, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया हो, को उचित मूल्य अनुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण न्यूनतम स्तर की जानकारी पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।

- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर काफी है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए निम्नतम स्तर आदान वह है जो उचित मूल्य मापन हेतु काफी है, अलक्ष्य हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्तक आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके अनुक्रम में स्तरों के बीच स्थानान्तरण हुआ है या नहीं।

7.0 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी परिसंपत्ति शामिल होती है जो नकद है, किसी अन्य संगठन का इक्विटी दस्तावेज़ या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का अनुबंधित अधिकार या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का आदान-प्रदान करने के लिए, जो इस शर्त के अधीन कि संभावित रूप से कंपनी के अनुकूल हो। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब और केवल तभी मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति में नकद और नकद समतुल्य, बैंक शेष, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारियों को ऋण, सुरक्षा जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

(क) वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है :

- परिशोधन लागत पर,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर, और
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर।

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है

क) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए संगठन का व्यवसाय मॉडल और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह की विशेषताएं।

उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों के लिए, लाभ और हानि या तो लाभ और हानि के विवरण में या अन्य व्यापक आय के तहत दर्ज किए जाते हैं। ऋण उपकरण में निवेश के लिए, यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी दस्तावेजों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कोई अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(ख) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, के अधिग्रहण संबंधी लेनदेन लागत को वित्तीय संपत्ति के मूल्य में शामिल किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि व्यापार प्राप्यों में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं हो तो अपने लेन-देन मूल्य पर व्यापार प्राप्यों को मापती है।

(ग) बाद का मापन

परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज़

निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर किसी 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है

i) ऐसी परिसंपत्ति को किसी व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति रखना है, और

ii) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह की निर्दिष्ट तारीखों पर तय की जाती हैं, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में ब्याज की आय में शामिल किया गया है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज़ (एफवीटीओसीआई)

किसी 'ऋण दस्तावेज़' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

i) व्यापार मॉडल का उद्देश्य दो तरह से, यानी संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ii) परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह में मूलधन और ब्याज का पूर्ण भुगतान (एसपीपीआई) शामिल है। अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर संबंधी ऋण दस्तावेजों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में उचित मूल्य संचलनों को मान्यता दी गई है। परन्तु, कंपनी लाभ और हानि के विवरण में ब्याज से आय, हानि की हानियों, प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि की पहचान करती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज की आय को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके अन्य आय में शामिल किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां :

व्यापार प्राप्य में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल होता है जिसे बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

घ) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब :

i) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हैं, या

ii) वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए कंपनी संविदात्मक अधिकार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए किसी संविदात्मक दायित्व को मानता है।

जहां कंपनी ने किसी परिसंपत्ति को अंतरित किया हो, तो कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से अंतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से अंतरित नहीं किया है, वहां वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है।

जहां कंपनी ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और फायदों को काफी हद तक बरकरार रखा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण अपने पास नहीं रखा है, तो वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है। जहां कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण रखता है, वहां परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

मान्यता समाप्त होने पर, अग्रसारित की जाने वाली राशि और प्राप्त/प्राप्य करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ड) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड-एस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के बारे में हानि का पता लगाने और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मॉडल लागू करती है :

- i) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।
- ii) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण दस्तावेज हैं और जिन्हें एफवीटीओसीआई के अनुसार मापा जाता है।
- iii) इंड एस 115- ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व संविदा परिसंपत्तियां और व्यापार प्राप्य।
- iv) इंड एस 116 पट्टों के अंतर्गत लीज प्राप्य।

इंड एस 116 और इंड एस 115 के दायरे के भीतर लेनदेन के परिणामस्वरूप संविदा परिसंपत्तियों, पट्टा प्राप्यों और व्यापार प्राप्यों पर प्रारंभिक स्वीकृति से, आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के आधार पर हानि क्षति अनुमेय की मान्यता हेतु कंपनी इंड एस 109 "वित्तीय दस्तावेज" के तहत अनुमत 'सरलीकृत पद्धति' का पालन करती है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित ऋण घाटे को 12-माह ईसीएल के समकक्ष राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो, ऐसी स्थिति में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को आजीवन ईसीएल पर मापा जाता है। ईसीएल मॉडल का उपयोग करके गणना की गई किसी भी वृद्धि या हानि भत्ते को लाभ और हानि के विवरण में हानि या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

8.0 माल-सूची

माल-सूचियों में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स शामिल होते हैं जिनका उपयोग संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के रखरखाव के लिए किया जाता है और लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) में जो भी कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। लागत के भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और एनआरवी व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतों को घटाया जाता है।

स्कैप का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिटों (वीसीयू) का मूल्यांकन लागत से कम पर या निवल वसूली-योग्य मूल्य पर किया जाता है।

निवल वसूली योग्य मूल्य के लिए इन्वेंटरी के किसी राइट-डाउन की राशि और उसके सभी नुकसान को उस अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पश्चलेखन या हानि होती है।

9.0 वित्तीय देयताएँ

कंपनी की वित्तीय देयताएँ में ऋण और उधार, व्यापार तथा अन्य देय शामिल है। किसी वित्तीय देयता को केवल तब ही मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाता है।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन लागत निकालकर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती हैं और बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर आंकलन कर वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर मुनाफा (लेन-देन लागत का शुद्ध) और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को, यदि कोई अन्य मानक उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए इस तरह के समावेशन की अनुमति देता है तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि या लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) बाद के मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ - हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में तब मान्यता दी जाती है जब कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की तब अनुमति देता है, जब देनदारियों को विमान्य कर दिया जाता है और ऐसा ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना ईआईआर के अभिन्न अंग- शुल्क या लागत और अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ - हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ग) मान्यता रद्द करना

यदि देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देयता को अमान्य कर दिया जाता है। जब मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता को अमान्य कर नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दिया गया है।

घ) वित्तीय दस्तावेजों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है और निवल राशि को तुलन-पत्र में सूचित किया जाता है यदि मान्यता प्रदान की गई राशियों के निपटान हेतु वर्तमान में लागू किया जा सकने वाला कोई विधिक अधिकार हो तथा निवल आधार पर निपटान की कोई मंशा परिसंपत्तियों को वसूल करने तथा साथ ही साथ देयताओं के निपटान की हो।

ड) व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज़

व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज वे दस्तावेज होते हैं जिनका धारण कम्पनी विदेशी मुद्रा तथा ब्याज दर जोखिमों से बचाव के लिए करती है तथा जो लाभ एवं हानि के माध्यम से लेखांकन के लिए बचाव के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं। उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

10.0 सरकारी अनुदान

क) ब्याज की बाजार दर से कम पर प्राप्त होने वाले सरकारी ऋण के लाभों को सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है। ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा मापा जाता है तथा सरकारी अनुदान को ऋण की प्रारंभिक मान्यता प्राप्त राशि तथा प्राप्त की गई प्राप्ति के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है। बाद में ऋण को वित्तीय देयताओं पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है और सरकारी अनुदान को प्रारंभ में आस्थगित आय तथा बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त मौद्रिक अनुदानों को प्रारंभ में आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब इसका तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी अनुदान से संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेगी। इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई आस्थगित आय को बाद में संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

ग) आय से संबंधित सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें कोई कंपनी उन संबंधित लागतों के व्यय के रूप में मान्यता प्रदान करती है जिसके लिए अनुदानों की प्रतिपूर्ति किया जाना वांछित है।

11.0. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी विगत गतिविधि के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और यह संभाव्य हो कि आर्थिक लाभ निहित होने वाले संसाधनों का बर्हिप्रवान दायित्वों के निपटान हेतु अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि से एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों का निर्धारण तुलन-पत्र तिथि को बाध्यत दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि के प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। जब किसी तृतीय पक्षकार से प्रावधान के निपटान हेतु अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभ वसूल किया जाना प्रत्याशित हो, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है यदि यह पूर्णतः निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति को प्राप्त किया जाएगा और प्राप्ति की राशि को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सके। किसी प्रतिपूर्ति के निवल प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में अथवा किसी अन्य मानक द्वारा ऐसे समावेशन की अनुमति होने पर परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि राशि का समय मूल्य प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों का निर्धारण एक वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करते हुए प्रत्याशित भविष्य के नकदी प्रवाहों पर छूट देकर किया जाता है जो देयता के प्रति विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है तो समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्तीय लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

ख) आकस्मिक देयताएं ऐसी संभावित बाध्यताएं हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों उत्पन्न होती हैं और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। जहां यह संभावना न हो कि आर्थिक लाभ का बर्हिवाह अपेक्षित होगा, अथवा राशि का विश्वसनीयतापूर्ण ढंग से अनुमान न लगाया जा सके, बाध्यता को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बर्हिवाह की संभावना सुदूर हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पूर्व के क्रियाकलापों उत्पन्न होती हैं और जिनकी मौजूदगी की पुष्टि भविष्य में होने या न होने वाली किसी एक या अधिक घटनाओं द्वारा की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरण में तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों का अंतर्प्रवाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभाव्य है। उनका सतत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए आकलन किया जाता है कि इन विकासों को वित्तीय विवरणों में उचित रूप से दर्शाया जाए।

12.0. राजस्व मान्यता एवं अन्य आय

कंपनी का राजस्व ऊर्जा की बिक्री और अन्य आय से प्राप्त होता है। अन्य आय से मिलने वाले राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, विलंबित भुगतान के लिए लाभार्थियों से प्राप्त अधिभार, क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय स्रोत आदि शामिल होते हैं। कंपनी समय के साथ बिजली के विक्रय के लिए संविदाओं से राजस्व को मान्यता देती है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को एक साथ प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं।

क) विद्युत बिक्री से राजस्व की प्राप्ति

- i) राजस्व उस समझौते के आधार पर आंका जाता है जो ग्राहक के साथ हुए अनुबंध में निर्दिष्ट होता है या जिसके उत्पादों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है लेकिन तीसरे पक्ष की ओर से वसूल की गई राशि इसमें शामिल नहीं होती। राजस्व को कंपनी तब स्वीकार करती है, जब वह किसी ग्राहक को उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण सौंपती है।
- ii) विद्युत की बिक्री से राजस्व (वित्त पट्टे/प्रचालनात्मक पट्टे के रूप में माने गए पावर स्टेशनों के संबंध में न्यूनतम पट्टा प्राप्ति को छोड़कर) को लागू सीमा तक विद्युत अपीलीय अधिकरण के आदेशों द्वारा यथासंशोधित सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार लेखांकित किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशनों के मामले में, जहां अनंतिम/अंतिम टैरिफ को अभी अधिसूचित किया जाना है या जहां प्रोत्साहन/हतोत्साहन सीईआरसी(नियम और शर्तों) के अनुसार प्रभार्य/देय हैं, राजस्व को उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां इसकी अत्यधिक प्रत्याशा है कि मान्यता प्रदान किए गए संचयी राजस्व की राशि में बहुत अधिक प्रत्यावर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहन के रूप में लाभार्थियों को दी गई छूट की राजस्व की राशि में से कटौती की जाती है।
- iii) ग्राहकों को समय-समय पर नियमित रूप से बिल भेजा जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार विद्युत की बिक्री से होने वाले राजस्व में ग्राहकों को की गई बिक्री से होने वाली आय की राशि भी शामिल होती है जिसका बिल अभी तक नहीं भेजा गया है। (बिल नहीं किया गया राजस्व)।
- iv) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बदलावों के मुताबिक वसूली/वापसी और आयकर की वसूली को नियामक मानदंडों के अनुसार वार्षिक आधार पर मान्यता दी जाती है।
- v) क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप देते समय किये जाने वाले समायोजन, जो कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, उसी वर्ष से प्रभावी होते हैं।

ख) अन्य आय

- i) परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए सभी ऋण दस्तावेज हेतु ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी भुगतान या प्राप्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के प्रति वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य को सटीक रूप से छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना किए जाने के समय, कंपनी वित्तीय दस्तावेज (उदाहरण के लिए पूर्व भुगतान, विस्तार, आमंत्रण तथा ऐसे अन्य विकल्प) की सभी संविदात्मक शर्तों पर विचार करते हुए प्रत्याशित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, परन्तु प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को नहीं लेती।
 - ii) विद्युत के व्यापार की संविदाओं से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों से वसूलीयोग्य ब्याज/अधिभार और संविदाकारों को अग्रिम पर परिसमाप्त क्षतियों/ब्याज को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि में भविष्य में कोई बड़ा प्रत्यावर्तन नहीं होगा।
- ग) कार्बन क्रेडिट/सीईआर/ वीईआर की बिक्री से राजस्व

कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ सत्यापित कार्बन यूनिट (वीसीयू) के अंतरण/ब्रिक्री से राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां यह अत्यधिक संभाव्य हो कि मान्यता प्रदान किए गए राजस्व में राशि का कोई भविष्य में महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन नहीं होगा।

13.0. कर्मचारी लाभ

i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन छूटरहित आधार पर किया जाता है और इनका व्यय या किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में तब शामिल किया जाता है यदि कोई अन्य मानक ऐसे समावेशन को अनुमेय करे क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध करवाई जाती है।

अल्पावधि निष्पादन से संबंधित नकदी बोनस के अंतर्गत अदा किए जाने हेतु प्रत्याशित राशि के दायित्व को तब माना जाता है यदि कंपनी के कर्मचारी द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने की वर्तमान में कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व हो और दायित्व का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सके।

ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

कोई परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी रोजगार पश्च लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कोई कंपनी पृथक न्यासों में निर्धारित अंशदान का भुगतान करता है तथा उसका और राशियों के भुगतान हेतु कोई विधिक या रचनात्मक दायित्व नहीं होता। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदानों हेतु दायित्वों को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति के वहनीय मूल्य में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के दौरान ऐसे समावेशन को अनुमेय करता हो। किसी निर्धारित अंशदान योजना को अंशदान जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के अंत के पश्चात 12 माह से अधिक के लिए देय हैं, उन्हें छूट देकर उनके वर्तमान मूल्य पर लाया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

iii) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

परिभाषित हितलाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना के अतिरिक्त एक रोजगार-परवर्ती लाभ योजना है। कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस), सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर स्मृति चिन्ह प्रदान करना परिभाषित लाभ योजनाओं में शामिल हैं।

ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के संबंध में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में कमी करता है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व की वार्षिक गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुसार शर्तें होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी

लाभ व्यय में शामिल की जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल की जाती है बशर्ते कोई अन्य मानक इस तरह के समावेशन की अनुमति देता हो।

पुनर्मापन लाभ और अनुभव समायोजन और बीमांकित मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियों को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

iv) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना के अंतर्गत हितलाभों में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ शामिल होते हैं।

दीर्घावधिक कर्मचारी हितलाभों के संबंध में कंपनी की निवल बाध्यता भावी हितलाभों की वह राशि है जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान तथा पूर्व की अवधि में अपनी सेवा के एवज में अर्जित किया है। लाभ को इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और किसी संबंधित परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी की बाध्यता की अवधि के निकट होती हैं। परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकित लाभों या हानियों में अंशदान को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है अथवा किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि में शामिल किया जाता है, यदि कोई अन्य मानक उनके उत्पन्न होने की अवधि में ऐसे समावेश को अनुमेय करते हों।

v) सेवांत लाभ

अनुग्रह राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में नोटिस वेतन के रूप में सीमांत लाभों पर किए गए व्यय को ऐसे व्यय को किए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

14.0 उधारी लागत

ऋण लागतों में (क) इंड एस 109 'वित्तीय दस्तावेज' में वर्णित ब्याज पद्धति के प्रभावी उपयोग से परिकलित ब्याज व्यय(ख) इंड एस 116 - 'पट्टे' के अनुसार मान्यताप्राप्त वित्त पट्टों के संबंध में वित्त प्रभार तथा (ग) विदेशी मुद्रा ऋणों से उस सीमा तक उत्पन्न विनिमय अंतर जो ब्याज लागतों में समायोजित के रूप में मानी गई हैं।

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य ऋण लागत को ऐसी परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति अपने वांछित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती है। अर्हक परिसम्पतियां वे होती हैं जिन्हें किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उनके वांछित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार किया जाना आवश्यक होता है। अन्य सभी ऋण लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे व्यय की गई हैं

जब कम्पनी किसी अर्हक परिसम्पत्ति के विशिष्ट उद्देश्य से ऋण निधियां प्राप्त करती है तो व्यय की गई ऋण लागतों का पूंजीकृत किया जाता है। जब कम्पनी सामान्य ऋण निधियां प्राप्त करती है और उनका उपयोग अर्हक परिसम्पत्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से करती है तो ऋण लागतों के पूंजीकरण का आकलन उन सभी ऋणों की भारित औसत लागत पर किया जाता है जो अवधि के दौरान बकाया हैं तथा जिनका उपयोग अर्हक परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण अथवा उत्पादन के लिए किया गया है। तथापि, अर्हक परिसम्पत्ति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से प्राप्त किए गए ऋण पर लागू ऋण लागतों को आकलन में तब शामिल किया जाता है जब उस परिसम्पत्ति

का उपयोग वांछित उद्देश्य से करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं अथवा बिक्री पूर्ण हो जाती है।

अर्हक परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए लंबित ऋणों के अस्थाई निवेश से अर्जित आय के पूंजीकरण के लिए अर्हक ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

ऋण लागतों का पूंजीकरण तब रोक दिया जाता है जब अर्हक परिसम्पत्ति को उसके वांछित उपयोग करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं।

अन्य ऋण लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

15.0 मूल्यहास और परिशोधन

क) वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में अभिवृद्धि/कटौती के कारण हुए मूल्यहास की गणना उस तारीख से/उस तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है जब तक संपत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

ख) i) कंपनी की प्रचालनरत इकाइयों की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास की गणना पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंत से पांच साल पहले तक पूंजीकृत की जाती है और उसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसका आकलन, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यक्ष संरेखित विधि से किया जाता है।

ii) पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन के अंतिम पांच वर्षों के दौरान पूंजीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीईआरसी टैरिफ विनियमों/आदेशों के अनुसार जीवन विस्तार की अवधि के लिए, संपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाने की तारीख से, प्रत्यक्ष संरेखित विधि से प्रभारित किया जाता है।

iii) जहां नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण पावर स्टेशन का जीवनकाल और/या दक्षता बढ़ जाती है, उसकी अपरिशोधित मूल्यहास राशि तथा उसके व्यय को संशोधित/शेष उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा पद्धति पर संदर्शी रूप से प्रभारित किया जाता है।

ग) i) कंपनी की प्रचालनरत इकाइयों के अलावा अन्य की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पुरानी और प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, नीति संख्या 15.0(घ) में निर्दिष्ट संपत्तियों को छोड़कर, टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रभारित किया जाता है।

ii) प्रचालनरत इकाइयों के अलावा अन्य पीपीई की पुरानी और प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्यहास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अनुमानित उपयोगी जीवन से अधिक संपत्ति की लागत के 90: की सीमा तक प्रत्यक्ष संरेखित पद्धति के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

घ) i) पीपीई की निम्नलिखित मदों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-प् में दिए गए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य (5 प्रतिशत) के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है :

- निर्माण संयंत्र और मशीनरी

- कम्प्यूटर और सहायक उपकरण

ii) प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास तीन साल की अवधि में 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के आधार पर प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

iii) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम/उपकरण पर मूल्यहास पच्चीस वर्षों की अवधि में 10 प्रतिशत के अवशिष्ट मूल्य के साथ प्रत्यक्ष संरेखन पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

iv) प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के आधार पर, मोबाइल फोन पर मूल्यहास को 1 रुपए के अवशिष्ट मूल्य के साथ तीन वर्ष की अवधि पर सीधी-रेखा आधार पर मुहैया कराया जाता है।

ड) अस्थायी संस्थापन पर मूल्यहास अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में रुपए 1/- डब्ल्यूडीवी मान कर, पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है।

च) रुपए 5000/- या उससे कम लेकिन रुपए 750/- से अधिक मूल्य की सभी संपत्ति का मूल्यहास, मूर्त वस्तुओं के लिए 1/- रुपए और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शून्य डब्ल्यूडीवी मान कर, उस वर्ष के दौरान, पूर्ण रूप से किया जाता है जिसमें संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

छ) कम मूल्य की वस्तु, जो संपत्ति (अचल संपत्ति को छोड़कर) की प्रकृति की हैं और जिनका मूल्य रुपए 750/- तक है, पूंजीकृत नहीं की जाती हैं और उन्हें उपयोग के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

ज) सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए, प्रचालनरत इकाइयों की लीजहोल्ड भूमि, लीज की अवधि या विद्युत संयंत्र के जीवनकाल (जलविद्युत परियोजना के मामले में 40 वर्ष तथा सौर और पवन परियोजनाओं के मामले में 25 वर्ष) जो भी कम हो, में परिशोधित की जाती है।

झ) लीजहोल्ड भूमि और इकाइयों के भवनों के प्रचालनरत इकाइयों के अलावा, लीज की अवधि या विद्युत संयंत्र के जीवनकाल (जलविद्युत परियोजना के मामले में 40 वर्ष तथा सौर और पवन परियोजनाओं के मामले में 25 वर्ष), जो भी कम हो, पर परिशोधन किया जाता है।

ञ) लीजहोल्ड भूमि पर बनाए गए पीपीई के लिए मूल लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक, संबंधित भूमि की शेष उपलब्ध लीज अवधि के अनुसार उस तारीख से मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिससे ऐसी संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध है अथवा ऐसी सम्पत्ति के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार मूल्य हास प्रदान किया जाता है।

ट) उपयोग के अधिकार वाली भूमि का परिशोधन टैरिफ निर्धारण के लिए अधिसूचित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 30 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

ठ) 'अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त सॉफ्टवेयर की लागत का परिशोधन, उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या तीन वित्तीय वर्षों, इनमें जो भी पहले हो, के लिए सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है, जो इसे प्राप्त करने के वर्ष से प्रारंभ होता है। अन्य अमूर्त आस्तियों का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि के दौरान या संबंधित संयंत्र के जीवन काल में, जो भी कम हो, किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त आस्तियों के परिशोधन की अवधि और पद्धति की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, उसे भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

ड) जहां वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटारे, दायित्वों में परिवर्तन या इसी तरह के घटकों के कारण दीर्घकालिक देनदारियों में वृद्धि/कमी की वजह से मूल्यहास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के बकाया असंशोधित हिस्से का मूल्यहास सीईआरसी शुल्क विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित दर और पद्धति से किया जाता है।

ढ) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए हिस्से-पुर्जे, जिन्हें पूंजीकृत किया गया हो और ऐसी वस्तुओं की वहन राशि में जोड़ा गया हो, का मूल्य हास उनके शेष उपयोगी जीवन के लिए, सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ण) प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार मूल्यहास किए जाने की स्थिति में, उपयोगी जीवन, मूल्यहास की विधि और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

16.0 माल सूची के अतिरिक्त कर गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि

क) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसका आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, अथवा जब किसी परिसंपत्ति हेतु वार्षिक क्षति परीक्षण अपेक्षित होता है, कंपनी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य घटा निपटान की लागतें तथा उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होगी। वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण एक पृथक परिसंपत्ति हेतु किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह न उत्पन्न हों जो मुख्यतः कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से व्यापक रूप से स्वतंत्र है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है और उससे उसकी वसूलीयोग्य राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है। परिणामी क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्य के आकलन हेतु, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को छूट देकर एक कर पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य तक लाया जाता है जो राशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलनों और परिसंपत्ति के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। निपटान की लागत घटा उचित मूल्य के निर्धारण में हाल के बाजार लेन-देनों पर ध्यान दिया जाता है। यदि ऐसे किसी लेन-देन की पहचान न की जा सके, तो एक उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार किए जाने वाली कंपनियों के उद्धृत शेयर मूल्य अथवा अन्य उपलब्ध उचित मूल्य सूचकांकों से पुष्ट किया जाता है।

ग) परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर व्यय के मामले में, यदि ऐसी किसी परियोजना को सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत परित्याग करने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर किए गए व्यय को निर्णय लिए जाने के वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

घ) सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अंतर्गत होने वाली कोई परियोजना समुचित प्राधिकारी के आदेश/अदालती आदेश की निषेधाज्ञा के चलते स्थगित रही ऐसी परियोजनाओं पर आदेश/अदालत की निषेधाज्ञा की तिथि से किए गए किसी भी व्यय को ऐसे आदेश की तिथि से ऐसे आदेश/निषेधाज्ञा द्वारा परियोजना को स्थगित रखे जाने की अवधि तक लेखाबहियों में उपलब्ध करवाया जाएगा। तथापि, इस प्रकार किए गए प्रावधान को उक्त आदेश/निषेधाज्ञा के वापिस लिए जाने तक प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

ड) पूर्व की अवधियों में मान्यता दी गई क्षति हानियों का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऐसे किसी संकेत हेतु किया जाएगा कि हानि कम हो गई है अथवा लंबे समय से मौजूद नहीं है। यदि वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण में प्रयुक्त अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ हो क्षति हानि को वापिस किया जाता है। किसी क्षति हानि को केवल उस सीमा तक वापिस किया जाता है कि परिसंपत्तियों की वहनीय राशि ऐसी वहनीय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे मूल्यहास या परिशोधन के निवल पर किसी क्षति हानि को मान्यता न दिए जाने को निर्धारित किया जाता है।

17.0 आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान तथा आस्थगित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, उस सीमा तक छोड़कर जिस सीमा तक यह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्रदान की गई मदों से संबंधित है, जिस मामले में कर को भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

क) वर्तमान कर

वर्तमान कर रिपोर्टिंग तिथि को लागू होने वाले कर नियमों के आधार पर वर्ष हेतु कर योग्य आय पर देय प्रत्याशित कर तथा पिछले वर्षों में देय कर को करों के प्रति अन्य कोई समायोजन है। कर योग्य लाभ, एवं हानि के विवरण में यथासूचित लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय या व्यय की वे मदें शामिल नहीं होती जो अन्य वर्षों (अस्थायी

अंतर) में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे इसमें वे मदें भी शामिल नहीं होती जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य (स्थायी अंतर) नहीं हैं।

ख) आस्थगित कर

- i) आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि के बीच अस्थायी अंतर के रूप में मान्यता दी जाती है और कर योग्य लाभ की गणना में तदनुसूची कर आधार का प्रयोग किया जाता है और तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सामान्यतः सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के रूप में मान्यता दी जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतः सभी कटौती-योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर ऋण हेतु उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जहां तक यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उन कटौती योग्य और अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उपलब्ध होंगे और अप्रयुक्त कर ऋणों का उपयोग किया जाएगा। ऐसी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को तब मान्यता नहीं दी जाती है यदि किसी लेन-देन में किसी परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता (किसी व्यापार संयोजन के अतिरिक्त) से अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं जो लेन-देन के समय न तो कर योग्य लाभ एवं हानि और न ही लेखांकन लाभ या हानि को प्रभावित करते हों।
- ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की प्रत्येक तुलनपत्र तिथि को समीक्षा की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके लिए अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।
- iii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को ऐसी कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू किए जाने की प्रत्याशा हो जिसमें देयता का निपटान या परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी, यह तुलन-पत्र तिथि द्वारा अधिनियमित या व्यापक रूप से बनाई गई कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित है। आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन ऐसे कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की प्रत्याशा वाले तरीके से रिपोर्टिंग तिथि को इसकी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वहनीय राशि की वसूली या निपटान करेंगे।
- iv) आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है सिवाय उस सीमा के जहां यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, ऐसे मामले में इसे अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
- v) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का निपटान वहां किया जाता है जहां वर्तमान कर परिसंपत्तियों का वर्तमान कर देयताओं से निपटान का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं समान कराधान प्राधिकरण द्वारा या तो किसी एक करयोग्य कंपनी अथवा विभिन्न करयोग्य कंपनियों पर लगाए गए आयकर से संबंधित हो तथा जहां निवल आधार पर शेषों के निपटान की मंशा हो।
- vi) समायोजन लेखे से आस्थगित कर वसूली को वर्तमान अवधि हेतु आस्थगित कर की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा जो आगे की अवधियों में वर्तमान कर का हिस्सा होता हो तथा टैरिफ के एक घटक इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना को प्रभावित करता हो।
- vii) जब आय कर सुधारों के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता होती है तो कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार किया जा सकता है। यदि कम्पनी कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर सुधार को स्वीकार न किए जाने का निर्धारण करती है

तो अनिश्चित अथवा करयोग्य आय के प्रभाव, कर आधारों, तथा अप्रयुक्त कर हानियों एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट को मान्यता दे दी जाती है। ऐसी अनिश्चितता के प्रभाव को मान्यता प्रत्येक मामले में उस पद्धति के उपयोग से दी जाती है जिनसे प्रतिफल, अत्यधिक प्रत्याशित प्रतिफल अथवा संभावित मूल्य की अनिश्चितता को सर्वोत्तम तरीके में दर्शाता हो। प्रत्येक मामले में, अनिश्चितता के समाधान के उत्तम उपसर्ग के आधार पर कम्पनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या अनिश्चित कर सुधार अलग-अलग अथवा एक साथ मिलाकर अथवा अन्य अनिश्चित कर सुधारों के साथ किया जा सकता है।

18.0 तृतीय पक्षकारों से मुआवजा

मदों की क्षति या हानि, बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से मुआवजे के भुगतान हेतु संबंधित दावे और परिसंपत्तियों/माल-सूची की बाद की कोई खरीद या निर्माण पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और इन्हें पृथक रूप से लेखांकित किया जाता है।

बीमा कंपनियों सहित तृतीय पक्षकारों से संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों और क्षतिग्रस्त, गुम या छोड़ी गई अन्य मदों हेतु मुआवजे को मुआवजा प्राप्य होने पर लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

19.0 खंड रिपोर्टिंग

क) इंड एस 108-प्रचालनरत खंड के अनुसार, खंड सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालनरत खंडों की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक रिपोर्टों के उपयोग के आधार पर खंडों को संसाधन के आवंटन तथा उनके निष्पादन हेतु चिन्हित करने के लिए की जाती है। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एस 108 के अभिप्राय के भीतर कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" अथवा "सीओडीएम" है।

ख) विद्युत उत्पादन कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि है।

20.0 पट्टे

किसी अनुबंध के शुरु में कंपनी यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध स्वयं एक लीज है या उसमें कोई लीज निहित है। यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह स्वयं लीज होता है, अथवा उसमें कोई लीज निहित होता है। क्या कोई अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, यह जानने के लिए कंपनी निर्मांकित आकलन करती है कि क्या कंपनी को उपयोग की पूरी अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभों को पर्याप्त रूप से प्राप्त करने का अधिकार है; तथा क्या कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है। यदि आपूर्तिकर्ता के पास वास्तविक प्रतिस्थापन अधिकार है, तो परिसंपत्ति की पहचान नहीं की जाती है। कंपनी के पास यह अधिकार तब होता है जब उसके पास निर्णय लेने के ऐसे अधिकार होते हैं जो यह बदलने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं कि संपत्ति का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जहां संपत्ति का उपयोग कैसे और किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसके बारे में निर्णय पूर्व निर्धारित है, तो कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने के लिए कंपनी को संपत्ति के संचालन का अधिकार होता है; या कंपनी ने परिसंपत्ति को इस तरह से डिजाइन किया है जो पूर्व निर्धारित करता है कि इसका उपयोग कैसे और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

किसी अनुबंध, जिसमें पट्टा घटक है, के पुनःमूल्यांकन के प्रारंभ में कंपनी अपने संबद्ध एकल मूल्यों के आधार पर पट्टे के अनुबंध के प्रत्येक घटक के लिए प्रतिफल का निर्धारण करती है। तथापि, भूमि एवं भवन के पट्टों,

जिनमें वह पट्टेदार है, के लिए कंपनी ने कोई अलग गैर-पट्टा संघटक का चयन न करने का निर्णय लिया है तथा पट्टा एवं गैर-पट्टा संघटकों को एकल पट्टा घटक के रूप में माना जाता है।

i) कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :

कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार और लीज देयता को पहचानता है। सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन शुरू में लागत पर किया जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी लीज भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष व्यय और किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को तोड़ने या हटाने अथवा किसी अंतर्निहित परिसम्पत्ति या स्थल, जिस पर वह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने की लागत शामिल है। इसमें से प्राप्त किए गए किसी प्रोत्साहन की राशि को घटाया जाता है।

राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत और पुनर्वास पर किए गए व्यय और साथ ही भू-विस्थापितों के लिए वैकल्पिक सुविधाओं के निर्माण अथवा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मौजूदा सुविधाओं के बदले नई सुविधाओं का निर्माण, विशेष रूप से जहां परियोजना के प्रयोजन के लिए भूमि के अधिग्रहण में ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूर्व शर्त रही हो, पर किए जाने वाले व्यय परिसम्पत्ति के इस्तेमाल के अधिकार के अंतर्गत हिसाब में लिए जाएंगे।

उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों का मूल्यहास/परिशोधन आरंभन की तारीख से लेकर अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक किया जाता है, यदि पट्टे द्वारा अवधि के अंत तक अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत यह दर्शाती है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यहासधरिशोधन आरंभन की तारीख से लेकर सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि और अंतर्निहित आस्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, पर किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान ही निर्धारित किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का वसूली के लिए मूल्यांकन तब किया जाता है जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि उनकी अग्रेनीत राशि वसूलीयोग्य नहीं हो सकती है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, वसूलीयोग्य राशि (अर्थात् निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य और उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न करे जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हों। ऐसे मामलों में, वसूलीयोग्य राशि उस नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित होती है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें पट्टे में निहित ब्याज दर या, यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। भविष्य के पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान शामिल होते हैं, जिसमें सारभूत निश्चित भुगतान, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ और किसी विक्रय विकल्प के तहत अभ्यास मूल्य शामिल होता है जिसके बारे में कंपनी युक्तियुक्त रूप से निश्चित है कि उसका प्रयोग किया जाएगा या पट्टे की समयपूर्व समाप्ति के लिए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, जब तक कि कंपनी युक्तियुक्त रूप से निश्चित नहीं है कि उसकी समयपूर्व समाप्ति नहीं होगी।

लीज की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के लीज के भुगतान में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के कंपनी के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि कंपनी खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प के प्रयोग के अपने आकलन में परिवर्तन करती है, या जब लीज अनुबंध संशोधित किया जाता है, और लीज संशोधन को एक अलग पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है, तो ऐसी स्थितियों में लीज की देयता को संशोधित लीज शर्तों के आधार पर पुनर्मूल्यांकित की जाती है और इसमें संशोधन की प्रभावी तारीख से संशोधित डिस्काउंट दर पर संशोधित लीज भुगतान में डिस्काउंट दिया जाता है।

जब लीज की देयता को इस तरह पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, तो इस्तेमाल के अधिकार वाली परिसम्पत्ति के वहन मूल्य में समनुरूप समायोजन किया जाता है अथवा ऐसी परिसम्पत्ति का वहन मूल्य शून्य हो जाने पर उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

अधिकार के उपयोग वाली ऐसी परिसंपत्तियों को तुलनपत्र में एक पृथक समान मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी ने 12 महीने या उससे कम की अल्पावधि लीजों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों की लीजों को उपयोग के अधिकार की संपत्ति के रूप में मान्यता न देने का विकल्प अपनाया है। कंपनी इन लीजों से सम्बद्ध लीज भुगतानों को लीज अवधि के लिए प्रत्यक्ष सरिखन आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii. **कंपनी एक पट्टादाता के रूप में:**

कंपनी जब पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे के शुरु में निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में उस समय वर्गीकृत किया जाता है जब वह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करती है। किसी पट्टे को परिचालन पट्टे के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जबकि वह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और फायदों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

जहां कंपनी एक दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) को पट्टा होने या उसमें शामिल होने के लिए निर्धारित करता है और जहां ऑफ टेकर के पास कंपनी के साथ अपनी संविदात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से विद्युत संयंत्र के स्वामित्व का पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल होता है, तो ऐसी व्यवस्था को वित्तीय पट्टा माना जाता है। वित्तीय पट्टे की प्रकृति में एम्बेडेड पट्टों के लिए, विद्युत स्टेशन में निवेश को पट्टा प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। न्यूनतम पट्टा प्राप्तियों की पहचान संविदा राशियों से एम्बेडेड पट्टा प्राप्तियों को अलग करके की जाती है (जिसमें 31 मार्च 2009 तक सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2004-09 के अनुसार मान्यता प्राप्त मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम (एएडी) शामिल है और इसे आस्थगित आय के रूप में माना जाता है)। प्रत्येक पट्टा रसीद को प्राप्य और वित्तीय पट्टा आय (संचालन से राजस्व का हिस्सा बनाने) के बीच आवंटित किया जाता है ताकि बकाया पट्टा प्राप्य पर रिटर्न की एक स्थिर दर प्राप्त की जा सके।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी नियमित रूप से अनुमानित गैर-गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है और पट्टा प्राप्तियों पर आशंकित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ते को मान्यता देते हुए इंड-एएस 109- वित्तीय साधनों की हानि की अपेक्षाओं को लागू करती है।

क्रेडिट-हानि वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसके लिए ब्याज आय की गणना उनकी परिशोधन लागत (यानी हानि भत्ते की कटौती के बाद) के संदर्भ में की जाती है, को छोड़ कर, वित्त पट्टा आय की गणना लीज प्राप्तियों की सकल वहन राशि के संदर्भ में की जाती है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर-पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड-एएस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को लागू करती है।

ऑपरेटिंग लीज या एम्बेडेड ऑपरेटिंग लीज के मामले में, ऑपरेटिंग लीज से लीज आय को लीज अवधि में राजस्व में मान्यता दी जाती है ताकि लीज की गई संपत्ति से प्राप्त उपयोग लाभ के पैटर्न को दर्शाया जा सके। संबंधित पट्टे पर दी गई संपत्ति को उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन पत्र में शामिल किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है।

21.0 व्यवसाय संयोजन

- (1) व्यवसाय संयोजनों का लेखांकन अधिग्रहण की तिथि को अधिग्रहण लेखांकन विधि के उपयोग से किया गया है जो कंपनी को नियंत्रण के अंतरित किए जाने की तिथि है। अधिग्रहण के अंतर्गत अंतरित किए गए प्रतिफल तथा अभिचिन्हित अधिग्रहित परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं को मान्यता अधिग्रहण की तिथि को उनके उचित मूल्य पर की जाती है। साख का प्रारंभिक मापन, अधिग्रहित अभिचिन्हितयोग्य परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं के निवल से अधिक प्रतिफल का अंतरण किए जाने के कारण, लागत पर किया जाता है। जब निवल अभिचिन्हितयोग्य अधिग्रहीत परिसंपत्तियों एवं स्वीकृत देयताओं का उचित मूल्य, निवल परिसंपत्तियों एवं आकस्मिक देयताओं का उचित मूल्य पर पुनःमूल्यांकन करने के पश्चात, अंतरित प्रतिफल से अधिक होता है तो अतिरिक्त की स्वीकृति पूंजी आरक्षित के रूप में की जाती है। अधिग्रहण से संबंधित लागतों को व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।
- (2) कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से जुड़े व्यावसायिक संयोजनों का लेखाकरण हितों के संयोजन की विधि का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें संयोजित संस्थाओं की आस्तियों और देनदारियों को उनकी अग्रणीत राशि पर दर्शाया जाता है तथा उचित मूल्य को दर्शाने या किसी नई आस्ति या देनदारियों को मान्यता देने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। किए गए समायोजन केवल लेखांकन नीतियों को सुसंगत बनाने के लिए किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधियों के संबंध में वित्तीय जानकारी को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि व्यवसाय संयोजन वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से हुआ हो, जिसमें संयोजन की वास्तविक तिथि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालाँकि, जहाँ व्यवसाय संयोजन उस तारीख के बाद हुआ था, वहाँ पूर्व अवधि की जानकारी को केवल उसी तारीख से पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित प्रतिधारित आय के शेष को हस्तांतरिती के वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित संगत शेष के साथ संयोजित किया जाता है। आरक्षित निधियों की पहचान सुरक्षित रखी जाती है तथा हस्तांतरणकर्ता के आरक्षित निधियाँ हस्तांतरिती की आरक्षित निधियाँ बन जाती हैं। जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में दर्ज राशियों तथा नकदी या अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के बीच का अंतर, यदि कोई हो, पूंजी

आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा अन्य पूंजी आरक्षित निधियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

22.0 पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियां

पूर्व अवधि की वास्तविक त्रुटियों को पश्चगामी प्रभाव से त्रुटि होने वाले पूर्व अवधि के प्रस्तुत किए गए विवरणों में तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लिखित कर ठीक किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत नवीनतम अवधि से पहले हुई हो तो नवीनतम अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं तथा इक्विटी के प्रारंभिक शेषों को तब पुनः उल्लिखित किया जाता है जब तक कि यह अव्यवहार्य न हो और ऐसे मामले में तुलनात्मक सूचना को व्यवहार्य नवीनतम तिथि से संदर्शी रूप से नई लेखांकन नीति को लागू करते हुए समायोजित किया जाता है।

23.0 प्रति शेयर अर्जन

क) प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर कम आंके गए अर्जन की गणना प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन निकालने हेतु लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी कम किए गए संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों पर आरोप्य निवल लाभ या हानि को भाग देकर की जाती है।

ग) प्रति शेयर आधारभूत और कम किए गए अर्जन को आस्थगित लेखा शेष में संचलन के अतिरिक्त अर्जित राशि का उपयोग करके भी प्रस्तुत किया जाता है।

24.0 नकदी प्रवाह विवरण

क) नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाहों के विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन हेतु नकदी तथा नकदी-समतुल्यों में हस्तगत नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास आमंत्रण पर धारित जमा, अन्य अल्पावधि, अत्यधिक नकदी निवेश जिनकी मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम की हैं जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनशील हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के कम महत्वपूर्ण जोखिम के अध्वधीन हैं तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि, तुलनपत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बैंक ओवरड्राफ्ट को वर्तमान देयताओं के अंतर्गत 'ऋणों' में दर्शाया गया है।

ख) नकदी प्रवाह के विवरण को इंड एस 7 "नकदी प्रवाहों के विवरण" में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

25.0 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसंपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

क) निम्नांकित स्थिति में कोई परिसंपत्ति वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की संभावना हो
- मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन के लिए धारित

- जिसके रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की संभावना हो, या
- नकदी या नकदी समतुल्य, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमित्त किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) निम्नांकित स्थिति में कोई देयता वर्तमान समझी जाती है :

- जिसके सामान्य प्रचालन चक्र में निपटान किए जाने की संभावना है।
- वह मुख्य रूप से व्यापार के प्रयोजन से धारित किया गया हो।
- वह रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीने के अंदर निपटान किया जाना हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

26.0 विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों और निपटान समूहों को विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करता है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के स्थान पर विक्रय के माध्यम से वसूल की जाएगी और विक्रय को अत्यधिक संभावित माना जाता है। इस संबंध में संकेतकों में शामिल है कि क्या प्रबंधन विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है, क्या ऐसी बिक्री विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरी होने की आशा है और क्या विक्रय की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई यह संकेत देती है कि योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है या योजना को वापस ले लिया जाएगा। विक्रय के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों और निपटान समूहों का मापन उनकी वहन राशि और उनके उचित मूल्य में से कम पर किया जाता है। यदि महत्वपूर्ण है, तो मान्यताप्राप्त मूल्य से निपटान की लागत घटा दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति एक बार विक्रय के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, उनका मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

27.0 विविध

क) समान मदों की प्रत्येक वास्तविक श्रेणी को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति या कार्यवाही मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गैर-वास्तविक न हों।

ख) मार्गस्थ वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान कंपनी द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने पर नहीं किया जाता है।

तुलन-पत्र के संलग्नक के रूप में हस्ताक्षरित

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
हस्ता./- हस्ता./-

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)
हस्ता./-
(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)
साझेदार
सदस्यता सं. 088730

(सुरेश कुमार)
अध्यक्ष
डीआईएन संख्या
06440021
हस्ता./-
(संजय कुमार गुप्ता)
महाप्रबंधक (वित्त)

(रमेश मुखिया)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या
10415607
हस्ता./-
(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव
एफसीएस 7050

स्थान - जम्मू
दिनांक : 07 मई, 2024

टिप्पणी सं. 2.1 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2023 के अनुसार	अभिवृद्धि		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
			आईयूटी	अन्य	आईयूटी	अन्य								
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	2723.35		2544.10				5267.45	0.00			0.00	5267.45	2723.35
ii)	सड़कें और पुल	5422.10		69.46			-5.27	5486.29	600.26	182.48	0.00	782.74	4703.55	4821.84
iii)	भवन	2743.86		187.12		4.57		2926.41	1135.43	175.86	0.00	1311.29	1615.12	1608.43
iv)	रेलवे साइडिंग	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	92.00		928.98		1.11		1019.87	20.65	89.89	0.00	110.54	909.33	71.35
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	0.00		446.14				446.14	0.00	50.99	0.00	50.99	395.15	0.00
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	233.20		43.55				276.75	37.33	14.80	0.00	52.13	224.62	195.86
x)	निर्माण उपकरण	1.08						1.08	0.03	0.02	0.00	0.05	1.03	1.05
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	39.50		25.29				64.79	5.88	1.92	0.00	7.80	56.99	33.62

xii)	विद्युत संस्थापनाएँ	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
xiii)	वाहन	181.28						181.28	90.89	12.64	0.00	103.53	77.75	90.39
xiv)	विमान/नौकाएँ	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
xv)	फ़र्नीचर व फ़िक्सचर	490.35	8.22	124.29	8.23	33.05	-3.88	577.70	170.27	43.50	-10.43	203.34	374.36	320.08
xvi)	कम्प्यूटर	494.47	9.67	225.34	9.67	30.32		689.49	322.79	86.68	-7.96	401.51	287.98	171.68
xvii)	संचार उपकरण	13.44		5.66		0.44		18.66	6.06	1.65	-0.27	7.44	11.22	7.38
xviii)	कार्यालय उपकरण	1018.18	5.99	157.77	5.98	21.24	3.26	1157.98	330.60	79.06	-6.05	403.61	754.37	687.58
	कुल	13452.81	23.88	4757.70	23.88	90.73	-5.89	18113.89	2720.19	739.49	-24.71	3434.97	14678.92	10732.61
	गत वर्ष	11041.84	10.91	2454.28	10.90	28.73	-14.58	13452.81	1751.77	990.26	-21.83	2720.19	10732.62	9290.07

टिप्पणी:-

2.1.1 (क) 31 मार्च 2024 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख:-

तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (38.15 हेक्टेयर)	4667.45	सीवीपीपीपीएल के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीपीएल (कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का म्यूटेशन। सहायक आयुक्त राजस्व के पत्र के अनुसार, भूमि फ्रीहोल्ड है और सीवीपीपीपीएल (कार) को कब्जा सौंप दिया गया है।
	भवन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

		अन्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
--	--	------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

(ख) 31 मार्च 2023 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख:-

	तुलन-पत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं होने का कारण
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भूमि (38.15 हेक्टेयर)	2123.35	सीवीपीपीपीएल के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर सरकार	शून्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 से अद्यतन तिथि तक	सीवीपीपीपीएल (कार) के माध्यम से जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि का म्यूटेशन। सहायक आयुक्त राजस्व के पत्र के अनुसार, भूमि फ्रीहोल्ड है और सीवीपीपीपीएल (कार) को कब्जा सौंप दिया गया है।
		भवन	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		अन्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2.1.2 संपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुबंध-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुलग्नक-1

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास					निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2023 के अनुसार	अभिवृद्धि		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	भूमि - फ्रीहोल्ड	2723.35	0.00	2544.10	0.00	0.00	0.00	5267.45	0.00		0.00	0.00	5267.45	2723.35
ii)	सड़कें और पुल	5413.40	0.00	69.46	0.00	0.00	-5.28	5477.58	591.56	182.48	-0.01	774.03	4703.55	4821.84
iii)	भवन	2839.24	0.00	187.13	0.00	4.57	0.00	3021.80	1230.81	175.86	0.01	1406.68	1615.12	1608.43
iv)	रेलवे साइडिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vii)	संयंत्र और मशीनरी सब स्टेशन	90.72	0.00	928.97	0.00	1.11	0.00	1018.58	19.37	89.89	-0.01	109.25	909.33	71.35
viii)	संयंत्र और मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	0.00	0.00	446.14	0.00	0.00	0.00	446.14	0.00	50.99	0.00	50.99	395.15	0.00
ix)	संयंत्र और मशीनरी अन्य	237.01	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00	280.56	41.15	14.80	-0.01	55.94	224.62	195.86
x)	निर्माण उपकरण	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	16.40	0.02	0.00	16.42	1.03	1.05
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल	39.50	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00	64.79	5.88	1.92	0.00	7.80	56.99	33.62

	निकासी और सीवरेज													
xii)	विद्युत संस्थापनाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
xiii)	वाहन	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.48	111.09	12.64	0.00	123.73	77.75	90.39
xiv)	विमान/नौकाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
xv)	फ़र्नीचर व फिक्सचर	519.54	8.22	124.30	8.22	33.05	-3.89	606.90	199.46	43.50	-10.42	232.54	374.36	320.08
xvi)	कम्प्यूटर	537.84	9.67	225.33	9.67	30.47	0.00	732.70	366.16	86.68	-8.12	444.72	287.98	171.68
xvii)	संचार उपकरण	13.22	0.00	5.66	0.00	0.44	0.00	18.44	5.84	1.65	-0.27	7.22	11.22	7.38
xviii)	कार्यालय उपकरण	1081.89	5.99	157.77	5.99	21.84	3.27	1221.09	394.31	79.06	-6.65	466.72	754.37	687.58
	कुल	13714.64	23.88	4757.70	23.88	91.48	-5.90	18374.96	2982.03	739.49	-25.48	3696.04	14678.92	10732.61
	गत वर्ष	11304.85	10.90	2454.28	10.90	29.93	-14.58	13714.64	2014.78	990.26	-23.03	2982.03	10732.61	9290.07

टिप्पणी सं. 2.2 चल रहे पूंजीगत कार्य

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2024 के अनुसार
i)	सड़कें और पुल	4591.47	3084.71		40.34	7635.84
ii)	भवन	53608.28	29704.36	25.31	177.69	83160.26
iii)	भवन- पट्टे के अधीन	-				-
iv)	रेलवे साइडिंग	-				-
v)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	101965.52	97461.99	3.98		199431.49
vi)	उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	29582.93	41667.44	(15.94)		71234.43
vii)	संयंत्र और मशीनरी - सब स्टेशन	568.64	3.49	388.19	928.97	31.35
viii)	संयंत्र और मशीनरी - पारेषण लाइनें	877.33	1033.16	(388.67)	446.14	1075.68
ix)	संयंत्र और मशीनरी - अन्य	-				-
x)	निर्माण उपकरण	-				-
xi)	जल आपूर्ति प्रणाली / जल निकासी और सीवरेज	29.59	15.77		7.86	37.50
xii)	कम्प्यूटर	-				-
xiii)	संचार उपकरण	-				-
xiv)	कार्यालय उपकरण	-				-
xv)	स्थापना की प्रतीक्षारत परिसंपत्तियां	-				-
xvi)	सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 किमी योजना के अधीन परिसंपत्तियां	-				-
xvii)	सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण शुल्क	3461.10	595.13			4056.23

xviii)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण पर व्यय	-				-
xvix)	निर्माण को आरोग्य व्यय (टिप्पणी-32 देखें)	102987.74	21730.40	(31.03)		124687.11
	घटाएं : प्रदान किया गया पूंजीगत कार्य	-				-
	उप जोड़ (क)	297672.60	195296.45	(18.16)	1601.00	491349.89
	निर्माण भंडार	1.22			-	1.22
	घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-			-	-
	उप जोड़ (ख)	1.22	-	-	-	1.22
	कुल	297673.82	195296.45	(18.16)	1601.00	491351.11
	गत वर्ष	189385.93	110314.42	(178.16)	1848.37	297673.82

2.2.1 (क) 31 मार्च 2024 को सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शैड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	1,93,677.30	1,10,131.74	58,418.22	1,29,123.85	4,91,351.11
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
कुल	1,93,677.30	1,10,131.74	58,418.22	1,29,123.85	4,91,351.11

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2024 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी का समापन शैड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पकल डुल एचईपी			3,27,565.77		3,27,565.77
कीरू एचईपी		1,29,093.64			1,29,093.64
कुल	-	1,29,093.64	3,27,565.77	-	4,56,659.41

(क) 31 मार्च 2023 को सीडब्ल्यूआईपी का एजिंग शैड्यूल

2.2.2.

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षसेअधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं	1,08,738.74	58,632.49	37,753.32	92,549.27	2,97,673.82
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं					-
कुल	1,08,738.74	58,632.49	37,753.32	92,549.27	2,97,673.82

(ख) विलंबित परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2024 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी का समापन शैड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षसेअधिक	
पकल डुल एचईपी				2,14,435.09	2,14,435.09
कीरू एचईपी			64,250.54		64,250.54
कुल	-	-	64,250.54	2,14,435.09	2,78,685.63

2.2.3 निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत ऋण लागत के प्रति 3,153.80 लाख रुपए (गत वर्ष 2310.48 रुपए) शामिल है।

2.2.4 उपयोग के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत "भूमि-उपयोग का अधिकार" पर सृजित 23,223.49 लाख रुपए (पिछली अवधि 16.334.95 लाख रुपए) के भूमिगत कार्यों को प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के संबंधित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

संचयी ईडीसी
विवरण
क. कर्मचारी लाभ व्यय

टिप्पणी 2.2 का अनुलग्नक
(लाख रुपए में)
31.3.2024 31.03.2023

वेतन, मजदूरी, भत्ते	47438.37	41868.39
उपदान और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	7539.93	6842.64
कर्मचारी कल्याण व्यय	3292.02	2811.26
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	14.91	14.91
उप-जोड़(क)	58285.23	51537.20
घटाएं :वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़(ख)	58285.23	51537.20
ख. उत्पादन और अन्य व्यय		
अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में ईएसी-जल उपयोग प्रभार	0.00	0.00
अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में भंडार और पुर्जों का उपभोग	0.00	0.00
मरम्मत और अनुरक्षण -अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर बांध/जल विनियमन प्रणाली	0.00	0.00
मरम्मत और अनुरक्षण -अपुष्ट विद्युत उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं पर जीपीएम/अन्य विद्युत संयंत्र प्रणाली	0.00	0.00
मरम्मत-भवन	2772.00	2074.25
मरम्मत-मशीनरी	13.03	13.02
मरम्मत-अन्य	499.68	381.39
किराया	1478.37	1234.20
दरें और कर	56.43	50.05
बीमा	24.80	22.84
सुरक्षा व्यय	3461.28	3251.71
विद्युत प्रभार	265.83	214.28
यात्रा और परिवहन	737.14	647.18
वाहनों पर व्यय	189.30	138.99
टेलीफोन, टैलेक्स और डाक	344.62	209.24
विज्ञापन और प्रचार	194.24	181.99
मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	4.72	4.72
मुद्रण और लेखन सामग्री	188.42	150.72
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	0.53	0.53
डिजाइन और परामर्श शुल्क:		0.00
- देशीय	18536.01	15555.64
- विदेशी	502.11	502.11
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/कैचमेंट क्षेत्र उपचार पर व्यय/पर्यावरणीय व्यय/विकास व्यय	4824.49	221.00

निगम का स्मामित्व न होने वाली भूमि पर व्यय	4590.86	2903.30
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	0.00	0.00
डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्य पर व्यय	0.00	0.00
ईएसी - पट्टा किराया	1571.07	1241.85
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां/ सामग्री पर हानि	1.69	1.67
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	23.43	17.10
अन्य सामान्य व्यय	1583.26	1453.62
उप-जोड़ (ख)	41863.31	30471.40
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़ (ख)	41863.31	30471.40

ग. वित्तीय लागत

i) निम्नलिखित पर ब्याज :		
क) भारत सरकार ऋण	0.00	0.00
ख) बाण्ड	0.00	0.00
ग) विदेशी ऋण	0.00	0.00
घ) सावधि ऋण	0.00	0.00
ङ) नकद ऋण सुविधाएं/ डब्ल्यूसीडीएल	0.00	0.00
च) ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर हेजिंग लेनदेन पर हानि	0.00	0.00
ii) बाण्ड जारी करना/सेवा व्यय	0.00	0.00
iii) प्रतिबद्धता शुल्क	0.00	0.00
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क	0.00	0.00
v) अन्य वित्त प्रभार	43.10	7.19
vi) ईएसी- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	5985.95	2832.15
vii) ईएसी-प्रतिभूति जमा पर ब्याज/प्रतिधारण राशि - प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	63.52	91.81
viii) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय- समय मूल्य के लिए समायोजन	0.00	0.00
ix) ईएसी- एफसी ऋणों पर ब्याज - प्रभावी ब्याज समायोजन	0.00	0.00
x) ईएसी-ब्याज व्यय-पट्टे के अधीन (इंडएएस)	27.01	23.81
उप-जोड़(ग)	6119.58	2954.96
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
उप-जोड़(ग)	6119.58	2954.96

घ. विनिमय दर अंतर (निवल)

i) ईआरवी (डेबिट शेष)	0.00	0.00
घटाएं: ii) ईआरवी (क्रेडिट शेष)	0.00	0.00
उप-जोड़(घ)	0.00	0.00
घटाएं : वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00

	उप-जोड़(घ)	0.00	0.00
ड. प्रावधान		6.27	6.27
	उप-जोड़(ड)	6.27	6.27
	घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
	उप-जोड़(ड)	6.27	6.27
च. मूल्यहास और परिशोधन		7400.82	5872.50
		329.76	284.23
	उप-जोड़(च)	7730.58	6156.73
	घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
	उप-जोड़(च)	7730.58	6156.73
छ. पूर्व अवधि व्यय (निवल)			
	पूर्व अवधि व्यय	237.63	237.63
	घटाएं पूर्व अवधि की आय	0.72	0.72
	उप-जोड़(छ)	236.91	236.91
	घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
	उप-जोड़(छ)	236.91	236.91
ज. घटाएं :प्राप्तियां और वसूलियां			
	i) विद्युत के उत्पादन चालू होने से पूर्व आय	0.00	0.00
	ii) ऋण और अग्रिम पर ब्याज	16357.57	12617.16
	iii) विविध प्राप्तियां	680.88	509.56
	iv) संपत्ति की बिक्री पर लाभ	1.46	1.46
	v) पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान	677.21	677.21
	vi) संयंत्र और मशीनरी पर किराया प्रभार/उत्पादन	267.54	138.75
	vii) ईएसी-उचित मूल्य लाभ- सुरक्षा जमा/ प्रतिधारण राशि	0.38	0.17
	viii) व्युत्पन्न पर ईएसी-एमटीएम लाभ	0.00	0.00
	ix) ईएसी- प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर उचित मूल्य लाभ	0.00	0.00
	उप-जोड़(ज)	17985.04	13944.31
	घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
	उप-जोड़(ज)	17985.04	13944.31
झ. सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय (झ)		28430.27	25568.58
	घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
	उप-जोड़(झ)	28430.27	25568.58
	सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)	124687.11	102987.74
	घटाएं: वर्ष/अवधि के दौरान पूंजीकृत	0.00	0.00
	सकल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ-ज+झ)	124687.11	102987.74

टिप्पणी सं. 2.3 संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2023 के अनुसार	अभिवृद्धि		कटौती		अन्य समा योजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
			आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	37669.98		5.48		1.10		37674.36	3757.41	942.67	0.00	4700.08	32974.28	33912.57
ii)	पट्टे के अधीन भवन	154.54		0.18			-1.45	153.27	62.36	51.60	0.00	113.96	39.31	92.18
iii)	निर्माण उपकरण	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	वाहन	166.20		43.65				209.85	113.04	47.00	0.00	160.04	49.81	53.16
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार	45751.99						45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	45751.99
	कुल	83742.71	0.00	49.31	0.00	1.10	-1.45	83789.47	3932.81	1041.27	0.00	4974.08	78815.39	79809.90
	गत वर्ष	83659.55	0.00	110.39	0.00	0.00	-27.23	83742.71	2928.76	1031.28	-27.23	3932.81	79809.90	80730.79

टिप्पणी:-

2.3.1 (क) 31 मार्च 2024 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख/ पट्टा विलेख/ म्यूटेशन :-

तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति – पट्टाधरी	भूमि (177.8175 हैक्टेयर)	24,209.84	सीवीपीपीपीएल (पकल डुल एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2015-16 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए पकल डुल एचईपी, सीवीपीपीपीएल के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड इसका म्यूटेशन दर्ज किया गया है।
	भूमि (92.9575 हैक्टेयर)	13,464.52	सीवीपीपीपीएल (किरू एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2017-18 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए कीरू एचईपी, सीवीपीपीपीएल के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड इसका म्यूटेशन दर्ज किया गया है।

(ख) 31 मार्च 2023 के अनुसार कंपनी के नाम पर धारित नहीं रखे गए अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख/ पट्टा विलेख/ म्यूटेशन :-

तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व जिसके नाम पर धारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति धारक की तारीख	कंपनी के नाम पर धारित नहीं किए जाने का कारण
उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति – पट्टाधरी	भूमि (177.8175 हैक्टेयर)	24,205.46	सीवीपीपीपीएल (पकल डुल एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2015-16 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए पकल डुल एचईपी, सीवीपीपीपीएल के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड इसका म्यूटेशन दर्ज किया गया है।
	भूमि (92.9575 हैक्टेयर)	13,464.52	सीवीपीपीपीएल (किरू एचईपी) के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल	नहीं	2017-18 से	संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की भूमि विधियों के विशेष उपबंधों पर विचार करते हुए कीरू एचईपी, सीवीपीपीपीएल के माध्यम से राज्यपाल (जम्मू-कश्मीर) के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में लीजहोल्ड इसका म्यूटेशन दर्ज किया गया है।

(ख) भूमि – उपयोग का अधिकार में वन भूमि शामिल है जिसे केवल परियोजना के उपयोग के लिए राज्य वन विभाग द्वारा अपवर्तित किया गया है।

2.3.2 परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 34(17) देखें।

2.3.3 संपत्ति के सकल ब्लॉक के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुलग्नक-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.3 का अनुलग्नक 1 - संपत्ति का उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2023 के अनुसार	अभिवृद्धि		कटौती		अन्य समा योजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायो जन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
			आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि - लीजहोल्ड	37669.98	0.00	5.48	0.00	1.10	0.00	37674.36	3757.41	942.67	0.00	4700.08	32974.28	33912.57
ii)	पट्टे के अधीन भवन	154.54	0.00	0.18	0.00	0.00	-1.45	153.27	62.36	51.60	0.00	113.96	39.31	92.18
iii)	निर्माण उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	वाहन	166.20	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00	209.85	113.04	47.00	0.00	160.04	49.81	53.16
v)	भूमि-उपयोग का अधिकार	45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	45751.99	45751.99
	कुल	83742.71	0.00	49.31	0.00	1.10	-1.45	83789.47	3932.81	1041.27	0.00	4974.08	78815.39	79809.90
	गत वर्ष	83659.55	0.00	110.39	0.00	0.00	-27.23	83742.71	2928.76	1031.28	-27.23	3932.81	79809.90	80730.79

(राशि रुपये में)

टिप्पणी सं. 2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक						परिशोधन				निवल ब्लॉक		
		01-अप्रैल-2023 के अनुसार	अभिवृद्धि		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	एकमुश्त शुल्क	0.00						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	115.16	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	204.20	100.19	24.61	-0.01	124.80	79.40	14.97
	कुल	115.16	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	204.20	100.19	24.61	-0.01	124.80	79.40	14.97
	पिछले वर्ष	104.39	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	115.16	89.13	11.06	0.00	100.19	14.97	15.26

टिप्पणी :- 2.5.1 अमूर्त परिसंपत्ति का अतिरिक्त प्रकटीकरण और पिछले जीएपी के अधीन संचित मूल्यहास इस टिप्पणी के अनुलग्नक-1 के रूप में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 2.5 का अनुबंध 1 - अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	सकल ब्लॉक							परिशोधन				निवल ब्लॉक	
		01-अप्रैल-2023 के अनुसार	अभिवृद्धि		कटौती		अन्य समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्ष के लिए	समायोजन	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
			आईयू टी	अन्य	आईयू टी	अन्य								
i)	एकमुश्त शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	115.15	0.00	89.03	0.00	0.00	0.00	204.18	100.18	24.61	-0.01	124.78	79.40	14.97
	कुल	115.15	0.00	89.03	0.00	0.00	0.00	204.18	100.18	24.61	-0.01	124.78	79.40	14.97
	पिछले वर्ष	104.38	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	115.15	89.12	11.06	0.00	100.18	14.97	15.26

टिप्पणी सं. 2.6 - विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	01-अप्रैल-2023 के अनुसार	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2024 के अनुसार
(I)	विकास के अधीन कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	106.42				106.42
(II)	एकमुश्त शुल्क	-				-
	कुल	106.42	-	-	-	106.42
	गत वर्ष					106.42

2.6.1 31 मार्च 2024 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की एजिंग शैड्यूल

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं		106.42			106.42
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं		-			-
कुल	-	106.42	-	-	106.42

2.6.2 31 मार्च 2024 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की समापन शैड्यूल

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित में पूर्ण किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
					-
					-
कुल	-	-	-	-	-

2.6.3 31 मार्च 2023 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की एजिंग शैड्यूल

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिधीन परियोजनाएं		106.42			106.42
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं		-			-
कुल	-	106.42	-	-	106.42

2.6.4 31 मार्च 2024 को विकास के अधीन होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की समापन शैड्यूल

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्ति	में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
					-
					-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणी सं. 3.1 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
कुल		

टिप्पणी सं. 3.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - प्राप्य व्यापार

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए - अप्रतिभूत (देखें टिप्पणी 3.2.1, 3.2.2 और 3.2.3)	-	-
कुल	-	-
3.2.1 व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी सं. 3.2 का अनुबंध-1 देखें।		
3.2.2 कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी एक द्वारा अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिनमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
3.2.3 कंपनी की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	शून्य	शून्य
3.2.4 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) का संदर्भ लें।		

टिप्पणी सं. 3.3 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
परिशोधित लागत पर		
क. संबंधित पार्टी को ऋण - ऋण बाधित अप्रतिभूत (टिप्पणी 34(8), 3.3.1 और 3.3.9 देखें)	-	-
घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 3.3.3 देखें)	-	-
उप जोड़	-	-
ख. कर्मचारियों को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित) (टिप्पणी 3.3.1 और 3.3.2 देखें)		
- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	8.32	7.81
- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	80.38	1.17
- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए हानि भत्ते (टिप्पणी 3.3.4 देखें)	-	-
उप जोड़	88.70	8.98

ग.	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता		
	- अच्छे माने गए - प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	-	-
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि भत्ते (टिप्पणी 3.3.5 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	ग्राहक से बकाया के निपटान में राज्य सरकार		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ते (टिप्पणी 3.3.5 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ङ.	सरकार को ब्याज सहित ऋण (टिप्पणी 3.3.7 देखें)		
	- अच्छे माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	उप जोड़	-	-
	कुल	88.70	8.98
3.3.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	-	-
3.3.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय (वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(9) देखें)		
3.3.3	संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वर्धन		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.4	संदिग्ध कर्मचारी ऋणों के लिए अनुमेय हानि		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.5	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिम के लिए अनुमेय हानि		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-
3.3.6	राज्य सरकार को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	अंतिम शेष	-	-

3.3.7	व्यापार प्रयोजन के लिए प्रदत्त सरकार को ऋण		
	- मूल धन	-	-
	- ब्याज	-	-
3.3.8	ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम में परिवर्तन से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
3.3.9	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
3.3.10	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 3.3 के तहत प्रकट किया गया है।		
3.3.11	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 3.4 गैर-वर्तमान - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य			(लाख रुपये में)	
	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार	
क.	सुरक्षा जमा			
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	18.44	137.72	
	- ऋण बाधित - अप्रतिभूत	-	-	
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 3.4.1 देखें)	-	-	
	उप जोड़	18.44	137.72	
ख.	12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि (देखें टिप्पणी 3.4.3)	-	-	
ग.	प्राप्य पट्टा किराया (देखें टिप्पणी 3.4.5, 3.4.6 और 34(15))	-	-	
घ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉन्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि	-	-	
ङ.	पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-	
च.	निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज :			
	- 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि	-	-	
छ.	व्युत्पन्न मार्क टू मार्केट परिसंपत्ति	-	-	
ज.	विलंब भुगतान प्रभार के कारण प्राप्य	-	-	
झ.	वसूलीयोग्य राशि	-	-	
ञ	आवंटन लंबित होने वाली शेयर आवेदन राशि			
	- अनुषंगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम (देखें टिप्पणी 3.4.4)	-	-	
	घटाएं – आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के लिए अनुमेय हानि			
	उप जोड़			
	कुल	18.44	137.72	
3.4.1	संदिग्ध जमाओं के लिए हानि भत्ते			
	प्रारंभिक शेष	-	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि			
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त			
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित			
	अंतिम शेष	-	-	

3.4.2 भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सेवित बांड के लिए देय राशि:-शून्य

3.4.3 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले बैंक जमा में शून्य रूपए की एफडीआर शामिल है, जो विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी बैंक गारंटी के लिए 100% मार्जिन राशि प्रदान करने के लिए ली गई है।

3.4.4 आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में निम्नलिखित सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर पूंजी के सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी का अंशदान शामिल है:-

सहायक कंपनी	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
संयुक्त उद्यम कंपनी		
कुल		

3.4.5 सुरक्षा के रूप में बंधक/रेहन रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(8) का संदर्भ लें।

3.4.6 आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के लिए अनुमेय हानि

	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-

3.4.7 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) का संदर्भ लें।

टिप्पणी सं. 4 गैर-वर्तमान कर आस्तियां (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	-
घटाएं : वर्तमान कर के लिए प्रावधान	-	-
गैर-वर्तमान कर (टिप्पणी संख्या-23 देखें)	11.03	6.34
कुल	11.03	6.34

टिप्पणी सं. 5 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	पूंजी अग्रिम		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	3,664.15	3,670.35
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
	- बैंक गारंटी के प्रति	25,922.99	50,954.57
	- अन्य	19,925.52	8,033.97
	घटाएं - उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित होने के चलते बुक किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	49,512.66	62,658.89
ख.	पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
i)	जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा की गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 5.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ग.	अर्जित ब्याज		
	अन्य		
	- अच्छे माने गए	1,754.32	344.03
घ.	अन्य		
i)	पूंजीगत कार्यों के लिए माध्यस्थ पंचाट के प्रति अग्रिम (अप्रतिभूत)		

	संविदाकारों को जारी - बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	संविदाकारों को जारी - अन्य	-	-
	न्यायालय के साथ जमा	-	-
	उप जोड़	-	-
ii)	पूर्वप्रदत्त व्यय		
iii)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां/व्यय	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
	उप जोड़	-	-
iv)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	24.51	1.20
	कुल	51,291.49	63,004.12
5.1	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष		
5.2	संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5.3	वर्ष के अंत में निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय अग्रिम।	शून्य	शून्य
5.4	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
5.5	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 6 मालसूची

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	(लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर मूल्यांकित)		
	भंडार और कलपुर्जे	-	-
	पारगमन में होने वाले/निरीक्षण लंबित भंडार	-	-
	खुले उपकरण	-	-
	स्थल पर सामग्री	-	-
	संविदाकारों/फैब्रिकेटर को जारी की गई सामग्री	-	-
	कार्बन क्रेडिट/ प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर)/ प्रमाणित कार्बन यूनिट (वीसीयू)	-	-
	घटाएं : अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी (टिप्पणी 6.1 देखें)	-	-
	कुल	-	-
6.1	अप्रचलन के लिए भत्ते और मूल्य में कमी		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 6.1.1 देखें)		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
6.1.1	वर्ष के दौरान, मालसूची को निवल वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) पर पश्चलेखित किया गया और लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई।	-	-
6.1.2	पिछले वर्षों में बुक की गई और वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और मूल्यहास के लिए भत्ते।	-	-

टिप्पणी सं. 7.1 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - निवेश

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 7.2 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - व्यापार प्राप्य

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	- व्यापार प्राप्य- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7. 2.2, 7.2.3, 7.2.4 और 7.2.7 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य-बिल नहीं किए गए - अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 7.2.4 और 7.2.5 देखें)	-	-
	- व्यापार प्राप्य- क्रेडिट बाधित (टिप्पणी 7.2.2, 7.2.3 और 7.2.4 देखें)	-	-
	घटाएं : व्यापार प्राप्य के लिए क्षति भत्ता (टिप्पणी 7.2.1 देखें)	-	-
	कुल	-	-
7.2.1	व्यापार प्राप्य के लिए अनुमेय हानि		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
7.2.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के साथ या तो अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण अथवा फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है।	-	-
7.2.3	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों और कंपनी के अन्य संबंधित पक्षों द्वारा देय ऋण।	-	-
7.2.4	व्यापार प्राप्यों की जीवनकाल अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-7 का अनुबंध-। देखें।		
7.2.5	वर्तमान प्राप्तियों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनकी वहन राशि उनके उचित मूल्य के समान मानी जाती है।		
7.2.6	विभिन्न बैंकों से बिलों की छूट के माध्यम से परिसमाप्त किए गए शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की राशि के व्यापार प्राप्य को बिल छूट समझौते की शर्तों के मद्देनजर अमान्य नहीं किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी संबंधित लाभार्थियों द्वारा चूक के मामले में होने वाले ऋण घाटे के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देती है। छूट वाले बिलों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयता के संबंध में टिप्पणी 20.1.2 देखें।		
7.2.7	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं.8 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान- नकद और नकद समकक्ष

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
1.	बैंकों के साथ शेष राशि		
	अनुसूचित बैंकों के साथ		
i)	- चालू खाते में	2,582.97	3,715.47
ii)	- जमा खाते में		
	(तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियां)	26,000.00	44,350.00
iii)	- चालू खाते में - बैंकों के साथ अन्य निर्दिष्ट शेष (देखें टिप्पणी 8.2)		
	अन्य बैंकों के साथ		
	- चालू खाते में		
	भूटान	-	-
ख.	चेक, हस्तगत ड्राफ्ट	-	-
ग.	हस्तगत नकदी (टिप्पणी 8.1 देखें)	-	-
	कुल	28,582.97	48,065.47

8.1	हस्तगत स्टाम्प शामिल है।	-	-
8.2	इसमें वे शेष राशियाँ शामिल हैं जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं:-	-	-
	(i) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए रखी गई।	-	-
	(ii) चमेरा-1 पावर स्टेशन के आरओई को ऋणदाता (एचडीएफसी बैंक) को प्रतिभूतिकृत करने के कारण मासिक किस्त के भुगतान के लिए रखी गई।	-	-

टिप्पणी 9: वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	3 महीने से अधिक 12 महीने तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक जमा (देखें टिप्पणी 9.1)	2,811.00	23,565.00
ख.	बैंकों के साथ निर्दिष्ट शेष		
	जमा-अदा न किया गया लाभांश	-	-
	जमा-अदा न किया गया ब्याज	-	-
	बैंकों के पास अन्य निर्दिष्ट शेष	-	-
	कुल	2,811.00	23,565.00

9.1 कंपनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं होने वाले शेष शामिल है

(1) अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित	-	-
--	---	---

टिप्पणी सं. 10 वित्तीय आस्तियां - चालू - ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	संबंधित पक्ष को ऋण (उस पर ब्याज सहित) - अप्रतिभूत (टिप्पणी 34(7), 10.1 और 10.2 देखें)	-	-
	- ऋण प्राप्य (अच्छे माने गए)	-	-
	- ऋण प्राप्य- ऋण बाधित	-	-
	घटाएं : संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी ऋण (उपार्जित ब्याज सहित) (टिप्पणी 10.2 और 10.3 देखें)		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	1.56	1.70
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	87.94	36.15
	- ऋण बाधित- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 10.5 देखें)	-	-
	उप जोड़	89.50	37.85
ग.	ग्राहक से देय राशि के निपटान में राज्य सरकार को ऋण		
	- अप्रतिभूत (अच्छे माने गए)	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	अनुषंगियों/संयुक्त उपक्रमों को अग्रिम	-	-
	कुल	89.50	37.85
10.1	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो मांग पर चुकाने योग्य हैं।	-	-
	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम जो कि बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हैं।	-	-
10.2	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	-	-
10.3	संबंधित पक्ष को संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता		

	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
10.4	संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए हानि भत्ता	-	
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
10.5	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
10.6	ऋण गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं। प्रतिपक्षों के ऋण जोखिम में परिवर्तन से वहन मूल्य प्रभावित हो सकता है।		
10.7	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अनुसार अपेक्षित ऋणों का विवरण उपरोक्त टिप्पणी 10 के तहत प्रकट किया गया है।		
10.8	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 11 वित्तीय परिसंपत्तियां - वर्तमान - अन्य

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	सुरक्षा जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	119.28	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत		
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए अनुमेय हानि (टिप्पणी 11.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	119.28	-
ख.	वसूली योग्य राशि	26,032.77	12,240.88
	घटाएं: संदिग्ध वसूली योग्य राशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 11.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	26,032.77	12,240.88
ग.	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	-	-
घ.	विलंबित भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	-	-
	घटाएं : विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों पर क्षति भत्ता (टिप्पणी 11.3 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ङ.	प्राप्य पट्टा किराया (वित्त पट्टा) (टिप्पणी 3;4;6 और 34(15) देखें)	-	-
च.	बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज आय (टिप्पणी 11.4 देखें)	51.76	547.77

छ.	वित्त पट्टे पर प्राप्य ब्याज	-	-
ज.	लाभार्थी से वसूली योग्य ब्याज	-	-
झ.	निवेश पर अर्जित ब्याज (बांड)	-	-
ञ.	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य राशि		
	- मूलधन	-	-
	- ब्याज	-	-
ट.	ग्राहकों से बकाया के निपटान में राज्य सरकार को ऋण पर अर्जित ब्याज	-	-
ठ.	डेरिवेटिव एमटीएम परिसंपत्ति	-	-
ड.	मूल कंपनी - एनएचपीसी लिमिटेड से वसूली योग्य दावा	-	-
	कुल	26,203.81	12,788.65
11.1	संदिग्ध जमा पर क्षति भत्ता		
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
11.2	वसूली योग्य राशि - इसमें राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को " केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य के सामान और सेवा करों की प्रतिपूर्ति (आरएसजीटीपीपी)" संबंधी प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि शामिल है, जो कश्मीर में पकलदुल एचईपी, किरु एचईपी और क्वार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए वित्त विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एसओ 281 दिनांकित 17.08.2021 के माध्यम से जारी अधिसूचना द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) पर इसके द्वारा अदा की गई नकदी सहित कंपनी के जीएसटीआर 2ए में प्रदर्शित आपूर्तिकारों के बीजकों की सीमा तक है। जहां भी राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले दावे की राशि को पहले के वर्षों में पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी की लागत के रूप में बुक किया गया था, उसे भी पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी के अनुरूप समायोजन के बाद वसूली योग्य राशि में शामिल किया गया है।	25,861.70	12,140.69
11.3	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.4	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्यों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	-

	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
11.5	अन्य एजेंसियों की ओर से कंपनी द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के लिए धारित शेष पर अर्जित ब्याज शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है।		
11.6	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 12 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	वर्तमान कर परिसंपत्ति		
क.	स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आय कर	-	-
ख.	घटाएं : वर्तमान कर का प्रावधान	-	-
	निवल वर्तमान कर परिसंपत्ति (क-ख)	-	-
	वापसी योग्य आयकर	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी सं. 13 अन्य वर्तमान परिसंपत्ति

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
क)	जमा		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : सरकारी विभागों द्वारा उठाई गई मांग के प्रति दर्ज किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए - अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.1 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख)	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी 13.1.8 देखें)		
	- अच्छे माने गए- प्रतिभूत	-	-
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत		
	- बैंक गारंटी के प्रति	-	-
	- अन्य	134.62	169.57
	घटाएं - उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने पर बुक किया गया व्यय	-	-
	- संदिग्ध माने गए- अप्रतिभूत	-	-
	घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.2 देखें)	-	-
	उप जोड़	134.62	169.57
ग)	अन्य अग्रिम - कर्मचारी		
	- अच्छे माने गए- अप्रतिभूत (टिप्पणी 13.1.7 देखें)	1.93	3.98
	उप जोड़	1.93	3.98
घ)	अर्जित ब्याज		
	अन्य		
	- अच्छे माने गए	187.74	2,189.58
	- संदिग्ध माने गए	-	-
	घटाएं : संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.3 देखें)	-	-
	उप जोड़	187.74	2,189.58
ख.	अन्य		
क)	समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय		
	घटाएँ : बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.4 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ख)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षारत हानियां	-	-

	घटाएं : लंबित जांच/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.1.5 देखें)	-	-
	उप जोड़	-	-
ग)	प्रगतिधीन कार्य	-	-
	प्रगतिधीन निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
	प्रगतिधीन परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	-
घ)	पूर्व-प्रदत्त व्यय	72.46	74.48
ङ)	कर्मचारी अग्रिमों पर आस्थगित लागत	9.12	0.53
च)	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव		
	आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आस्तियां	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर आस्थगित व्यय	-	-
ज)	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य	1.43	2.16
झ)	घटाएं: माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते (टिप्पणी 13.6 देखें)	-	-
	उप जोड़	1.43	2.16
ञ)	अन्य (मुख्य रूप से ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण)	-	-
	कुल	407.30	2,440.30

13.1.1	संदिग्ध जमाओं के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.2	संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते (ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता)		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.3	संदिग्ध उपाजित ब्याज के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.4	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		

	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.5	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	0.75
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	0.75
13.1.6	माल और सेवा कर इनपुट प्राप्य के लिए भत्ते		
	प्रारंभिक शेष	-	
	वर्ष के दौरान वृद्धि		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	-	-
13.1.7	कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से देय	शून्य	शून्य
13.1.8	फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिसमें कंपनी का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है।	शून्य	शून्य
13.1.9	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 34(12) देखें।		

टिप्पणी सं. 13.2 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 13.2.1 देखें)	1.76	3.33
कुल	1.76	3.33

13.2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में संयंत्र और उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियां (कार्यालय उपकरण, वाहन, फर्नीचर और जुड़नार, आदि) शामिल हैं, जिन्हें परिचालन के सामान्य क्रम में परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन/अप्रचलन के कारण निपटान के लिए पहचाना गया है।

टिप्पणी सं. 14.1 विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	विनियामक आस्थगित लेखा शेष		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	घटाएं : प्रावधन किया गया	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख.	तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (अन्य व्यापक आय के माध्यम से) (देखें टिप्पणी 30.2)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ग.	टैरिफ को मंद किए जाने के कारण विभेदीय मूल्यहास		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजित	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
घ.	मौद्रिक मदों के लिए विनिमय हानि		
	प्रारंभिक शेष	56.37	10.60
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	(4.06)	45.77
	वर्ष के दौरान समायोजित		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष	52.31	56.37
ड.	अदालती/ माध्यस्थम मामलों में ब्याज भुगतान		
	प्रारंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)		
	वर्ष के दौरान समायोजन		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित		
	अंतिम शेष		

च.	वर्ष 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए विलंबित कर प्राप्य के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
छ.	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उससे आगे के लिए विलंबित कर देयताओं के प्रति समायोजन		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)	52.31	56.37
	घटाएं : विनियामक आस्थगित लेखा शेष पर विलंबित कर	-	-
	जोड़े : लाभार्थियों से प्राप्य विलंबित कर	-	-
	विलंबित कर का निवल विनियामक आस्थगित कर शेष	52.31	56.37

14.1 क्षति और विनियामक आस्थगित लेखा शेष के संबंध में और प्रकटीकरणों के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी-34 (18) और 34(22) देखें।

टिप्पणी सं. 14.2 विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
लाभार्थियों को दिया जाने वाला मैट क्रेडिट		
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि (देखें टिप्पणी 31)	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त (देखें टिप्पणी 31)	-	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित (देखें टिप्पणी 31)	-	-
अंतिम शेष	-	-

14.2.1 विनियामक आस्थगित लेखा शेष के संबंध में और प्रकटीकरण के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(22) देखें।

टिप्पणी: 15.1 इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार		31 मार्च, 2023 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूंजी (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/-)	52000.00	520000.00	52000.00	520000.00
जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (प्रति शेयर सममूल्य रुपए 10/)	44503.41	445034.13	36923.91	369239.13

15.1.1 रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान :

प्रारंभिक शेष	36923.91	369239.13	33364.51	333645.13
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी/सब्सक्राइब किए गए शेयरों/शेयर पूंजी की संख्या	7579.50	75795.00	3559.40	35594.00
घटाएं:- अवधि/ वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम शेष	44503.41	445034.13	36923.91	369239.13

15.1.2 कंपनी ने शेयरधारकों को शेयरधारिता के अनुपात में मत के अधिकार वाले केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मत अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक उनके लिए समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी हकदार हैं। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमाम्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

15.1.3 5 प्रतिशत से अधिक धारित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी में शेयर और धारित शेयरों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए नीचे दी गई है :-

	31 मार्च, 2024 के अनुसार		31 मार्च, 2023 के अनुसार	
	संख्या	(%) में	संख्या	(%) में
i) एनएचपीसी लिमिटेड	24041.11	54.02%	19473.91	52.74%
ii) जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	20462.30	45.98%	17450.00	47.26%
कुल	44503.41	100.00%	36923.91	100.00%

15.1.4 31 मार्च 2024 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	24041.11	54.02%	1.28%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	20462.30	45.98%	-1.28%

15.1.5 31 मार्च 2023 के अनुसार प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	एनएचपीसी लिमिटेड	19473.91	52.74%	-2.39%
2	जेकेएसपीडीसी लिमिटेड	17450.00	47.26%	2.39%

टिप्पणी सं. 15.2 अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

ब्यौरा	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
(i) आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	22,469.00	10,000.00
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त	76,242.00	48,063.00
घटाएं : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	75,795.00	35,594.00
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	22,916.00	22,469.00
(ii) पूंजी मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
जोड़े : सामान्य आरक्षित से अंतरण		-
जोड़े : प्रतिभूति प्रीमियम लेखे से अंतरण		
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलेखन		
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iii) बांड मोचन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
घटाएं: अधिशेष/प्रतिधारित आय में स्थानांतरण		
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(iv) सामान्य आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(v) अधिशेष/प्रतिधारित आय		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7,915.28	5,400.73
जोड़ें: वर्ष के दौरान लाभ	1,068.19	2,514.55
जोड़ें: वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय		
जोड़ें: बॉन्ड मोचन आरक्षित से अंतरण		
घटा: लाभांश (अंतिम और अंतरिम)		

	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	8,983.47	7,915.28
(vi)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-ऋण लिखत		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
(vii)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई)-इक्विटी लिखत		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	जोड़ें: एफवीटीओसीआई के उचित मूल्य में परिवर्तन (कर का निवल)		
	तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार	-	-
	कुल	31,899.47	30,384.28

15.2.1 भंडार की प्रकृति और उद्देश्य

- सामान्य आरक्षित :** सामान्य आरक्षित का उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय ये लाभों के अंतरण के लिए किया जाता है क्योंकि उक्त को इक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण द्वारा सृजित किया जाता है। उक्त का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- अधिशेष/प्रतिधारित आय :** अधिशेष/प्रतिधारित आय आम तौर पर कंपनी के अविभाजित लाभ/संचित आय की राशि को दर्शाती है और इसमें निर्धारित लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ/हानि शामिल है।

टिप्पणी सं. 15.3 कारपोरेट कार्यालय से निधि (अंतरण लेखा)

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
निगम मुख्यालय से निधि	4,00,674.13	3,01,923.39
सीओ (जम्मू)	73,740.38	37,581.89
पकल दुल	(1,11,833.74)	(75,212.45)
किरू	(52,979.50)	(26,384.04)
कार	(16,252.08)	(13,458.59)
चेक भुगतान लेखा		
सीओ (जम्मू)	1,40,384.98	92,763.99
दुलहस्ती (चरण- II)	-	-
पकलदुल	(3,00,072.34)	(2,17,848.16)
कीरू	(90,806.52)	(74,839.72)
कार	(42,855.31)	(24,526.31)
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 16.1 गैर वर्तमान - वित्तीय दायित्व - ऋण

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	परिशोधित लागत पर		
क.	- प्रतिभूत ऋण		
	-बॉन्ड	-	-
	-सावधि ऋण	-	-
	- बैंकों से	-	-
	- अन्य (वित्तीय संस्थानों) से	-	-
ख.	- अप्रतिभूत ऋण		
	- सावधि ऋण		
	- भारत सरकार से (अधीनस्थ ऋण) (देखें टिप्पणी 16.1.2)	60,987.31	38,454.67
	- अन्य से (विदेशी मुद्रा में)	-	-
ग.	मूल कंपनी से ऋण		
	- सावधि ऋण - अप्रतिभूत (देखें टिप्पणी 16.1.4)		
	कुल	60,987.31	38,454.67
16.1.1	ऋण प्रसंविदाए : पूंजी प्रबंधन के संबंध में टिप्पणी 33(3) देखें।		
16.1.2	भारत सरकार से सावधि ऋण (अधीनस्थ ऋण) उचित मूल्यांकन के बाद निवल है क्योंकि इन ऋणों पर ब्याज दर प्रचलित बाजार दर से कम है। 31.03.2024 तक बकाया कुल अधीनस्थ ऋण 1,62,771.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,02,349.00 लाख रुपए) है। इसमें वर्तमान परिपक्वता राशि शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) शामिल है।		
16.1.3	मोचन, चुकौती और प्रतिभूतियों का विवरण:-		
	पकल दुल एचईपी के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (पुनर्भुगतान परियोजना के पूरा होने के 8वें वर्ष से शुरू किया जाएगा और 19वें वर्ष तक जारी रहेगा अर्थात सितम्बर 2034 से, परियोजना के पूरा होने के बाद ब्याज @ 1% प्रति वर्ष लिया जाएगा।		
16.1.4	ऋण का परिपक्वता विश्लेषण		

	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम		
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		
	5 वर्ष से अधिक	1,62,771.00	1,02,349.00
	कुल	1,62,771.00	1,02,349.00

टिप्पणी सं. 16.2 गैर-वर्तमान - वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	पट्टा देयताएं (देखें टिप्पणी 34(16)(क))	21.12	54.72
	कुल	21.12	54.72
16.2.1	पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर कंपनी के ऋण और पट्टा देयता की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	23.80	56.71
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		
	5 वर्ष से अधिक		
	कुल	23.80	56.71

		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
16.2.2	पट्टा देयता में संचलन		
	प्रारंभिक शेष	149.39	129.05
	पट्टा देनदारियों में वृद्धि	42.38	110.39
	वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	7.36	8.42
	घटाएं : पट्टा देनदारियों का भुगतान	108.55	98.47
	अंतिम शेष	90.58	149.39
	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 20.2 देखें)	69.46	94.67
	पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	21.12	54.72

टिप्पणी सं. 16.3 गैर वर्तमान - वित्तीय देयताएं - अन्य		(लाख रुपये में)	
विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बाण्ड के प्रति देय		
	- मूलधन	-	-
	प्रतिधारण राशि	10.32	117.46

	पूँजीगत कार्यों/ आपूर्तियों के प्रति देयता	-	-
	विलंब भुगतान अधिभार के लिए देय	-	-
	व्युत्पन्न एमटीएम देयता	-	-
	कुल	10.32	117.46
16.3.1	टिप्पणी सं. - 16.3 का परिपक्वता विश्लेषण		
	नीचे दी गई तालिका संविदात्मक भुगतानों (गैर-छूटबद्ध नकदी प्रवाह) के आधार पर जमा/प्रतिधारण राशि की परिपक्वता प्रोफाइल को सारांशित करती है:		
	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम	11.81	113.25
	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम		5.59
	5 वर्ष से अधिक		
	कुल	11.81	118.84

टिप्पणी सं. 17 प्रावधान - गैर वर्तमान

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
i)	दीर्घकालिक हितलाभों के लिए प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,192.11	952.67
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	247.94	239.44
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	1,440.05	1,192.11
ख.	अन्य		
i)	प्रतिबद्ध पूँजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-

	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ii)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
iii)	प्रावधान-अन्य		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	1,440.05	1,192.11

17.1 प्रावधानों के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 (18) में दी गई है।

टिप्पणी सं. 18 गैर वर्तमान - आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	आस्थगित कर देयता		
क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति	-	-
ख)	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
ग)	अन्य मर्दे	-	-
	आस्थगित कर देयता	-	-

	घटाएं: - प्रावधानों को समायोजित करने के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समायोजन		
क)	कर्मचारी लाभ योजना, संदिग्ध ऋण, मालसूची और अन्य के लिए प्रावधान	-	-
ख)	अन्य मदें	-	-
ग)	एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
	आस्थगित कर देयता (निवल)	-	-

टिप्पणी सं. 19 अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	अग्रिम में प्राप्त आय- मूल्यहास के प्रति अग्रिम आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (टिप्पणी 19.1 देखें)	1,07,769.64	66,726.48
	कुल	1,07,769.64	66,726.48
19.1	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय प्रारंभिक शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान)		
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	66,726	39,565.33
		41,043	27,161.15
	घटाएं: लाभ और हानि के विवरण को अंतरित (टिप्पणी 24.2 देखें)		
	अंतिम शेष (वर्तमान और गैर वर्तमान) (टिप्पणी 19.1.1 देखें)	1,07,769.64	66,726.48
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (वर्तमान)- (टिप्पणी संख्या-21 देखें)	-	-
	सरकार से सहायता अनुदान-आस्थगित आय (गैर-वर्तमान)	1,07,769.64	66,726.48
19.1.1	अनुदान में शामिल हैं:-		
	पकल दुल जल विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन सहायता अनुदान के रूप में लेखांकित किया गया।	1,07,769.64	66,726.48
	कुल	1,07,769.64	66,726.48

टिप्पणी सं. 20.1 ऋण - वर्तमान

(लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
--	-------	--------------------------	--------------------------

क.	मांग पर चुकाने योग्य ऋण		
	बैंकों से – प्रतिभूतित (देखें टिप्पणी 20.1.1)	-	-
ख.	अन्य ऋण		
	बैंक से – प्रतिभूतित (देखें टिप्पणी 20.1.2)	-	-
ग.	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखें टिप्पणी 20.1.3)		
	- बॉन्ड – प्रतिभूतित	-	-
	- सावधि ऋण -बैंक- प्रतिभूतित	-	-
	- सावधि ऋण - वित्तीय संस्थान-प्रतिभूत	-	-
	- सावधि ऋण -बैंक- अप्रतिभूतित	-	-
	- अप्रतिभूत-सरकार से (अधीनस्थ ऋण)	-	-
	- अन्य-अप्रतिभूतित (विदेशी मुद्रा में)	-	-
	उप जोड़ (ग)	-	-
घ.	मूल कंपनी से ऋण (देखें टिप्पणी 20.1.4)		
	- सावधि ऋण – अप्रतिभूतित	-	-
	कुल	-	-

टिप्पणी सं. 20.2 चालू – वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
पट्टा देयताएं (टिप्पणी 34(15) देखें)	69.46	94.67
कुल	69.46	94.67

टिप्पणी सं. 20.3 देय व्यापार – चालू

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम (उद्यमों) की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.1 देखें)	129.25	119.76
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि (टिप्पणी 20.3.3 देखें)	287.21	203.77
कुल	416.46	323.53
20.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में प्रकटीकरण :-		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	129.25	119.76

	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 34(15) में दी गई है।
20.3.2	व्यापार देय की बढ़ी हुई राशियों के अनुसूची के लिए टिप्पणी संख्या-20.3 का संलग्नक-1 देखें।
20.3.3	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों के कुल बकाया देयों में मूल कंपनी को देय शून्य रूपए (गत वर्ष शून्य रूपए) शामिल है।
20.3.4	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 20.4 वर्तमान - अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
बॉण्ड आवेदन राशि	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य पूंजीगत कार्यो/आपूर्ति के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.4)	24,970.54	16,794.92
जमा	-	-
पूंजीगत कार्यो/आपूर्ति-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति देयता (देखें टिप्पणी 20.4.1)	17.54	3.21
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति देयता दायित्व	23.76	20.22
ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं	-	-
उपार्जित और ऋण पर देय ब्याज	-	-
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवार्थ बॉण्ड के प्रति देय		
- मूल धन	-	-
- ब्याज	-	-
धरोहर राशि जमा / प्रतिधारण राशि	5,424.05	2,165.39
मूल/ सहायक कंपनियों के कारण	934.36	156.74
शेयर आवेदन राशि के लिए देयता - वापसी योग्य सीमा तक	-	-
अदा न किया गया लाभांश	-	-
अदा न किया गया ब्याज	-	-
विलंब भुगतान अधिभार हेतु देय	-	-
व्युत्पन्न एमटीएम देयता	-	-
कर्मचारियों को देय	31.23	46.28
अन्यों को देय	4.94	4.57
कुल	31,406.42	19,191.33
20.4.1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संबंध में	

	प्रकटीकरण :-		
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया देयताएं	17.54	3.21
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रति बकाया ब्याज	-	-
20.4.1	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (अधिनियम) के अंतर्गत यथा परिभाषित आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति के बारे में कंपनी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन एकल वित्तीयविवरणों की टिप्पणी संख्या 34(14) में दी गई है।		
20.4.2	उधारियों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज में मूल कंपनी को देय शून्य रुपये की ब्याज राशि शामिल है।		
20.4.3	उधारियों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज में मूल कंपनी को देय शून्य रुपये की ब्याज राशि शामिल है।		
20.4.4	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता में मूल कंपनी को देय 544.42 लाख रुपए की राशि शामिल है।		
20.4.5	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(15) देखें।		

टिप्पणी सं. 20.3 का संलग्नक - I

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2024 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्त और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	77.89	0.08	51.28				129.25

(2) अन्य	114.57	0.00	164.05	5.83	2.76		287.21
(3) विवादित देय - एमएसएमई							0
(4) विवादित देय - अन्य							0
कुल							
	192.46	0.08	215.33	5.83	2.76	0	416.46

31 मार्च, 2023 के अनुसार

विवरण	बिल न किए गए	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए देय व्यापार प्राप्त और बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(1) एमएसएमई	98.38	0.64	20.74				119.76
(2) अन्य	91.85	0.74	108.42	0.35	2.41		203.77
(3) विवादित देय - एमएसएमई							0
(4) विवादित देय - अन्य							0
कुल	190.23	1.38	129.16	0.35	2.41	0	416.46

टिप्पणी सं. 21 अन्य वर्तमान देयताएं

विवरण		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
	अग्रिम में प्राप्त आय (मूल्यहास के प्रति अग्रिम)	-	-
	विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय	-	-
	आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव देयताएं	-	-
	जमा/एजेंसी आधार कार्यों पर अव्ययित राशि कार्य	-	-
	देय जल उपयोग शुल्क	-	-
	देय होने वाली सांविधिक देनदारियां	2,057.06	1,616.83
	अनुबंध देयताएं-जमा कार्य	-	-
	अनुबंध देयताएं-परियोजना प्रबंधन/परामर्श कार्य	-	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संबंध में वसूली योग्य राशि का प्रावधान	-	-
	ग्राहकों और अन्य लोगों से अग्रिम	-	-
	सरकार से सहायता-अनुदान - आस्थगित आय से सहायता अनुदान (टिप्पणी संख्या-19.1 देखें)	-	-
	कुल	2,057.06	1,616.83

21.1 शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(12) देखें।

टिप्पणी सं. 22 प्रावधान - वर्तमान

(लाख रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
क.	कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
i)	दीर्घकालिक हितलाभों के लिए प्रावधान (बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	32.43	26.44
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	38.49	32.43
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई / अंतरित राशि	32.43	26.44
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	38.49	32.43
ii)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-

	अंतिम शेष	-	-
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	-	-
	अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-
iii)	निष्पादन संबंधी वेतन/ प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	871.21	803.88
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	670.57	965.69
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	849.01	897.93
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	0.13	0.43
	अंतिम शेष	692.64	871.21
	घटाएं:- अग्रिम भुगतान	2.16	12.73
	अग्रिम का निवल अंतिम शेष	690.48	858.48
iv)	सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
v)	वेतन संशोधन का प्रावधान- तीसरी वेतन संशोधन समिति		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि		
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
ख.	अन्य		
i)	टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	
	अंतिम शेष	-	-
ii)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	10,165.73	12,165.73
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	3,083.41	-

	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	500.00	2,000.00
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	12,749.14	10,165.73
iii)	बीमित परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार व्यय का प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि		
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि		
	अंतिम शेष	-	-
iv)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	छूट की समाप्ति	-	-
	अंतिम शेष	-	-
v)	माध्यस्थम निर्णय / न्यायालय मामलों के संबंध में प्रावधान		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
vi)	प्रावधान- अन्य		
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-	-
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	कुल	13,478.11	11,056.64

22.1	शेष राशि की पुष्टि के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34(18) देखें।
------	--

टिप्पणी सं. 23 वर्तमान कर देयताएं (निवल)

(लाख रुपये में)

ब्यौरा	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार वर्तमान कर देयता	1,345.34	789.70
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	899.60	1,345.35
वर्ष के दौरान समायोजित की गई	1,345.35	789.70
वर्ष के दौरान उपयोग की गई		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित की गई		
वर्तमान कर देयता का अंतिम शेष (क)	899.60	1,345.34
घटाएं : स्रोत पर कर कटौती सहित वर्तमान अग्रिम कर (ख)	910.63	1,351.68
निवल वर्तमान कर देयताएं (क-ख)	(11.03)	(6.34)
(उपरोक्त टिप्पणी संख्या-4 के अधीन प्रकट की गई)	11.03	6.34
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 24.1 प्रचालनों से राजस्व

(लाख रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रचालन राजस्व		
क.	बिक्री (टिप्पणी 24.1.1 और 24.1.3 देखें)		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	मूल्यहास पर अग्रिम - अवधि के दौरान पश्चलेखित	-	-
	निष्पादन आधारित प्रोत्साहन	-	-
	उप-जोड़ (i)	-	-
	घटाएं :		
	विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के कारण बिक्री समायोजन	-	-
	टैरिफ समायोजन (टिप्पणी 24.1.2 देखें)	-	-
	विनियमित विद्युत समायोजन	-	-
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व (निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित) (टिप्पणी 32 देखें)	-	-
	ग्राहकों को छूट	-	-
	उप-जोड़ (ii)	-	-
	उप - जोड़ (क) = (i -ii)	-	-
ख.	वित्त पट्टे से आय (टिप्पणी 34(15)(ख) देखें)	-	-
ग.	प्रचालन पट्टे से आय (टिप्पणी 34(15)(ग) देखें)	-	-
घ.	अनुबंध, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों से राजस्व		
	निविदा आय	-	-
	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-
	उप - जोड़ (घ)	-	-
ङ.	विद्युत व्यापार से राजस्व		
	विद्युत की बिक्री	-	-
	घटाएं : ग्राहकों को छूट		
	व्यापार मार्जिन (टिप्पणी 24.1.4 देखें)	-	-
	उप - जोड़ (ङ)	-	-
	उप-जोड़-1 (क+ख+ग+घ+ङ)	-	-
च.	अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
	स्व-उत्पन्न वीईआर/आरईसी की बिक्री से आय	-	-
	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के कारण आय	-	-
	लाभार्थी राज्यों से ब्याज - टैरिफ का संशोधन	-	-
	दफर्जा की बिकरुर्जा की बिक्री के कारण आय	-	-
	उप-जोड़-11	-	-
	कुल (I+II)	-	-

टिप्पणी सं. 24.2 अन्य आय

(लाख रुपये में)

ब्यौरा		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	ब्याज आय		
	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- गैर कर योग्य	-	-
	- एफवीटीओसीआई पर किए गए निवेश- कर योग्य	-	-
	- ब्याज - सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी 8.5% कर मुक्त बांड) जारीकर्ता	-	-
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	-	-
	- जमा खाता	3,574.38	5,342.13
	- कर्मचारी के ऋण और अग्रिम (छूट का निवल)	1.22	1.64
	- ठेकेदारों को अग्रिम	3,740.26	5,653.05
	- वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि को समाप्त करना	-	-
	- अन्य	-	3.34
ख)	लाभांश आय		
	- सहायक कंपनियों से लाभांश (टिप्पणी 34.8 देखें)	-	-
	- लाभांश - अन्य	-	-
ग)	अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय को सीधे आरोप्य व्यय का निवल)		
	विलंब भुगतान अधिभार	-	-
	व्यापार में बाधा के कारण हानि की वसूली	-	-
	निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	-
	बीमा दावे से आय	-	-
	देयताएं/क्षति भत्ते/पश्चलेखन की आवश्यकता नहीं होने वाले प्रावधान (टिप्पणी 24.2.1 देखें)	-	1.27
	ठेकेदार को जारी सामग्री		
	(i) ठेकेदारों को जारी सामग्री के कारण बिक्री	-	-
	(ii) घटाएं : ठेकेदारों को वसूली योग्य आधार पर जारी सामग्री की लागत	-	-
	(iii) ठेकेदार को जारी सामग्री के कारण निवल समायोजन	-	-
	सहायता अनुदान का परिशोधन (टिप्पणी 19.1 देखें)	-	-
	विनिमय दर अंतर (निवल)	-	-
	व्युत्पन्न पर मार्क टू मार्केट लाभ	-	-
	अन्य	303.89	143.70
	उप जोड़	7,619.75	11,145.13

	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	7,619.75	11,145.13
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	4,044.35	5,798.44
	घटाएं: ग्राहक/ ठेकेदारों से अग्रिम/जमा को अंतरित और जमा कार्यों के प्रति	-	-
	घटाएँ: अन्य आय का अनुदान में अंतरण	-	-
	कुल	3,575.40	5,346.69

24.2.1	देयताओं/हानि भत्तों/पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों का विवरण		
क)	खराब और संदिग्ध कर्मचारी ऋण के लिए भत्ते		
ख)	ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते		
ग)	राज्य सरकार को खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		
घ)	खराब और संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए भत्ते		
ङ)	मालसूची के मूल्य में अप्रचलन और हास के लिए भत्ते		
च)	व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता		
छ)	खराब और संदिग्ध जमाराशियों के लिए भत्ते		
ज)	ऋण के लिए हानि भत्ते जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
झ)	संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते		
ञ)	संदिग्ध उपार्जित ब्याज के लिए भत्ते		
ट)	बट्टे खाते में डालने की मंजूरी की प्रतीक्षारत परियोजना व्यय के लिए भत्ते		
ठ)	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ते		
ड)	दीर्घावधि लाभों के लिए प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया)		
ढ)	पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान		
ण)	टैरिफ समायोजन का प्रावधान		
त)	प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान		
थ)	आजीविका सहायता का प्रावधान		
द)	बीमित आस्तियों के पुनर्स्थापन व्यय का प्रावधान		
ध)	तीसरी पीआरसी के लिए प्रावधान		
न)	अन्य	-	1.27
	कुल	-	1.27

टिप्पणी सं. 25.1 विद्युत की खरीद - व्यापार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद	-	-
घटाएं : आपूर्तिकर्ता से छूट	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 25.2 उत्पादन व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जल उपयोग शुल्क	-	-
भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
उप जोड़	-	-
घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी सं. 26 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	8,125.82	7,429.22
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान (टिप्पणी 26.2 और 26.3 देखें)	1,008.44	1,054.84
कर्मचारी कल्याण व्यय	813.81	520.66
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
उप जोड़	9,948.07	9,004.72
जोड़ें/(घटाएं): निगम मुख्यालय व्यय आवंटन	-	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
उप जोड़	9,948.07	9,004.72

	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	8,890.02	7,890.50
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	1,058.05	1,114.22
26.1	कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के लिए पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
26.2	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान में निम्नलिखित शामिल है:	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	506.72	473.32
	ii) कर्मचारी निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति योजना के प्रति	366.53	469.64
26.3	वेतन और मजदूरी में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार अल्पावधि पट्टों पर व्यय शामिल है।	-	-

टिप्पणी सं. 27 वित्त लागत

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज		
	बॉण्ड	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	भारत सरकार ऋण	-	-
	अल्पकालिक ऋण	-	-
	नकद ऋण सुविधाएं / डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	अन्य ब्याज शुल्क	-	-
	पट्टा देयताएं	7.36	8.42
	छूट की समाप्ति-भारत सरकार ऋण	3,153.80	2,310.48
	उप जोड़	3,161.16	2,318.90
ख.	अन्य ऋण लागत		
	कॉल स्प्रेड / कूपन अदला-बदली	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-

	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	37.00	0.01
	छूट को समाप्त करना - प्रावधान और वित्तीय देनदारियों	0.98	17.38
	उप जोड़	37.98	17.39
ग.	विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन पर लागू शुद्ध (लाभ) / हानि		
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर	-	-
	घटाएं: आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव परिसंपत्तियों को अंतरित	-	-
	उप जोड़	-	-
घ.	आयकर पर ब्याज	4.10	-
	कुल (क + ख + ग + घ)	3,203.24	2,336.29
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	कुल	3,203.24	2,336.29
	घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	3,197.57	2,334.72
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	कुल	5.67	1.57

टिप्पणी संख्या 28 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	मूल्यहास - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	739.49	990.25
	मूल्यहास-उपयोग का अधिकार	1,041.27	1,031.28
	परिशोधन-अमूर्त परिसंपत्तियां	24.61	11.06

विदेशी मुद्रा दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी 19 और 5(घ)(iii) देखें)	-	-
जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
जोड़ें/(घटाएं): अन्य यूनिटों को/से आवंटित मूल्यहास	-	-
उप जोड़	1,805.37	2,032.59
घटाएं : निर्माण को आरोप्य व्यय को अंतरित	1,726.54	1,972.47
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
कुल	78.83	60.12

टिप्पणी सं. 29 अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	निविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्श कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ख.	मरम्मत और रखरखाव		
	- भवन	1,064.83	870.40
	- मशीनरी	0.02	-
	- अन्य	147.27	135.99
	किराया (टिप्पणी 29.4 देखें)	334.54	284.29
	किराया प्रभार	250.21	210.55
	दरें और कर	86.14	54.97
	बीमा	7.71	7.34
	सुरक्षा व्यय	308.20	299.58
	विद्युत प्रभार	103.73	91.88
	यात्रा और परिवहन	188.11	177.85
	वाहनों पर व्यय	88.01	83.83
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	211.62	86.42
	विज्ञापन और प्रचार	22.48	19.32
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	7.03	7.11
	मुद्रण और लेखन सामग्री	60.26	36.82
	विधिक व्यय	12.85	5.79
	परामर्श शुल्क - देशीय	2,990.34	2,478.45
	परामर्श शुल्क - विदेशी	-	-
	लेखापरीक्षा व्यय (टिप्पणी 29.3 देखें)	5.90	6.49
	प्रतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट क्षेत्र के उपचार/पर्यावरणीय व्यय संबंधी व्यय/ विकास व्यय	4,603.49	64.43
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्य पर व्यय	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है	1,687.56	274.09
	परिसंपत्तियों पर हानि (निवल)	13.64	11.03
	बीमा दावों से क्षति	-	-
	दान	0.39	0.25
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (टिप्पणी 34(13) देखें)	34.57	20.93
	सामुदायिक विकास व्यय	-	-
	निदेशकों का बैठक शुल्क	-	-
	माध्यस्थम/न्यायालय मामलों पर ब्याज	-	-
	माध्यस्थम/न्यायालय मामलों पर मुआवजा	-	-
	लाभार्थी को ब्याज	-	-

	स्व-उत्पन्न किए गए वीईआर/आरईसी पर व्यय	-	-
	विनिमय दर अंतर (निवल)	4.70	37.02
	प्रशिक्षण व्यय	11.22	8.72
	याचिका शुल्क / पंजीकरण शुल्क / अन्य शुल्क - सीईआरसी / आरएलडीसी / आरपीसी / आईईएक्स / पीएक्सआईएल को	-	-
	केन्द्रीय विद्यालय के संचालन/चालन व्यय	-	-
	अन्य विद्यालयों के संचालन/चालन व्यय	-	-
	अतिथि गृह/ट्रांजिट हॉस्टल के संचालन/चालन व्यय	0.96	-
	डीजी सेट-आवासीय के अलावा अन्य परिचालन व्यय	1.72	-
	वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य हानि	-	-
	व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-
	अन्य सामान्य व्यय	207.72	834.35
	उप जोड़	12,455.22	6,107.90
	जोड़ें/(घटाएं): सीओ व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	12,455.22	6,107.90
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	11,960.62	5,730.40
	घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	32.85	20.84
	घटाएं: पुनर्खरीद पर व्यय के लिए सामान्य आरक्षित में अंतरण	-	-
	उप-जोड़ (i)	461.75	356.66
ड.	प्रावधान/क्षति भत्ता		
	व्यापार प्राप्तियों के लिए क्षति भत्ता	-	-
	प्रत्याशित ऋण हानि के लिए क्षति भत्ता - व्यापार प्राप्तियां	-	-
	अशोध्य और संदिग्ध अग्रिम/जमा के लिए भत्ता	-	-
	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
	संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जों/निर्माण भंडार के लिए भत्ता	-	-
	भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-
	निवेश के मूल्य में कमी के प्रति भत्ता	-	-
	परियोजना व्यय के लिए भत्ता	-	-
	जांच लंबित/बट्टे खाते में डालने/स्वीकृति की प्रतीक्षारत हानियों के लिए भत्ता	-	-
	स्व-निर्मित वीईआर की मालसूची के मूल्य में कमी के लिए प्रदान किया गया भत्ता	-	-

	कैचमेंट क्षेत्र उपचार योजना के लिए भत्ता	-	-
	लाभार्थियों को ब्याज (टिप्पणी 29.2 देखें)	-	-
	न्यायालय/मध्यस्थता निर्णय के प्रति ब्याज	-	-
	अन्य	-	-
	उप जोड़	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): निगम मुख्यालय व्यय आवंटन	-	-
	जोड़ें/(घटाएं): क्षेत्रीय कार्यालय व्यय आवंटन	-	-
	उप जोड़	-	-
		-	-
	घटाएं: निर्माण को आरोप्य व्यय में अंतरित	-	-
	घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
	उप-जोड़ (ii)	-	-
	कुल (i+ii)	461.75	356.66
29.1	पट्टों के बारे में प्रकटीकरण टिप्पणी 34 (15) (क) में दिया गया है।		
29.2	सीईआरसी अधिसूचना दिनांक 21.02.2014 के तहत कंपनी द्वारा दायर टूइंग-अप आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश की अधिसूचना लंबित होने के चलते, लाभार्थी राज्यों को ब्याज के लिए वर्ष के दौरान बहियों में बताई गई राशि प्रदान की गई है, जिसका उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी मामले में भुगतान करना पड़ सकता है।		
			(लाख रुपये में)
29.3	लेखापरीक्षा व्यय का विवरण निम्नवत है:-	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	i) सांविधिक लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षक के रूप में		
	लेखापरीक्षा शुल्क	4.72	4.72
	कर लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	अन्य क्षमता में		
	कराधान मामले	-	-
	कंपनी कानून मामले	-	-
	प्रबंधन सेवाएं	-	-
	अन्य मामले/सेवाएं	1.18	1.77
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	ii) लागत लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	iii) माल और सेवा कर (जीएसटी)		

	लेखापरीक्षक		
	लेखापरीक्षा शुल्क	-	-
	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-
	कुल लेखापरीक्षा व्यय	5.90	6.49
29.4	किराए में इंड एस-116 "पट्टों" के अनुसार निम्नलिखित व्यय शामिल हैं।		
(i)	एक माह या उससे कम की पट्ट अवधि के अलावा अन्य अल्पकालिक पट्टों पर व्यय	267.33	240.72
(ii)	कम मूल्य की संपत्ति के दीर्घकालिक पट्टे पर व्यय	-	-
(iii)	पट्टा देयताओं के मापन में शामिल नहीं किए गए परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	67.21	43.57

टिप्पणी सं. 30.1 कर व्यय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	899.60	1,345.35
पूर्व अवधियों से संबंधित समायोजन	(0.75)	-
कुल वर्तमान कर व्यय	898.85	1,345.35
आस्थगित कर		
आस्थगित कर आस्तियों में कमी (वृद्धि)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
- एमएटी क्रेडिट पात्रता के कारण समायोजन	-	-
आस्थगित कर देनदारियों में वृद्धि (कमी)		
- अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रत्यावर्तन से संबंधित	-	-
- कर की दर में परिवर्तन से संबंधित		-
- पूर्व अवधि के आस्थगित कर के संबंध में समायोजन		-
कुल आस्थगित कर व्यय (लाभ)	-	-
निवल आस्थगित कर	-	-
कुल	898.85	1,345.35

टिप्पणी सं. 30.2 अन्य व्यापक आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
(क) रोजगारपत्र निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं : रोजगारपत्र निर्धारित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन पर आयकर	-	-
रोजगारपत्र निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन (कर का निवल)	-	-
घटाएं:- निर्धारित लाभ दायित्वों पर कर के संबंध में विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन	-	-
-विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में संचलन-	-	-
रोजगारपत्र निर्धारित लाभ दायित्वों का पुनर्मापन	-	-
घटाएं: विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव	-	-
उप जोड़ (क)	-	-
(ख) इक्विटी दस्तावेज़ में निवेश	-	-
घटाएं : इक्विटी दस्तावेजों पर आयकर	-	-
उप जोड़ (ख)	-	-
कुल (i)=(क)+(ख)	-	-
(ii) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
- ऋण दस्तावेजों में निवेश	-	-
घटाएं: ऋण दस्तावेजों में निवेश पर आयकर	-	-
कुल (ii)	-	-
कुल =(i+ii)	-	-

टिप्पणी सं. 31 विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचलन

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) तीसरी वेतन संशोधन समिति के अनुसार वेतन संशोधन	-	-
(ii) टैरिफ के अनतिक्रम के कारण मूल्यहास	-	-
(iii) मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर	(4.06)	45.77
(iv) अदालत/ माध्यस्थम मामलों पर ब्याज भुगतान		
(v) 2009 तक की टैरिफ अवधि के लिए वसूली योग्य आस्थगित कर के प्रति समायोजन	-	-

(vi)	टैरिफ अवधि 2014-2019 और उसके बाद के लिए आस्थगित कर देयताओं के प्रति समायोजन	-	-
(vii)	मैट क्रेडिट	-	-
	कुल (i)+(ii)+(iii)+(iv+(v)+(vi)+(vii))	(4.06)	45.77
	विनियामक आस्थगित लेखे पर कर का प्रभाव		
	घटाएं : नियामक आस्थगित लेखा शेष पर आस्थगित कर	-	-
	जोड़ें: लाभार्थियों से वसूली योग्य आस्थगित कर	-	-
	कुल	(4.06)	45.77

टिप्पणी सं. 32 वर्ष के लिए प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य का भाग होने वाला निर्माण को आरोप्य व्यय (ईएसी)

(लाख रुपये में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	उत्पादन व्यय		
	जल उपयोग प्रभार	-	-
	भंडार और कलपुर्जों की खपत	-	-
	उप जोड़	-	-
ख.	कर्मचारी लाभ व्यय		
	वेतन और मजदूरी	5,569.98	4,941.80
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	697.29	726.35
	कर्मचारी कल्याण व्यय	480.76	290.17
	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
	उप जोड़	6,748.03	5,958.32
ग.	वित्त लागत		
	निम्नलिखित पर ब्याज : (टिप्पणी 2.2.3 देखें)		
	बांड	-	-
	विदेशी ऋण	-	-
	सावधि ऋण	-	-
	पट्टा देयताएं	3.20	3.59
		3.20	3.59
	नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
	ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माने गए विनिमय अंतर को	-	-
	हेजिंग लेनदेन पर हानि	-	-
	बांड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
	प्रतिबद्धता शुल्क	-	-

	ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
	अन्य वित्त शुल्क	37.00	0.01
	ईएसी को व्यय का हस्तांतरण- केंद्र सरकार से ऋण पर ब्याज-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	3,153.80	2,310.48
	ईएसी को व्ययों का अंतरण -सुरक्षा जमा पर ब्याज/प्रतिधारण धन-प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन	0.53	17.03
	ईएसी-प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय में व्यय का अंतरण-समय मूल्य के लिए समायोजन	-	-
	उप जोड़	3,194.53	2,331.11
घ.	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1,573.86	1,834.16
	उप जोड़	1,573.86	1,834.16
ङ	अन्य व्यय		
	मरम्मत और रखरखाव :		
	-भवन	697.75	543.38
	-मशीनरी	0.02	-
	-अन्य	118.28	108.70
	किराया और किराया प्रभार	573.39	490.75
	दरें और कर	6.39	11.02
	बीमा	1.96	1.32
	सुरक्षा व्यय	209.56	201.80
	विद्युत शुल्क	51.55	46.19
	यात्रा और परिवहन	89.96	112.08
	वाहनों पर व्यय	50.32	42.62
	टेलीफोन, टेलेक्स और डाक	135.40	65.84
	विज्ञापन और प्रचार व्यय	12.26	0.84
	मनोरंजन और आतिथ्य व्यय	-	-
	मुद्रण और लेखन सामग्री	37.71	18.23
	विधिक और परामर्श शुल्क:		
	- देशीय	2,980.39	2,470.97
	- विदेशी	-	-
	क्षतिपूर्ति वनरोपण /कैचमेंट क्षेत्र के उपाय/ पर्यावरणीय व्ययों पर व्यय/ विकास व्यय	4,603.49	64.43
	डाउनस्ट्रीम बचाव कार्यों के कार्यों पर व्यय	-	-
	भूमि पर व्यय जो कंपनी से संबद्ध नहीं है	1,687.56	274.09
	बट्टे खाते में डाले गए परिसंपत्तियां/दावे	0.02	-
	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास व्यय	-	-
	संपत्ति की बिक्री पर हानि	6.33	8.30
	अन्य सामान्य व्यय	130.22	779.67
	विनिमय दर भिन्नता (डेबिट)	-	-

	उप जोड़	11,392.56	5,240.23
च.	प्रावधान	-	-
	उप जोड़	-	-
छ.	निगम मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
	अन्य आय	(3.62)	(2.32)
	अन्य व्यय	568.06	490.17
	कर्मचारी लाभ व्यय	2,141.99	1,932.18
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	152.68	138.31
	वित्त लागत	3.04	3.61
	प्रावधान	-	-
	उप जोड़	2,862.15	2,561.95
ज.	घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियां		
	विद्युत के उत्पादन से आय - चालू किए जाने से पूर्व	-	-
	ऋण और अग्रिम पर ब्याज	3,740.41	5,653.47
	संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
	विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	-
	पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयताएं	-	1.20
	विविध प्राप्तियां	300.11	141.45
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - सुरक्षा जमा	0.21	-
	ईएसी को आय का अंतरण - व्युत्पन्न पर एमटीएम लाभ	-	-
	ईएसी को उचित मूल्य लाभ का अंतरण - प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय के प्रावधानों पर	-	-
	उप जोड़	4,040.73	5,796.12
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज) (टिप्पणी 2.2 देखें)	21,730.40	12,129.65

टिप्पणी सं. 33 वित्तीय दस्तावेज़ और जोखिम प्रबंधन संबंधी प्रकटन

(1) उचित मूल्य मापन

क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज़

(लाख रूपए में)

	वित्तीय परिसंपत्तियां	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
			लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
	गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	गैर-वर्तमान निवेश							
क)	इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1						
ख)	ऋण लिखत (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत"	3.1						-
	उप जोड़							-
(ii)	व्यापार प्राप्य	3.2						-
(iii)	ऋण							
क)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3			-			-
ख)	कर्मचारी	3.3			88.70			8.98
ग)	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.3			-			-
घ)	अन्य	3.3			-			-
(iv)	अन्य							
	जमा	3.4			18.44			132.72
	ब्याज सहित पट्टा प्राप्य	3.4			-			-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांडों के संबंध में वसूलनीय	3.4			-			-
	विलंब भुगतान अधिभार के कारण प्राप्य	3.4			-			-
	वसूलीयोग्य राशि	3.4			-			-
	व्युत्पन्न मार्क टू मार्किट परिसंपत्ति	3.4			-			-
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा सहित अन्य (प्रोदभूत ब्याज सहित)	3.4			-			-
	कुल गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	107.14	-	-	146.70

	वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i)	वर्तमान निवेश	7.1					
(ii)	व्यापार प्राप्य	7.2			-		-
(iii)	नकदी और नकदी समतुल्य	8			28,582.96		48,065.47
(iv)	नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	9			2,811.00		23,565.00
(v)	ऋण	10					
	कर्मचारी ऋण				89.51		37.85
	संबंधित पक्ष को ऋण				-		-
	अन्य				-		-
(v)	अन्य (पट्टा प्राप्य को छोड़कर)	11			26,203.61		12,788.05
(vi)	अन्य (ब्याज सहित पट्टा प्राप्य)	11			-		-
	कुल वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां				57,687.28	-	84,456.97
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां				57,794.42	-	84,603.67

वित्तीय देयताएं	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
		लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	परिशोधित लागत
वित्तीय देयताएं							
गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं		-	-				
(i) दीर्घावधि ऋण	16.1			60,987.31			38,454.67
(ii) पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	16.2			21.12			54.72
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय)	16.3			10.32			117.46
कुल गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं				61,018.75			38,626.85
वर्तमान वित्तीय देयताएं							

(iv)	ऋण - अल्पावधि, दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं सहित	20.1			-		-
(v)	पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं	20.2			69.46		94.67
(vi)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित व्यापार देय	20.3			416.46		323.53
(vii)	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं						
क)	ऋण पर प्रोद्भूत किंतु देय नहीं ब्याज	20.4			-		-
ख)	अन्य वर्तमान देयताएं	20.4			31,406.42		19,191.33
	कुल वर्तमान वित्तीय देयताएं		0	0	31,892.34		19,609.53
	कुल वित्तीय देयताएं				92,911.09		58,236.38

ख) उचित मूल्य मापन

i) उचित मूल्य स्तर

यह खंड (क) उचित मूल्य पर मान्यता दिए जाने तथा मापे जाने वाले और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए और जिसके उचित मूल्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्यों के निर्धारण में अपनाए गए निर्णयों तथा अनुमानों को स्पष्ट करता है। उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले आदानों की विश्वसनीयता के संबंध में एक संकेत उपलब्ध करवाने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों को इंड एस-113 "उचित मूल्य मापन" के अंतर्गत विहित निम्नलिखित 3 स्तरों में वर्गीकृत किया है:

स्तर-1 : स्तर-1 स्तर में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे जाने वाले वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी दस्तावेज और व्यापार किए जाने वाले वे बॉण्ड शामिल हैं जिनका उद्धृत मूल्य है। बॉण्ड सहित सभी इक्विटी दस्तावेज जिनका मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज तथा मनी मार्केट में व्यापार किया जाता है, उनका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि को अंतिम मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर-2 : सक्रिय बाजार में व्यापार न किए जाने वाले वित्तीय दस्तावेजों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो प्रत्यक्ष बाजार डाटा के उपयोग को अधिकतम करता है और निकाय विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करता है। यदि किसी दस्तावेज के उचित मूल्य के लिए अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण आदान देखे जा सकने योग्य हैं तो दस्तावेज स्तर-2 में शामिल किया जाता है।

स्तर-3 : यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण आदान प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं हैं तो दस्तावेज को स्तर-3 में शामिल किया जाता है। स्तर-3 में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य सामान्य रूप से स्वीकृत कीमत प्रवाह मॉडल के साथ निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष वर्तमान बाजार लेन-देनों और समान दस्तावेजों के डीलर उद्धरण से कीमतों का उपयोग करके नकदी प्रवाह विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्तियां/देयताएं, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि और ब्याज की बाजार दर से कम पर ऋण शामिल हैं।

(क) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मापन

(लाख रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	निवेश -							
	- इक्विटी दस्तावेजों में (उद्धृत)	3.1	-			-		
	- ऋण दस्तावेजों (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में - उद्धृत*	3.1 और 7.1	-			-		
	एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i)	व्युत्पन्न एमटीएम परिसंपत्ति (मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय)	3.4						
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		-	-	-	-	-	-
	एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं							
	व्युत्पन्न एमटीएम देयता (मांग फैलाव विकल्प)	16.3						
	कुल वित्तीय देयताएं							

टिप्पणी :

* इन दस्तावेजों के संबंध में नवीनतम उद्धृत बाजार दर न होने पर, दरों को फिक्डस्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के तहत निकाला गया है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिशोधित लागत पर मापा गया है और उन्हें गैर-आवर्ती उचित मूल्य मापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है:-

(लाख रूपए में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
			स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	वित्तीय परिसंपत्तियां							

(i)	व्यापार प्राप्य	3.2			-			-
(ii)	ऋण							
क)	कर्मचारी (वर्तमान ऋण सहित)	3.3 और 10		170.74			45.56	
ख)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3		-			-	
ग)	अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3		-			-	
घ)	अन्य	3.3		-			-	
(iii)	अन्य							
	सुरक्षा जमा	3.4		18.44			137.72	
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4		-			-	
	वसूलीयोग्य - अन्य	3.4						
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4						
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		-	189.18	-	-	183.28	-
	वित्तीय देयताएं							
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1,20.1 और 20.4						
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)	16.3	-		10.35	0		94.27
	कुल वित्तीय देयताएं		0	-	10.35	0		94.27

(ग) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य

		(लाख रूपए में)			
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
		वहनीय राशि	उचित मूल्य	वहनीय राशि	उचित मूल्य

	वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i)	व्यापार प्राप्य	3.2	-	-	-	-
(ii)	ऋण					
क)	कर्मचारी (वर्तमान ऋण सहित)	3.3 और 10	178.21	170.74	46.83	45.56
ख)	संबंधित पक्ष को ऋण	3.3	-	-	-	-
ग)	अरूणाचल प्रदेश सरकार को ऋण (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.3	-	-	-	-
घ)	अन्य		-	-	-	-
(ii)	अन्य					
	सुरक्षा जमा	3.4	18.44	18.44	137.72	137.72
	12 माह से अधिक की परिपक्वता वाले बैंक जमा (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	3.4	-	-	10,000,000	10,000,000
	वसूलीयोग्य - अन्य	3.4	-	-	-	-
	भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण वसूलीयोग्य	3.4	-	-	-	-
	कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		196.65	189.18	184.55	183.28
	वित्तीय देयताएं					
(i)	वर्तमान परिपक्वताओं और प्रोद्भूत ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण	16.1, 20.1 और 20.4	60,987.31	60,987.31	38,454.67	38,454.67
(ii)	अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताएं (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के कारण देय सहित)	16.3	10.32	10.35	117.46	94.27
	कुल वित्तीय देयताएं		60,997.63	60,997.66	38,572.13	38,548.94

टिप्पणी :-

- वर्तमान निवेश, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य, अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम, अल्पावधि उधार, व्यापार देय और अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं की वहनीय राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।
 - उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं हेतु वहनीय राशि उनके उचित मूल्य के समान है।
 -

(घ) मूल्यांकन तकनीक और उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया

1. कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन उपलब्ध सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक संगत डाटा का उपयोग करते हुए करती है। वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - उद्धृत बाजार मूल्य अथवा समान दस्तावेजों हेतु डीलर उद्धरण का उपयोग।
 - शेष वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य का निर्धारण छूट दिए गए नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।
2. स्तर - 3 पर वर्गीकृत वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य के लिए प्रयुक्त छूट दर एनएचपीसी की भारित औसत दर पर।
3. बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटा लेन-देन लागत पर मान्यता प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके दिया जाता है जहां दीर्घावधि ऋण पर व्यय की गई ऐसी लेन-देन लागत वास्तविक होती है।

(2) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(क) वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी के क्रियाकलाप विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में इस प्रकार बताती है:

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला प्रदर्शन	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी तथा नकदी समतुल्य, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्य और परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां, पट्टा प्राप्य	आयु विश्लेषण, क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, चुनिंदा ग्राहकों हेतु लेटर ऑफ क्रेडिट
लिक्विडिटी जोखिम	ऋण तथा अन्य सुविधाएं	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान और बजट	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों तथा ऋण सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - ब्याज दर	परिवर्तनशील दरों पर दीर्घावधि ऋण	संवेदनशीलता विश्लेषण	1. नियत दर तथा परिवर्तनशील दरों का विविधीकरण 2. पुनः वित्तपोषण 3. वास्तविक ब्याज की वसूली सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से की जाती है
बाजार जोखिम - प्रतिभूतित मूल्य	इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधीकरण
बाजार जोखिम - विदेशी विनिमय	भारतीय राष्ट्रीय रूपये में दर्शायी न गई मान्य वित्तीय देयताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को सीईआरसी विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। मांग फैलाव विकल्प और केवल कूपन विनिमय

ऋण जोखिम ढांचा

कंपनी के क्रियाकलाप इसे विभिन्न जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील बनाते हैं। कंपनी ने पर्याप्त प्रणालियों और पद्धतियों का विकास करके ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र अवसंरचना प्रदान करने हेतु कंपनी की सुपरिभाषित जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना और निगरानी के लिए पूरी तरह निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

कंपनी अपने वित्तीय दस्तावेजों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिमों का सामना करती है

i. **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि कोई प्रतिपक्ष किसी वित्तीय दस्तावेज या उपभोक्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा जो वित्तीय हानि में परिणत होगा। कंपनी को अपने प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य/पटटेवाली परिसंपत्तियों) और वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के पास जमा शामिल है, से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

ii. **नकदी जोखिम**

नकदी जोखिम वह जोखिम है कि कंपनी अपनी वर्तमान तथा भविष्य की नकदी एवं सहायक दायित्वों को अस्वीकार्य हानियों को वहन किए बिना पूरा करने में असमर्थ होगा।

iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव आएगा। बाजार मूल्यों में 3 प्रकार के जोखिम शामिल हैं - मुद्रा दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे कि इक्विटी मूल्य जोखिम तथा वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित वित्तीय दस्तावेज में ऋण तथा उधार, जमा तथा निवेश शामिल हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम यह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय दस्तावेज के उचित मूल्य अथवा भविष्य के नकदी प्रवाहों में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा।

कंपनी एक विनियमित परिवेश में प्रचालन करती है। कंपनी के टैरिफ को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक स्थिर प्रभारों (एएफसी) के माध्यम से निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 5 घटक होते हैं -

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), 2. मूल्यहास, 3. ऋणों पर ब्याज, 4. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय और 5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज। उक्त विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों से कर भी वसूले जाने होते हैं। अतः ब्याज दर में परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन और अन्य मूल्य जोखिम अंतरों को टैरिफ से वसूला जाना होता है और ये कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करते। इसके अलावा, कंपनी ब्याज दर हेज और मुद्रा की अदला-बदली के माध्यम से इसके मध्यम अवधि विदेशी मुद्रा ऋणों को भी हेज करती है।

(ख) ऋण जोखिम

कंपनी अपने प्रचालन क्रियाकलापों (मुख्यतः व्यापार प्राप्य) और अपने वित्तपोषण क्रियाकलापों जिसमें बैंकों के साथ जमा तथा अन्य वित्तीय दस्तावेज शामिल है, से ऋण जोखिम के संपर्क में आती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

कर्मचारी ऋण : कंपनी ने कर्मचारियों को कंपनी की नीति के अनुसार रियायती दरों पर ऋण दिए हैं जिनका मापन तुलन-पत्र तिथि को परिशोधित लागत पर किया गया है। ऋण की वसूली स्थिर किश्त आधार पर कर्मचारियों के मासिक वेतन में से की जाती है। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दीर्घावधि ऋण उन परिसंपत्तियों के रेहन/गिरवी रखे जाने के माध्यम से सुरक्षित हैं जिनके लिए ऐसे ऋण दिए गए हैं। प्रबंधन ने पूर्व के डाटा का आकलन किया है और इन ऋणों के संबंध में चूक की किसी संभाव्यता की परिकल्पना नहीं करती है।

वित्तीय लिखत और नकदी जमा :

कंपनी बैंकों के साथ शेष तथा जमा को रखने के लिए बैंक का चयन करने हेतु ट्रेक रिकार्ड, बैंक के आकार, बाजार ख्याति और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है। सामान्यतः शेष को उन बैंकों के साथ रखा जाता है जिनसे कंपनी ने ऋण भी लिया है। कंपनी अधिशेष नकदी का निवेश अनुसूचित बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में करती है। कंपनी के शेष तथा जमा ऐसे बैंकों के पास हैं जो भलीभांति निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विविधीकृत हैं और किसी एक बैंक के साथ इसका सीमित संपर्क है।

(i) ऋण जोखिम का प्रभाव

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहनीय राशि अधिकतम ऋण प्रभाव को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि को ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव निम्नानुसार था :

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह प्रत्याशित ऋण हानियों (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर-वर्तमान निवेश (सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा)	-	-
ऋण-गैर वर्तमान (ब्याज सहित)	88.70	8.98
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां (पट्टा प्राप्य और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि को छोड़कर)	18.44	137.72
वर्तमान निवेश	-	-
नकदी और नकदी समतुल्य	28,582.96	48,065.47
नकदी और नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष	2,811.00	23,565.00
ऋण - वर्तमान	89.51	37.85
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (प्राप्य पट्टे को छोड़कर)	26,203.81	12,788.65
कुल (क)	57,794.42	84,603.67
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों		

(ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	-	-
पट्टा प्राप्य (ब्याज सहित)	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	57,794.42	84,603.67

(ii) प्रत्याशित ऋण हानियों हेतु प्रावधान:-

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर प्राप्य बकायों का आकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को जीवनकाल प्रत्याशित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली में चूक तब होती है जब प्रबंधन के आकलन के अनुसार वसूली के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राप्यों की वसूली की महत्वपूर्ण संभावना नहीं होती है। चूंकि कंपनी के विद्युत स्टेशन और लाभार्थी भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, फिर भी भौगोलिक रूप से ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।

(iii) क्षति हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्षति हेतु अनुमति में संचलन निम्नवत था:

(लाख रूपए में)

विवरण	व्यापार प्राप्य	वसूली राशि	योग्य	प्राप्य दावे	ऋण	कुल
01.04.2022 को शेष	-	-			-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-			-	-
01.04.2023 को शेष	-	-			-	-
हानि भत्ते में परिवर्तन	-	-			-	-
31.03.2024 को शेष	-	-			-	-

ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, कंपनी का विश्वास है कि किन्हीं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे प्रावधानों की राशियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(ग) नकदी जोखिम

विवेकसम्मत नकदी जोखिम प्रबंधन का अर्थ पर्याप्त नकदी तथा बिक्री योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता है।

- i. कंपनी का उद्देश्य नकदी तथा प्रतिभूति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय नकदी के इष्टतम स्तरों को बनाए रखना है। कंपनी निधियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण तथा अत्यधिक प्रचालनशील नकदी प्रवाहों के एक मिश्रण पर निर्भर करती है। ऋण तथा आंतरिक प्रोद्भवनों की वर्तमान प्रतिबद्ध लाइनें इसकी अल्प तथा मध्यम अवधि विस्तार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी अपनी नकदी आवश्यकताओं के चल अनुमानों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि उसके पास पूंजीगत व्यय तथा प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी हो जबकि उसके पास हर समय आहरित न की गई प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं हेतु पर्याप्त गुंजाइश हो ताकि इसकी किसी ऋण सुविधा पर ऋण सीमाओं या प्रसंविदाओं (जहां लागू हो) का उल्लंघन न हो।

कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित आहरित न की गई ऋण सुविधाओं पर पहुंच थी :

	(लाख रूपए में)	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिवर्तनशील दर पर	-	-
स्थिर दर	-	-
कुल	-	-

ii. वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएं:

नीचे तालिका में दर्शाई गई राशियां संविदात्मक छूट न दिए गए नकदी प्रवाह हैं। एक वर्ष के भीतर देय शेष उनके वहन शेषों के समान है क्योंकि छूट का प्रभाव अत्यधिक नहीं है।

31 मार्च, 2024 को

	(लाख रूपए में)					
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को बकाया ऋण	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	162,771.00	-	-	-	162,771.00
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	90.58	69.46	23.80	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	31,419.43	31,407.62	11.81	-	-
व्यापार देय	20.3	416.46	416.46	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		194,697.47	31,893.54	35.61	-	162,771.00

31 मार्च, 2023 को

		(लाख रूपए में)					
वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताएं	टिप्पणी सं.	31.03.2023 को बकाया ऋण	को	एक वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक
ऋण	16.1 और 20.1	102,349.00		-	-	-	102,349.00
पट्टा दायित्व	16.2 और 20.2	149.39		94.67	56.71	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	16.3 और 20.4	19,311.33		19,192.49	113.25	5.59	-
व्यापार देय	20.3	323.53		323.53	-	-	-
कुल वित्तीय देयताएं		122,133.25		19,610.69	169.96	5.59	102,349.00

(घ) बाजार जोखिम

संवेदनशीलता विश्लेषण में रोजगार-पश्चात लाभ बाध्यता प्रावधानों के वहन मूल्य और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं पर बाजार परिवर्तनशील कारकों के संचलन का प्रभाव शामिल नहीं होता है। लाभ एवं हानि के विवरण के संगत मत की संवेदनशीलता संबंधित बाजार जोखिम में माने गए परिवर्तन का प्रभाव है। कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई प्रकार के वित्तीय जोखिमों के संपर्क में ला देते हैं जिसमें ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

i) ब्याज बाजार जोखिम और संवेदनशीलता

बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम से कंपनी का खुलासा मुख्यतः परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ कंपनी की दीर्घावधि ऋण दायित्वों से संबंधित है। कंपनी की नीति अपने अधिकांश ऋणों को नियत दर पर बनाए रखने की है। कंपनी के नियत दरों पर ऋण को परिशोधित लागत पर लिया जाता है और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अनुकूल शर्तें उपलब्ध होने पर इन ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करती है। कंपनी को परिवर्तनशील दर में परिवर्तनों हेतु सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजनों की वसूली के माध्यम से भी प्रतिपूर्ति की जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम निम्नानुसार है

(लाख रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार		31 मार्च, 2023 के अनुसार	
	भारित औसत ब्याज दर (%)		भारित औसत ब्याज दर (%)	
परिवर्तनशील दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)				
परिवर्तनशील दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
नियत दर ऋण (भारतीय राष्ट्रीय रूपए)	7.80%	60,987.31	7.72%	38,454.67
नियत दर ऋण (विदेशी मुद्रा)				
कुल		60,987.31		38,454.67

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋणों से उच्चतर/निम्नतर ब्याज व्ययों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी के अधिकांशतः ऋण नियत दर पर होते हैं। यदि परिवर्तनशील दरें हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के कारण कंपनी का लाभ और हानि विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह लाभार्थियों से टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य है।

(ii) मूल्य जोखिम:

(क) संपर्क

मूल्य जोखिम से कंपनी का संपर्क वित्तीय विवरणों में ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों तथा ऋण दस्तावेजों में निवेश से उत्पन्न होता है। इक्विटी शेयरों में कंपनी का निवेश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है और उस पर सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। ऋण दस्तावेजों में कंपनी के निवेश में उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉण्ड शामिल होते हैं और उनका बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यापार किया जाता है। निवेश को तुलन-पत्र में गैर-वर्तमान निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। रिपोर्टिंग तिथि को, इक्विटी और ऋण लिखत से संपर्क निम्नानुसार हैं :-

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 के अनुसार	31 मार्च, 2023 के अनुसार
इक्विटी दस्तावेज	-	-
ऋण दस्तावेज	-	-

iii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी को सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अंतर्गत टैरिफ समायोजन के द्वारा वसूली के माध्यम से विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तनशीलता हेतु प्रतिपूर्ति की जाती है।

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभाव :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति कंपनी के प्रभाव को भारतीय राष्ट्रीय रूपये में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्तीय देयताएं		
विदेशी मुद्रा ऋण		
जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन लिमिटेड (जेपीवाई)		
एमयूपीजी बैंक (जेपीवाई)		
अन्य वित्तीय देयताएं	2,308.45	2,292.10
विदेशी मुद्रा जोखिम से निवल प्रदर्शन (देयताएं)	2,308.45	2,292.10

विनिमय परिवर्तन के कारण शेष संपर्क लाभ/(हानि), टैरिफ विनियम 2019-24 के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। इसलिए, ऐसे संपर्क के संबंध में मुद्रा जोखिम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(ख) संवेदनशीलता विश्लेषण

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें या तो संबंधित अचल परिसंपत्ति/चल रहे पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है अथवा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूला जाता है। तदनुसार, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रकट नहीं किया गया है।

(3) पूंजी प्रबंधन

(क) पूंजी जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 70:30 के ऋण : इक्विटी अनुपात को विहित करते हैं। तदनुसार, कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन सीईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड संबंधी पूंजी ढांचे को बनाए रखने के लिए करती है।

कंपनी ऋण : इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी द्वारा विभाजित निवल ऋण है। ऋण : इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है :

(लाख रूपए में)

गियरिंग अनुपात का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) कुल ऋण	61,077.89	38,604.06
(ख) कुल पूंजी	476,933.60	399,623.41
गियरिंग अनुपात (क/ख)	12.81%	9.66%

टिप्पणी : कंपनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, पूंजी में जारी की गई पूंजी और आरक्षित शामिल है। कुल ऋण में दीर्घावधि ऋण और उनकी परिपक्वता सहित पट्टा देयताएं शामिल हैं। अत्यावधि ऋण और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड के प्रति देय शामिल है।

टिप्पणी संख्या - 34 : लेखाओं पर अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटन :-
जहां तक प्रावधान नहीं किया गया है, वहां तक आकस्मिक देयताएं -

(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें निम्नलिखित के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :

(i) **पूंजीगत कार्य**

संविदाकारों ने दर तथा मात्रा विचलन, समय विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के बन्द होने/स्थल आदि सौंपे जाने में विलंब के कारण खाली रहने के प्रभारों के चलते कंपनी के प्रति कुल **98697.35 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **24021.02 लाख रूपये**) के दावे दर्ज किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार देय नहीं हैं अथवा अधिनिर्णय अधिकरण/अन्य मंचों/कंपनी में जांच के अधीन पड़े हैं। इसमें तत्संबंधी ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय पंचाटों के प्रति **264.42 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **264.42 लाख रूपये**) शामिल हैं, जिन्हें न्यायालयों में चुनौती दी गई है/चुनौती देने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन ने उक्त दावों का आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभाव्यता के आधार पर शून्य रूपये (पिछले वर्ष **841.08 लाख रूपये**) के प्रावधान को मान्यता दी है और **98697.35 लाख रूपये** (पिछले वर्ष **23,179.94 लाख रूपये**) की राशि का अनुमान आकस्मिक देयता हेतु लगाया है अर्थात् वह राशि जिसके लिए कंपनी को आकस्मिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसे अनुमानित आकस्मिक दावों के संबंध में या तो आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेष दावों/ दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

(ii) **भूमि मुआवजा मामले**

परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के संबंध में कुछ भू-वंचितों ने विभिन्न प्राधिकारियों/ न्यायालयों के समक्ष उच्चतर मुआवजे हेतु शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रूपये) की राशि हेतु दावे दायर किए हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रूपये) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रूपये) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iii) **विवादित कर मांग**

उपायुक्त, जीएसटी, जम्मू द्वारा उठाए गई कैम्पा निधि को किए गए भुगतान पर विवादित जीएसटी मांग की राशि **322 लाख रूपये** (पिछले वर्ष शून्य रूपये) है। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रूपये) की राशि उपलब्ध करवाई है और **322 लाख रूपये** (पिछले वर्ष शून्य रूपये) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है।

(iv) **अन्य**

अन्य विविध मामलों के संबंध में दावे शून्य रूपये (पिछले वर्ष **3.07 लाख रूपये**) के हैं। ये दावे विभिन्न मंचों पर लम्बित हैं। निपटान लम्बित होने तक कंपनी ने आकलन किया है और आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना के आधार पर शून्य रूपये (पिछले वर्ष शून्य रूपये) की राशि उपलब्ध करवाई है और आकस्मिक देयता की राशि के प्रति शून्य रूपये (पिछले वर्ष **3.07 लाख रूपये**) का अनुमान लगाया है क्योंकि संसाधनों के बहिर्प्रवाह को संभाव्य नहीं माना गया है। शेष दावों/दायित्वों के संबंध में निपटान में किसी बहिर्प्रवाह की संभाव्यता को काफी कम माना गया है।

उक्त का सार निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)							
क्रम सं.	विवरण	31.03.2024 को दावे	दावों के निमित्त आज की तारीख तक प्रावधान	31.03.2024 को आकस्मिक देयता	31.03.2023 को आकस्मिक देयता	वर्ष के दौरान आकस्मिक देयता से वृद्धि/ (कटौती)	01.04.2023 के अनुसार प्रारंभिक शेष से आकस्मिक देयता की कमी
(i)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(viii)	(vii) = (v) - (vi)	(viii)
1.	पूँजीगत कार्य	986,97.35	-	986,97.35	23,179.94	75,517.41	1,549.16
2.	भूमि मुआवजा मामले	--	-	--	-	--	-
3.	विवादित कर मामले	322.22	-	322.22	-	322.22	-
4.	अन्य	0	0	0	3.07	(3.07)	3.07
	कुल	99,019.57	-	99,019.57	23,183.01	75,836.56	1,552.23

- (ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- (ग) आकस्मिक देयताओं के संबंध में किसी बर्हिप्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- (घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) की भरपाई होने की संभावना है।
- (ङ) (i) पूँजीगत कार्यों के संबंध में उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति **शून्य रुपए** (पिछले वर्ष **शून्य रुपए**) की राशि का भुगतान उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति किया गया है, जो ऐसे मामलों हेतु है जहां माध्यम अधिकरणों ने मध्यस्थता कार्यवाहियों में संविदाकार के पक्ष में आदेश पारित किए हैं और ऐसे पंचाट/आदेशों को कंपनी द्वारा न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, के लिए नीति आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14070/14/2016-पीपीपीएयू के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार अदा की गई राशि को अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 5 भी देखें)।
- (ii) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में **79.39 लाख रुपये** (पिछले वर्ष **79.39 लाख रुपए**) अदालत के आदेशों के अनुसार मामलों के प्रतिवाद के लिए न्यायालयों में जमा कराए/अदा किए गए है और इन्हें अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है (टिप्पणी संख्या 13 भी देखें)।
- (च) कंपनी का प्रबंधन तर्कसंगत रूप से यह प्रत्याशित नहीं करता कि उक्त दावे/दायित्व (जो मुकदमेबाजी के अधीन है), अन्त में जब समाप्त होंगे तथा उन पर निर्णय लिया जाएगा, उनका कम्पनी के प्रचालनों के परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक तथा प्रतिकूल प्रभाव होगा।
- 2. आकस्मिक परिसंपत्तियां - कंपनी के संबंध में आकस्मिक परिसंपत्तियां निम्नलिखित के कारण हैं :**
- क) कंपनी द्वारा अन्य निकायों पर दर्ज किए गए प्रति दावे :**
 कंपनी ने अन्य निकायों के दावों के प्रति **351.81 लाख रुपये** (पिछले वर्ष **351.81 लाख रुपये**) के कुल प्रति दावों को दर्ज किया है। इन दावों को संविदात्मक प्रावधानों के आधार पर दर्ज किया गया है और इनका मध्यस्थता अधिकरण/अन्य मंचों पर प्रतिवाद किया जा रहा है/ये प्रतिपक्ष के साथ जांच के अधीन हैं। इसमें मध्यस्थता निर्णयों के प्रति उस पर तदनुसूची अद्यतन ब्याज सहित **शून्य रुपये** (पिछले वर्ष **शून्य रुपये**) शामिल है।

प्रबंधन के आकलन के अनुसार **शून्य रूपये** (पिछले वर्ष **शून्य रूपये**) की कुल राशि वाले दावों के संबंध में एक अनुकूल निर्णय आने की संभावना है और शेष दावों के संबंध में अंतर्वाह की कोई संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। तथापि, इन दावों को मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) अन्य मामले

प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाए गए अनुसार अन्य विविध मामलों के कारण दावों **शून्य रूपए** (पिछले वर्ष **शून्य रूपए**) को मान्यता नहीं दी गई है।

3. प्रतिबद्धताएं (जिनका प्रावधान नहीं किया गया है) :

क) पूंजी लेखे पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि निम्नानुसार है :

(लाख रूपए में)			
क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (चल रहे पूंजीगत कार्य सहित)	9,64,064.41	11,55,253.08
2.	अमूर्त परिसंपत्तियां	141.43	141.43
	कुल	9,64,205.84	11,55,394.51

4. अन्य प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हो) : कोई नहीं।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) का प्रभाव निम्नानुसार है :

(लाख रूपए में)			
क्रम सं	विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	एफईआरवी के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि	0	0
(ii)	ऋण लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित राशि *	0	0
(iii)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वहनीय राशि में समायोजित राशि	0	0
(iv)	विनियामक आस्थगित लेखा शेष में मान्यता दी गई राशि	(4.06)	45.77

* हालांकि, कंपनी की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव प्रचलित सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम 2019-24 के निबंधनों के अनुसार लाभार्थियों से वसूलीयोग्य है। वर्ष के लिए उधारियों की लागत के अंतर्गत शामिल विनिमय दर भिन्नता को कंपनी की उल्लेखनीय लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्ति (लाभार्थियों से वसूलीयोग्य) में स्थानांतरित किया जाता है।

6. प्रचालन खंड :

क) विद्युत उत्पादन कंपनी का मुख्य व्यापार क्रियाकलाप है।

ख) कंपनी का एकमात्र भौगोलिक खंड है क्योंकि इसके सभी विद्युत स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं।

7. इंड एस-24 "संबंधित पक्ष प्रकटन "के अंतर्गत प्रकटन :

(क) संबंधित पक्षकारों की सूची :

(i) मूल कंपनी :

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत
जेकेएसपीडीसी	भारत

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम संख्या	नाम	धारित पद
1.	श्री सुरेश कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष - जेकेएसपीडीसी के नामिति
2.	श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति
3.	श्री संतोष डी. वैद्य, आईएएस	निदेशक - जेकेएसपीडीसी के नामिति (31.08.2023 से)
4.	श्री आर.पी.गोयल	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति
5.	श्री विश्वजीत बासु	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (31.12.2023 से निदेशक नहीं रहे)
6.	श्री हसन नदीम	प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (05.12.2023 से निदेशक नहीं रहे)
7.	श्री रमेश मुखिया	प्रबंध निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (05.12.2023 से)
8.	श्री विजय कुमार सिन्हा	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति (01.01.2024 से)
9.	श्रीमती मधुस्मिता पानी	निदेशक - एनएचपीसी के नामिति
10.	सुधीर आनंद	कंपनी सचिव, सीवीपीपीपीएल

(iii) रोजगार-पश्चात हितलाभ योजनाएं:

संबंधित पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	भारत
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	भारत
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	भारत

(iv) कंपनी पर संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली अन्य कंपनिया :

कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और जेकेएसपीडीसी (जम्मू-कश्मीर सरकार का उद्यम) का एक संयुक्त उद्यम है जो क्रमशः केन्द्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रित है। कंपनी ने सरकार संबंधित निकायों हेतु उपलब्ध छूटों को लागू किया है और इंड एस 24 के अनुसार वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। अतः ऐसे कारोबार के पक्ष-वार ब्यौरे को नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे कारोबार व्यापार के सामान्य चालन में आम वाणिज्यिक शर्तों पर किए जाते हैं तथा इन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता।

क्रम सं.	सरकार का नाम	सीवीपीपीपीएल के साथ संबंध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	मूल कंपनी (एनएचपीसी) पर नियंत्रण वाले शेयरधारक
2.	एनएचपीसी	धारक कंपनी
3.	जेकेएसपीडीसी	कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाले शेयरधारक
4.	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	मूल कंपनी (जेकेएसपीडीसी) पर नियंत्रण होने वाले शेयरधारक

(ख) संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

(i) एनएचपीसी के साथ लेन-देन और शेष

(लाख रुपये में)

लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं		
• एनएचपीसी	2,888.26	2,853.28
कंपनी द्वारा प्रदान किया गया लाभांश		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	44,981.00	33,263.00
प्रतिनियुक्ति/तैनाती पर होने वाले कर्मचारी की लागत की प्रतिपूर्ति		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-

(लाख रुपये में)

मूल कंपनी के साथ शेष	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
निम्नलिखित से प्राप्य (अप्रतिभूत)		
• एनएचपीसी	-	-
निम्नलिखित को देय (अप्रतिभूत)		
• एनएचपीसी	1,478.79	655.36
निम्नलिखित द्वारा इक्विटी में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)		
• एनएचपीसी	2,62,189.13	2,17,208.13
निम्नलिखित से प्राप्य ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-
निम्नलिखित को देय ऋण और अग्रिम		
• एनएचपीसी	-	-

(ii) जेकेएसपीडीसी के साथ लेनदेन और शेष :-

(लाख रुपये में)

जेकेएसपीडीसी के साथ लेन-देन	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त इक्विटी अंशदान (शेयर आवेदन राशि सहित)	31,261.00	14,800.00
कंपनी द्वारा दिया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया ऋण	-	-
कंपनी द्वारा अदा किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-

(लाख रुपये में)

शेष:-	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
प्राप्य (अप्रतिभूत)	-	-

देय (अप्रतिभूतित)	-	-
इक्विटी में निवेश (आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	2,05,761.00	1,74,500.00
प्राप्य ऋण और अग्रिम	-	-
देय ऋण और अग्रिम	-	-

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेन-देन और शेष :

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2024 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार-पश्च लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	23.26	-	-	-	-	-	-
2. प्रबंध निदेशक							
रमेश मुखिया पैन:- AFUPM3498K	22.15	-	-	-	-	-	-
हसन नदीम पैन:- ABGPH4911G	42.22	-	-	-	-	-	-
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:-AFIPA4889E	27.59	-	-	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए लेन-देन और 31.03.2023 के अनुसार शेष						
प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्रतिकर				अन्य लेन-देन और शेष		
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ	रोजगार-पक्ष लाभ	अन्य दीर्घावधि लाभ	सेवांत लाभ	बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज	बैठक शुल्क	प्राप्य बकाया ऋण
1. अध्यक्ष							
सुरेश कुमार पैन :- AJUPK7760L	21.94	-	-	-	-	-	-
2. प्रबंध निदेशक							
हसन नदीम पैन:- ABGPH4911G	50.01	-	-	-	-	-	-
रजत गुप्ता पैन:- ACBPG4686M	9.56	-	-	-	-	-	-
3. कंपनी सचिव							
सुधीर आनंद पैन:-AFIPA4889E	25.79	-	-	-	-	-	-

(iv) रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाओं के साथ लेन-देन और शेष

(लाख रुपये में)

रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाएं (नाम)	कंपनी द्वारा अंशदान (रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाओं से धन वापसी का निवल)		रोजगार पक्ष हितलाभ योजनाओं से शेष	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को	31.03.2023 को
सीवीपीपीपीएल कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	8.68	8.96	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि	321.68	296.86	-	-
एनएचपीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना ट्रस्ट	8.35	7.77	-	-
एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट	326.55	287.26	-	-

(v) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात केन्द्र सरकार)

(लाख रुपए में)		
विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	60,422.00	42,492.00
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-	-

(vi) केन्द्रीय सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

(लाख रुपए में)		
विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
केन्द्र सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	1,62,771.00	1,02,349.00
• देय (अप्रतिभूत)	-	-
• प्राप्य (प्रतिभूत)	-	-

(vii) उस सरकार के साथ लेन-देन जिसका मूल कंपनी पर नियंत्रण है (अर्थात जम्मू और कश्मीर सरकार)

(लाख रुपए में)		
विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(i)	(ii)	(iii)
कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं	5,820.92	195.02
कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	-	-
कंपनी द्वारा वस्तुओं (विद्युत) की बिक्री	-	-
वर्ष के दौरान अदा किया गया लाभांश	-	-
कंपनी द्वारा प्राप्त अधीनस्थ ऋण	-	-
कंपनी द्वारा अदा किया गया अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (प्रोद्भूत ब्याज सहित)	-	-

(viii) जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ बकाया शेष और गारंटियां

विवरण	(लाख रुपए में)	
	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
(i)	(ii)	(iii)
जम्मू और कश्मीर सरकार (जिसका कंपनी पर नियंत्रण है) के साथ शेष		
• सरकार को देय ऋण (अधीनस्थ ऋण)	-	-
• देय (अप्रतिभूतित)	-	-
• प्राप्य (अप्रतिभूतित)	25,861.70	12,140.69

(ग) संबंधित पक्षकार लेन-देनों के संबंध में अन्य टिप्पणियां

(i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन की निबंधन एवं शर्तें

- राज्य सरकारों के साथ तथा भारत सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों के साथ लेन-देन तात्कालिकता, उपयुक्तता अथवा अन्य कारणों से एकल निविदा आधार पर प्रोपाइ्टरी मर्दों के लिए मूल उपस्कर निर्माताओं (ओईएम) से कल-पुर्जे/सेवाएं प्राप्त करने के कुछ मामलों को छोड़कर खुली निविदाओं के विरुद्ध एक पारदर्शी कीमत वसूली प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र तथा बिना किसी संबंध के आधार पर (केंद्र सरकार से रियायती दर पर प्राप्त अधीनस्थ ऋण को छोड़कर) बाजार की शर्तों पर किया जाता है। इस प्रकार की एकल निविदा खरीद उसी/समान मर्दों की उपलब्ध कीमत आंकड़ों के प्रति निर्धारित कीमतों से मोलभाव की प्रक्रिया के माध्यम से भी की जाती है।
- कंपनी द्वारा मूल कंपनी से प्राप्त परामर्श सेवा आम तौर पर नामांकन आधार पर उन शर्तों, निबंधनों और सिद्धांतों पर होती है जो अन्य पक्षकारों को दी जाने वाली परामर्श सेवाओं के लिए लागू होते हैं।
- 31.03.2024 को संयुक्त उद्यम कंपनियों की देय बकाया राशि प्रतिभूतिरहित होती है और इसका भुगतान बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से होता है। ऋण को छोड़कर इन शेष राशियों पर ब्याज नहीं लगता है। संबंधित पक्षकारों के पास की राशियों से संबंधित प्राप्य राशियों की किसी हानि को मान्यता नहीं दी गई है। हानि का आकलन संबंधित पक्षकार की वित्तीय स्थिति एवं बाजार, जिसमें संबंधित पक्षकार कार्य करता है, की जांच करने के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाता है।

8. प्रतिभूति के विवरण: उधार के लिए जमानत के रूप में गिरवी/बंधक रखी गई आस्तियों की अग्रणीत राशि निम्नानुसार है

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
		ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां #	ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई विशिष्ट परिसंपत्तियां	ऋणों के प्रति रेहन/ बंधक रखी गई समान परिसंपत्तियां
1	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर				
2	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य				
3	वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य				
	कुल				

परिसंपत्तियों के समान पूल के प्रति रेहन रखी गई प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य 31.03.2024 को शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) है।

9. भारतीय लेखांकन मानक-19 के अंतर्गत 'कर्मचारी लाभों' के संबंध में प्रकटीकरण

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

(i) **सामाजिक सुरक्षा योजना :** अनुकंपा नियुक्ति की पूर्व की योजना के स्थान पर कंपनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान देती है और ऐसा अंशदान योजना के प्रचालन की तिथि अर्थात् 05.06.2018 से प्रचालन रत है। कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में शोकसंतप्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रति मान्यता दिया गया व्यय **8.68 लाख रुपए** (पिछले वर्ष **8.96 लाख रुपए**) है।

(ii) **भविष्य निधि:** यह कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से एक पृथक न्यास में भविष्य निधि में नियत अंशदान जमा कराती है। वर्ष के दौरान, निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते/निर्माण पर आरोप्य व्यय में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि वह इस निधि में निर्धारित अंशदान करे।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** कंपनी के निम्नलिखित परिभाषित रोजगार-पश्चात दायित्व है:

(क) योजनाओं का विवरण

(i) **उपदान:** कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। उपदान की उच्चतम सीमा का निर्धारण उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन+मंहगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.20 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जा रहा है और कंपनी का दायित्व बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उक्त को मान्यता देना है।

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस):** कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और/अथवा उसके जीवन-साथी (पति/पत्नी) और दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित बच्चों को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(iii) **सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता:** कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी का परिवार भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) तुलन पत्र राशियों और योजनाओं के संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटन

(i) **उपदान:** 31.03.2024 तथा 31.03.2023 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(लाख रुपए में) निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii = 1/4i 1/2 & 1/4i i)

	2023-24		
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	405.04	-	405.04
वर्तमान सेवा लागत	53.96	-	53.96
ब्याज व्यय/(आय)	29.93	-	29.93
अदा किए गए लाभ	(2.49)		(2.49)
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	81.41	-	81.41
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	-	-	-
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2024 को अंतिम शेष	486.44	-	486.44
			(लाख रुपए में)
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii) = (i) - (ii)
	2022-23		
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	333.41	-	333.41
वर्तमान सेवा लागत	47.42	-	47.42
ब्याज व्यय/(आय)	24.21	-	24.21
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि/निर्माण के दौरान व्यय	71.63	-	71.63
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर प्रतिफल, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-

- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	405.04	-	405.04

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताए गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूप (गत वर्ष शून्य रूप) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(लाख रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	486.44	405.04
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	486.44	405.04
गैर-वित्तपोषित योजनाएं		
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	486.44	405.04

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारित मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	7.67%	7.92%	इससे वृद्धि	8.52%	8.82%
वेतन वृद्धि दर	0.50%	0.50%	इससे वृद्धि	4.54%	5.37%	इससे कमी	4.82%	5.36%

(ii) **सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस) :** 31.03.2024 तथा 31.03.2023 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii) = (i) - (ii)
	2023-24		
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	243.43	-	243.43

वर्तमान सेवा लागत	59.66	-	59.66
ब्याज व्यय/(आय)	17.99	-	17.99
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	77.65	-	77.65
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2024 को अंतिम शेष	321.08	-	321.08

विवरण	(लाख रुपए में)		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii) = (i) - (ii)
	2022-23		
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	173.78	-	173.78
वर्तमान सेवा लागत	57.03	-	57.03
ब्याज व्यय/(आय)	12.62	-	12.62
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	69.65	-	69.65
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	243.43	-	243.43

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रूप (गत वर्ष शून्य रूप) की राशि शामिल है।

गैर-वित्तपोषित के संबंध में उपरोक्त में प्रकट निवल देयताएं निम्नवत हैं :

(लाख रुपए में)		
विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	321.08	243.43
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
वित्तपोषित योजनाओं का घाटा/(अधिशेष)	321.08	243.43
गैर-वित्तपोषित योजनाएं	-	-
परिसंपत्ति सीमा से पूर्व घाटा/(अधिशेष)	321.08	243.43

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल मान्यता में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	अनुमानों में परिवर्तन		परिभाषित हितलाभ दायित्वों पर प्रभाव					
			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	9.20%	3.44%	इससे वृद्धि	9.83%	5.04%

(iii) सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भते 31.03.2024 तथा 31.03.2023 को तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई राशि को वर्ष 2023-24 तथा 2022-23 के दौरान निवल परिभाषित लाभ दायित्व में संचलन के साथ नीचे दिया गया है

(लाख रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/(परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii) = (i) - (ii)
	2023-24		
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	2.33	-	2.33
वर्तमान सेवा लागत	0.44	-	0.44
ब्याज व्यय/(आय)	0.17	-	0.17
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.61	-	0.61

पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि			
अंशदान :-			
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2024 को अंतिम शेष	2.94	-	2.94

(लाख रुपए में)			
विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल राशि दायित्व/ (परिसंपत्ति)
	(i)	(ii)	iii) = (i) - (ii).
	2022-23		
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	1.92	-	1.92
वर्तमान सेवा लागत	0.27	-	0.27
ब्याज व्यय/(आय)	0.14	-	0.14
लाभ और हानि/निर्माण के दौरान व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि	0.41	-	0.41
पुनर्मापन			
योजनागत परिसंपत्ति पर लाभ, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि के अतिरिक्त	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-
अनुभव किए गए (लाभ)/हानि	-	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल	-	-	-

राशि			
अंशदान :-	-	-	-
- नियोक्ता	-	-	-
- योजना प्रतिभागी	-	-	-
हितलाभ भुगतान	-	-	-
31.03.2023 को अंतिम शेष	2.33	-	2.33

निर्माणों के कारण लाभ और हानि/व्यय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल राशि और ऊपर बताई गई अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता प्राप्त कुल राशि बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें सीवीपीपीपीएल में तैनात एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में मूल कंपनी से/को प्राप्य/(देय) के रूप में लेखांकित शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रुपए) की राशि शामिल है।

प्रकट की गई उक्त निवल देयता गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है।

संवेदनशीलता विश्लेषण - भारत मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों की संवेदनशीलता निम्नवत है :

विवरण	परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव							
	अनुमानों में परिवर्तन			अनुमानों में वृद्धि			अनुमानों में कमी	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर	0.50%	0.50%	इससे कमी	9.60%	9.95%	इससे वृद्धि	10.41%	11.18%

(ग) परिभाषित हितलाभ योजनाएं : महत्वपूर्ण अनुमान : बीमांकित अनुमान :

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
छूट दर	7.25%	7.39%
वेतन वृद्धि दर	6.50%	6.50%

(घ) **जोखिम प्रदर्शन:** अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कंपनी कई जोखिमों का सामना करती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जोखिम प्रदर्शनों का विवरण :

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के हैं और समय के साथ भिन्न होते हैं। अतः कंपनी नीचे दिए गए विभिन्न जोखिमों का सामना करती है -

क) वेतन वृद्धि - वास्तविक वेतन वृद्धि योजना की देयता में वृद्धि करेगी। वेतन में वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि भावी मूल्यांकनों में देयता में भी वृद्धि करेगी।

- ख) निवेश जोखिम - यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है तो परिसंपत्ति देयताएं असंतुलन और अंतिम तिथि को मानी गई छूट दर से निम्न होने वाला परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश लाभ देयता को प्रभावित कर सकता है।
- ग) छूट दर - बाद के मूल्यांकनों में छूट दर में कमी योजना की देयता में वृद्धि कर सकती है।
- घ) मृत्यु तथा निशक्तता - मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक होने पर वास्तविक मृत्यु तथा निशक्तता के मामले देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- ङ) निकासी - वास्तविक निकासी अनुमानित निकासी से अधिक या कम होने और बाद के मूल्यांकनों में निकासी दरों में परिवर्तन योजना के देयता को प्रभावित कर सकती है।

(च) परिभाषित लाभ दायित्वों का छूट न प्रदान किया गया प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

उपदान, रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ते का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है :

(लाख रुपए में)					
विवरण	1 वर्ष से कम	1 - 2 वर्ष के मध्य	2 - 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024					
उपदान	12.47	9.77	27.51	436.69	486.44
रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	0.02	0.03	0.30	320.72	321.08
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	0.01	0.06	0.17	2.70	2.94
कुल	12.50	9.87	27.98	760.11	810.46
31.03.2023					
उपदान	8.82	8.26	23.41	364.55	405.04
रोजगार-पश्च चिकित्सा लाभ (आरईएचएस)	0.01	0.06	1.92	241.44	243.43
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर भत्ता	0.01	0.05	0.14	2.13	2.33
कुल	8.84	8.37	25.47	608.12	650.80

- (ग) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (अवकाश हितलाभ):** कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश (ईएल) सेवा के दौरान नकदीकरण योग्य भी होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी उस सीमा तक अर्ध वेतन अवकाश से पूरी की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त व्यय **506.56 लाख रुपए** (31 मार्च 2023 : **326.31 लाख रुपए**) है।
- (घ) एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में, जो वर्तमान में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स [प्रा.] लिमिटेड के रोल पर हैं, बीमांकित मूल्यांकन से संबंधित व्यय को डेबिट/क्रेडिट सलाह के माध्यम से संबंधित वर्ष में सीवीपीपीपीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान आईयूटी प्रमाण-पत्र में उसी के प्रभाव को स्वीकार किया गया है।
10. विदेशी मुद्रा में आय और व्यय तथा कल-पुर्जे की खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
क)	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य विविध मामले	3,141.89	4,825.39
ख)	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपभोग किए गए कल-पुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) देशीय	-	-
ग)	विदेशी मुद्रा में आय (विशिष्ट प्रकृति)	-	-

11. प्रति शेयर अर्जन:-

क) प्रति शेयर अर्जन (मूल तथा कम किया गया) निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
विनियामक आय से पूर्व प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - मूल और कम किया गया	0.0262	0.0681
विनियामक आय के पश्चात प्रति शेयर अर्जन (रूपए) - मूल और कम किया गया	0.02621	0.0694
प्रति शेयर सम मूल्य (रूपये)	10	10

ख) प्रति शेयर अर्जन की गणना में प्रयुक्त आय का मिलान :

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात किंतु विनियामक आय से पूर्व निवल लाभ (लाख रुपए में)	1,072.55	2,468.77
अंश के रूप में प्रयुक्त कर तथा विनियामक आय के पश्चात निवल लाभ (लाख रुपए में)	1,068.19	2,514.55

ग) विभाजक के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या का मिलान:

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
हर के रूप में प्रयुक्त शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	40,855.68	36,234.05

12. शेषों की पुष्टि संबंधी प्रकटन निम्नवत है

(क) कंपनी की बैंकों और अन्य पक्षों से शेष की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बैंक खाते और ऋणों के संबंध में कोई अपुष्ट शेष नहीं है।

- (ग) व्यापार प्राप्य, देय व्यापार, जमा, ऋण (कर्मचारी ऋण के अतिरिक्त), संविदाकारों/आपूर्तिकारों/सेवा प्रदाताओं/अन्यों को अग्रिम जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल है और संविदाकारों को जारी सामग्री हेतु 5.00 लाख रुपए अथवा उससे अधिक के बकाया शेष हेतु पुष्टि प्रत्येक पक्ष के संबंध में 31 दिसम्बर, 2023 को मांगी गई है। 31 दिसम्बर, 2023 के अनुसार शेष की पुष्टि और साथ ही साथ 31.03.2024 को बकाया राशि निम्नानुसार है :

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31.12.2023 को बकाया राशि	पुष्टि की गई राशि	31.12.2024 को बकाया राशि
व्यापार प्राप्य (लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज सहित) *	-	-	-
पूंजीगत व्यय और संविदाकारों को जारी सामग्री सहित जमा, ऋण, संविदाकारों/आपूर्तिकारों/ सेवा प्रदाताओं/ अन्यों को अग्रिम	43,574.23	39,461.24	49,862.60
व्यापार/अन्य देय	7,978.55	5,407.51	25,349.97
प्रतिभूति जमा/देय प्रतिधारण राशि	4,165.57	3,291.35	5,419.60

* व्यापार प्राप्य में लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज और ग्राहकों से अग्रिम का निवल के कारण प्राप्य शामिल है।

- (ग) प्रबंधन के मतानुसार, अपुष्ट शेषों के लिए ऐसे किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी जिसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव होता हो।

13. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटीकरण (टिप्पणी 29 देखें)

- i. भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(लाखों रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	वर्ष के दौरान व्यय की जाने के लिए अपेक्षित राशि		
	(i) सकल राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2%)	34.57	22.13
	(ii) सीएसआर परियोजना से उत्पन्न अधिशेष	-	-
	(iii) पिछले वर्ष से उपलब्ध समायोजन	1.20	1.20
	(iv) वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(i)+(ii) -(iii)]	33.37	20.93
ख.	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	34.57	22.96
ग.	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	14.70	20.65

घ.	आगे वाले वर्षों के लिए उपलब्ध समायोजन (ग-क(iv))	-	-
ङ.	वर्ष के दौरान खर्च न की गई राशि (ख-ग)	19.87	2.31
च.	चालू परियोजनाओं पर किया जाने वाला सीएसआर व्यय और पृथक सीएसआर व्यय न किए गए लेखे में जमा किया जाना	19.82	-
छ.	निधि में जमा की जाने वाली खर्च न की गई राशि	0.05	0.28

टिप्पणी:- आने वाले वर्षों में उपलब्ध सेट ऑफ को विवेकपूर्ण तरीके से परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि भविष्य के वर्षों में इसके समायोजन में अनिश्चितता शामिल है।

(ii) किए गए व्ययों के विभिन्न मदों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है: -

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	सीएसआर व्यय वाले व्यय के शीर्ष	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
1	स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	14.70	20.65
2	शिक्षा और कौशल विकास	-	-
3	महिला सशक्तिकरण/वरिष्ठ नागरिक	-	-
4	पर्यावरण	-	-
5	कला और संस्कृति	-	-
6	खेल	-	-
7	ग्रामीण विकास	-	-
8	स्वच्छ विद्यालय अभियान	-	-
9	स्वच्छ भारत अभियान	-	-
10	आपदा प्रबंधन	-	-
11	केंद्र सरकार की निधियों को योगदान (पीएम केयर्स फंड में योगदान सहित)	-	-
12	प्रशासनिक उपरिव्यय	-	-
13	सीएसआर प्रभाव आकलन	-	-
14	चल रही परियोजनाओं पर व्यय किया जाने वाला सीएसआर व्यय	19.82	-
15	व्यय नहीं की गई राशि	0.05	0.28
	कुल राशि	34.57	20.93

iii. अन्य प्रकटीकरण:-

क. वर्ष के दौरान नकद में भुगतान किए गए और नकद में भुगतान किए जाने वाले व्यय के विवरण व्यय की प्रकृति (पूँजी या राजस्व प्रकृति) के साथ निम्नानुसार है: -

(राशि रुपये में)

उद्देश्य	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	नकद में	नकद में	कुल	नकद में	नकद में	कुल

		भुगतान किया गया (क)	भुगतान किया जाना है (ख)	(क+ख)	भुगतान किया गया (क)	भुगतान किया जाना है (ख)	(क+ख)
(i)	किसी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए	14.70	19.82	34.52	20.65	-	20.65
	कुल	14.70	19.82	34.52	20.65	-	20.65

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, 34.52 लाख रुपए की राशि के कुल व्यय में से संबंधित पक्षकारों को 19.82 लाख रुपए का भुगतान किया जाना शेष है जो देनदारियों से संबंधित लेखाओं के संगत शीर्ष में शामिल हैं।

14. कंपनी कार्य मंत्रालय की दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी की सीमा तक निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
(i)	तुलन-पत्र की तारीख पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज : क) व्यापार देय: - मूल धन (टिप्पणी 20.3 देखें) - ब्याज ख) अन्य: - मूल धन (टिप्पणी 20.4 देखें) - ब्याज	129.25 - - 17.54 -	119.76 -- - 3.21 -
(ii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(iii)	भुगतान करने में देरी के वर्ष के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान किया गया है) किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
(iv)	तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उपाजित और शेष अदत्त ब्याज की राशि।	-	-

(v)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से, उस तिथि तक, जब तक उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक और बाद के वर्षों में भी देय होने वाली देय ब्याज की राशि।	-	-
-----	--	---	---

15. इंड एस - 116 "पट्टे" के अनुसार पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण :

क) कंपनी पट्टाधारी के रूप में

(i) इंड एस 116 के अनुसार पट्टों पर कार्रवाई :

कंपनी यह आकलन करती है कि क्या अनुबंध की शुरुआत में वह एक अनुबंध है या इसमें पट्टा शामिल है। कंपनी अल्पकालिक पट्टों (12 महीने या उससे कम की लीज अवधि के साथ पट्टों के रूप में परिभाषित) और कम मूल्य की संपत्ति वाले पट्टों (जैसे टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, कार्यालय फनबचर की छोटी वस्तु और टेलीफोन) को छोड़कर, उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिसमें वह पट्टेदार है, के संबंध में आस्ति उपयोग के अधिकार और परवर्ती पट्टा देयता को मान्यता प्रदान करती है। इन पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर एक परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधित्व न करता हो जिसमें पट्टे पर दी गई संपत्ति से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन प्रारंभ में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि यह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है।

कंपनी ने इंड एस-116 के प्रारंभिक अनुप्रयोग पर निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किये हैं:-

- क. समान अंतिम तिथि के साथ समान आर्थिक पर्यावरण में समान परिसंतियों के पट्टों के पोर्टफोलियो पर एकल छूट दर लागू की।
- ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों की पहचान न करके तथा प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को 12 माह से कम पट्टा अवधि वाली पट्टों देयताओं पर छूट लागू की।
- ग. प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, यदि कोई हो तो उसे छोड़कर, प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि को उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियों का मापन।
- घ. यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने या समाप्त करने का विकल्प शामिल है तो पट्टे की अवधि निर्धारित करते समय दूरदर्शिता का प्रयोग किया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मान्यता प्रदान की गई पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिशील उधार दर 7.67 प्रतिशत है।

(iii) पट्टे की प्रकृति : कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं निम्नलिखित परिसंतियों के संबंध में हैं:

- (क) 3-4 माह से 3 साल तक की अवधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के आवासीय उपयोग हेतु निरस्तीकरण योग्य पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिसर।
- (ख) कार्यालयों, अतिथि गृहों तथा टंजिट कैम्पों हेतु पट्टे पर परिसर जो निरस्त नहीं किए जा सकते तथा आम तौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।
- (ग) परियोजनाओं और/अथवा प्रशासनिक कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई।
- (घ) वाहनों को सामान्यतः 1 से 2 वर्षों की अवधि हेतु प्रचालनात्मक पट्टों पर लिया है और ये पट्टे निरस्त नहीं किए जा सकते।

राशि को अल्पावधि, निम्न मूल्य और परिवर्तनीय पट्टे के संबंध में लाभ और हानि/निर्माण पर आरोप्य व्यय के विवरण में निम्नवत माना गया है

		(लाख रुपये में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023

1	अल्पावधि पट्टों पर व्यय	267.33	240.73
2	निम्न-मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे पर व्यय	-	-
3	परिवर्तनीय पट्टा भुगतान में शामिल नहीं होने वाली पट्टा देयताओं का पुनर्मापन	67.21	43.57

(iii) 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्धता **149.06 लाख रुपये** (गत वर्ष **129.44 लाख रुपये**) है।

(iv) वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में संचलन निम्नलिखित है :

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31.03.2024	31.03.2023
प्रारंभिक शेष	149.39	129.05
पट्टा देयताओं में वृद्धि	42.39	110.39
वर्ष के दौरान प्रोद्भूत वित्त लागत	7.36	8.42
घटाएं : पट्टा देयताओं का भुगतान	108.55	98.47
अंतिम शेष	90.59	143.39

16. **इंड एस-27 – ‘पृथक वित्तीय विवरण’ के अंतर्गत प्रकटीकरण मूल कंपनी का हित:**

कंपनी का नाम	प्रचालन का प्रधान स्थान	प्रधान क्रियाकलाप	निम्नलिखित के अनुसार स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2024	31.03.2023
एनएचपीसी लिमिटेड	भारत	विद्युत उत्पादन	54.02%	52.74%
जेकेएसपीडीसी	भारत	विद्युत उत्पादन	45.98%	47.26%

17. भारतीय लेखांकन मानक 36 के अनुसार, परिसंपत्तियों की हानि में किसी निकाय के लिए प्रत्येक तुलन पत्र पर यह आकलन करना होता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को हानि हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत हो तब निकाय से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना अपेक्षित है। यदि संभावित हानि के संबंध में घाटे का कोई संकेत न हो, तब इस मानक में किसी उपक्रम के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह वसूली योग्य राशि का औपचारिक अनुमान लगाए।

प्रबंधन ने अवधारित किया है कि कंपनी को सौंपी गई परियोजना निविदा/अवार्ड/निर्माण चरण के तहत है और आज की तारीख तक कोई नकद सृजन इकाई (सीजीयू) विद्यमान नहीं है और ऐसा कोई संकेत भी मौजूद नहीं है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी सीजीयू की हानि का संकेत दे।

18. प्रावधानों की प्रकृति और ब्यौरा (टिप्पणी संख्या 17 तथा 22 देखें)।

(i) सामान्य

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा रचनात्मक) किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप हो और यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ शामिल होने वाले संशोधनों के अंतर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जब कंपनी यह प्रत्याशा करती है कि कुछ अथवा सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसे कि किसी बीमा संविदा के अंतर्गत, तो प्रतिपूर्ति को एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है परन्तु केवल तब जब प्रतिपूर्ति स्पष्टतः निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि के विवरण में किसी प्रतिपूर्ति के निवल पर प्रस्तुत किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक है, तो प्रावधानों में एक वर्तमान कर-पूर्व-दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से विशिष्ट जोखिमों को प्रदर्शित करते हैं। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, समय के साथ प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) **कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान (परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ योजनाओं हेतु प्रावधानों के अतिरिक्त जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार टिप्पणी संख्या 34 के क्रम सं. 10 पर प्रकट किया गया है)।**

क) कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन हेतु प्रावधान :
लेखे में कर्मचारियों के निष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के प्रति अल्पावधि प्रावधान को प्रबंधन अनुमानों पर इस संबंध में कंपनी नियमों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

ख) तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) के अनुसार वेतन संशोधन हेतु प्रावधान :
कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु अल्पावधि प्रावधान को लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पूर्व में मान्यता दी गई थी।

(iv) **अन्य प्रावधान**

क) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान :

पर्यावरण, वनीकरण, स्थानीय क्षेत्र विकास आदि के प्रति किए जाने वाले पूंजीगत व्यय हेतु गैर-वर्तमान राशि के मामले में छूट वाले मूल्य पर प्रावधान को मान्यता प्रदान की गई है जो परियोजना के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय एक पूर्व शर्त है और जिसके प्रति व्यय परियोजना के चालू किए जाने तक पूरा नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग के अनुसार वास्तविक व्यय के किए जाने पर समायोजित किया जाता है।

ख) मध्यस्थता निर्णय/अदालती मामलों के संबंध में व्यय हेतु प्रावधान:

इसमें मध्यस्थता निर्णय/अदालती निर्णय प्राप्त हो चुके तथा न्यायालय में आगे चुनौती दिए गए संविदाकार के दावे के संबंध में संभावित बाह्य प्रवाह संबंधी प्रबंधन आकलन के आधार पर सृजित किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले को निर्णय के आधार पर होगा।

ग) प्रावधान - अन्य -इसमें निम्नलिखित के प्रति किए गए प्रावधान शामिल हैं :-

(i) संभावित बहिर्पवाह के प्रति प्रबंधन के आकलन के आधार पर संविदाकार के दावे, भूमि मुआवजा मामले, विवादित कर मांगे और अन्य मामले। प्रावधान का उपयोग/बहिर्पवाह मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ii) कंपनी द्वारा सेवाएं उपयोग किए जा रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन।

19. **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों के संबंध में विनियामक आस्थगित लेखा शेष:**

भारतीय लेखांकन मानक 23 - "उधार लागत" के अनुसार, ब्याज लागतों के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण पर उधार लागत की अनुमति निर्माण अवधि के दौरान पूंजीकृत किए जाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 21 - "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव" में यह प्रावधान है कि जिन दरों पर इस अवधि के दौरान अथवा पूर्व के वित्तीय विवरणों में आरंभिक मान्यता पर उन्हें रुपांतरित किया गया था, से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों का निपटान अथवा रुपांतरण के कारण होने वाले विनिमय अंतर की पहचान उस अवधि में लाभ और हानि में की जाएगी जिसमें वे उत्पन्न होंगी।

भारतीय लेखांकन मानक 101 के पैरा डी13एए - "भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना" में यह प्रावधान है कि पहली बार अपनाने वाली दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण के कारण विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए अपनाई गई मौजूदा लेखांकन नीति जारी रह सकती है। तदनुसार, 01.04.2016 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली अवधियों के लिए, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत के सामयोजन के रूप में मानी गई सीमा तक उधार पर विनिमय अंतर को छोड़कर मौद्रिक मदों का रुपांतरण/निपटान के कारण होने वाले सभी विनिमय अंतरों को लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाना है।

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार, विनिमय जोखिम अंतर के कारण कोई लाभ अथवा हानि को परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत के भाग के रूप में तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान आधार पर वसूला जाएगा। इसके अलावा, सीईआरसी ने विगत टैरिफ आदेशों में पूंजी लागत के भाग के रूप में निर्माण अवधि के दौरान हुए विनिमय अंतरों की अनुमति दी है।

भारतीय लेखांकन मानक 114 के प्रावधानों को देखते हुए, मान्यता के संबंध में "विनियामक आस्थगित लेखा" और वसूलनीयता के संबंध में सीईआरसी टैरिफ विनियम 2014-19, लाभ और हानि को प्रभावित सीमा तक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रुपांतरण/निपटान के कारण विनिमय अंतरों की पहचान 01.04.2016 से "विनियामक आस्थगित लेखा शेष" के रूप में की जा रही है। इन शेष राशियों का सामयोजन उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) के बाद लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें भुगतान योग्य होगी।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने वाली अथवा उसे भुगतान योग्य राशि खाते में पहचान की गई विनियमित परिसंपत्तियां(+)/देयता (-) नीचे दी गई है:

(लाख रुपए में)		
क्रम सं.	विवरण	विनियामक आस्थगित लेखा शेष
क	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	56.37
ख	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (परिसंपत्ति (+)/ देयता (-))	(4.06)
ग	वर्ष के दौरान एकत्रित राशि (-)/ वापिस की गई (+)	0
घ	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्रदान की गई विनियामक आय/ (व्यय) (ख-ग)	(4.06)
ङ	31.03.2024 को अंतिम शेष (क+घ)	52.31

2019-2024 की अवधि के लिए टैरिफ विनियम को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। किसी परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) पर टैरिफ की गणना के लिए पूंजी लागत और टैरिफ विनियम 2014-19 के अनुसार विद्युत केंद्र की ओएंडएम अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर

विदेशी विनियम दर अंतर की वसूलनीयता के संबंध में विनियम टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए भी जारी रखी गई है। तदनुसार, प्रबंधन यह मानता है कि टैरिफ विनियम में प्रतिकूल परिवर्तन संभवतः विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनियम अंतरों के संबंध में मान्यता प्राप्त आरडीए शेष राशियों की भावी वसूली के जोखिम का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं हो सकता है।

हालांकि, विनियामक आस्थगित लेखा शेष की वसूलनीयता **मांग जोखिम** के अध्यक्षीन है क्योंकि विनियामक आस्थगित निकासी/जमा शेष की वसूली/भुगतान लाभार्थियों को बिलिंग के रूप में होगा। तदनुसार, दीर्घ अवधि पीपीए आदि पर हस्ताक्षर करने में दिक्कत जैसे भारत में विद्युत की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले सामान्य जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है।

20. **बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध के बारे में प्रकटीकरण :** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनियों के साथ शेष राशि के संबंध में प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

बंद की गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ संव्यवहार की प्रकृति	31 मार्च, 2024 के अनुसार बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए	31 मार्च, 2023 को बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, को प्रकट किया जाए
लागू नहीं	प्रतिभूतियों में निवेश	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	प्राप्यों	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	देयों	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
लागू नहीं	अन्य बकाया देय (निर्दिष्ट किया जाना है)	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

21. कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों या संतुष्टि के पंजीकरण के संबंध में प्रकटीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की अपेक्षा के अनुसार, जहां सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के पास कोई आरोप या संतुष्टि अभी तक दर्ज की जानी है, अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है:

शुल्क या संतुष्टि का संक्षिप्त विवरण	रजिस्ट्रार का स्थान	अवधि (दिनों या महीनों में) जिसके द्वारा इस तरह के शुल्क को पंजीकृत किया जाना था	पंजीकरण में विलंब का कारण
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

22. **कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटीकरण:**

- (1) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यवर्तियों") सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है या उनमें कोई ऋण या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई राशि से या शेयर या प्रीमियम से या किसी धनराशि के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) जिसमें यह समझ शामिल है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष को उधार देगी या उसमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थी के ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य कोई कार्रवाई करेगी।

- (2) कंपनी को किसी भी पक्षकार (पक्षकारों) (वित्त-पोषण पक्षकार) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह समझ भी शामिल है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।
 - (3) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।
 - (4) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।
 - (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - (6) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है अथवा लंबित नहीं है।
 - (7) कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों में दाखिल की गई तिमाही विवरणी/चालू परिसंपत्तियों का विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।
 - (8) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो उन लेखाओं की बहियों में दर्ज नहीं किया गया है जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किया गया है।
23. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां-कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/ पुनर्कथित किया गया है।

24. राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति

वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अधिसूचना का.आ. 281 दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से अधिसूचित "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति योजना (आरएसजीटीपीपी) के निबंधनों के अनुसार, राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार कंपनी के पकलडुल एचईपी, किरू एचईपी और कार एचईपी के विकास और निर्माण के लिए माल और सेवा के उपयोग पर राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति करता है। तदनुसार, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के दावे उन बाजकों के लिए दायर किए जा रहे हैं जिनका कंपनी द्वारा माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है।

उक्त अधिसूचना और बाद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति बीजकों पर एसजीएसटी के लिए की जाएगी जो कंपनी के जीएसटीआर 2क में और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर नकद भुगतान में परिलक्षित होता है। परिणामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता बीजकों पर एसजीएसटी, जो कंपनी के जीएसटीआर-2ए और इसके द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के आधार पर भुगतान की गई नकद राशि में परिलक्षित होता है, को खातों की बहियों में राज्य कर विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता दी गई है (टिप्पणी 11 देखें)। इसके अलावा, 130.97 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष : 143.77 लाख रुपए) के बीजक पर एसजीएसटी को, जो जीएसटीआर 2ए में दिखाई नहीं दे रहा है, पहले ही पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में शामिल किया गया है तथा उसे उस समय राज्य कर विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार से वसूलीयोग्य के रूप में मान्यता की जाएगी, जब वह पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी में तदनुसारी समायोजन के साथ समाशोधन (चल रही प्रक्रिया) के उपरांत जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित होगी।

तुलन-पत्र के संलग्नक के रूप में हस्ताक्षरित

कृते पी सी बिंदल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 003824एन)

हस्ता./-

(सीए वीरेन्द्र के. मैनी)

साझेदार

स्थान: जम्मू

दिनांक : 07 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता./-

(सुरेश कुमार)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या
06440021

हस्ता./-

(संजय कुमार गुप्ता)

महाप्रबंधक (वित्त)

हस्ता./-

(रमेश मुखिया)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या
10415607

हस्ता./-

(सुधीर आनंद)

कंपनी सचिव